NEXT IAS

THE CRUX

जुलाई अंक; 2025

मुख्य संपादक

बी. सिंह (Ex. IES)

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2025

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

कवर स्टोरी

17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 4
भारत-यूके एफटीए 6
उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र 8
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 10

विशेष लेख

फोन टैपिंग एवं निजता का अधिकार 12
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 13
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति 14
भारत-मालदीव संबंध 16
भारत-ब्राजील संबंध 18
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 19
CIMMYT का वित्तीय संकट: ऋण चुकाने का एक अवसर 20
भारत: "विश्व की उभरती खिलौना राजधानी" 22
राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 24
कौशल भारत मिशन के 10 वर्ष 27
निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण 28
जलवायु न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय 29
वैश्विक आर्द्रभूमि परिदृश्य, 2025 30
पर्यावरण संरक्षण नियम, 2025 32
भारत में सार्वजनिक अवसंरचना की चिंताजनक स्थिति 33

Disclaimer:
MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

विषयसूची | संक्षिप्त लेख

राजव्यवस्था एवं शासन

नागरिक पंजीकरण प्रणाली और नमूना पंजीकरण प्रणाली 35
राजनीतिक दलों को सूची से हटाना....35
राज्यसभा के लिए मनोनयन....36
बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय....36
भारत की क्षेत्रीय परिषदें....37
विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)....37
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट...38
सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय....39
बिल ऑफ लेडिंग विधेयक, 2025....39
पालना योजना....40
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग्स....40
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR)....41
केंद्र ने अश्लील सामग्री मुद्दे पर 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक..41
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँच वर्ष....42
बिहार मोबाइल ऐप से मतदान करने वाला पहला राज्य बना....42
माय भारत 2.0 प्लेटफॉर्म....43
प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र....43
संचार मित्र योजना....43
फेसऑथ (FaceAuth)....44
ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग....44

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका यूनेस्को से बाहर होगा....45
समुद्री पोत पर्यवेक्षक मिशन....45
भारत-दक्षिण अफ्रीका समुद्री साझेदारी....45
कोलंबिया और उज्बेकिस्तान NDB में शामिल हुए....46
त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी....46
प्रधानमंत्री की घाना यात्रा....47
AUKUS के अंतर्गत जिलॉन्ग संधि....49

अर्थव्यवस्था

भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 736 अरब डॉलर हुआ....50
'वन बिग ब्यूटीफुल बिल': विदेशी धन प्रेषण कर....50
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)....50
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क विनियम....51
भारत का एल्युमीनियम और कॉपर विज़न दस्तावेज....51
भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025....52
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम....52
आपदा बॉन्ड....52
बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां सदस्य बना....53
कॉरपोरेट निवेश अपेक्षित गति से पीछे....54
सऊदी अरब के साथ उर्वरक आपूर्ति समझौते....54
डिजिटल इंडिया यात्रा के 10 वर्ष....55
विकासशील देशों में संप्रभु ऋण....55
भारत में घरेलू बचत में गिरावट....56
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण....56
भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज सिक्किम में उद्घाटित....57
ऑटोमोटिव मिशन योजना (AMP), 2047....57
कृषि-खाद्य प्रणालियों में युवाओं की स्थिति रिपोर्ट: FAO....57
'ट्रेड कनेक्ट' ई-प्लेटफॉर्म....58
जैव उत्तेजक....58
कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक....59
RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक....59
भारत में समुत्थानशील और समृद्ध शहरों की ओर....59
वर्ल्ड फूड इंडिया, 2025....60
भारत ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण हासिल किया....60
ADB ने भारत की वित्त वर्ष 2026 की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5: किया....61
भारत का बीमा क्षेत्र....61
भारतीय रेल द्वारा पहले हाइड्रोजन-संचालित कोच का परीक्षण....61
IT सेवा उद्योग में छंटनी....62
अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर भारत के प्रतिकारात्मक शुल्क....63
रासायनिक उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट....63

पर्यावरण

द्वितीयक प्रदूषक....65
CITES के 50 वर्ष....65
असम में गार्सिनिया की नई प्रजाति पाई गई....65
ग्रीन क्लाइमेट फंड....66
खराई ऊँट....66
ग्रेट हॉर्नबिल....66
द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) अधिसूचना....67
RhODIS इंडिया....67
HTBt कपास....67
असम की वूला चाय....69
MNRE द्वारा बायोमास दिशा-निर्देशों में संशोधन....69
नई लाइकेन प्रजाति द्वारा प्राचीन सहजीवन का खुलासा....69
केरल के रबर बागान खतरे में....70
सिंह-पूंछ मकाक....71
पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो)....71
क्योटो प्रोटोकॉल....71
सुनहरा सियार....72
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का हरित संश्लेषण....72
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घासभूमि पक्षी गणना....73

भूगोल

मुन्नार को एक वैश्विक 'उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य' बनाया जाएगा....74
माजुली द्वीप....74
नून नदी....74
महादेई नदी....75
नपने जलप्रपात....75
वुलर झील....75
चोल गंगम झील....75
करियाचल्ली द्वीप....76
प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित.... 76
रोल क्लाउड....76
ब्लू नील....77
त्रिनिदाद और टोबैगो....77
एस्वातिनी....77
तुर्काना बेसिन....78
UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट, 2025....78
सोकोत्रा द्वीप....79
काबो डेलगाडो क्षेत्र....79
कामचटका प्रायद्वीप....79
ग्रेट रूहा नदी....79

आंतरिक सुरक्षा

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)....80
मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (MALE) ड्रोन....80
अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर....80
महाराष्ट्र का 'शहरी माओवाद' विधेयक....80
IMO परिषद का 134वाँ सत्र....81
कारगिल विजय दिवस....81
पृथ्वी-II और अग्नि-I....82
अस्त्र मिसाइल....82
पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली....82
INS निस्तार....83
नशामुक्त भारत के लिए काशी घोषणा पत्र....83
मिसाइल (ULPGM)-V3....83
ऑपरेशन महादेव....84
INS उदयगिरि....84
सिम्बेक्स अभ्यास....84
अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025....84

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सिंथेटिक HGP (SYNHG)....85
अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना....85
अल्टरमैग्नेट्स....85
ग्लूटेथिओन....86
DengiAll (डेंगीऑल)....86
SAKSHAM-3000....86
रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)....87
हैम रेडियो संचार....87
स्टारलिंक को नियामक स्वीकृति....88
पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन....88
इन विट्रो बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रणाली....89
चीनी और वसा बोर्ड प्रदर्शित करना....89
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी....89
मलेरिया वैक्सीन 'एडफैल्सिवैक्स'....90
शीतकालीन कोहरा प्रयोग....91
स्टार-हॉप्स-315....91
TRACERS मिशन....92
ब्लैक होल विलय....92
केरल में निपाह वायरस का प्रकोप....92

समाज

भारत का पहला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्लिनिक....93
लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव....93
SPREE 2025....93
19वाँ सांख्यिकी दिवस....94
रोजगार सृजन के लिए ELI योजना....94

संस्कृति एवं इतिहास

पेशवा बाजीराव....95
हुल दिवस....95
अल्लूरी सीताराम राजू....95
शीश महल....96
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस....96
चौताल....96
यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा....97
जारवा जनजाति....97
बेहदीनखलम उत्सव....97
थिरु के. कामराज....97
मंगल पांडे....98
पाइका रिबेलियन....98
पैठणी साड़ी....98
मेवाड़ भीलों का गवरी....99
सोहराई कला....99
चंद्रशेखर आजाद जयंती....100
चोल प्रशासन में मतदान प्रणाली....100

विविध

WHO का "3 बाय 35" पहल....101
कॉम्बुचा....101
ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025....101
डुरंड कप टूर्नामेंट....102
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025....102
फिडे महिला विश्व कप 2025....102
भारत शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा....103
वैश्विक SPECS नेटवर्क....103
सर्वोच्च न्यायालय: आपराधिक मामलों में निगम पीड़ित हो सकते हैं...103

डेटा पुनर्कथन

....104
स्वयं परीक्षण....105

17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **वैश्विक शासन सुधार:** ब्रिक्स+ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार कर उसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को शामिल करने का आह्वान किया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक में सुधारों का आग्रह किया।
- **सतत् विकास:** ब्रिक्स ने जलवायु वित्त ढाँचा अपनाया और कार्बन मूल्य निर्धारण एवं उत्सर्जन व्यापार में सहयोग के लिए कार्बन बाजार साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **शांति और सुरक्षा:** ब्रिक्स ने "अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान" का समर्थन किया तथा गाजा में युद्धविराम का आह्वान किया। ब्रिक्स द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गयी तथा आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता पर बल दिया गया।
- **वित्तीय सहयोग:** इस समूह ने सीमा-पार भुगतान पहल को आगे बढ़ाया, एनडीबी विस्तार का समर्थन किया और निवेश जोखिमों को कम करने के लिए ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी (BMG) पायलट परियोजना शुरू की।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था:** ब्रिक्स ने एक वैश्विक एआई शासन वक्तव्य को अपनाया, डेटा अर्थव्यवस्था नियमों पर सहमति व्यक्त की और अंतरिक्ष सहयोग के लिए ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद् की स्थापना का निर्णय लिया।

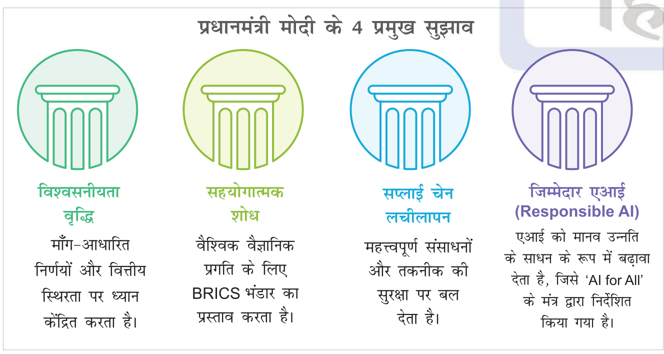

- **स्वास्थ्य और सामाजिक विकास:** ब्रिक्स ने सामाजिक रूप से निर्धारित रोगों के उन्मूलन हेतु साझेदारी की शुरुआत की, जिसका ध्यान क्षय रोग (टीबी) के विरुद्ध लड़ाई पर केंद्रित है।
- **सीबीएएम की निंदा:** ब्रिक्स ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) की निंदा करते हुए कहा कि यह विकासशील देशों के हरित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के प्रयासों को नुकसान पहुँचाता है।

ब्रिक्स की बढ़ती प्रासंगिकता

- **राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक व्यवस्था में बदलाव:** प्रमुख तेल उत्पादकों और प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के शामिल होने से, ब्रिक्स+ एक बढ़ती हुई बहुध्रुवीय दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, जो जी-7 के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। गौरतलब है कि विशेषज्ञ "ब्रिक्स को पश्चिम का पतन और शेष का उदय" बताते हैं।

ब्रिक्स

उद्भव:

- 'BRIC' शब्द का प्रयोग वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, रूस, भारत और चीन - को दर्शाने के लिए किया गया था।
- इस समूह ने औपचारिक रूप से 2006 में जी-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन में सहयोग करना शुरू किया। वर्ष 2009 में रूस में इसने अपना पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके ब्रिक्स बन गया।

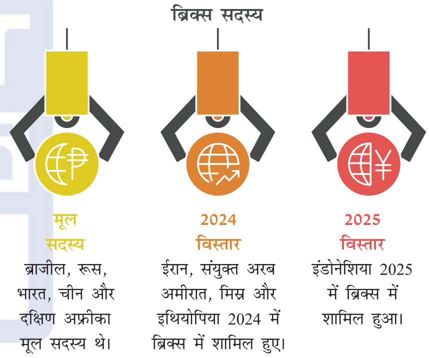

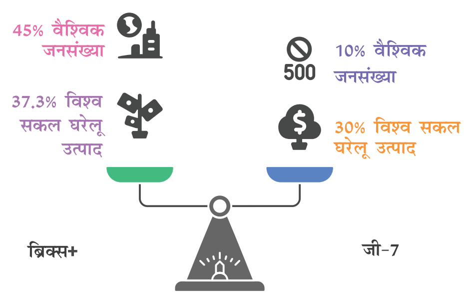

ब्रिक्स+ और जी-7 की तुलना

- **वैश्विक शासन सुधार:** ब्रिक्स+ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है, तथा अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक शासन प्रणाली की वकालत करता है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** ब्रिक्स+ ऊर्जा सुरक्षा से लेकर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध तक व्यापक रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है, जो विशेष रूप से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी क्षेत्रों में प्रासंगिक है।

NEXT IAS हिन्दी

- **आर्थिक प्रभाव:** मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया आदि को शामिल करने के बाद, ब्रिक्स+ का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 37% से अधिक और वैश्विक तेल उत्पादन में लगभग 43% का योगदान है, जिससे इसकी आर्थिक और ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **अवसंरचना एवं विकास:** विस्तारित सदस्यता के साथ, ब्रिक्स+ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अवसंरचना सहयोग को बढ़ाता है, जिससे पश्चिमी नेतृत्व वाले विकास मॉडलों पर निर्भरता कम होती है।
- **वित्तीय स्थिरता:** ब्रिक्स+ आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) के माध्यम से पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों को एक प्रतिसंतुलन प्रदान करता है, जिससे सदस्यों को आईएमएफ की मितव्ययिता कार्यक्रमों पर निर्भरता के बिना वित्तीय झटकों का प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

ब्रिक्स द्वारा उठाये गए महत्त्वपूर्ण पहल

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** वर्ष 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, एनडीबी ने 96 परियोजनाओं में 32.8 बिलियन डॉलर का निवेश किया है; नए सदस्यों के शामिल होने से, एनडीबी द्वारा अपने वित्त पोषण आधार को व्यापक बनाने और अफ्रीका, पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका में निवेश करने की उम्मीद है।
- **आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA):** 100 अरब डॉलर की सीआरए वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। तेल-समृद्ध सदस्यों के शामिल होने से, यह समूह संभावित रूप से इस आरक्षित निधि का विस्तार कर सकता है, जिससे अधिक आर्थिक सुरक्षा और तरलता सहायता मिल सकती है।

- **हरित प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा:** वैश्विक सौर ऊर्जा में 50% से अधिक का योगदान देने वाले ब्रिक्स+ देश, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी तकनीक और टिकाऊ ईंधन पर सहयोग कर रहे हैं।
- **सुरक्षा सहयोग:** ब्रिक्स+ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकें आयोजित करता है, जिनका मुख्य ध्यान आतंकवाद-रोधी उपायों, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित होता है। पश्चिम एशियाई देशों के शामिल होने से यह पहल और भी महत्त्वपूर्ण हो गई है।

तकनीकी साझेदारी:

- **अंतरिक्ष सहयोग:** ब्रिक्स+ ने उपग्रह डेटा साझाकरण और संयुक्त पृथ्वी अवलोकन पहलों का विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक में तकनीकी असमानताओं को कम करना है।
- **ब्रिक्स पे और डिजिटल भुगतान:** यह समूह अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट (SWIFT) पर निर्भरता कम करने के लिए ब्लॉकचेन-आधारित सीमा-पार भुगतान प्रणाली, ब्रिक्स पे विकसित कर रहा है।
- **सीबीडीसी एकीकरण:** ब्रिक्स+ बहुपक्षीय-सीबीडीसी (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) अवसंरचना पर काम कर रहा है, जिससे वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्राओं में रियल-टाइम भुगतान संभव हो सके।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों का जुड़ाव:** ब्रिक्स+ फिल्म महोत्सव, युवा शिखर सम्मेलन, शैक्षणिक मंच और संसदीय मंच के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देता है, जिसमें अब अफ्रीका और मध्य पूर्व के विविध क्षेत्र भी शामिल हैं।

चुनौतियाँ

- **आंतरिक भू-राजनीतिक तनाव:** भारत-चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और आपसी अविश्वास, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर समूह की एक साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता को कमजोर करते हैं।
- **शक्ति विषमता:** चीन की विशाल अर्थव्यवस्था (ब्रिक्स जीडीपी का लगभग 70%) असंतुलन पैदा करती है, जिससे अन्य सदस्य इसके बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क हो जाते हैं।
- **एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव:** ब्रिक्स+ सदस्यों की राजनीतिक प्रणालियाँ और राष्ट्रीय हित अलग-अलग हैं, जिससे स्पष्ट साझा लक्ष्यों पर सहमत होने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **कमजोर संस्थागत तंत्र:** ब्रिक्स में स्थायी सचिवालय का अभाव है; निर्णय वार्षिक शिखर सम्मेलनों और बदलते नेतृत्व पर निर्भर करते हैं, जिससे अनुवर्ती कार्रवाई धीमी हो जाती है।
- **10% टैरिफ का खतरा बनाम ब्रिक्स समर्थक गठबंधन:** ट्रंप ने उन देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी जो "अमेरिका-विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ जुड़े हुए हैं।" उन्होंने ब्रिक्स को एक "छोटा समूह" करार दिया जो डॉलर के वर्चस्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
- **बाहरी रणनीतिक संघर्ष:** पश्चिमी गठबंधनों के साथ भारत के संबंध और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता ब्रिक्स+ के भीतर परस्पर विरोधी विदेश नीति हितों को जन्म देती है।
- **विस्तार-संबंधी चुनौतियाँ:** नए सदस्यों को जोड़ने से विविधता बढ़ती है, लेकिन समन्वय संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं, जिससे निर्णय लेना अधिक जटिल और समय लेने वाला हो जाता है।

भारत ब्रिक्स का लाभ कैसे उठा सकता है?

- **बहुपक्षीय कूटनीति:** ब्रिक्स भारत को वैश्विक दक्षिण और पश्चिमी शक्तियों के बीच अपने संबंधों को संतुलित करने और अपने राजनयिक प्रभाव का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है।
- **रणनीतिक स्थिति:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार, भारत एक दक्षिण-पश्चिमी शक्ति की भूमिका निभाते हुए ब्रिक्स (BRICS) के जरिये विकसित देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सेतु का कार्य करता है।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत ब्रिक्स का उपयोग व्यापार, निवेश और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है, विशेष रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी पहलों के माध्यम से।
- **राजनीतिक प्रभाव:** ब्रिक्स भारत को वैश्विक शासन सुधारों (यूएनएससी, आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ), जलवायु कार्रवाई और आतंकवाद-रोधी प्रयासों के लिए आवाज़ उठाने का एक मंच प्रदान करता है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारत ब्रिक्स के कला, शिक्षा, पर्यटन और युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा दे सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** ब्रिक्स के माध्यम से, भारत संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार पर सहयोग कर सकता है, जिससे आईटी, अंतरिक्ष और हरित ऊर्जा में क्षमताएँ बढ़ सकती हैं।
- **क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा:** भारत ब्रिक्स सदस्यों के साथ आतंकवाद-निरोध, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर काम कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता मजबूत होगी।

भारत-यूके एफटीए

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है, जो इनकी दीर्घकालिक साझेदारी में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

FTA समझौता

- भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) ब्रेक्सिट के पश्चात् यूके का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौता है और एक दशक से भी अधिक समय में जी7 राष्ट्र के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है।
- **मुक्त व्यापार समझौतों** (FTA) **का अर्थ:** मुक्त व्यापार समझौते देशों या आर्थिक समूहों के बीच रणनीतिक साझेदारियाँ हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार को उदार बनाना है। इनमें व्यापार के एक बड़े हिस्से पर सीमा शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना या समाप्त करना शामिल है।
    - एफटीए आमतौर पर वस्तुओं (कृषि और औद्योगिक दोनों), सेवाओं (जैसे वित्त, निर्माण और खुदरा) और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों में व्यापार को कवर करते हैं, जिससे गहन आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।

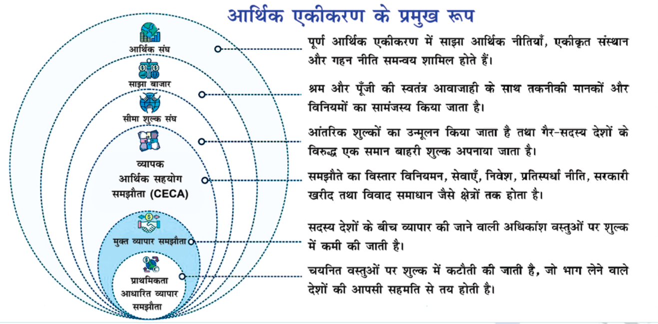

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

- **वस्तुओं का व्यापार:**
    - यू.के. ने अपनी 99% उत्पाद शृंखलाओं पर से शुल्क हटा दिया है।
    - यू.के. को भारत का लगभग 6.5 बिलियन डॉलर (45%) निर्यात अब शुल्क-मुक्त होगा (जैसे, वस्त्र, जूते, ऑटो, समुद्री भोजन, आम)।
    - शेष 8 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात को पहले से ही शून्य-शुल्क पहुँच प्राप्त थी (जैसे, फार्मा, पेट्रोलियम, हीरे)।

भारत-यू.के. व्यापार समझौता

सेवाओं में व्यापार	द्वि-योगदान अभिसमय	सरकारी खरीद
भारत ने विभिन्न क्षेत्रों को यू.के. की कंपनियों के लिए खोला है, राष्ट्रीय उपचार प्रदान किया है और योग्यताओं को मान्यता दी है।	75,000 भारतीय कामगारों को, जो छोटे समय के लिए यू.के. में नियुक्त होते हैं, केवल भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान करने की अनुमति देता है।	यू.के. की कंपनियाँ भारत की विभिन्न मंत्रालयों में लगभग 40,000 उच्च-मूल्य के ठेकों पर बोली लगा सकती हैं।

- भारत 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त/कम करेगा, जो ब्रिटेन के 92% निर्यात को कवर करता है।
- भारत द्वारा किसी व्यापार समझौते में आयातित कारों पर पहली बार टैरिफ में कटौती:
    - **बड़ी पेट्रोल कारें:** 15 वर्षों में शुल्क 110% से घटकर 10% हो जाएगा (कोटा लागू)।
    - **मध्यम आकार/छोटी कारें:** 5वें वर्ष तक चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। पहले 5 वर्षों तक इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या हाइड्रोजन वाहनों के लिए कोई रियायत नहीं।

आर्थिक महत्त्व:

- ब्रिटेन भारत के निर्यात में 3.3% और आयात में 1.2% (2024-25) का योगदान देता है।
- यह समझौता बाजार पहुँच, सेवा निर्यात, निवेश और श्रमिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है।
- यह भारत को विकसित बाजारों के साथ गहन एकीकरण के लिए रणनीतिक रूप से तैयार करता है।
- **कार्यान्वयन समय-सीमा:** यह समझौता दोनों देशों में विधायी अनुसमर्थन के बाद प्रभावी होगा, जिसके 2025 के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।

भारत-यू.के. व्यापार समझौते के सकारात्मक पहलू

- **निर्यात को बढ़ावा:** भारत को वस्त्र, जूते, फल और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख निर्यातों के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच प्राप्त हुई है, जिससे यू.के. बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है।
- **सेवा क्षेत्र में लाभ:** भारतीय आईटी, परामर्श तथा पर्यावरण सेवा कंपनियों को ब्रिटेन में बाजार तक पहुँच और व्यावसायिक उपस्थिति के अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिससे भारत की सेवा-आधारित वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **सामाजिक सुरक्षा राहत:** दोहरा अंशदान अभिसमय (DCC) ब्रिटेन में भारतीय कामगारों को दोहरे सामाजिक सुरक्षा भुगतान से बचने में मदद करता है, जिससे उनकी शुद्ध आय और गतिशीलता में वृद्धि होती है।
- **निवेश संभावना:** कम टैरिफ और नीतिगत पूर्वानुमानशीलता, विशेष रूप से विनिर्माण और हरित क्षेत्रों में, ब्रिटिश कंपनियों से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित कर सकती है।
- **खरीदारी पहुँच:** भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में 40,000 केंद्रीय सरकारी अनुबंधों में प्रवेश प्राप्त होगा, जिससे नए व्यावसायिक अवसर खुलेंगे।

व्यापार समझौते में चिंताएँ

- **ऑटो उद्योग का दबाव:** आयातित ब्रिटिश कारों पर चरणबद्ध टैरिफ कटौती घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माताओं, विशेष रूप से लक्जरी सेगमेंट में, को नुकसान पहुँचा सकती है।
- **वस्तुओं में असमान लाभ:** ब्रिटेन ने कई ऐसे उत्पादों पर शुल्क हटा दिया है जिन्हें भारत निर्यात ही नहीं करता, जिससे 99% शुल्क समाप्ति का वास्तविक लाभ सीमित हो गया है।

- **व्यावसायिक बाधाएँ:** योग्यता संबंधी मान्यता के बावजूद, भारत को विधिक पेशे में अधिकार नहीं प्राप्त हुये, जिससे भारतीय विधिक पेशेवरों की गतिशीलता सीमित हो गई।
- **सरकारी खरीद जोखिम:** ब्रिटिश कंपनियों के लिए केंद्रीय खरीद प्रक्रिया खोलने से उन भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर प्रभाव पड़ सकता है, जो सरकारी ठेकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- **सीमित व्यापार मात्रा:** भारत के निर्यात में ब्रिटिश हिस्सेदारी केवल 3.3% और आयात में 1.2% है, जिससे समग्र व्यापार प्रभाव पर सवाल उठते हैं।

आगे की राह:

- **घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना:** भारत को बढ़ते ब्रिटिश आयातों का सामना करने के लिए ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और चरणबद्ध प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीतियों के माध्यम से एमएसएमई और घरेलू उद्योगों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और वस्त्र उद्योगों को समर्थन देना चाहिए।
- **सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना:** भारत को विशेष रूप से आईटी, परामर्श, वित्त और पर्यावरण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विस्तारित सेवाओं तक पहुँच का पूर्ण लाभ उठाने के लिए कौशल, प्रमाणन मानकों और नियामक संरेखण में निवेश करना चाहिए।
- **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, भारत को कोटा, समय-सीमा और लक्षित प्रोत्साहनों का उपयोग करते हुए, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल व्यापार और कृषि जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय बनाए रखने चाहिए।
- **संस्थागत निगरानी और विवाद समाधान:** सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और निवेशकों का विश्वास और भरोसा बनाने के लिए व्यापार विवादों का शीघ्र समाधान करने हेतु एक संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करना।
- **रणनीतिक साझेदारियों का लाभ उठाना:** इस समझौते का उपयोग जलवायु कार्रवाई, नवाचार, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक मंच के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक व्यापक द्विपक्षीय रोडमैप का हिस्सा बन सके।

भारत-ब्रिटेन संबंधों का महत्त्व

भू-राजनीतिक

- भारत और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और जी-20 जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार का समर्थन करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है।
- दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों पर एकमत हैं तथा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन और भारत-ब्रिटेन संवर्धित रणनीतिक साझेदारी (2021) जैसे मंचों पर समन्वय करते हैं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता संरेखण:** दोनों देश उभरते चीन और वैश्विक पुनर्संरेखण के बीच बहुध्रुवीयता एवं नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं।
- **रोडमैप 2030:** यह व्यापक ढाँचा 2030 तक लोगों के बीच संबंधों, व्यापार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और स्वास्थ्य सहयोग को कवर करता है।

भू-आर्थिक

- **द्विपक्षीय व्यापार मात्रा:** 2024-25 में भारत-ब्रिटेन का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है जिसमें 23 अरब अमेरिकी डॉलर व्यापारिक वस्तुएँ और 33 अरब अमेरिकी डॉलर सेवाएँ शामिल हैं।
- **रणनीतिक आर्थिक विविधीकरण:** ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ पर निर्भरता कम करना चाहता है। भारत ब्रिटिश व्यवसायों के लिए एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार प्रदान करता है।
- **भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल:** वर्ष 2024 में शुरू की गई, ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालकों और साइबर सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करती है। यह सुरक्षित और नैतिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देती है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

- **रणनीतिक संवाद और सैन्य सहभागिता:** 2+2 संवाद (2023 से) रणनीतिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। कोंकण जैसे संयुक्त अभ्यास सैन्य समन्वय को बेहतर बनाते हैं।
- **हिंद-प्रशांत और समुद्री सुरक्षा:** ब्रिटेन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की हिंद-प्रशांत भूमिका का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन द्वारा एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ को वर्ष 2024 में हिंद महासागर में तैनात किया गया था।
- **रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** ब्रिटेन का रक्षा निर्यात भारत के आयात का 3% है। वर्तमान में इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा

- **साझा जलवायु लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 65% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करना है; ब्रिटेन का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध-शून्य ऊर्जा उत्पादन है। दोनों ही विकासशील देशों के लिए समान जलवायु वित्त पोषण की वकालत करते हैं।
- **हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा:** हाइड्रोजन साझेदारी स्वच्छ हाइड्रोजन निवेश का समर्थन करती है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपतटीय पवन, विद्युत वाहन और बैटरी भंडारण शामिल हैं।
- **वैश्विक जलवायु नेतृत्व:** भारत और ब्रिटेन ग्रीन ग्रिड्स पहल - OSOWOG का सह-नेतृत्व करते हैं।
- इसके अलावा वे हरित वित्त पोषण के लिए CFLI इंडिया के अंतर्गत साझेदारी करते हैं।

लोगों से लोगों का संपर्क और प्रवासी संबंध:

- **भारतीय प्रवासियों का आकार और प्रभाव:** ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या 16 लाख से अधिक है। यह स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** वर्ष 2024 तक, ब्रिटेन की संसद में 26 भारतीय मूल के सांसद कार्यरत हैं।
  - उनकी उपस्थिति द्विपक्षीय सद्भावना और प्रभाव को मजबूत करती है।
- **शैक्षणिक गतिशीलता और युवा आदान-प्रदान:** वर्ष 2024 में 1,40,000 से अधिक भारतीय छात्रों ने ब्रिटेन में अध्ययन किया। इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम (IYPS) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3,000 भारतीयों को ब्रिटेन में कार्य करने की अनुमति मिलती है।
- **संयुक्त अनुसंधान और नवाचार अनुदान:** ब्रिटेन-भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (UKIERI) स्वास्थ्य, जलवायु और नवाचार में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देती है। न्यूटन-भाभा कोष फेलोशिप और नवाचार अनुदानों का समर्थन करता है।

उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अंतर्गत त्यागपत्र दे दिया। वी.वी. गिरि और आर. वेंकटरमन के पश्चात्, वे मध्यावधि कार्यकाल में ऐसा करने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं।

मध्यावधि त्यागपत्र के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 67(a):** उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करके त्यागपत्र दे सकते हैं। ये त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होता है।
- **कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का न होना:** संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में, राज्यसभा के उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं।

त्यागपत्र के पश्चात् चुनाव और कार्यकाल

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 68 के अंतर्गत, त्यागपत्र के कारण उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को "यथाशीघ्र" भरा जाना चाहिए।
  - राष्ट्रपति के विपरीत, इसके लिए छह महीने की कोई समय-सीमा नहीं है; यह समय-सीमा लचीली है, किन्तु इसमें अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
- **चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत:**
  - उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पश्चात्, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है।
  - गृह मंत्रालय ने रिक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कार्य कर सकेगा।
- **रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति:** राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
- **वैधानिक समय-सीमा:** एक बार अधिसूचित होने के बाद, चुनाव प्रक्रिया (नामांकन, जाँच, नाम वापसी और मतदान) कम से कम 32 दिनों की अवधि में पूरी जानी चाहिए।
- **निर्वाचक मंडल की संरचना:** निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

त्यागपत्र का निहितार्थ:

- **संसदीय नेतृत्व में व्यवधान:** राज्यसभा के पदेन सभापति की अनुपस्थिति सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन को प्रभावित करती है।
- **उत्तराधिकार में विलंब:** चूँकि कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए पद अनिश्चित अवधि तक रिक्त रह सकता है, जिससे संस्थागत निरंतरता प्रभावित होती है।

राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका

- **सदन की अध्यक्षता:** उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति (अनुच्छेद 64) के रूप में, राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं और बहस को सुगम बनाते हैं। गौरतलब है कि गैर-सदस्य होने के नाते, उन्हें तटस्थता बनाए रखनी चाहिए।
- **अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना:** नियम 256 के अंतर्गत, सभापति कदाचार के लिए सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं, असंसदीय टिप्पणियों को हटा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर सदन की कार्यवाही स्थगित या निलंबित कर सकते हैं।

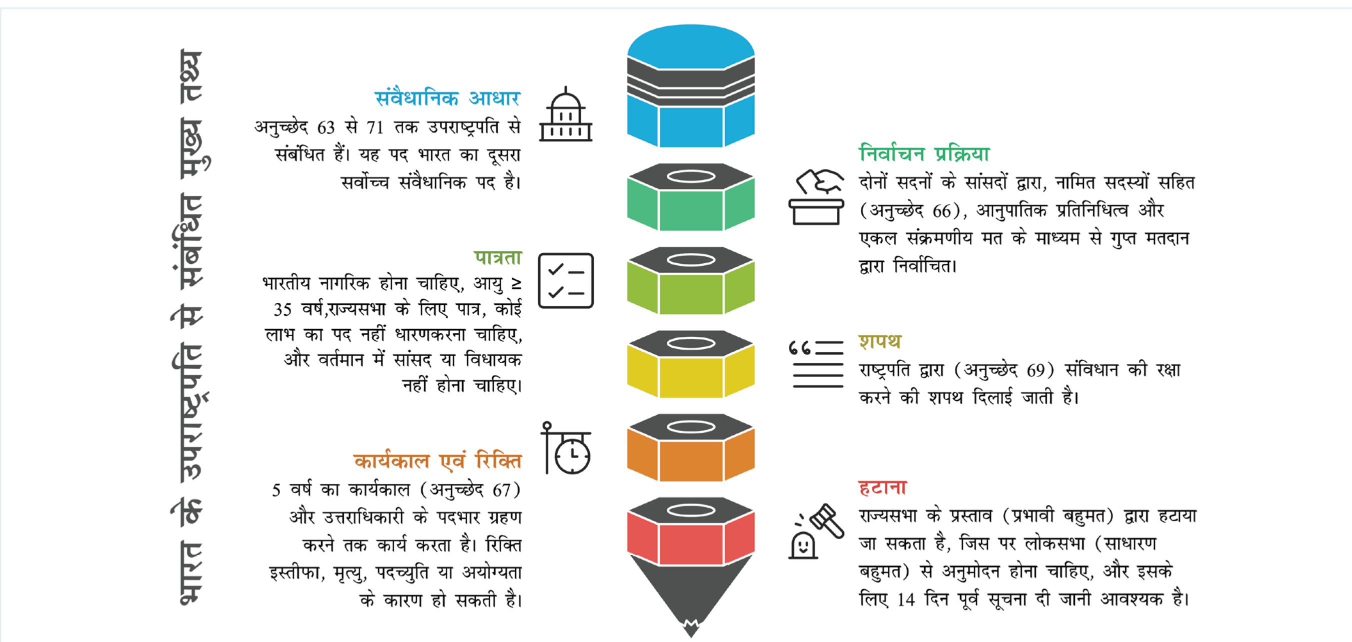

- **निर्णायक मत और नियमों की व्याख्या:**
  - सभापति सामान्यत: मतदान नहीं करते, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं (अनुच्छेद 100)।
  - वे प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करते हैं और व्यवस्था के मुद्दों का निपटारा करते हैं।
- **समितियों को संदर्भित करना:** सभापति द्वारा विधेयकों और प्रस्तावों को सदन की अंतिम बहस से पहले विस्तृत जाँच के लिए स्थायी या प्रवर समितियों को संदर्भित किया जा सकता है।
- **प्रशासनिक और औपचारिक कर्त्तव्य:** सभापति राज्यसभा सचिवालय की देखरेख करते हैं, नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और आधिकारिक कार्यों में सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **लोकसभा अध्यक्ष की तुलना में सीमाएँ:** सभापति संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते (अनुच्छेद 108), धन विधेयकों को प्रमाणित नहीं कर सकते (अनुच्छेद 110), या बजट संबंधी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते।
- **राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान:** अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। इस अवधि के दौरान उपसभापति अध्यक्षता करते हैं।

उपराष्ट्रपति पद की आलोचना

- **अधिकांशत: औपचारिक भूमिका:** दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी होने के बावजूद, उपराष्ट्रपति के पास कोई वास्तविक कार्यकारी शक्ति नहीं है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने और रिक्त पद के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के अलावा, यह भूमिका अधिकांशत: प्रतीकात्मक और सीमित प्रभाव वाली है।
- **शासन में कोई निश्चित भूमिका नहीं:** अमेरिकी उपराष्ट्रपति के विपरीत, जो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को केंद्र सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, क्योंकि उनके पास मंत्रिस्तरीय या प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ नहीं होतीं।
- **राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का अनियमित प्रयोग:** राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का संवैधानिक प्रावधान बहुत कम ही प्रयोग में लाया जाता है, जिससे इस भूमिका का यह पक्ष प्राय: सैद्धांतिक ही रह जाता है।
- **राज्यसभा में सीमित प्रभाव:** यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनकी भूमिका प्रक्रियात्मक मामलों तक ही सीमित होती है।
  - वे मतदान नहीं कर सकते (बराबरी की स्थिति को छोड़कर), विधेयक पेश नहीं कर सकते, या सदन के एजेंडे को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकते।

भारत के उपराष्ट्रपति बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति

विशेषताएँ	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
पीठासीन भूमिका	राज्यसभा (उच्च सदन) के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इसके सत्रों की अध्यक्षता करता है और व्यवस्था सुनिश्चित करता है, लेकिन सदन का सदस्य नहीं होता है।	सीनेट (उच्च सदन) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। सीनेट की कार्यवाही में भाग लेता है और एक संवैधानिक सदस्य है।
मतदान की शक्ति	नियमित कार्यवाही में मत नहीं देता; बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है (अनुच्छेद 100)	सीनेट में टाई-ब्रेकिंग वोट दे सकता है, लेकिन अन्यथा मतदान नहीं करता। इसने कभी-कभी प्रमुख विधायी निर्णयों को प्रभावित किया है।
राष्ट्रपति का उत्तराधिकार	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति की स्थिति में, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 65)	राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में, वह तुरंत राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है और शेष कार्यकाल तक कार्य करता है।
कार्यपालिका की भूमिका	इसकी भूमिका मुख्यत: औपचारिक होती है, जो राज्यसभा की अध्यक्षता करने और आपात स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने तक सीमित होती है। यह मंत्रिमंडल या कार्यकारी निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है।	कार्यपालिका शाखा का एक अभिन्न अंग है, अक्सर विशिष्ट नीतिगत विभाग संभालता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, और शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
निष्कासन प्रक्रिया	राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन द्वारा हटाया जा सकता है।	"देशद्रोह, रिश्वतखोरी, या अन्य गंभीर अपराधों और दुष्कर्मों" के लिए कांग्रेस द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है।
चुनाव प्रणाली	आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित	निर्वाचक मंडल के माध्यम से प्रत्यक्ष राष्ट्रव्यापी चुनावों के माध्यम से राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से निर्वाचित।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी प्रदान की।

भारत में खेलों का ऐतिहासिक विकास:

- **हड़प्पा सभ्यता:** मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों के पुरातात्विक खोजों से प्राप्त महत्त्वपूर्ण कलाकृतियों, जिनमें पासे एवं पहलवानों की टेराकोटा मूर्तियाँ शामिल हैं। इससे संकेत मिलता है कि कुश्ती, शिकार और पासा जैसे बोर्ड गेम दैनिक जीवन में मनोरंजन और शारीरिक प्रशिक्षण दोनों के लोकप्रिय रूप थे।
- **वैदिक काल:** ऋग्वेद और महाभारत जैसे वैदिक ग्रंथों में तीरंदाजी, रथ दौड़ और युद्ध-द्वंद्वों का उल्लेख मिलता है, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये न केवल खेल गतिविधियाँ थीं, बल्कि प्रारंभिक भारतीय-आर्य समाज में योद्धा प्रशिक्षण और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का भी अभिन्न अंग थीं।
- **स्वतंत्रता-पश्चात् परिदृश्य:** वर्ष 1947 के पश्चात्, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी तात्कालिक राष्ट्रीय चिंताओं के कारण खेलों को कम प्राथमिकता दी गई। हालाँकि, भारत ने वर्ष 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की एवं वर्ष 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद् की स्थापना की, जो खेल प्रशासन में प्रारंभिक कदम था।
- **वर्ष 1982 एशियाई खेलों में सफलता:** दिल्ली में वर्ष 1982 के एशियाई खेल एक महत्त्वपूर्ण क्षण बन गए, जिसके परिणामस्वरूप एक समर्पित खेल विभाग का निर्माण हुआ। वर्ष 1984 में भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति बनी, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विकास, जन भागीदारी और विशिष्ट प्रशिक्षण पर बल दिया गया।
- **संस्थागत विकास:** खेल प्रशासन को पेशेवर बनाने और एथलीटों को संरचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1986 में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की स्थापना की गई।
- **आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव:** 1991 के उदारीकरण के बाद भारत में खेलों के प्रति जनसामान्य की रुचि और निवेश में वृद्धि हुई, लेकिन 1997 के मसौदा राष्ट्रीय खेल नीति (NSP), जिसमें जमीनी स्तर पर ध्यान केंद्रित करने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के विकास की सिफारिश की गई थी, को कभी लागू नहीं किया गया।
- **संशोधित एनएसपी 2001 और बाद की पहल:** वर्ष 2001 की एनएसपी में जनभागीदारी और प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन प्रशासनिक समस्याएँ बनी रहीं। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (2011) जैसे सुधारों और टॉप्स (2014), खेलो इंडिया (2017) और फिट इंडिया मूवमेंट (2019) जैसे कार्यक्रमों ने खेल ढाँचे को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025

- **नीति प्रतिस्थापन:** एनएसपी 2025, वर्ष 2001 की नीति का स्थान लेगी, जिसका उद्देश्य 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है।
- **परामर्शात्मक दृष्टिकोण:** इसे केंद्र और राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, एथलीटों, विशेषज्ञों और जनता के परामर्श से तैयार किया जाता है।

एनएसपी 2025 के प्रावधान:

- **बुनियादी ढाँचा विकास:** खेल परिसरों, अकादमियों और ग्रामीण खेल केंद्रों सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
- **खिलाड़ी कल्याण और सहायता:** एथलीटों के लिए स्वास्थ्य सेवा, बीमा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और करियर सहायता प्रदान करना।
- **खेल प्रशासन सुधार:** खेल संघों के लिए पारदर्शी प्रशासन और प्रदर्शन-आधारित जवाबदेही लागू करना।

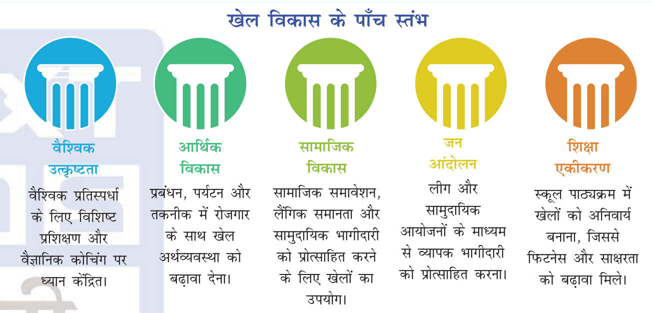

- **समावेशिता और लैंगिक समानता:** महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और पैरा-एथलीटों के लिए सुरक्षित खेल वातावरण के साथ समान अवसर सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** एथलीटों के प्रशिक्षण और चोट की रोकथाम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और पहनने योग्य तकनीक को बढ़ावा देना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को सुगम बनाना और जमीनी स्तर के खेलों और बुनियादी ढाँचे के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि को प्रोत्साहित करना।
- **पैरा और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा:** सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पैरा-एथलीटों का समर्थन और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** नीति कार्यान्वयन की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और ऑडिट का उपयोग करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और एथलीट विकास के लिए वैश्विक खेल निकायों के साथ साझेदारी।

भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ:

- **कम बजट आवंटन:** बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं के बावजूद, भारत का खेलों पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 0.1% से भी कम है, जो वैश्विक खेल राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है।

- **समन्वय का अभाव:** चूँकि खेल राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एकरूपता और समन्वय का अभाव है, जिससे नीतिगत असंगति पैदा होती है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, प्रशिक्षण सुविधाओं, स्टेडियमों और सहायक प्रणालियों सहित बुनियादी खेल अवसंरचना का अभाव है।
- **वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कमी:** योग्य प्रशिक्षकों, खेल विज्ञान विशेषज्ञों और फिजियोथेरेपिस्टों की कमी है, जिससे एथलीटों का विकास और प्रदर्शन अनुकूलन सीमित हो रहा है।
- **कमजोर प्रतिभा पहचान प्रणालियाँ:** भारत में जमीनी स्तर पर मजबूत प्रतिभा खोज तंत्र का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित खेल प्रतिभाएँ, विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में, लुप्त हो रही हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और हाशिए के समुदायों के लिए खेलों को अभी भी गंभीर करियर विकल्पों के बजाय पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में देखा जाता है।
- **स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कमियाँ:** कई एथलीटों को पोषण, खेल चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता तक पहुँच की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके दीर्घकालिक विकास पर असर पड़ता है।
- **पैरा खेलों की उपेक्षा:** विकलांग खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सहायता तंत्रों की कमी सहित प्रणालीगत उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।

सुझाव:

- **खेल निवेश में वृद्धि:** भारत को अपने खेल बजट को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 1% तक बढ़ाना चाहिए, और जमीनी स्तर पर विकास और उत्कृष्ट प्रशिक्षण, दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रम स्थापित करना:** एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज ग्रिड लागू किया जाना चाहिए, जो स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण करे।
- **शासन संरचनाओं में सुधार:** एक एकीकृत राष्ट्रीय खेल शासन ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए, जो सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और सहयोग सुनिश्चित करे।
- **पैरा खेलों पर ध्यान केंद्रित करना:** दिव्यांग एथलीटों के लिए विशिष्ट संसाधन आवंटित करना चाहिए, जिसमें सुलभ बुनियादी ढाँचा और विशेष कोचिंग शामिल हो।
- **शिक्षा में खेलों को शामिल करना:** स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप क्रेडिट सिस्टम शामिल हों।
- **प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाना:** प्रदर्शन की निगरानी और चोटों को रोकने के लिए पहनने योग्य उपकरणों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित विश्लेषण और आभासी वास्तविकता उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार करना:** विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और लीग विकसित करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों, प्रायोजनों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **खेल संस्कृति का निर्माण करना:** खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए, जिससे सामुदायिक स्तर पर सहभागिता और गौरव को बढ़ावा मिल सके।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों में पहल

देश	पहल	वर्ष/अवधि	मुख्य विशेषताएँ	उद्देश्य
चीन	नेशनल फिटनेस प्रोग्राम	1995 से	शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जन अभियान; शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक खेल अवसंरचना।	राष्ट्रव्यापी फिटनेस को बढ़ावा देना एवं जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को कम करना।
	गोल्ड मेडल स्ट्रेटजी	1980 के दशक के पश्चात्	प्रतिष्ठित एथलीटों के लिए केंद्रीकृत प्रशिक्षण; ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय पदक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित।	चीन के वैश्विक खेल प्रभुत्व को बढ़ाना।
	कैम्पस फुटबॉल डेवलपमेंट प्लान	2015 के पश्चात्	50,000 से अधिक स्कूलों में फुटबॉल की शुरुआत; प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण; यूरोपीय क्लबों के साथ सहयोग।	जमीनी स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं का विकास करना।
फ्रांस	प्लान हेरिटेज पेरिस 2024	2018 के पश्चात्	पेरिस 2024 ओलंपिक से जुड़ा; युवाओं की भागीदारी, खेलों तक पहुँच और स्थिरता पर केंद्रित।	ओलंपिक खेलों का लाभ उठाकर भागीदारी और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना।
	स्पोर्ट-सैंटे प्रोग्राम	2012 से	स्वास्थ्य सेवा के एक भाग के रूप में शारीरिक गतिविधि को शामिल किया गया; डॉक्टरों और खेल क्लबों के बीच साझेदारी।	खेलों को निवारक स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना।
	सीएनडीएस (राष्ट्रीय खेल विकास केंद्र)	2006-2019 (बाद में विलय कर दिया गया)	स्थानीय क्लबों और बुनियादी ढाँचे को वित्त पोषित किया गया; वंचित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दिया गया।	विभिन्न क्षेत्रों में खेलों तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करना।
यूएसए	टाईटल -IX	1972	शैक्षिक और खेल अवसरों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने वाला कानूनी ढाँचा।	स्कूल और कॉलेज के खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
	यूएस सेंटर फॉर सेफ स्पोर्ट	2017	दुर्व्यवहार और खिलाड़ियों की सुरक्षा से निपटने वाला स्वतंत्र निकाय।	खेलों में सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
	नेशनल यूथ स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजी	2019	एचएचएस द्वारा शुरू किया गया; समावेशी और सुलभ युवा खेलों के लिए शोध-आधारित रणनीति।	सभी युवाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी खेल भागीदारी का विस्तार करना।

फोन टैपिंग एवं निजता का अधिकार

मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के दायरे का विस्तार करने से इंकार कर दिया और केंद्र तथा राज्य सरकारों को अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्त उपाय के रूप में फोन टैपिंग का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी।

परिचय

- फोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा अक्सर गुप्त तरीकों से टेलीफोन और इंटरनेट-आधारित बातचीत की निगरानी है।
- यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत गोपनीयता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

भारत में विधिक ढाँचा

- **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2):** केंद्र या राज्य को दो आधारों पर संदेशों के निगरानी की अनुमति देता है: सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा।
  - इस हेतु लिखित में कारणों को दर्ज करने एवं औपचारिक प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
  - एक समीक्षा समिति (टेलीग्राफ नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- **भारतीय टेलीग्राफ (प्रथम संशोधन) नियम, 1999:** पीयूसीएल निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को वैधानिक समर्थन प्रदान करने के लिए नियम बनाए।
  - ये नियम अवरोधन की प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं, और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत वैध अवरोधन के लिए प्राधिकारियों, अवधि और समीक्षा तंत्र को परिभाषित करते हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 2009 में इसी तरह के नियम बनाए गए थे। ये ईमेल, चैट और ऑनलाइन डेटा जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार के अवरोधन को नियंत्रित करते हैं। वर्ष 2009 के आईटी नियम पीयूसीएल निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **ये सुनिश्चित करते हैं:** एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण, निर्धारित समय सीमा, सख्त उद्देश्य सीमा, और एक समीक्षा समिति द्वारा निगरानी।

फोन टैपिंग से संबंधित चिंताएँ

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** फोन टैपिंग सीधे तौर पर निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है जैसा कि के.एस. पुट्टास्वामी (2017) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है।
- **अस्पष्ट और व्यापक कानूनी आधार:** टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) में "सार्वजनिक आपातकाल" और "सार्वजनिक सुरक्षा" शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे उनकी व्यक्तिपरक व्याख्या और दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
- **अपर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:** हालाँकि पीयूसीएल के दिशानिर्देश मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन असंगत है, और अक्सर आदेश बिना किसी तात्कालिकता या जनहित के औचित्य के जारी किए जाते हैं।
- **डेटा संरक्षण कानून का अभाव:** भारत में एक व्यापक डेटा संरक्षण ढाँचे का अभाव है, हालाँकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 लागू किया गया है। निगरानी के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों के अभाव में, नागरिकों का डेटा और संचार असुरक्षित बना रहता है।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** प्रौद्योगिकी में प्रगति ने व्यापक निगरानी को आसान बना दिया है, और बिना कोई निशान या ऑडिट ट्रेल छोड़े इंटरसेप्शन किया जा सकता है।

पीयूसीएल बनाम भारत संघ (1996) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:

यह फोन टैपिंग को निजता के अधिकार से जोड़ने वाला पहला बड़ा निर्णय है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय जारी किए:

- **अनुमोदन:** केवल गृह सचिव या संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा।
- **आदेश की वैधता की समय-सीमा:** इंटरसेप्शन का आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने बाद वैध नहीं रहेगा, जब तक कि इसे नवीनीकृत न किया जाए।
  - नवीनीकृत होने पर भी, कोई भी आदेश कुल छह महीने से अधिक प्रभावी नहीं रह सकता।
- **इंटरसेप्टेड सामग्री का विनाश:** इंटरसेप्टेड संचार की सभी प्रतियों को धारा 5(2) के अंतर्गत जैसे ही उन्हें रखना आवश्यक न रह जाए, नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
- **अत्यावश्यक मामलों में प्रत्यायोजन:** अत्यावश्यक मामलों में, प्राधिकरण की शक्ति केंद्र या राज्य सरकार के गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती है।
- **समीक्षा समिति का गठन और भूमिका:** न्यायालय ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक समीक्षा समिति के गठन का आदेश दिया है।
- **समीक्षा समिति के कार्य:** समिति को जारी होने के दो महीने के भीतर सभी अवरोधन आदेशों की समीक्षा करनी होगी।
  - यदि समिति पाती है कि अवरोधन धारा 5(2) के अनुरूप नहीं था, तो वह आदेश को अमान्य घोषित करेगी और उस आदेश के अंतर्गत एकत्रित सभी अवरोधित सामग्री को नष्ट करने का निर्देश देगी।

के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)

- इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
- संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसके अंतर्गत निजता के अधिकार को शामिल किया गया है।
- **किसी भी उल्लंघन को तीन मानदंडों पर खरा उतरना होगा:** वैधता (कानून द्वारा अनुमोदित), आवश्यकता (किसी वैध उद्देश्य के लिए), और आनुपातिकता (सबसे कम प्रतिबंधात्मक साधन)।

NEXT IAS हिन्दी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अपने अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के कारण अप्रैल 2025 से निष्क्रिय है।

परिचय

- **वैधानिक निकाय:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित। अधिनियम की धारा 2(ग) से प्राधिकार प्राप्त, जो सरकार को धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- **अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (वर्तमान में):** मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (जोरोस्ट्रियन) और जैन (जैन को 2014 में जोड़ा गया)।

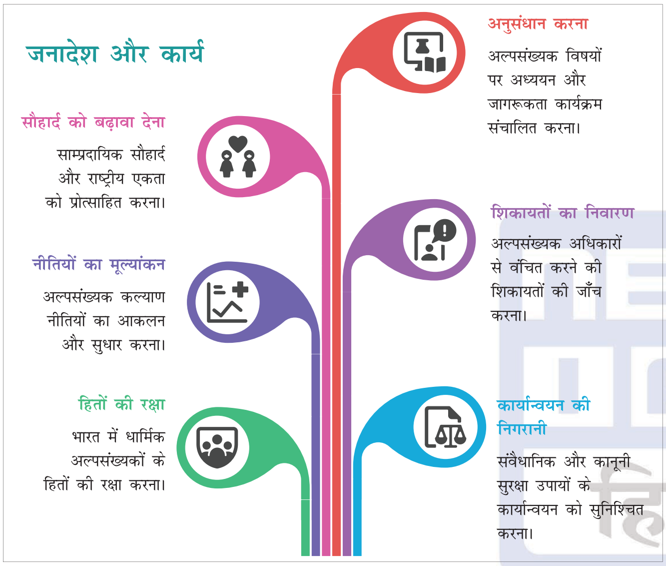

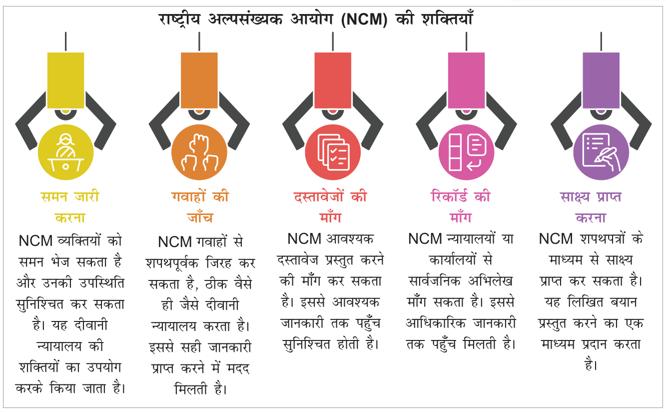

- **संरचना:** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों में से कम से कम 5 अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए।
  - **नियुक्ति:** केंद्र सरकार द्वारा।
  - **कार्यकाल:** 3 वर्ष, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र।
- **विधिक और संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 16 (समान अवसर), अनुच्छेद 25-28 (धार्मिक स्वतंत्रता), अनुच्छेद 29-30 (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) को बनाए रखने के लिए कार्य करता है।
  - भारतीय संविधान, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण के ढाँचे के भीतर कार्य करता है।
  - **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **प्रमुख पहल:**
  - **वार्षिक रिपोर्ट:** राष्ट्रपति को प्रस्तुत और संसद में पटल पर रखी जाती है।
  - **योजनाओं की निगरानी:** जैसे प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम, छात्रवृत्तियाँ, कौशल विकास योजनाएँ और वक्फ संपत्ति प्रबंधन।

एनसीएम का महत्त्व

- **अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा:** अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
- **सलाहकार की भूमिका:** अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
- **संघर्ष समाधान:** सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों के समाधान में मदद करता है।
- **आँकड़ा संग्रह:** नीति निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों की स्थिति पर आँकड़े एकत्र करता है।

NEXT IAS हिन्दी

एनसीएम से जुड़ी समस्याएँ

- **गैर-कार्यात्मक स्थिति:** अप्रैल 2025 से अध्यक्ष का पद रिक्त है, जिससे कामकाज ठप्प पड़ गया है।
- **सीमित शक्तियाँ:** अपनी सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते; केवल सलाहकारी भूमिका।
- **अन्य निकायों के साथ ओवरलैप:** एनएचआरसी और अन्य आयोगों के समान कार्य, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम पैदा होता है।
- **विविधता का अभाव:** छोटे अल्पसंख्यक समुदायों का कम प्रतिनिधित्व।
- **कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं:** एनसीएम के निष्कर्षों का पालन न करने की स्थिति में दंड या कार्रवाई के लिए कोई वैधानिक तंत्र नहीं।

आगे की राह

- **रिक्तियों को शीघ्र भरना:** अध्यक्ष और सदस्यों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करना।
- **कानूनी शक्तियों को सुदृढ़ बनाना:** अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में एनसीएम को बाध्यकारी अधिकार प्रदान करना।
- **अधिकार क्षेत्र का विस्तार:** भाषाई अल्पसंख्यकों को शामिल करना या इसके अधिदेश पर स्पष्टता प्रदान करना।
- **संस्थागत सुधार:** डेटा प्रणालियों, शिकायत निवारण और सक्रिय निगरानी का आधुनिकीकरण करना।

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति

विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति भारत के लिए एक चुनौती है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

- **व्यापक बुनियादी ढाँचा विकास:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, राजमार्गों और रसद केंद्रों के निर्माण पर केंद्रित है, जिससे अक्सर दीर्घकालिक निर्भरताएँ पैदा होती हैं।
- **दोहरे उपयोग से युक्त बुनियादी ढाँचा:** इनमें से कई परियोजनाओं में नागरिक और सैन्य दोनों तरह के अनुप्रयोग हैं, जिससे चीन आर्थिक विकास की आड़ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है।
- **ऋण निर्भरता:** हिंद महासागर क्षेत्र के कई छोटे देश, जैसे श्रीलंका, मालदीव और जिबूती, असहनीय ऋणों में डूब गए हैं, जिससे चीन को उनकी सामरिक संपत्तियों पर बढ़त मिल गई है।
- **नौसेना की तैनाती में वृद्धि:** चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक गश्तों की आवृत्ति और अवधि में लगातार वृद्धि की है, जो दीर्घकालिक रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं का संकेत है।
- **जिबूती सैन्य अड्डा (2017):** जिबूती में चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा, उसे नौसेना अभियानों में सहायता प्रदान करने और अफ्रीका तथा उसके बाहर अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है।
- **अवरोध बिंदुओं पर सहायता:** चीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य, बाब अल-मंडेब और ग्वादर जैसे महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर बुनियादी ढाँचे का विकास या वित्तपोषण किया है, जिससे PLAN (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी) के जहाजों के लिए रसद सहायता मिलती है।
- **अनुसंधान पोतों की तैनाती:** चीनी "अनुसंधान पोत" अक्सर हिंद महासागर क्षेत्र में कार्य करते हैं और वैज्ञानिक अन्वेषण के बहाने जल-विज्ञान और समुद्र विज्ञान संबंधी आँकड़े एकत्र करते हैं।
- **सामरिक जोखिम:** ऐसा डेटा पनडुब्बी तैनाती, पनडुब्बी-रोधी युद्ध और जल के नीचे की स्थलाकृति के मानचित्रण के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो भारत के अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (UDA) के लिए सीधा खतरा पैदा करता है।
- **तटीय राज्यों में बंदरगाह विस्तार:** चीन हंबनटोटा (श्रीलंका), क्याउकफ्यू (म्यांमार) और ग्वादर (पाकिस्तान) जैसे बंदरगाहों के निर्माण में लगा हुआ है। ये बंदरगाह भारत की समुद्री सीमाओं के पास स्थित हैं।
- **दीर्घकालिक समुद्री महत्त्वाकांक्षाएँ:** ये निवेश चीन के एक अग्रणी समुद्री शक्ति बनने के लक्ष्य के अनुरूप हैं, जिससे भविष्य में नौसैनिक अड्डों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

आईओआर के रणनीतिक पुनरुद्धार के प्रमुख चालक

- **नई अर्थव्यवस्थाओं का उदय:**
  - भारत, चीन, आसियान देशों और पूर्वी अफ्रीका के आर्थिक उत्थान ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित किया है।
  - यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा व्यापार, कंटेनर शिपिंग और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण का केंद्र बन रहा है।
- **समुद्री सुरक्षा खतरे:** हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, विशेष रूप से सोमालिया के तट पर, समुद्री डकैती ने वैश्विक नौवहन को खतरे में डाल दिया है, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गश्त और समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं।
  - अवैध मत्स्यन, समुद्री आतंकवाद और तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक खतरों के बढ़ने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और बढ़ गई हैं।
- **हिंद-प्रशांत संरचना:**
  - हिंद-प्रशांत ढाँचा हिंद और प्रशांत महासागरों को एक एकल रणनीतिक सातत्य में विलीन करता है, जिससे हिंद-प्रशांत महासागर वैश्विक समुद्री नीति का केंद्र बन जाता है।
  - इस भू-राजनीतिक पुनर्कल्पना ने हिंद-प्रशांत महासागर को क्षेत्रीय सुरक्षा संवादों और राजनयिक जुड़ावों के केंद्र में रखा है।
- **समुद्री संचार रेखाएँ** (SLOCs)**:** हिंद-प्रशांत महासागर दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों की मेजबानी करता है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट का 80% से अधिक और व्यापारिक व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा वहन करते हैं।
  - वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए SLOCs की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **सामरिक अवरोध बिंदुओं पर नियंत्रण:** आईओआर में होर्मुज जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य और बाब अल-मंडेब जैसे महत्त्वपूर्ण अवरोध बिंदु हैं, जो ऊर्जा और व्यापार प्रवाह के लिए आवश्यक हैं। ये अवरोध बिंदु सैन्य तैनाती, निगरानी और रसद संचालन के केंद्र बिंदु हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार:** आईओआर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से पूर्वी एशिया के लिए एक जीवन रेखा है, जो इसे खाड़ी और अफ्रीका से तेल और एलएनजी परिवहन के लिए महत्त्वपूर्ण बनाता है।
  - आईओआर पर नियंत्रण वैश्विक व्यापार पैटर्न पर आर्थिक प्रभाव सुनिश्चित करता है।
- **नीली अर्थव्यवस्था और संसाधन क्षमता:** आईओआर, मत्स्य पालन, समुद्री खनन, अपतटीय ऊर्जा और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी सहित नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है।
  - समुद्री संसाधनों का सतत् प्रबंधन एक क्षेत्रीय प्राथमिकता बनता जा रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन:** यह क्षेत्र चक्रवातों, बढ़ते समुद्री स्तर और तटीय क्षरण से ग्रस्त है, जिससे जलवायु लचीलापन और आपदा प्रतिक्रिया सहयोग आवश्यक हो जाता है। आईओआर क्षेत्रीय पर्यावरणीय शासन और सहयोग के लिए एक मंच बन रहा है।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ

- **प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता नेतृत्व:** भारत हिंद महासागर क्षेत्र में आपदा राहत के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता है, और स्वयं को एक विश्वसनीय मानवीय और सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

NEXT IAS हिन्दी

- **महासागर पहल:** भारत ने अपने सागर दृष्टिकोण के अनुरूप, क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक और समग्र उन्नति को बढ़ावा देने के लिए महासागर पहल की शुरुआत की।
- **हीरों की माला रणनीति:** भारत, चीन की "मोतियों की माला" नीति का जवाब "हीरों की माला" बनाकर देता है-जिसमें सेशेल्स, ओमान, मॉरीशस और इंडोनेशिया में सामरिक ठिकानों और साझेदारियों का निर्माण शामिल है।
- **क्वाड और बहुपक्षीय साझेदारियाँ:** भारत अब समान विचारधारा वाले देशों (जैसे, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस) के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहा है ताकि एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके।
- **एक्ट ईस्ट नीति:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति आसियान और पूर्वी एशिया के साथ जुड़ाव को गहरा करती है, हिंद महासागर क्षेत्र को व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जोड़ती है। इसके अलावा यह नीति आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाती है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र भारत की समुद्री कूटनीति का केंद्र बन जाता है।
- **नौसेना आधुनिकीकरण:** भारत आईएनएस विशाखापत्तनम जैसे स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जिससे समुद्री नौसेना की क्षमताएँ बढ़ रही हैं।
- **सुरक्षा और विकास संतुलन:** भारत एक व्यापक क्षेत्रीय जुड़ाव मॉडल बनाने के लिए अपनी कठोर शक्ति (नौसेना) को अपनी सौम्य शक्ति (विकास सहायता, प्रशिक्षण, संपर्क परियोजनाएँ) के साथ जोड़ता है।
- **रक्षा स्वदेशीकरण और निर्यात प्रोत्साहन:** आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, भारत द्वारा आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है जो इसे इस क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करता है।

आगे की राह

- **रक्षा कूटनीति का विस्तार:** प्रमुख बंदरगाहों और ईंधन भरने वाले स्टेशनों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ अधिक रसद और आधार-साझाकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- **जल-अंडरडोमेन जागरूकता (UDA) को मजबूत करना:** समुद्री सुरक्षा के उप-सतही आयाम को सुरक्षित करने के लिए गहरे समुद्र में सेंसर, समुद्र तल मानचित्रण और पनडुब्बी-रोधी क्षमताओं में निवेश करना चाहिए।
- **नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देना:** साझा समृद्धि को बढ़ावा देते हुए, सतत् मत्स्य पालन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और महासागरीय नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए।
- **समुद्री नवाचार केंद्र की स्थापना:** समुद्री प्रौद्योगिकी, नौसैनिक अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और हरित नौवहन के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना, जिससे भारत को समुद्री प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थान प्राप्त हो।
- **सुरक्षा संवाद को संस्थागत बनाना:** हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों के साथ समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती निरोधक और आपदा प्रबंधन प्रयासों के समन्वय हेतु एक समर्पित हिंद महासागर सुरक्षा मंच का गठन करना।

मोतियों की माला रणनीति (चीन)

- **समुद्री घेरा:** यह चीन की उस रणनीति को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत वह अपने ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करने और प्रभाव का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में वाणिज्यिक और सैन्य ठिकानों का एक नेटवर्क विकसित करता है।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** इसका उद्देश्य चीन की समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) की रक्षा करना और भारत को अप्रत्यक्ष रूप से घेरते हुए अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करना है।

हीरों का हार रणनीति (भारत)

- **प्रति-घेराबंदी:**
  - हिंद महासागर में प्रमुख समुद्री स्थानों पर संबंधों और सैन्य उपस्थिति को मजबूत करके चीन की मोतियों की माला का मुकाबला करने की भारत की रणनीति।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, भारतीय समुद्री हितों की रक्षा करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना।

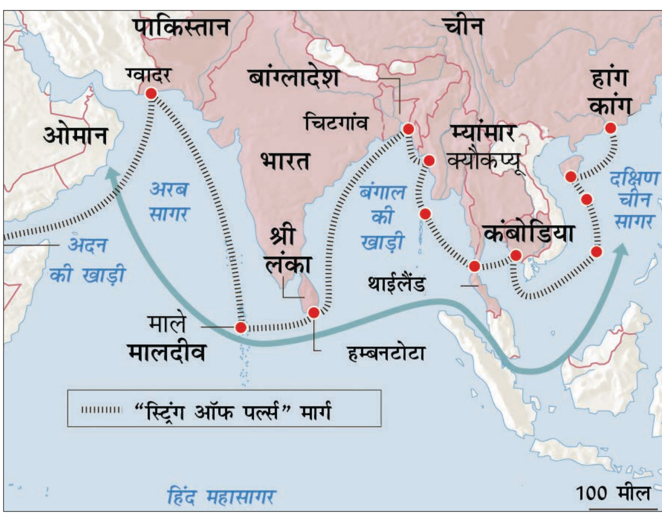

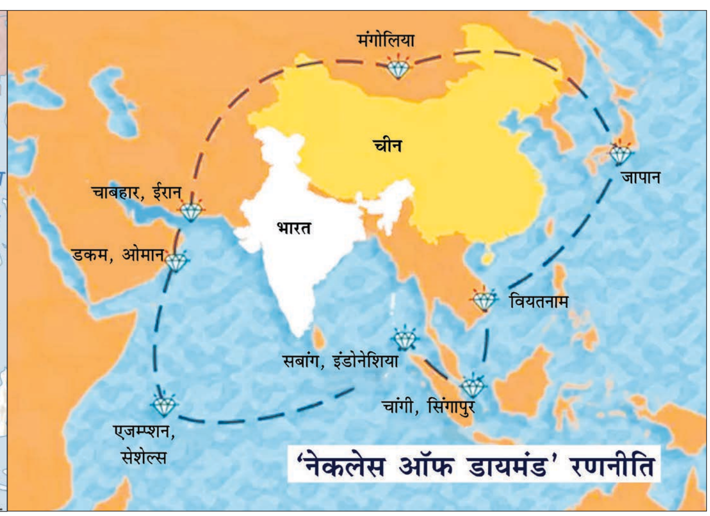

भारत-मालदीव संबंध

मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न और राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25-26 जुलाई, 2025 को इस द्वीपीय राष्ट्र का दौरा किया।

हालिया घटनाक्रम और प्रमुख समझौते

- **ऋण पुनर्गठन:** भारत ने मालदीव के वार्षिक ऋण चुकौती दायित्वों को 40% तक कम करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे राजकोषीय दबाव कम होगा।
- **ऋण सहायता:** मालदीव की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए भारत द्वारा ₹4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई है।
- **डिजिटल भुगतान एकीकरण:** दोनों देशों ने डिजिटल वित्तीय संपर्क और स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए UPI और RuPay प्लेटफार्मों को एकीकृत करने पर सहमति व्यक्त की।

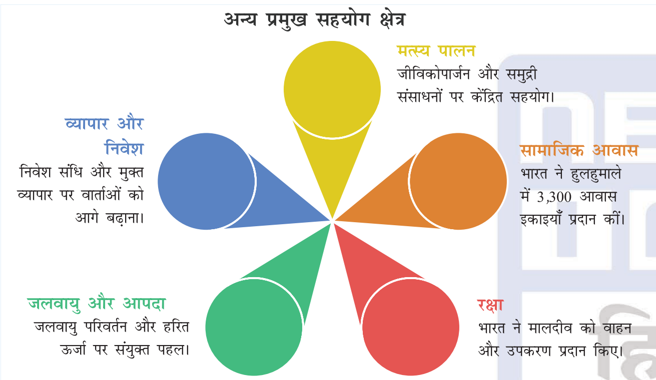

NEXT IAS हिन्दी

संबंधों का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक संबंध:** भारत वर्ष 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इसी वर्ष भारत ने मालदीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
  - वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के दौरान संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के लिए त्वरित हस्तक्षेप किया।
  - इससे विश्वसनीय क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का प्रदर्शन भी हुआ।
- **भू-रणनीतिक महत्त्व:** मालदीव मध्य हिंद महासागर में प्रमुख समुद्री मार्गों के चौराहे पर स्थित है।
  - इसकी स्थिति इसे एक रणनीतिक "टोल गेट" बनाती है - एक समुद्री प्रभाव चौकी जिसके माध्यम से वैश्विक नौवहन और ऊर्जा आपूर्तियाँ गुजरती हैं।
  - मालदीव के साथ नियंत्रण या साझेदारी, फारस की खाड़ी को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) पर लाभ प्रदान करती है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में भू-रणनीतिक आधार:** मालदीव भारत की समुद्री कूटनीति और सुरक्षा गणना का केंद्रबिंदु है।
  - यह भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव, विशेषकर उसकी "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति के अंतर्गत, को संतुलित करने में सक्षम बनाता है।
  - मालदीव सीएससी (कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयास का समर्थन भी करता है।

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC)

- यह एक 'मिनीलेटरल' सुरक्षा समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। अपनी पाँचवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में इसने अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए मॉरीशस को भी इसमें शामिल कर लिया।
- पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित बांग्लादेश और सेशेल्स को भी इस समूह में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर के इस मंच का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना है।

- **भू-आर्थिक:** भारत मालदीव के शीर्ष विकास और व्यापार साझेदारों में से एक है, जो बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी और उच्च-प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाओं (HICP) पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **प्रमुख पहलों में शामिल हैं:** ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (मालदीव में सबसे बड़ी भारतीय अनुदान-आधारित परियोजना)

ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना

मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक

- मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना।
- 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण सहायता और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष भारत सरकार अनुदान द्वारा वित्त पोषित।
- यह राजधानी माले को विलिंगिली द्वीप, गुल्हिफाल्हु बंदरगाह और थिलाफुशी औद्योगिक क्षेत्र से पुलों, बांध-मार्गों और सड़कों के माध्यम से जोड़ता है।

- **सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) की 70% से अधिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसे नौसैनिक पोत, निगरानी उपकरण और संयुक्त परिचालन सहायता प्रदान करता है।
  - नियमित संयुक्त अभ्यासों में दोस्ती (तट रक्षक), एकता (विशेष बल), ऑपरेशन शील्ड (समुद्री सुरक्षा) शामिल हैं, जो सागर (SAGAR) विज़न के अंतर्गत अंतर-संचालनीयता और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को बढ़ाते हैं।
- **पर्यटन और संपर्क:** मालदीव में पर्यटकों के आगमन के लिए भारत लगातार शीर्ष स्रोत देश रहा है। ओपन स्काई समझौते (2022) जैसे द्विपक्षीय समझौतों ने हवाई संपर्क को बढ़ाया है।
  - भारत हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास में भी मदद कर रहा है, जिसके माध्यम से वार्षिक रूप से लगभग 13 लाख यात्रियों को की आवाजाही संभालने का अनुमान है।

ओपन स्काई समझौता

यह दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवाएँ संचालित करने का अधिकार प्रदान करना है, जिससे यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए वैश्विक उड़ानों का विस्तार सुगम हो सके।

- **डिजिटल और वित्तीय एकीकरण:** भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने, हार्ड करेंसी पर निर्भरता कम करने और दूरस्थ द्वीपों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए मालदीव में UPI और रुपे एकीकरण शुरू किया है।
- **सामाजिक और प्रवासी संबंध:** लगभग 25,000 भारतीय मालदीव में रहते और कार्य करते हैं। वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आतिथ्य और शासन जैसे क्षेत्रों में योगदान देते हुए मजबूत जन-से-जन संबंध स्थापित कर रहे हैं।
- **जलवायु और आपदा सहनशीलता सहयोग:** भारत-मालदीव जलवायु और आपदा सहनशील अवसंरचना साझेदारी के अंतर्गत भारत, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मालदीव का समर्थन करता है।

भारत-मालदीव संबंधों में चुनौतियाँ

- **संप्रभुता संबंधी चिंताएँ और 'भारत को बाहर करो' अभियान:** मालदीव में, विशेष रूप से कुछ राजनीतिक समूहों के अंतर्गत, घरेलू भावना भारत की रक्षा उपस्थिति और विकासात्मक उपस्थिति को राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानती है, जिसके परिणामस्वरूप 'भारत को बाहर करो' आंदोलन को बढ़ावा मिला है।
- **बढ़ता धार्मिक कट्टरपंथ:** मालदीव में इस्लामी कट्टरपंथ में वृद्धि देखी गई है, जहाँ नागरिक आईएसआईएस जैसे चरमपंथी समूहों में शामिल हो रहे हैं।
  - हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित फैलाव के कारण यह भारत के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करता है।
- **चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) में मालदीव के शामिल होने और "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" में उसकी भूमिका ने हिंद महासागर में बीजिंग की उपस्थिति को और गहरा कर दिया है, जिससे भारत के समुद्री प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है।
- **अनिश्चित राजनीतिक माहौल:** माले में लगातार हो रहे राजनीतिक बदलाव और बदलती विदेश नीतियाँ भारत के लिए अनिश्चितता पैदा करती हैं। चीन समर्थक शासन अक्सर भारत समर्थित परियोजनाओं को उलट देते हैं या उनकी गति धीमी कर देते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में देरी:** ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना जैसी भारत की बड़ी परियोजनाओं को अक्सर कार्यान्वयन में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे भारत की छवि धूमिल होती है और तेज वितरण मॉडल के कारण चीन को बढ़त मिलती है।

आगे की राह

- **कूटनीतिक संवाद:** मालदीव सरकारों के साथ चर्चा बनाए रखना, और जनता से जुड़े परियोजनाओं पर जोर देना।
- **परियोजना पूर्णता:** ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करना।
- **युवा सहभागिता:** कट्टरपंथ को रोकने के लिए HICPs के माध्यम से युवाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **सांस्कृतिक संबंध:** प्रोजेक्ट 'मौसम' का उपयोग करके सांस्कृतिक संबंधों और सॉफ्ट पावर को मजबूत करना।
- **सहायता में वृद्धि:** ऐसी अधिक सहायता प्रदान करना जो मालदीव नागरिकों की मदद करे और नकारात्मक धारणाओं का मुकाबला कर सके।

भारत-ब्राजील संबंध

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रासीलिया में द्विपक्षीय वार्ता की।

हालिया बैठक के परिणाम

महत्त्व

भू-राजनीतिक और सामरिक संबंध

- **कूटनीतिक आधार:** भारत और ब्राजील ने वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और वर्ष 2006 में सामरिक साझेदार बन गए। दोनों राष्ट्र बहुध्रुवीयता, बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण सहयोग के दृष्टिकोण को साझा करते हैं।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** वर्ष 2003 के रक्षा सहयोग समझौते ने संयुक्त रक्षा समिति (JDC) के माध्यम से इन संबंधों को संस्थागत रूप प्रदान किया।
  - रणनीतिक वार्ता तंत्र (2006) वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता है। दोनों देश प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर भी समझौते साझा करते हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश ब्रिक्स, आईबीएसए, जी20, बेसिक, जी-4 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में समन्वय करते हैं।

भू-आर्थिक और व्यापारिक संबंध

- **व्यापार एवं निवेश:** ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 12.2 बिलियन डॉलर (2024-25) है। वहीं भारत का निर्यात 6.77 बिलियन डॉलर रहा।
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:** भारत और ब्राजील, प्रमुख कृषि उत्पादक होने के नाते, वर्ष 2030 तक भुखमरी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ, भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन जैसी पहलों पर सहयोग करते हैं।
- **ऊर्जा एवं जैव ईंधन:** दोनों ही वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं, जो सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु जैव ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देते हैं।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** टीकों और उष्णकटिबंधीय रोगों पर संयुक्त अनुसंधान, औषधि क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करता है और ग्लोबल साउथ में स्वास्थ्य संप्रभुता को मजबूती प्रदान करता है।
- **तकनीकी सहयोग:** AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देता है।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत और ब्राजील ने वर्ष 2004 में एक अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और डेटा साझाकरण, उपग्रह ट्रैकिंग और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग किया।

पर्यावरण और जलवायु सहयोग:

- **COP30 में जलवायु नेतृत्व:** भारत COP30 में ब्राजील की भूमिका का समर्थन करता है, और उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण और जलवायु वित्त पोषण पर संयुक्त नेतृत्व पर बल देते हुए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फंड (TFFF) के माध्यम से सहयोग पर बल देता है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:

- **दक्षिण-दक्षिण एकजुटता:** भारत और ब्राजील के बीच एक दीर्घकालिक संबंध है जो उपनिवेश-विरोधी एकजुटता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और साझा विकास प्राथमिकताओं पर आधारित है। नियमित सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संबंध इस रिश्ते को और समृद्ध बनाते हैं।

चुनौतियाँ

- **व्यापार घाटा:** भारत का कृषि-आयात और संरक्षणवाद ब्राजील के साथ असंतुलन को बढ़ावा देता है।
- **रणनीतिक फोकस:** भिन्न क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ रणनीतिक तालमेल को सीमित करती हैं।
- **जलवायु:** जलवायु संबंधी भिन्न दृष्टिकोण वैश्विक सहयोग में बाधा डालते हैं।
- **लोगों से लोगों का संपर्क:** सीमित आदान-प्रदान द्विपक्षीय समझ को कमजोर करता है।
- **चीन का प्रभाव:** ब्राजील में चीन की बढ़त भारत के साथ गहरे संबंधों को सीमित करती है।

आगे की राह

- **आर्थिक विविधीकरण:** मूल्यवर्धित व्यापार और संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना।
- **तृतीय-देश सहयोग:** अफ्रीका और एसआईडीएस में प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करना।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** जैव ईंधन, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि-प्रौद्योगिकी में साझेदारी करना।
- **जन संबंध:** शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति में आदान-प्रदान का विस्तार करना।
- **रणनीतिक सहभागिता:** रक्षा संबंधों और वैश्विक मंच समन्वय को बढ़ावा देना।
- **तकनीकी साझेदारी:** अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल तकनीक और कौशल निर्माण कार्यक्रमों का सह-विकास करना।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (PARAKH RS)**, जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण** (NAS) **के नाम से जाना जाता था, ने वर्ष 2025 में अपने निष्कर्ष जारी किए।**

परिचय

- समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण राष्ट्रीय सर्वेक्षण (परख आरएस) एनसीईआरटी के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन निकाय है, जिसे NEP 2020 द्वारा अनिवार्य किया गया है।
- **उद्देश्य:** शिक्षण मूल्यांकन को मानकीकृत करना, सीखने के परिणामों को मापना और साक्ष्य-आधारित शैक्षिक सुधारों का मार्गदर्शन करना।
- **सर्वेक्षण कवरेज:** परख आरएस ने देश के 781 जिलों के 74,229 स्कूलों के कक्षा 3, 6 और 9 के 21,15,022 बच्चों के निम्नलिखित विषयों में प्रदर्शन का आकलन किया:
  - भाषा और गणित (कक्षा 3, 6 और 9 के लिए), हमारे आसपास की दुनिया (कक्षा 3 और 6 के लिए), और विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान (कक्षा 9 के लिए)। 2,70,424 शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों ने प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर दिया।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

ग्रेड-वाइज सीखने के परिणाम

- **कक्षा 3:** केवल 55% छात्र 99 तक की संख्याओं को क्रम से लगा पाए, जो बुनियादी संख्यात्मकता की कमियों को दर्शाता है। 54% बुनियादी गुणा/भाग समझ पाए, जिससे शुरुआती अंकगणितीय कमजोरियों का पता चला।
- **कक्षा 6:** 44% छात्र पर्यावरणीय या सामाजिक तत्वों की पहचान कर पाए, जिससे कमजोर अनुप्रयोग कौशल का पता चला। केवल 38% छात्र पैटर्न के आधार पर परिणामों की भविष्यवाणी कर पाए, जो कम विश्लेषणात्मक क्षमताओं को दर्शाता है।
- **कक्षा 9:** केवल 45% छात्र संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन को समझ पाए, जो नागरिक साक्षरता में कमियों को दर्शाता है। 54% छात्रों ने पाठ्य पुस्तकों से मुख्य बिंदुओं को समझा, जिससे समझ और तर्क की कमी का पता चला।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों का प्रदर्शन

इकाई का नाम	शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	निम्न प्रदर्शन करने वाले जिले
अवस्थिति	पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, चंडीगढ़	साहेबगंज, रियासी, राजौरी, नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, शी योमी
ग्रेड	ग्रेड: लागू नहीं	ग्रेड: 3, 6, 9

मुख्य समस्याएँ

- **गिरते हुए शिक्षण परिणाम:** प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक दक्षता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो एक प्रणालीगत शिक्षण संकट की ओर इशारा करता है।
- **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता** (FLN) **की कमी:** प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने, लिखने और संख्यात्मकता में लगातार अंतराल, एनईपी 2020 के एफएलएन लक्ष्यों को चुनौती देते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ और शिक्षण असमानता:** मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्य काफी पिछड़ रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय शिक्षण विभाजन बढ़ रहा है।
- **सरकारी स्कूलों का खराब प्रदर्शन:** सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल गणित और विज्ञान में खराब प्रदर्शन करते हैं, जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और कक्षा प्रक्रियाओं में समस्याएँ उजागर होती हैं।
- **सीखने की कमी और स्कूल छोड़ने का जोखिम:** कक्षा 9 तक बढ़ते सीखने के अंतराल से स्कूल छोड़ने का जोखिम बढ़ जाता है और सामाजिक और शैक्षिक असमानता बनी रहती है।
- **योग्यता-आधारित शिक्षा का अभाव:** रटने पर अत्यधिक निर्भरता बनी रहती है, जबकि आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अनुप्रयोग अविकसित रहते हैं।

शिक्षा सुधार के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020:** कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना और योग्यता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना।
- **निपुण भारत मिशन:** गतिविधि-आधारित शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण का उपयोग करके 2026-27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य।
- **समग्र शिक्षा अभियान:** एक एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना जो पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक गुणवत्ता, पहुँच और समावेशन पर केंद्रित है।
- **डिजिटल लर्निंग और एडटेक उपकरण:** दीक्षा, पीएम ई-विद्या और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म ई-सामग्री प्रदान करते हैं; TALA एआई-सहायता प्राप्त शिक्षण आकलन को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- **शिक्षक क्षमता निर्माण:** योग्यता-आधारित शिक्षण, प्रौद्योगिकी एकीकरण और परिणाम-आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना।
- **निपुण भारत कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना:** विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े जिलों में कठोर स्थानीय कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- **कार्रवाई के लिए जिला-स्तरीय डेटा का लाभ उठाना:** सूक्ष्म-योजना और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए स्थानीय स्तर पर PARAKH डेटा का उपयोग करना।
- **मूल्यांकन सुधार:** NEP 2020 के अनुरूप रटने पर-आधारित परीक्षणों से योग्यता-आधारित मूल्यांकन की ओर संक्रमण।

CIMMYT का वित्तीय संकट: ऋण चुकाने का एक अवसर

अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (International Maize and Wheat Improvement Center - CIMMYT) वर्तमान में USAID के बंद होने के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसे भारत से वित्तीय सहायता की उम्मीद है।

परिचय

- संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक सहायता एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), CIMMYT के वार्षिक बजट का लगभग 40% योगदान देती थी। उदाहरण के लिए, वर्ष 2024 में USAID ने CMMYT के 211 मिलियन डॉलर के वार्षिक बजट में से 83 मिलियन डॉलर का वहन किया।
- ट्रम्प द्वारा USAID को छोड़ने के निर्णय के बाद, 1 जुलाई 2025 के पश्चात् इसका संचालन बंद हो गया। इस प्रकार, पूरे विश्व में इसकी सहायता पर निर्भर संस्थान वित्तीय संकट में आ गए हैं, जिनमें CIMMYT भी शामिल है।

सिमिट (CIMMYT)

केन्द्रबिंदु
वैश्विक दक्षिण में मक्का, गेहूँ और संबंधित फसलों के लिए कृषि अनुसंधान और विकास।

स्थापना
आधिकारिक रूप से 1966 में, 1940-50 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन की परियोजना से मैक्सिकन सरकार के सहयोग से विकसित।

मुख्यालय
टेक्सकोको, मैक्सिको

मुख्य योगदान
एशिया में डॉ. नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में हरित क्रांति में अहम भूमिका।

संगठन का प्रकार
गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन।

भारत ही क्यों?

- भारत कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार प्राप्त करने में अग्रणी रहा है और 1960 के दशक में हरित क्रांति के रूप में इसका लाभ उठाया।
- उच्च उपज देने वाली, अर्द्ध-बौनी गेहूँ की किस्में जैसे लेर्मा रोजो 64A, सोनोरा 64 और मेयो 64, जिन्होंने हरित क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, CIMMYT द्वारा विकसित की गईं थीं।
- भारतीय वैज्ञानिकों ने CIMMYT के सहयोग से कल्याण सोना (1967), सोनालिका (1968) और बाद में PBW 343 (1995) का निर्माण किया।
- गेहूँ की फसल की उपज शुरू में 1-1.5 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 4-4.5 टन/हेक्टेयर और बाद में 7 टन/हेक्टेयर हो गई।
- इस प्रकार, इसने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले, अकालग्रस्त राष्ट्र से, जो अमेरिका के पीएल-480 जैसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता पर निर्भर था, आज खाद्य सुरक्षा प्राप्त और खाद्यान्न का शुद्ध निर्यातक बना दिया।
- यहाँ तक कि शीर्ष 10 गेहूँ किस्मों में से छह, जो 2024-25 में भारतीय किसानों द्वारा बोए जाने वाले लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से 20 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं, सीधे CIMMYT सामग्री से जारी की गई थीं।

भारत के समक्ष अवसर और जिम्मेदारी

- CIMMYT द्वारा किये गए अनुसंधान और सहयोग से अपार लाभ प्राप्त होने के बावजूद, इसमें भारत का वित्तीय योगदान बहुत कम रहा है, उदाहरण के लिए, भारत ने 2024 में CIMMYT को केवल 0.8 मिलियन डॉलर का योगदान दिया।
- CIMMYT में आसन्न वित्तीय संकट ने भारत को एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है, एक ऐसे संस्थान का ऋण चुकाने का जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मदद की।
- इसलिए, यह भारत की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस अवसर का लाभ उठाए और उस संस्थान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे जिसने इतनी विशाल जनसंख्या को पोषित करने और इसे एक वैश्विक अन्न भंडार बनाने में मदद की।

हरित क्रांति: इसकी विरासत

- भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति (विलियम एस. गौड द्वारा गढ़ा गया शब्द), एक परिवर्तनकारी कृषि आंदोलन था जिसका उद्देश्य भूख और गरीबी को दूर करने के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना था।
- इसने उच्च उपज देने वाली किस्म (HYV) के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकें, विशेषकर गेहूँ और चावल के लिए, प्रचलित कीं।
- एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व और सरकारी नीतियों के समर्थन से, इसने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे 1970 के दशक तक भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया।

हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएँ

- **उच्च उपज देने वाले बीज:** विशेष रूप से गेहूँ और चावल के लिए, उच्च उपज देने वाले बीजों का विकास फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया था। ये बीज उर्वरकों और सिंचाई के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देते थे।
- **रासायनिक आदान:** उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग।
- **सिंचाई:** जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नलकूपों और नहरों सहित सिंचाई प्रणालियों का विस्तार।
- **मशीनीकरण:** खेती को आधुनिक बनाने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य मशीनरी का उपयोग।
- **सरकारी सहायता:** आदानों पर सब्सिडी, फसलों के लिए MSP, और कृषि अनुसंधान में निवेश जैसी नीतियों ने इसे अपनाने में मदद की।

उपलब्धियाँ

- **खाद्य सुरक्षा:** भारत खाद्यान्न की कमी और आयात (जैसे, अमेरिका से पीएल 480 गेहूँ) पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ। 1980 के दशक तक, खाद्यान्न उत्पादन दोगुना हो गया, गेहूँ का उत्पादन 1964 में 1 करोड़ टन से बढ़कर 1971 तक 2 करोड़ 60 लाख टन हो गया।
- **आर्थिक विकास:** कृषि उत्पादन में वृद्धि ने ग्रामीण आय को बढ़ावा दिया और कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरीबी को कम किया।

- **तकनीकी उन्नति:** इस क्रांति ने आधुनिक कृषि तकनीकों को लोकप्रिय बनाया और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) जैसे संस्थानों की स्थापना की।
- **निर्यात वृद्धि:** अधिशेष उत्पादन ने भारत को कुछ कृषि उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम बनाया, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।

विरासत और दीर्घकालिक प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- **सतत् खाद्य सुरक्षा:** भारत का खाद्यान्न उत्पादन 1965-66 में 72 मिलियन टन से बढ़कर 2020 तक 300 मिलियन टन से अधिक हो गया, जिससे अकाल के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच सुनिश्चित हुआ।
- **कृषि आधुनिकीकरण:** इसने यंत्रीकृत खेती और वैज्ञानिक कृषि की नींव रखी, जिसमें IARI और कृषि विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों ने नवाचार को बढ़ावा दिया।
- **ग्रामीण विकास:** पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र बेहतर बुनियादी ढाँचे और उच्च ग्रामीण आय के साथ कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन गए।
- **वैश्विक प्रभाव:** भारत की सफलता ने अन्य विकासशील देशों को कृषि विकास के लिए समान रणनीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया।

नकारात्मक प्रभाव

- **पर्यावरणीय क्षरण:**
  - **मृदा क्षरण:** रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और एकल-फसलीय खेती ने समय के साथ मृदा उर्वरता को कम कर दिया।
  - **जल संकट:** सिंचाई के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, भूजल स्तर में कमी आई।
  - **कीटनाशक प्रदूषण:** अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग ने पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाया, जल स्रोतों को दूषित किया और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** इस क्रांति से मुख्यतः अच्छी सिंचाई और बुनियादी ढाँचे वाले क्षेत्रों (जैसे, पंजाब, हरियाणा) को लाभ हुआ, जबकि बिहार और पूर्वी भारत जैसे वर्षा आधारित क्षेत्रों को सीमित लाभ हुआ, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ और बढ़ गईं।
- **आर्थिक असमानता:** पूँजी तक पहुँच वाले बड़े किसानों को छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में अधिक लाभ हुआ, जिससे ग्रामीण आय असमानताएँ और बढ़ गईं।
- **एकल-फसल जोखिम:** गेहूँ और चावल पर ध्यान केंद्रित करने से फसल विविधता कम हो गई, जिससे किसान बाजार और जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो गए।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** रसायनों के अत्यधिक उपयोग को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जोड़ा गया है, जिसमें पंजाब जैसे क्षेत्रों में कैंसर के मामलों में वृद्धि भी शामिल है, जिसे अक्सर "कैंसर बेल्ट" कहा जाता है।
- **स्थायित्व संबंधी समस्याएँ:** इनपुट-गहन मॉडल में संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

वर्तमान प्रासंगिकता और भविष्य की दिशाएँ

- हरित क्रांति की विरासत भारतीय कृषि को आकार दे रही है। हालाँकि इसने खाद्य सुरक्षा हासिल की है, लेकिन पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों ने "दूसरी हरित क्रांति" या "सदाबहार क्रांति" की माँग को बढ़ावा दिया है।

इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

- **टिकाऊ प्रथाएँ:** पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए जैविक खेती, फसल चक्र और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **जलवायु-प्रतिरोधी फसलें:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सूखा और बाढ़ प्रतिरोधी किस्मों का विकास।
- **समावेशी विकास:** ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक बेहतर पहुँच के माध्यम से छोटे किसानों और वर्षा-आधारित क्षेत्रों तक लाभ पहुँचाना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और स्थायी रूप से उपज बढ़ाने के लिए सटीक कृषि, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना।

> **"अगर कृषि क्षेत्र में गड़बड़ी हुई, तो हमारे देश में किसी और चीज के सही होने की संभावना नहीं रहेगी।"**
>
> -एम.एस. स्वामीनाथन

भारत की खाद्य सुरक्षा के पीछे वैज्ञानिक

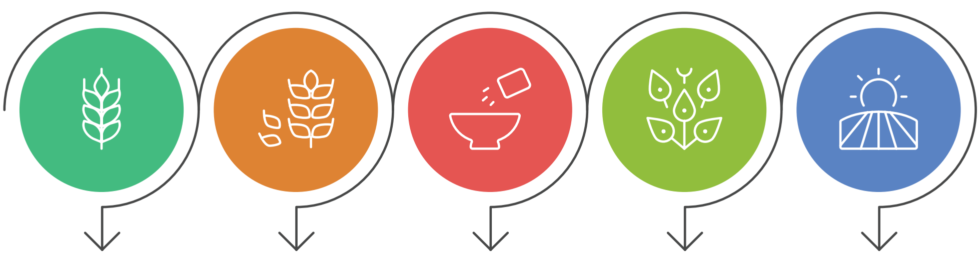

एम.एस. स्वामीनाथन — भारत की हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार।

वी.एस. माथुर, बी.एस. मलिक, राजबीर यादव — एचडी गेहूँ शृंखला के विकासकर्ता।

ई.ए. सिद्दीक, वी.पी. सिंह, और ए.के. सिंह — बासमती प्रजनन में योगदानकर्ता।

गुरदेव सिंह खुश — IRRI के मुख्य प्रजनक, IR 36 और IR 64 के पीछे।

संजय राजाराम — 1990 के दशक में भारत की शीर्ष गेहूँ किस्मों का प्रजनन किया।

भारतः “विश्व की उभरती खिलौना राजधानी”

हाल के वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है, अब यह उद्योग एक अत्यधिक आयात-निर्भर क्षेत्र से उभरता हुआ एक वैश्विक अभिकर्त्ता बन गया है।

बाजार अवलोकन

- **बाजार का आकार और विकासः** भारतीय खिलौना बाजार का मूल्य 2024 में लगभग 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और अनुमान है कि 2033 तक यह 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो 10.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा। यह वृद्धि बढ़ती युवा आबादी, बढ़ती प्रयोज्य आय और बच्चों के विकास में खिलौनों की भूमिका के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण होगी।
- **निर्यात और आयात रुझानः** वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच, खिलौनों का निर्यात 239% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 523 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि आयात में 52% की गिरावट आई। यह बढ़ती आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
- **वैश्विक स्थितिः** भारत वैश्विक खिलौना निर्यात में 0.3% (27वें स्थान पर) और आयात में 0.1% (61वें स्थान पर) की हिस्सेदारी रखता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक खिलौने एक महत्त्वपूर्ण निर्यात श्रेणी हैं।
- **प्रमुख खंडः** मोटर कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण शिशु/प्री-स्कूल खिलौनों का वर्चस्व है। बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा यूनिसेक्स खिलौनों का है, जबकि इसके बाद लड़कों और लड़कियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए खिलौने आते हैं।
- **वितरण चैनलः** इस बाजार में विशेष स्टोर, सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य शामिल हैं, और खरीदारी के अनुभव में संवर्धित वास्तविकता/आभासी वास्तविकता जैसी सुविधाओं और तकनीकी प्रगति के कारण ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है।

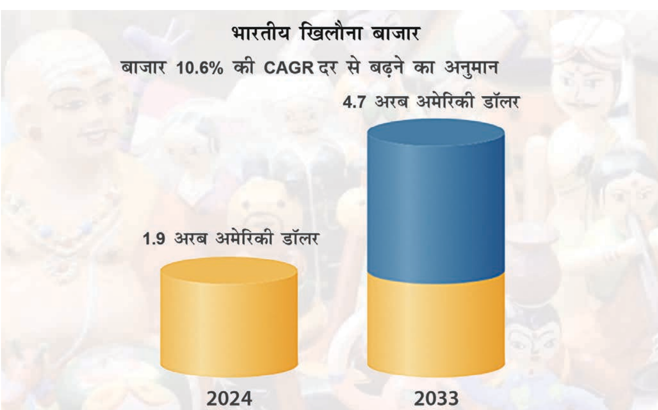

हालिया विकास

- **आधुनिक खिलौनों की ओर रुझानः** उपभोक्ताओं की पसंद पारंपरिक खिलौनों से आधुनिक खिलौनों की ओर बढ़ रही है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक, STEM-आधारित और शैक्षिक खिलौने शामिल हैं। शूमी और प्लेशिफू जैसे स्टार्टअप पर्यावरण-अनुकूल और तकनीक-संचालित उत्पादों के साथ नवाचार कर रहे हैं।
- **सांस्कृतिक एकीकरणः** निर्माता खिलौनों में भारतीय सांस्कृतिक तत्वों को शामिल कर रहे हैं, जिससे घरेलू और वैश्विक बाजारों, खासकर मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में, खिलौनों की लोकप्रियता बढ़ रही है।
- **मुक्त व्यापार समझौतों** (FTA) **के माध्यम से निर्यात वृद्धिः** मुक्त व्यापार समझौतों (जैसे, भारत-यूके FTA, भारत-यूएई CEPA, भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA) ने प्रमुख बाजारों तक पहुँच को सक्षम बनाया है, जिससे नैटुग्राम गुड़िया और चन्नपटना लकड़ी के खिलौनों जैसे हस्तनिर्मित खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा मिला है।
- **स्थायित्व पर ध्यानः** थिंकरप्लेस और शूमी जैसे स्टार्टअप द्वारा समर्थित, लकड़ी के खिलौने और पुनर्नवीनीकृत सामग्री से बने खिलौनों जैसे पर्यावरण-अनुकूल खिलौनों की ओर रुझान बढ़ रहा है।
- **तकनीकी प्रगतिः** खिलौनों में एआर, वीआर और एआई का एकीकरण लोकप्रिय हो रहा है, जो तकनीक-प्रेमी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और शैक्षिक मूल्य को बढ़ा रहा है।
- **टॉयकैथॉन और टॉय मेलेः** टॉयकैथॉन 2021 और वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर 2021 जैसे आयोजनों ने नवाचार और स्वदेशी खिलौना डिजाइनों को बढ़ावा दिया है।

सरकारी पहल

भारत सरकार ने आयात कम करने, निर्यात बढ़ाने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों के माध्यम से खिलौना उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है -

- **खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना** (NAPT)**:** 2020 में शुरू की गई इस योजना में 14 मंत्रालय शामिल हैं और यह 21 विशिष्ट कार्य बिंदुओं पर केंद्रित है, जिनमें व्यापार को बढ़ावा देना, डिजाइन और गुणवत्ता

में सुधार, स्वदेशी खिलौना समूहों का समर्थन और खिलौनों को शिक्षा में एकीकृत करना शामिल है।

- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश** (QCO) **2020:** सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खिलौनों के लिए BIS प्रमाणन अनिवार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत घरेलू निर्माताओं को 1097 से अधिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं (96.7% MSME को)।
- **आयात शुल्क में वृद्धि:** सस्ते आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू निर्माताओं की सुरक्षा के लिए खिलौनों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को 20% से बढ़ाकर 2020 में 60% और 2023 में 70% कर दिया गया।
- **स्फूर्ति योजना:** राज्यों के 19 खिलौना समूहों को 149.44 करोड़ रुपये के वित्तपोषण से 44,500 कारीगरों को लाभ पहुँचाने में सहायता प्रदान करती है।
- **निर्यात प्रोत्साहन:** बाजार पहुँच पहल और संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते जैसी योजनाएँ निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देती हैं।
- **खिलौना-आधारित शिक्षाशास्त्र:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 खेल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसमें खिलौना-आधारित शिक्षाशास्त्र पर एनसीईआरटी की मार्गदर्शिका शैक्षिक खिलौनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **केंद्रीय बजट 2025-26:** खिलौना क्लस्टर विस्तार, एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी, निर्यात प्रोत्साहन और टिकाऊ खिलौना उत्पादन हेतु अनुसंधान एवं विकास निधि के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया।
- **प्रस्तावित जीएसटी कटौती:** वाणिज्य मंत्रालय ने स्थानीय विनिर्माण और सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मोशन-लिट खिलौनों पर 18% जीएसटी कम करने का प्रस्ताव दिया है।

चुनौतियाँ

- अपनी वृद्धि के बावजूद, भारतीय खिलौना उद्योग को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है यथा; आयात पर निर्भरता: हालाँकि आयातित सामग्रियों पर निर्भरता 33% से घटकर 12% हो गई है, फिर भी उद्योग अभी भी प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विदेशी कच्चे माल पर निर्भर है।
- **परिपक्व बाजारों से प्रतिस्पर्धा:** चीन और वियतनाम ने बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता वाले विनिर्माण केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- **कौशल और बुनियादी ढाँचे की कमी:** कुशल श्रम की कमी और अपर्याप्त सटीक इंजीनियरिंग क्षमताएँ, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए, नवाचार और मापनीयता को सीमित करती हैं।
- **असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व:** लगभग 90% बाजार असंगठित है, जिसमें 75% सूक्ष्म उद्योग हैं, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण दक्षता में चुनौतियाँ आती हैं।
- **पूँजीगत बाधाएँ:** सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम निर्माता सीमित पूँजी के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे बड़े ऑर्डर संभालने या डिजाइन और तकनीक में निवेश करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।

भविष्य की संभावनाएँ:

- **वैश्विक केंद्र की संभावना:** कम श्रम लागत, कुल जनसंख्या का 30.76% (0-14 वर्ष की आयु के 300 मिलियन से अधिक) बच्चों की विशाल आबादी और सरकारी समर्थन के साथ, भारत का लक्ष्य चीन और वियतनाम के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए एक वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र बनना है।
- **नवाचार और स्टार्टअप:** STEM, AR/VR और पर्यावरण-अनुकूल खिलौनों पर केंद्रित PlayShifu और Skillmatics जैसे स्टार्टअप्स में निरंतर वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा देगी।
- **निर्यात विस्तार:** एफटीए और सांस्कृतिक खिलौना डिजाइनों का लाभ उठाते हुए, भारत यूके, यूएई और अफ्रीका जैसे बाजारों को लक्षित कर रहा है।
- **स्थिरता और शिक्षा:** सरकारी नीतियों और उपभोक्ता जागरूकता के सहयोग से, टिकाऊ और शैक्षिक खिलौनों की माँग बढ़ेगी।
- **डिजिटल खुदरा विकास:** एआर/वीआर और सुरक्षित भुगतान प्रणालियों द्वारा संवर्धित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बाजार की पहुँच और बिक्री को बढ़ावा देते रहेंगे।

प्रमुख अभिकर्त्ता

- **घरेलू स्तर पर:** फनस्कूल, शुमी, स्किलमैटिक्स, प्लेशिफू, थिंकरप्लेस, एक्वस, माइक्रो प्लास्टिक्स।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:** मैटल, हैस्ब्रो, लेगो, बंदाई नमको।

निष्कर्ष

- भारत का खिलौना उद्योग सरकारी पहलों, सांस्कृतिक प्रासंगिकता और तकनीकी प्रगति के बल पर मजबूत विकास पथ पर अग्रसर है।
- आयात पर निर्भरता और कौशल अंतराल जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढाँचे और वैश्विक साझेदारियों में रणनीतिक निवेश भारत को वैश्विक खिलौना बाजार में एक अग्रणी अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित कर सकता है।
- स्थिरता, शिक्षा और निर्यात संवर्धन पर ध्यान, एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर, निरंतर विस्तार के लिए आधार तैयार करता है।

हमारा ध्यान ऐसे खिलौने और खेल विकसित करने पर होना चाहिए जो भारतीयता के हर पहलू को रोचक और संवादात्मक तरीके से प्रस्तुत करें।

नरेंद्र मोदी (भारत के प्रधानमंत्री)

राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025

(समृद्धि के लिए सहयोग: विकसित भारत 2047 का मार्ग प्रशस्त करना)

सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 जारी की, जो भारत के सहकारिता आंदोलन के इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण को दर्शाती है।

परिचय

- राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकार-से-समृद्धि के माध्यम से 2047 के विकासशील भारत के लिए सहकारिता को प्रमुख प्रेरक बनाना है।
- विधिक सुधारों, डिजिटलीकरण और वित्तीय सशक्तीकरण पर जोर दिया जा रहा है।
- यह नीति महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों की समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देती है।
- यह नीति स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार का भी सुझाव देती है।
- गौरतलब है कि भारत की **पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002** में शुरू की गई थी।
- **2025 में दूसरी सहकारिता नीति**, सहकारी समितियों को प्रतिस्पर्धी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने की नई प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।

यह नीति 6 मिशन स्तंभों और 16 उद्देश्यों के इर्द-गिर्द संरचित है

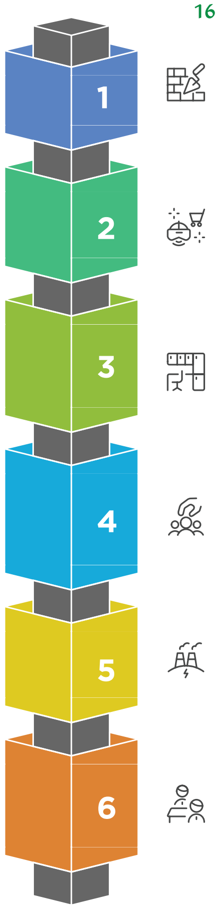

1. **आधार को मजबूत करना** — कानूनी सुधार, बेहतर शासन, वित्त तक पहुँच, डिजिटलीकरण।
2. **जीवंतता को बढ़ावा देना** — व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, निर्यात और ग्रामीण क्लस्टर का विस्तार।
3. **सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना** — प्रौद्योगिकी एकीकरण, पेशेवर प्रबंधन, सहकारी स्टैक।
4. **समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच को गहरा करना** — सहकारी-नेतृत्व वाले समावेशी विकास को बढ़ावा देना और सहकारिता को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करना।
5. **नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश** — बायोगैस, स्वच्छ ऊर्जा, गोदाम, स्वास्थ्य सेवा आदि।
6. **सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को आकार देना** — पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, रोजगार विनिमय।

उद्देश्य

- वर्ष 2034 तक सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी क्षेत्र के योगदान को तिगुना करना।
- सहकारी समितियों की संख्या वर्तमान 8.3 लाख से 30% बढ़ाना।
- 50 करोड़ नए या निष्क्रिय नागरिकों को सक्रिय सहकारी भागीदारी में लाना।
- प्रत्येक गाँव में कम से कम एक सहकारी इकाई की स्थापना और नाबार्ड के सहयोग से प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गाँव स्थापित करना। प्रत्येक पंचायत में पैक्स या प्राथमिक सहकारी इकाइयाँ स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएँ

विधायी और संस्थागत सुधार

- पारदर्शिता, स्वायत्तता और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए राज्यों को सहकारी कानूनों (सहकारी समिति अधिनियम और नियम) में संशोधन के लिए प्रोत्साहित करना।
- पंजीयक कार्यालयों और रीयल-टाइम सहकारी डेटाबेस के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना।
- संस्थागत तंत्रों के माध्यम से रुग्ण सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना।

वित्तीय सशक्तीकरण

- **त्रि-स्तरीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों** – जिला केंद्रीय सहकारी बैंक – राज्य सहकारी बैंक ऋण संरचना को संरक्षित और संवर्धित करना।
- सहकारी बैंकों और अम्ब्रेला संगठनों (जैसे राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम) को बढ़ावा देना।
  - सहकारी बैंकों को सरकारी कार्यों को संभालने में सक्षम बनाना।

व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र विकास

- विकास इंजन के रूप में बहुउद्देशीय पैक्स के साथ आदर्श सहकारी गाँव।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कम से कम एक आदर्श सहकारी गाँव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण आर्थिक समूहों (जैसे, शहद, मसाले, चाय) का विकास करना।
- 'भारत' ब्रांड के अंतर्गत ब्रांडिंग का समर्थन करना।

भविष्य की तैयारी और प्रौद्योगिकी

- कृषि-स्टैक और डेटाबेस के साथ एकीकरण करते हुए एक राष्ट्रीय 'सहकारी स्टैक' विकसित करना।
- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म एकीकरण को बढ़ावा देना।
- सहकारी इनक्यूबेटरों और उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना।

next IAS हिन्दी

समावेशिता के उपाय

- सहकारिताओं में युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी।
- लैंगिक प्रतिनिधित्व और पारदर्शी शासन के लिए आदर्श उपनियम।
- स्कूलों और कॉलेजों में सहकारिता जागरूकता अभियान।

क्षेत्रीय विविधीकरण

नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, जैसे: नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा,

- मोबाइल-आधारित एग्रीगेटर सेवाएँ (जैसे, प्लंबर, टैक्सी चालकों के लिए) और जैविक एवं प्राकृतिक खेती, बायोगैस और इथेनॉल उत्पादन, आदि।

युवा-उन्मुख क्षमता निर्माण

- उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में सहकारिता-केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करना।
- एक राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार केंद्र का निर्माण करना।
- युवाओं में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तापूर्ण सहकारी शिक्षकों की भर्ती करना आदि।

संबंधित विकास

भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय, 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' की आधारशिला श्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आणंद में रखी गई।

सहकारी संस्था क्या है?

- सहकारी संस्था व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो स्वेच्छा से एकजुट होकर संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है।

प्रमुख विशेषताएँ

- ये जन-केंद्रित उद्यम हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाते हैं।
- 'एक सदस्य, एक वोट' नियम द्वारा लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित उद्यम में उनके निवेश की परवाह किए बिना, सदस्यों को समान मताधिकार प्राप्त होते हैं।
- उत्पन्न लाभ या तो उद्यम में पुनर्निवेशित किया जाता है या सदस्यों को वापस कर दिया जाता है।
- सहकारी समितियाँ दुनिया भर में 30 लाख सहकारी समितियों के माध्यम से 12% से अधिक लोगों को जोड़ती हैं, जिनमें से 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियाँ 2,409.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करती हैं।
- ये 28 करोड़ लोगों को गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ और कार्य के अवसर प्रदान करके सतत् आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती हैं, जो दुनिया की 10% नियोजित आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में सहकारिता

- भारत में सहकारी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो समावेशी विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है।
- 800,000 से अधिक सहकारी समितियों और 290 मिलियन सदस्यों के साथ, जो लगभग 100% गाँवों और 30% आबादी को कवर करते हैं, भारत विश्व के सबसे बड़े सहकारी नेटवर्कों में से एक है।
- ये समितियाँ कृषि, डेयरी, ऋण, आवास, मत्स्य पालन आदि सहित विविध क्षेत्रों में काम करती हैं, तथा लोकतांत्रिक, सदस्य-स्वामित्व वाले उद्यमों के माध्यम से सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

भारत में सहकारी क्षेत्र का इतिहास

- भारत में सहकारी आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता और साहूकारों द्वारा शोषण की समस्या से निपटने के लिए शुरू हुआ।
- **इस दिशा में महत्त्वपूर्ण विकास इस प्रकार हैं:**
  - **1904:** भारतीय अकाल आयोग (1901) की सिफारिशों और सर फ्रेडरिक निकोलसन, जिन्हें अक्सर "भारत में सहकारी आंदोलन का जनक" कहा जाता है, की एक रिपोर्ट के बाद सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू हुआ।
    - पहली सहकारी समिति अगस्त 1904 में तमिलनाडु के तिरूर में स्थापित की गई, जिससे यह एशिया की पहली सहकारी समिति बन गई।
  - **1919:** मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने सहकारिता को एक प्रांतीय विषय बना दिया, जिससे इसके विकास को बढ़ावा मिला।
  - **स्वतंत्रता के बाद (1947):** नियोजित आर्थिक विकास के अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रमुखता मिली, प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में सामुदायिक विकास में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया।
  - **2011:** 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और उनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा।
  - **2021:** सहकारिता मंत्रालय की स्थापना "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के साथ एक समर्पित प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा प्रदान करने के लिए की गई थी।

भारत में छह प्रकार की सहकारी समितियाँ हैं।

- **ऋण सहकारी समितियाँ:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों सहित, किफायती ऋण प्रदान करती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिनमें से 97,961 पीएसीएस इस संचार का नेतृत्व कर रही हैं।
- **आवास सहकारी समितियाँ:** विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, संसाधनों को एकत्रित करके किफायती आवास की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे घर का स्वामित्व सुलभ हो जाता है।
- **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ:** केंद्रीय भंडार की तरह, आवश्यक वस्तुएँ (जैसे, किराने का सामान, स्वास्थ्य सेवा) प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं।
- **विपणन सहकारी समितियाँ:** किसानों और उत्पादकों को उनके उत्पादों (जैसे, खाद्यान्न, जूट, कपास, दूध, फल) का बेहतर लाभ दिलाने में मदद करती हैं। उदाहरणों में अमूल और हॉपकॉम्स शामिल हैं।
- **उत्पादक सहकारी समितियाँ:** हथकरघा बुनकरों जैसे छोटे उत्पादकों को उनके उत्पाद बेचने में सहायता करती हैं।
- **श्रमिक सहकारी समितियाँ:** व्यवसायों को उनके कर्मचारियों द्वारा स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण में रखने में मदद करती हैं।

सहकारी क्षेत्र का महत्त्व

सहकारी क्षेत्र भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

- **आर्थिक सशक्तीकरण:** सहकारी समितियाँ छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और निम्न-आय वर्ग को ऋण, बाजार और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाती हैं।
  - उदाहरण के लिए, अमूल जैसी डेयरी सहकारी समितियों ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है, जहाँ शहरी उपभोक्ताओं के भुगतान का तीन-चौथाई हिस्सा किसानों तक पहुँचता है।
- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण भारत के 98% हिस्से को कवर करते हुए, सहकारी समितियाँ विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए स्थायी आजीविका और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करती हैं।
- **रोजगार सृजन:** अकेले महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियाँ 5 लाख से अधिक लोगों को (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) रोजगार प्रदान करती हैं।
- **कृषि सहायता:** सहकारी समितियाँ कृषि ऋणों में 20%, उर्वरक वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31%, गेहूँ खरीद में 13% और धान खरीद में 20% योगदान देती हैं।
- **सामाजिक समावेशन:** सहकारी समितियाँ "एक सदस्य, एक मत" सिद्धांत के साथ लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देती हैं और समानता एवं समावेशिता को बढ़ावा देती हैं।
- **गरीबी उन्मूलन:** किफायती वस्तुएँ, ऋण और विपणन सहायता प्रदान करके, सहकारी समितियाँ आजीविका में सुधार लाती हैं और शोषणकारी प्रणालियों पर निर्भरता कम करती हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी:** महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, सहकारी समितियाँ, विशेषकर चीनी मिलें, राजनीतिक सहभागिता और नेतृत्व विकास के मंच रही हैं।

सफल सहकारी समितियों के प्रमुख उदाहरण

- **अमूल (आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड):**
  - एक डेयरी सहकारी संस्था जिसने "आनंद पैटर्न" के माध्यम से भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया।
  - यह एक ही ब्रांड के अंतर्गत दूध का प्रसंस्करण और विपणन करके लाखों छोटे डेयरी किसानों को सशक्त बनाती है।
- **इफको (भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी):** किसानों के लिए किफायती कृषि इनपुट सुनिश्चित करने वाली एक अग्रणी उर्वरक सहकारी संस्था।
- **लिज्जत पापड़:** पापड़ के उत्पादन और बिक्री के माध्यम से हजारों महिलाओं को सशक्त बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली एक महिला सहकारी संस्था।
- **हॉपकॉम्स:** फलों और सब्जियों का विपणन करके किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करने वाली एक बागवानी सहकारी संस्था।

चुनौतियाँ

- **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव:** कुछ सहकारी समितियाँ खराब प्रशासन से ग्रस्त हैं, जहाँ सत्ता कुछ ही व्यक्तियों के पास केंद्रित है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** क्षेत्रीय राजनेता अक्सर सहकारी समितियों को प्रभावित करते हैं, खासकर महाराष्ट्र में, और उनके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।
- **वित्तीय बाधाएँ:** सीमित सदस्यता और कम प्रतिफल के कारण सीमित पूँजी जुटाने की क्षमता निवेश को हतोत्साहित करती है।
- **प्रशासनिक अक्षमताएँ:** पेशेवर प्रबंधन और प्रशासनिक कौशल का अभाव कार्यकुशलता में बाधा डालता है।
- **ऋण तक पहुँच:** किसानों को संपार्श्विक या दस्तावेजों के अभाव में ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **परिचालन अक्षमताएँ:** कुछ सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से चीनी मिलें, पुरानी प्रथाओं या कुप्रबंधन के कारण घाटे में रहती हैं और सरकारी सहायता पर निर्भर रहती हैं।
- **सीमित सदस्य भागीदारी:** हाशिए पर पड़े समुदायों का अक्सर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है, जिससे समावेशिता कम होती है।

क्या आप जानते हैं?

- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को "संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC2025)" घोषित किया है, जिसका विषय "सहकारिताएँ एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं" , जो सहकारी समितियों के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।
- प्रति वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है।

आगे की राह

- **सुशासन को बढ़ावा देना:** पैक्स को बहुउद्देशीय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आदर्श उपनियमों को लागू करना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** बाजार पहुँच और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) और ई-गवर्नेंस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिये।
- **क्षमता निर्माण:** राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए।
- **वित्तीय सहायता:** सब्सिडी और प्रोत्साहनों में वृद्धि, जैसा कि एनसीडीसी द्वारा नौ वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने और उर्वरक सब्सिडी के रूप में देखा जा सकता है।
- **नीतिगत सुधार:** राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य स्वायत्तता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है।
- **समावेशी भागीदारी:** समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए हाशिए पर पड़े समूहों और महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** अमूल मॉडल की तरह, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण के लिए निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी करना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत में सहकारी क्षेत्र खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक उत्थान का एक सशक्त माध्यम है।
- कृषि, डेयरी, ऋण और आवास क्षेत्र में फैले अपने विशाल नेटवर्क के साथ, सहकारी समितियों ने समावेशी विकास को गति दी है, लाखों लोगों को सशक्त बनाया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - हालाँकि, "सहकार से समृद्धि" की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए शासन संबंधी समस्याओं, वित्तीय बाधाओं और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

कौशल भारत मिशन के 10 वर्ष

कौशल भारत मिशन (SIM) ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर अपने शुभारंभ के 15 जुलाई 2015 को 10 वर्ष पूर्ण किए।

परिचय

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पूरे भारत में कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से युवाओं को कौशल, पुन: कौशल और उच्च कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- **पुनर्गठित योजना (2025):** फरवरी 2025 में, सरकार ने 2022-23 से 2025-26 तक के लिए पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें तीन प्रमुख योजनाओं को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल किया गया।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** (PMKVY 4-0)**:** ग्रामीण क्षेत्रों सहित युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण और पूर्व-शिक्षण की मान्यता (RPL) प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य रोजगार क्षमता में सुधार लाना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना** (NAPS)**:** बुनियादी और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, दोनों को कवर करते हुए, वजीफे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करती है।
- **जन शिक्षण संस्थान** (JSS)**:** ग्रामीण और कम आय वाले शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देते हुए, निरक्षरों, नव-साक्षरों और स्कूल छोड़ने वालों (कक्षा 12 तक) को व्यावसायिक कौशल प्रदान करता है।

सकारात्मक प्रभाव

- **अनौपचारिक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए समर्थन:** SIM ने स्कूल छोड़ने वाले, ग्रामीण युवाओं और आदिवासी आबादी सहित हाशिए पर पड़े समूहों तक पहुँच का विस्तार किया, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिला।
- **क्षेत्रीय रोजगार में वृद्धि:** विनिर्माण (15%), सेवा (20%), और निर्माण (25%) जैसे क्षेत्रों में कौशल-विशिष्ट प्रशिक्षण के कारण रोजगार में सुधार देखा गया।
- **डिजिटल लर्निंग क्रांति:** दीक्षा और स्किल इंडिया डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म ने कौशल संसाधनों तक दूरस्थ और बहुभाषी पहुँच को सक्षम बनाया है।
- **वैश्विक मंचों पर मान्यता:** वर्ल्डस्किल्स 2022 (रैंक 11) में भारत के प्रदर्शन ने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और कौशल गुणवत्ता में सुधार को उजागर किया।

चुनौतियाँ

- **कौशल-नौकरी अंतराल:** कई प्रशिक्षित उम्मीदवारों में अभी भी उद्योग-संबंधित कौशल का अभाव है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में रोजगार की संभावना कम है।
- **कम नौकरियाँ:** प्रमाणन के बावजूद, बड़ी संख्या में प्रशिक्षु, विशेष रूप से ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में, नियुक्ति संबंधी बाधाओं का सामना करते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** राज्यों में असमान कार्यान्वयन के कारण कौशल विकास के परिणामों और पहुँच में व्यापक अंतर पैदा हो गया है।
- **नकारात्मक सामाजिक धारणा:** व्यावसायिक शिक्षा को अक्सर औपचारिक शैक्षणिक डिग्रियों से निम्न माना जाता है, जिससे नामांकन और रुचि प्रभावित होती है।
- **प्रशिक्षक और बुनियादी ढाँचे की कमी:** कई केंद्रों में आधुनिक उपकरणों और योग्य प्रशिक्षकों का अभाव है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** कुछ क्षेत्रों में उद्योग की भागीदारी काफी हद तक प्रतीकात्मक बनी हुई है, जिससे पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और नौकरी के संबंध प्रभावित होते हैं।
- **विलंबित वित्तपोषण और समन्वय संबंधी समस्याएँ:** नौकरशाही संबंधी देरी और केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय की कमी (जैसा कि सिन्हा समिति, 2022 द्वारा चिह्नित किया गया है) दक्षता में बाधा डालती है।

आगे की राह

- **डिजिटल लर्निंग मॉडल को बढ़ावा देना:** कौशल विकास को अधिक सुलभ और अनुकूल बनाने के लिए ई-लर्निंग, मिश्रित प्रशिक्षण और एआई-संचालित निगरानी का विस्तार करना चाहिए।
- **वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना:** विदेशों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्रों और वैश्विक मूल्य शृंखला आवश्यकताओं को एकीकृत करना चाहिए।
- **परिणाम-आधारित कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** प्रशिक्षण संख्याओं से हटकर, नौकरी की नियुक्ति और आय सृजन जैसे मापनीय परिणामों पर जोर देना चाहिए।
- **उभरते क्षेत्रों का समर्थन करना:** हरित रोजगार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, विद्युत वाहन, साइबर सुरक्षा और भविष्य के लिए तैयार अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास को प्राथमिकता देना चाहिए।
- **प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन करना:** प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों, स्मार्ट प्रयोगशालाओं और योग्य प्रशिक्षकों में निवेश करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क** (NCrF) **को लागू करना:** लचीले शिक्षा मार्गों के लिए व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

निसार उपग्रह को 30 जुलाई, 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।

परिचय

- निसार (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार) नासा और इसरो द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है।
- इसे निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे 98.4° के झुकाव के साथ 743-747 किमी की ऊँचाई पर सूर्य-समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
- यह नासा के एल-बैंड और इसरो के एस-बैंड रडारों को मिलाकर दोहरी आवृत्ति वाली एसएआर तकनीक का उपयोग करने वाला विश्व का पहला उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन लगभग 2,800 किलोग्राम है और इसकी आधारभूत मिशन अवधि तीन वर्ष है, जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR)

- यह एक प्रकार की रडार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग पृथ्वी की सतह की उच्च-रिजॉल्यूशन वाली छवियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर राडार एंटेना की गति का उपयोग करके एक बड़े एंटेना या "अपर्चर" का आभास कराया जाता है।
- SAR बादलों, वनस्पति और अंधकार को भेद सकता है, जिससे यह हर मौसम तथा दिन-रात पृथ्वी के अवलोकन के लिए आदर्श बन जाता है।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ

- **द्वि-आवृत्ति SAR प्रणाली:**
  - **L-बैंड SAR (1-2 GHz):** वनस्पति और मृदा में प्रवेश करता है; वन निगरानी, मृदा नमी आकलन और उपसतही अध्ययनों के लिए आदर्श।
  - **S-बैंड SAR (2-4 GHz):** उच्च स्थानिक विभेदन प्रदान करता है; शहरी, तटीय और बुनियादी ढाँचे की निगरानी के लिए उपयुक्त।

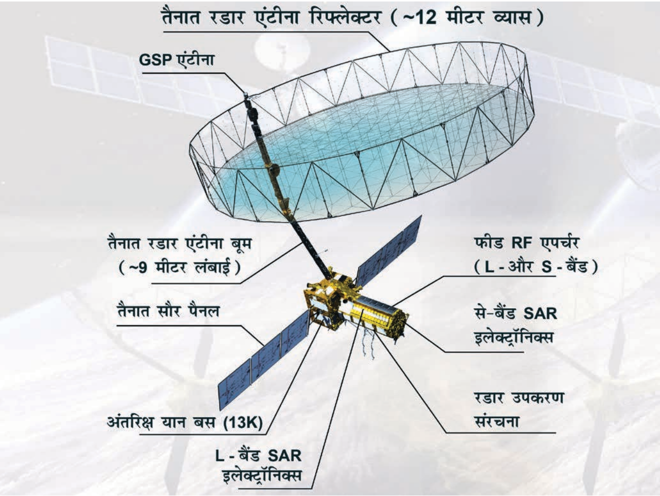

  - यह LohiSAR तकनीक का उपयोग करता है, जो 242 किमी की स्वाथ चौड़ाई के साथ उच्च स्थानिक विभेदन (स्पैशियल रेजोल्यूशन) प्रदान करता है।
  - नासा द्वारा विकसित और इसरो के संशोधित I3K सैटेलाइट बस के साथ एकीकृत 12-मीटर लंबे अनफरलेबल मेश रिफ्लेक्टर एंटीना से सुसज्जित।
- यह प्रणाली हर 12 दिनों में, दिन और रात, और सभी मौसमों में, लगभग सभी भूमि और बर्फीली सतहों की वैश्विक कवरेज प्रदान करती है।
- पृथ्वी की सतह की सभी मौसमों में, दिन और रात की उच्च रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदान करती है।
- हर 12 दिनों में डेटा उत्पन्न करता है, जिससे गतिशील पृथ्वी प्रणालियों की निरंतर निगरानी संभव हो पाती है।

जलवायु न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

23 जुलाई, 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्यों के दायित्वों पर एक ऐतिहासिक सलाहकार राय दी, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून में एक महत्त्वपूर्ण क्षण था।

परिचय

- वानुअतु के नेतृत्व में 2023 संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से प्रेरित होकर, इस निर्णय में दो प्रमुख प्रश्नों को संबोधित किया गया: (1) पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यों के दायित्व, और (2) इन दायित्वों के अंतर्गत राज्यों के लिए कानूनी परिणाम जब वे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

- **कार्रवाई करने के लिए कानूनी दायित्व:** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया कि राज्यों का यह कानूनी कर्त्तव्य है कि वे जलवायु प्रणाली और पर्यावरण को मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाएँ। यह दायित्व कई स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिनमें शामिल हैं:
- **अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ:** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा जैविक विविधता पर कन्वेंशन जैसी अन्य संधियाँ।
- **प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून:** राज्यों को महत्त्वपूर्ण सीमापारीय नुकसान को रोकना चाहिए और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिए।
- **मानवाधिकार कानून:** स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जो जलवायु निष्क्रियता को मानवाधिकार उल्लंघनों से जोड़ता है।
- **कठोर परिश्रम:** राज्यों को कठोर परिश्रम के साथ कार्य करना चाहिए और राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को पेरिस समझौते के 1.5°C तापमान लक्ष्य के अनुरूप बनाना चाहिए। इसमें निजी हितधारकों (जैसे, जीवाश्म ईंधन कंपनियों) को विनियमित करना और कमजोर देशों का समर्थन करना शामिल है। निष्क्रियता या अपर्याप्त कार्रवाई "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध कार्य" की श्रेणी में आ सकती है।
- **जीवाश्म ईंधन जवाबदेही:** न्यायालय ने जीवाश्म ईंधन गतिविधियों को स्पष्ट रूप से लक्षित करते हुए कहा कि यदि उत्पादन, उपभोग, अन्वेषण लाइसेंस और सब्सिडी जलवायु को नुकसान पहुँचाती हैं, तो वे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन कर सकती हैं।
- **क्षति की क्षतिपूर्ति:** जो राज्य इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, वे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- **प्रतिपूर्ति:** जलवायु प्रभावों से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण या पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना।
- **क्षतिपूर्ति:** जलवायु संबंधी हानियों और क्षतियों के लिए मौद्रिक भुगतान, हालाँकि कारण संबंधी अनिश्चितताओं के कारण इनकी गणना जटिल है।
  - इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि सभी राष्ट्र, चाहे उनकी संवेदनशीलता कितनी भी हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समान उपचार के हकदार हैं, हालाँकि छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) जैसे संवेदनशील देशों के असमान प्रभावों के कारण उनके दावे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं।
- **लेक्स स्पेशलिस की अस्वीकृति:** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि पेरिस समझौते जैसी जलवायु संधियाँ अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर हावी हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु संबंधी दायित्व विभिन्न कानूनी ढाँचों में एकीकृत हैं, जिससे जवाबदेही का दायरा व्यापक होता है।

निहितार्थ:

- **बाध्यकारी नहीं, लेकिन प्रभावशाली:** यह सलाह सलाहकारी होते हुए भी, नैतिक और कानूनी रूप से महत्त्वपूर्ण है और वैश्विक स्तर पर जलवायु मुकदमेबाजी के लिए एक ढाँचा प्रदान करती है।
- **मुकदमेबाजी की संभावना:** यह निर्णय जलवायु-संवेदनशील देशों, विशेष रूप से SIDS, को उच्च उत्सर्जन वाले देशों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। हालाँकि, बाध्यकारी मामलों के लिए ICJ का अधिकार क्षेत्र केवल उन देशों तक सीमित है जिन्होंने इसे स्वीकार किया है।
- **जीवाश्म ईंधन उद्योग:** निजी क्षेत्र के उत्सर्जन के लिए राज्यों को उत्तरदायी ठहराकर, यह निर्णय जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और नए लाइसेंसों पर अंकुश लगा सकता है, जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के उद्योगों के लिए चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- **वैश्विक दक्षिण सशक्तीकरण:** यह राय औद्योगिक देशों से जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति और वित्त की वकालत करने वाले विकासशील देशों की स्थिति को मजबूत करती है।

संदर्भ और सीमाएँ:

- यह मामला वर्ष 2019 में प्रशांत द्वीप समूह के विधि छात्रों द्वारा निचले इलाकों के देशों के अस्तित्व के खतरे को उजागर करने वाले एक अभियान से उत्पन्न हुआ था। इसमें अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई, जिसमें 96 राज्यों और 11 संगठनों ने तर्क प्रस्तुत किए।
- आईसीजे की यह राय एक स्पष्ट कानूनी आधार रेखा स्थापित करती है, जो संभावित रूप से जलवायु नीति, मुकदमेबाजी और कूटनीति को नया रूप दे सकती है, हालांकि इसका वास्तविक विश्व प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य और न्यायालय इसे किस प्रकार लागू करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

"लेक्स स्पेशलिस" एक कानूनी सिद्धांत है, जिसका अर्थ है "एक विशिष्ट कानून एक सामान्य कानून पर हावी होता है।" यह दर्शाता है कि जब दो कानून एक ही स्थिति को संबोधित करते हैं, तो अधिक विशिष्ट कानून अधिक सामान्य कानून पर वरीयता प्राप्त करता है।

वैश्विक आर्द्रभूमि परिदृश्य, 2025

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्द्रभूमि परिदृश्य जारी किया है।

परिचय

- यह आर्द्रभूमियों की स्थिति, प्रवृत्तियों, महत्त्व और नीतिगत प्रतिक्रियाओं का सबसे वर्तमान वैश्विक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। आर्द्रभूमि सम्मेलन के वैज्ञानिक और तकनीकी समीक्षा पैनल (STRP) द्वारा निर्मित।
- ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 में ग्यारह व्यापक आर्द्रभूमि प्रकारों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें शामिल हैं: समुद्री घास, समुद्री घास के जंगल, प्रवाल भित्तियाँ, मुहाना का जल, खारे दलदल, मैंग्रोव, ज्वारीय मैदान, झीलें, नदियाँ और धाराएँ, अंतर्देशीय दलदल और दलदल, और पीटलैंड (मिट्टी) आदि।

प्रमुख निष्कर्ष

- **आवरण:** अंतर्देशीय मीठे जल, तटीय और समुद्री आर्द्रभूमि प्रकार 1800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- **क्षरण की स्थिति:** 1970 से अब तक कम से कम 400 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी है, जिनमें से लगभग एक-चौथाई अभी भी क्षीण अवस्था में हैं।
  - आर्द्रभूमि क्षरण की औसत दर -0.52% प्रति वर्ष थी।
  - विकास और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे कारकों के कारण क्षरण की दर समय और क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है।
- **प्रभाव:** ये क्षतियाँ जल उपलब्धता, जैव विविधता, जलवायु स्थिरता और मानव कल्याण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
- **योगदान:** रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया की शेष आर्द्रभूमियाँ हर साल 39 ट्रिलियन डॉलर तक का लाभ पहुँचाती हैं, फिर भी संरक्षण निधि आवश्यकता से बहुत कम है।
  - वे लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, वैश्विक जल चक्र को नियंत्रित करने, जल प्रदूषकों को हटाने, स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और कार्बन का भंडारण करके विश्व की जलवायु प्रणाली को सहारा देते हैं।
  - यदि वर्ष 2050 तक शेष सभी आर्द्रभूमियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता है, तो इस अवधि में उनका शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 205.25 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगा।
- **लागत:** आर्द्रभूमियों के जीर्णोद्धार की औसत लागत 1,000 डॉलर प्रति हेक्टेयर से लेकर 70,000 डॉलर प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है।

सिफारिशें:

- इसने मौजूदा आर्द्रभूमियों के सतत् संरक्षण के लिए चार रास्ते सुझाए।
- **निर्णय लेने में प्राकृतिक पूँजी मूल्यांकन को एकीकृत करें:**
  - कई आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ सार्वजनिक वस्तुएँ हैं जिन्हें बाजार आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं।
  - यह कम मूल्यांकन क्षरण में योगदान देता है।
- **यह स्वीकार करें कि आर्द्रभूमियाँ सभी लोगों के लिए वैश्विक जल विज्ञान चक्र के महत्त्वपूर्ण घटक हैं:** हमें आर्द्रभूमियों और परस्पर जुड़ी जलवायु, जैव विविधता और जल संकटों के समाधान में उनकी भूमिका को पहचानना और उचित रूप से महत्त्व देना चाहिए।
- **प्रकृति और लोगों के लिए नवीन वित्तीय समाधानों में आर्द्रभूमियों को शामिल करें:**
  - आर्द्रभूमियों को केएम-जीबीएफ के अंतर्गत वित्तपोषण तंत्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष अरबों डॉलर जुटाना है।
  - **विभिन्न वित्तीय साधनों** - ग्रीन और ब्लू बॉन्ड, जैव विविधता ऋण, परिणाम-आधारित वित्तपोषण, और प्रकृति के लिए ऋण विनिमय - का उपयोग आर्द्रभूमि संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए किया जा सकता है।
- **प्रकृति-आधारित समाधान** (NbS) **के रूप में आर्द्रभूमि में निवेश करने के लिए वित्तपोषण के निजी और सार्वजनिक मिश्रण को अनलॉक करें:**
  - वित्तपोषण का मिश्रण आर्द्रभूमि-अनुकूल निवेशों की माँग उत्पन्न कर सकता है।
  - क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक NbS रणनीतियों को स्थापित करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन, ऐसे निवेशों को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं जो आर्द्रभूमि को वैश्विक पर्यावरणीय और वित्तीय प्रणालियों में स्थापित करते हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

- सम्मेलन के रणनीतिक लक्ष्य कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) के लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिसके अंतर्गत सभी क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों (लक्ष्य 2) के कम से कम 30% को बहाल करना और भूमि, जल और समुद्रों (लक्ष्य 3) के कम से कम 30% का संरक्षण करना है।
- आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार और संरक्षण केएम-जीबीएफ के सभी 23 लक्ष्यों में योगदान दे सकता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और स्थिर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के उद्देश्यों के लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण है, और जल-संबंधी पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए लक्ष्य 6.6 सहित कई सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करना है।
- ये लक्ष्य मीठे जल की चुनौती और आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन तथा मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए इसके लक्ष्यों में भी योगदान करते हैं।
- हमें 123 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि का पुनर्स्थापन करना होगा ताकि 30% लुप्त आर्द्रभूमि को पुन: प्राप्त किया जा सके और KM-GBF के लक्ष्य 2 को प्राप्त किया जा सके।

रामसर स्थल मानदंड

अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमियों की पहचान के लिए नौ मानदंड

प्रतिनिधि आर्द्रभूमि
एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण शामिल करता है।

जैव विविधता
जैव विविधता बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण पौधों और/या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है।

जलपक्षी समर्थन
नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करता है।

स्वदेशी मछलियाँ
स्वदेशी मछलियों की उप-प्रजातियों, प्रजातियों या कुलों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है।

गैर-पक्षी जानवर
नियमित रूप से आर्द्रभूमि-निर्भर गैर-पक्षी प्राणी प्रजाति की 1% आबादी का समर्थन करता है।

संकटग्रस्त प्रजातियाँ
असुरक्षित, लुप्तप्राय, या गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों या संकटग्रस्त समुदायों का समर्थन करता है।

जीवन की महत्त्वपूर्ण अवस्था
प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्त्वपूर्ण चरण में समर्थन करता है, या शरण प्रदान करता है।

जलपक्षी जनसंख्या
नियमित रूप से एक प्रजाति या उप-प्रजाति के जलपक्षियों की जनसंख्या के 1% व्यक्तियों का समर्थन करता है।

मछलियों का खाद्य स्रोत
मछलियों के लिए भोजन का महत्त्वपूर्ण स्रोत, प्रजनन स्थल, नर्सरी और/या प्रवास मार्ग।

- KM-GBF के लक्ष्य 3 को प्राप्त करने के लिए, हमें संरक्षित क्षेत्रों या अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECM) के अंतर्गत लगभग 428 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना होगा।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (GBF)**:**

- जैव विविधता पर सम्मेलन द्वारा 2022 में जीबीएफ को अपनाया गया था।
- इसे "प्रकृति के लिए पेरिस समझौते" के रूप में प्रचारित किया गया है।
- जीबीएफ में वर्ष 2050 के लिए 4 वैश्विक लक्ष्य और 2030 के लिए 23 लक्ष्य शामिल हैं।
- "लक्ष्य 3" को विशेष रूप से "30X30" लक्ष्य कहा जाता है।
- '30X30' लक्ष्य: 2030 तक स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों के 30% का संरक्षण करना।

आर्द्रभूमि:

रामसर कन्वेंशन के अनुसार, आर्द्रभूमि की परिभाषा इस प्रकार है-

- दलदली भूमि, फेन, पीटलैंड या जल से आच्छादित क्षेत्र - चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी - जिनमें स्थिर या प्रवाहित, मीठा, खारा अथवा लवणीय जल पाया जाता है; साथ ही ऐसे समुद्री जल क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिनकी गहराई निम्न ज्वार (low tide) के समय छह मीटर से अधिक नहीं होती।
- इसमें आर्द्रभूमि से सटे तटवर्ती और तटीय क्षेत्र, और आर्द्रभूमि के भीतर स्थित कम ज्वार के समय छह मीटर से अधिक गहरे समुद्री जल के द्वीप या निकाय भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ भी हैं जैसे- मछली और झींगा तालाब, कृषि तालाब, सिंचित कृषि भूमि, नमक के तालाब, जलाशय, बजरी के गड्ढे, सीवेज फार्म और नहरें आदि।
- रामसर कन्वेंशन ने आर्द्रभूमि प्रकार का रामसर वर्गीकरण अपनाया है जिसमें 42 प्रकार शामिल हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा गया है: समुद्री और तटीय आर्द्रभूमि, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि और मानव निर्मित आर्द्रभूमि।

रामसर कन्वेंशन:

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। इसे 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था और 1975 में लागू हुआ, जिसमें वर्तमान में 172 अनुबंधकारी पक्ष शामिल हैं।
- भारत 1982 से इस संधि का सदस्य है, और वर्तमान में इसके 91 रामसर स्थल हैं।

पर्यावरण संरक्षण नियम, 2025

पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 24 जुलाई, 2025 को अधिसूचित किया गया।

परिचय

- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत रासायनिक रूप से दूषित स्थलों की पहचान, आकलन और उपचार के लिए भारत का पहला व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- ये नियम मिट्टी, तलछट और जल में खतरनाक और विषाक्त पदार्थों से उत्पन्न जोखिमों को संबोधित करते हैं, जिसका उद्देश्य "प्रदूषक भुगतानकर्ता है" सिद्धांत को लागू करते हुए मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।

नियमों की मुख्य विशेषताएँ:

- **उद्देश्य:** खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों के डंपिंग से उत्पन्न दूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और उपचार हेतु एक समयबद्ध, कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र स्थापित करना।
  - प्रदूषकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय न्याय एवं सतत् भूमि उपयोग को बढ़ावा देना आदि।
- **दायरा:** खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में सूचीबद्ध खतरनाक पदार्थों से दूषित स्थलों पर लागू होता है।
  - कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया स्तरों के साथ 189 निर्दिष्ट संदूषकों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - केवल रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन कार्यों या तेल रिसाव से दूषित स्थलों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उनमें निर्दिष्ट सीमा से अधिक खतरनाक पदार्थ न मिले हों।
- **पहचान और मूल्यांकन:** स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन स्वतंत्र रूप से या जनता की शिकायतों के आधार पर संदिग्ध दूषित स्थलों की पहचान करते हैं और उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध करते हैं।
  - जिला प्रशासन संदिग्ध स्थलों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को प्रस्तुत करते हैं।
  - एसपीसीबी या नामित संदर्भ संगठन संदूषण की संभावना की पुष्टि करने के लिए 90 दिनों के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन करते हैं, इसके बाद साइट की स्थिति को अंतिम रूप देने के लिए अगले 90 दिनों के भीतर विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है।
- **उपचार प्रक्रिया:** एसपीसीबी, स्थल की पुष्टि के 90 दिनों के भीतर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान करते हैं।
  - एक उपचार योजना जिम्मेदार पक्ष द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाती है, या "अनाथ स्थलों" (जहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति निर्धारित नहीं है) के लिए, एसपीसीबी द्वारा पर्यावरण राहत कोष या अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का उपयोग करके उसे क्रियान्वित किया जाता है।
  - उपचार के बाद, सीपीसीबी पूर्णता की पुष्टि के लिए एक संदर्भ संगठन नियुक्त करता है, और केंद्रीय उपचार समिति रिपोर्टों की समीक्षा करती है और सिफारिशें प्रदान करती है।
- **वित्तीय तंत्र:** "प्रदूषक भुगतान करेगा (Polluter pays)" सिद्धांत के अंतर्गत सुधार (रीमेडिएशन) की लागत जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी, जिसमें जाँच, सैंपलिंग और सफाई जैसी गतिविधियों पर होने वाला व्यय शामिल होगा।
  - **अनाथ स्थलों के लिए, धनराशि साझा की जाती है:**
    - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 (केंद्र:राज्य)।
    - अन्य राज्यों के लिए 60:40।
    - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय निधि, जिसमें तत्काल सुधारात्मक और लागत वसूली के प्रावधान हैं।
  - पर्यावरण राहत कोष (सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत) और पर्यावरणीय उल्लंघनों से होने वाले जुर्माने सुधारात्मक प्रयासों में सहायता कर सकते हैं।
- **दायित्व और जवाबदेही:**
  - जिम्मेदार व्यक्ति पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही प्रदूषण नियमों के लागू होने से पहले हुआ हो या पदार्थों को पहले खतरनाक के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।
  - यदि नुकसान सिद्ध हो जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व लागू किया जाता है।
  - संदूषित स्थलों के लिए भूमि स्वामित्व या उपयोग में परिवर्तन के लिए दायित्व से बचने से बचने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **पारदर्शिता और निगरानी:**
  - सीपीसीबी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक केंद्रीय सुधार समिति कार्यान्वयन की देखरेख करती है, और राज्य-स्तरीय समितियाँ समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं।
  - एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल मूल्यांकन और सुधार पर नजर रखता है, जिसमें स्थलों की जियो-टैगिंग/जियो-फेंसिंग भी शामिल है।
  - सफाई की स्थिति का सार्वजनिक प्रकटीकरण और वार्षिक ऑडिट अनिवार्य हैं।
- **स्वैच्छिक सुधार:** व्यक्ति या संस्थाएँ गैर-निर्दिष्ट स्थलों के लिए सुधार का प्रस्ताव दे सकते हैं, बशर्ते समिति की मंजूरी और वित्तीय क्षमता का प्रमाण हो।

निष्कर्ष:

- पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 भारत में दूषित स्थलों की विरासत को संबोधित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- ये नियम संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी 3: स्वास्थ्य, एसडीजी 6: स्वच्छ जल, एसडीजी 12: उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन) के अनुरूप हैं।
- भारत ने 103 दूषित स्थलों की पहचान की है, लेकिन केवल सात में ही सुधार कार्य शुरू हुआ है, जो इन नियमों की तात्कालिकता को दर्शाता है।

NEXT IAS हिन्दी

भारत में सार्वजनिक अवसंरचना की चिंताजनक स्थिति

महिसागर नदी पुल के ढहने की घटना ने भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में संरचनात्मक कमियों को रेखांकित किया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

परिचय

- भारत का सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसा कि हाल की घटनाओं और प्रणालीगत समस्याओं से उजागर होता है, जो सुरक्षा, विश्वसनीयता और आर्थिक विकास को कमजोर करते हैं।

सार्वजनिक अवसंरचना क्या है?

- सार्वजनिक अवसंरचना से तात्पर्य उन भौतिक और संगठनात्मक प्रणालियों और सुविधाओं से है जो किसी समाज और उसकी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक हैं, जिनका वित्तपोषण, निर्माण, स्वामित्व या रखरखाव आमतौर पर सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
- ये संपत्तियाँ जनता को महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करती हैं और आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों का समर्थन करती हैं।

भारत में सार्वजनिक अवसंरचना के उदाहरण

- **परिवहन:** सड़कें और राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ, आदि।
- **उपयोगिताएँ:** जल आपूर्ति प्रणालियाँ, बिजली ग्रिड, सीवेज और जल निकासी प्रणालियाँ, आदि।
- **सामाजिक अवसंरचना:** सार्वजनिक स्कूल और विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएँ, सार्वजनिक आवास और सामुदायिक केंद्र।
- **संचार:** सार्वजनिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क, डाक और दूरसंचार प्रणालियाँ, आदि।
- **अन्य:** सार्वजनिक भवन, बाँध, पुल और सिंचाई प्रणालियाँ, आदि।

प्रमुख मुद्दे

- **बार-बार होने वाली बुनियादी ढाँचे की विफलताएँ:** 2024 और 2025 में होने वाली बड़ी घटनाएँ भारत के बुनियादी ढाँचे की कमजोरी को उजागर करती हैं:
- 2018 और 2022 के बीच, बुनियादी ढाँचे के ढहने के कारण 8,500 से ज्यादा मौतें हुईं, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ।

हाल की घटनाओं की सूची

- 9 जुलाई, 2025 को वडोदरा में महिसागर नदी पर पुल ढहने से 20 लोगों की मौत हो गई।
- **दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत ढहने की घटना (28 जून, 2024):** इसके फलस्वरूप चालक रमेश कुमार की मौत हो गई, जिससे निर्माण की खराब गुणवत्ता उजागर हुई।
- जबलपुर हवाई अड्डे की छत ढहने की घटना (27 जून, 2024): उद्घाटन के कुछ ही महीनों के भीतर हुई घटना, जिससे जल्दबाजी में क्रियान्वित की गई परियोजनाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं।
- **बिहार में पुल ढहने की घटना:** 2024 में 2 दर्जन से ज्यादा पुल ढह गए। यह अक्सर उद्घाटन से पहले हुआ, जो लापरवाही एवं निम्नस्तरीय सामग्री के प्रयोग की ओर इंगित करते हैं।
- **मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने की घटना, गुजरात (2022):** इसके फलस्वरूप 135 से ज्यादा लोगों की जान गई। यह निर्माण गुणवत्ता की बजाय लागत को प्राथमिकता देने से जुड़ा था।

NEXT IAS हिन्दी

- **प्रणालीगत समस्याएँ:**
  - **सबसे कम लागत** (L1) **अनुबंध प्रणाली:** सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुबंध देने से अक्सर गुणवत्ता से समझौता होता है।
  - **भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन:** स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, अपर्याप्त निगरानी और विशेषज्ञ सलाह की अनदेखी विफलताओं में योगदान करती है।
    - उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में सिल्क्यारा बेंड-बरकोट सुरंग जैसी परियोजनाओं में भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भू-तकनीकी आकलन की अनदेखी की गई।
  - **अपर्याप्त रखरखाव:** बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर अधिक ध्यान देने के साथ, सक्रिय रखरखाव का अभाव, दीर्घावधि में गिरावट का कारण बनता है।
  - **कौशल की कमी:** कुशल इंजीनियरों की कमी, जो बेहतर वेतन वाले देशों में प्रवास के कारण और भी बढ़ जाती है, परियोजना की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

सार्वजनिक अवसंरचना की विशेषताएँ

- **खराब योजना और क्रियान्वयन:** देरी और लागत में वृद्धि आम बात है, दिसंबर 2023 तक 431 प्रमुख परियोजनाओं को ₹4.82 लाख करोड़ की लागत का सामना करना पड़ रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- L1 बोलीदाता वह बोलीदाता होता है जो मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित निविदा, बोली प्रक्रिया या खरीद निवेदन में सबसे कम कीमत का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
- यह शब्द आमतौर पर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद में प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से भारत में, जहाँ तकनीकी रूप से स्वीकृत सबसे कम बोली (सभी पात्रता और गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने वाली) को अक्सर अनुबंध प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
- L1 बोलीदाता को आमतौर पर आगे की प्रक्रिया, जैसे रिवर्स नीलामी या बातचीत, के लिए विचार किया जाता है, लेकिन L1 होने का मतलब हमेशा अनुबंध की गारंटी नहीं होता, क्योंकि तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन भी एक भूमिका निभाते हैं।

- **पर्यावरणीय और शहरी चुनौतियाँ:**
  - **जलवायु संवेदनशीलता:** हिमालय जैसे भूगर्भीय रूप से नाजुक या जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा अक्सर अपर्याप्त जोखिम आकलन के कारण विफल हो जाता है।
  - **शहरी बुनियादी ढाँचे पर दबाव:** तेजी से बढ़ते शहरीकरण और तेजी से बढ़ती आबादी की संख्या, जल निकासी और सड़क रखरखाव की गति को पीछे छोड़ देती है, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2025 में 133 मिमी बारिश के बाद गुरुग्राम में बाढ़ जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - **सामाजिक बुनियादी ढाँचे की कमी:** अभी भी लगभग 20% ग्रामीण परिवारों के पास कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन तक पहुँच नहीं है।

सरकारी पहल और प्रगति

- **बजटीय फोकस:** 2025-26 के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढाँचे के लिए ₹11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1%) आवंटित किया गया है, जिसमें 2030 तक ₹10 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने की योजना है।
- **पीएम गति शक्ति:** एक जीआईएस-आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य एकीकृत योजना बनाना है, जिसमें 44 मंत्रालय और 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- **भारतमाला और सागरमाला:** इन कार्यक्रमों ने राजमार्गों (फरवरी 2025 तक 19,826 किमी) और बंदरगाह क्षमता (2,600 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से 2047 तक नियोजित 10,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष) का विस्तार किया है।
- **उड़ान और मेट्रो विस्तार:**
  - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत, चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई।
  - 11 राज्यों और 23 शहरों में 1,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क फैला है।
- **जल जीवन मिशन:** फरवरी 2025 तक ग्रामीण नल जल कवरेज 17% से बढ़कर 79.74% हो गया।

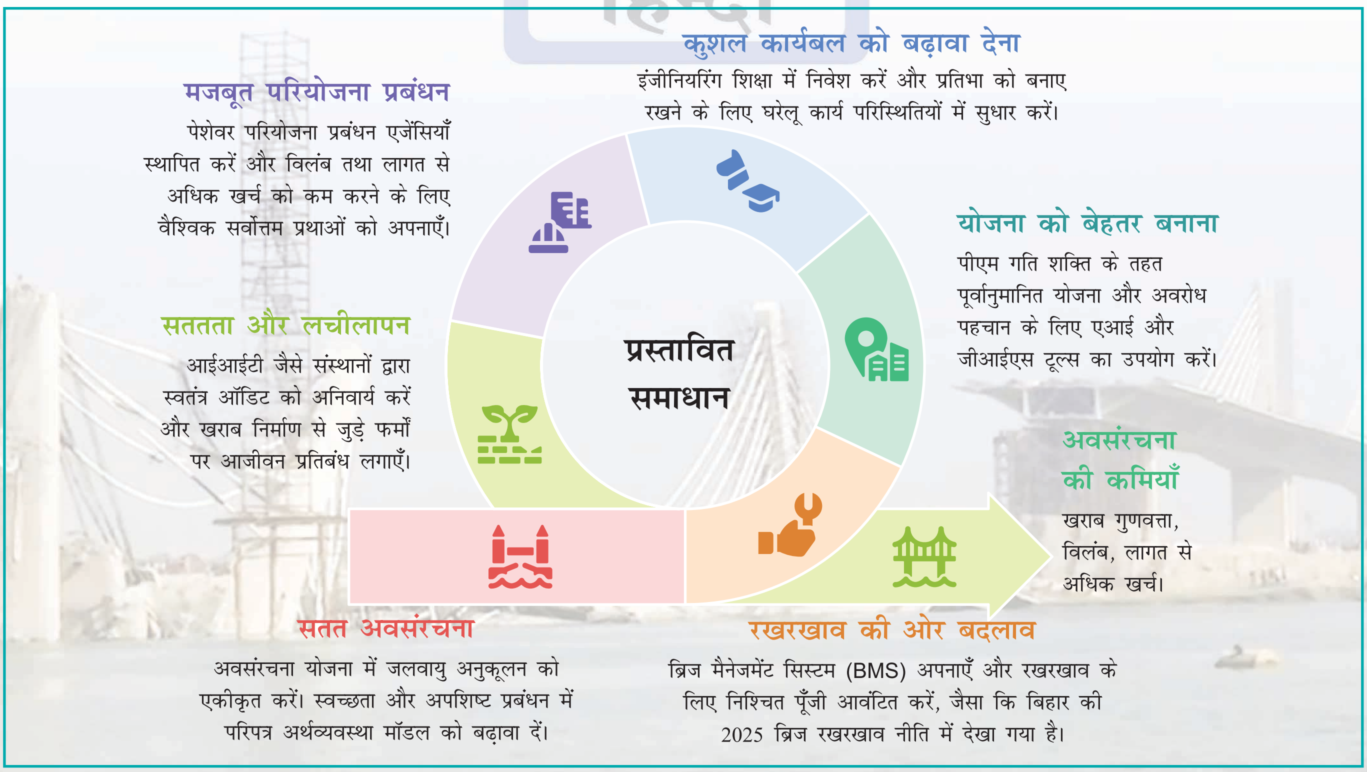

1 राजव्यवस्था एवं शासन

नागरिक पंजीकरण प्रणाली और नमूना पंजीकरण प्रणाली

संदर्भ

पिछले दो दशकों की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि जन्म पंजीकरण में बिहार देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पीछे रहा है।

परिचय

- नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS), जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के रूप में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, महत्त्वपूर्ण घटनाओं अर्थात् जन्म, मृत्यु और मृतजन्म का वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सतत् और स्थायी रूप से अभिलेखन है।
- CRS संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
- **अधिनियम:** जन्म और मृत्यु पँजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत शासित।
- **प्रशासित:** भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) का कार्यालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत।
- नागरिक पँजीकरण से उत्पन्न महत्त्वपूर्ण आँकड़े अनेक क्षेत्रों में प्रभावी और कुशल साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

नमूना पंजीकरण प्रणाली

- नागरिक पंजीकरण गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम, 1969 अधिनियमित किया गया।
- इन संकेतकों पर विश्वसनीय और सतत् आंकड़े उत्पन्न करने के उद्देश्य से, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने 1964-65 में पायलट आधार पर और 1969-70 से पूर्ण स्तर पर भारत में जन्म और मृत्यु के नमूना पंजीकरण की योजना आरंभ की। इसे लोकप्रिय रूप से नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) के रूप में जाना जाता है। तब से SRS नियमित आधार पर आंकड़े प्रदान कर रहा है।

राजनीतिक दलों को सूची से हटाना

संदर्भ

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पिछले छह वर्षों में चुनाव नहीं लड़ने वाले 345 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है।

भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण

- **संवैधानिक आधार:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) संघ बनाने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें राजनीतिक दलों का गठन भी शामिल है।
- **विधिक आधार:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों के पंजीकरण का अधिकार प्रदान किया गया है।

राजनीतिक दल पंजीकरण प्रक्रिया

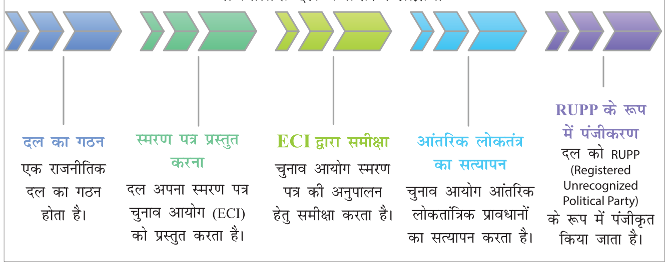

तुलना

विशेषता	पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दल (RUPPs)	मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
विधिक आधार	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत	1968 के चुनाव चिन्ह आदेश के अंतर्गत मान्यता प्राप्त
मान्यता मानदंड	केवल पंजीकरण आवश्यक; किसी विशेष प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं	लोकसभा/राज्य चुनावों में सीट जीत या मत प्रतिशत के आधार पर
चुनाव चिह्न	आम/राज्य चुनावों के लिए सामान्य चुनाव चिन्ह आवंटित	आरक्षित चुनाव चिन्ह
अभियान आरंभकर्ता	20 स्टार प्रचारकों की अनुमति	40 स्टार प्रचारकों की अनुमति (RUPPs से दोगुनी)
कर लाभ	कर छूट के लिए पात्र	कर छूट के लिए पात्र, साथ ही अतिरिक्त विशेषाधिकार
स्थिति	राज्य/राष्ट्रीय दल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं	राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त

मौजूदा ढाँचे से संबंधित समस्याएँ

- **RUPPs की तीव्र वृद्धि:** मई 2025 तक भारत में 2,800 से अधिक पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दल थे।
    - इनमें से केवल 750 ने 2024 के आम चुनाव में भाग लिया। इससे निष्क्रिय "लेटर पैड पार्टियों" की संख्या बढ़ रही है।

- **ECI की सीमित निरस्तीकरण शक्तियाँ:** सर्वोच्च न्यायालय (2002) के निर्णय के अनुसार ECI दलों को सूची से हटा सकता है, लेकिन उन्हें निरस्त नहीं कर सकता, सिवाय धोखाधड़ी, संवैधानिक निष्ठा खोने, या सरकार द्वारा अवैध घोषित किए जाने के मामलों के।
- **कर छूट का दुरुपयोग:** कई निष्क्रिय RUPPs आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर छूट का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी के लिए करते हैं तथा दाता या व्यय का विवरण उजागर करने में विफल रहते हैं।
- **दल में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव:** अधिकांश राजनीतिक दल नियमित आंतरिक चुनाव नहीं कराते या लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन नहीं करते, जिससे जवाबदेह और सहभागी शासन की भावना कमजोर होती है।

सुधार के लिए सिफारिशें

- **विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और 255वीं रिपोर्ट (2015):** इसमें सिफारिश की गई थी कि;
  - निरस्तीकरण के लिए वैधानिक मानदंड लागू किए जाएँ,
  - लगातार 10 वर्षों तक चुनाव न लड़ने पर निरस्तीकरण की अनुमति दी जाए,
  - दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र अनिवार्य किया जाए।
- निर्वाचन सुधारों के लिए अपने ज्ञापन (2016) में ECI ने भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन का सुझाव दिया था ताकि;
  - ECI को दलों के निरस्तीकरण का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया जाए,
  - पारदर्शिता मानकों का पालन न करने पर दंडित किया जाए,
  - डिफॉल्टर RUPPs को कर लाभ और सामान्य चुनाव चिन्ह से वंचित किया जाए।

राज्यसभा के लिए मनोनयन

संदर्भ

भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद् की सलाह पर चार नए व्यक्तियों को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

परिचय

- **संविधान का अनुच्छेद 80:** राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्यों में से 12 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है।
  - नाम निर्देशित सदस्यों का चयन साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के आधार पर किया जाता है।
- **उद्देश्य:** नामांकन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राज्यसभा को उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के विचारों से लाभ मिले जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन राष्ट्रीय विमर्श में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- **कार्यकाल:** नाम निर्देशित सदस्य छह वर्ष के लिए कार्य करते हैं, जो निर्वाचित सदस्यों के समान है।
- **शक्तियाँ और अधिकार:** नाम निर्देशित सदस्यों को राज्यसभा के अन्य सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, सिवाय इसके कि वे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते।

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की शुरुआत की है, जिससे "साधारण निवासी" की परिभाषा, जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण के लिए एक प्रमुख मानदंड है, पर बहस छिड़ गई है।

पृष्ठभूमि

- भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन व्यक्तियों का नाम पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार बिहार की 2003 की मतदाता सूची में सूचीबद्ध नहीं है, उन्हें अपनी जन्मतिथि और/या जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए 11 निर्दिष्ट दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा।
- इसके अतिरिक्त, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेने वालों को अपने माता-पिता का जन्म प्रमाण भी देना होगा, जो नागरिकता प्रमाण के समान है।
- दस्तावेजों की सूची में न तो आधार या पैन, और न ही पुराना मतदाता पहचान पत्र शामिल है।
- निर्वाचन आयोग को अपने अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होते हैं और वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 की धारा 21 के अंतर्गत मतदाता सूचियों का संशोधन करता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण

- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अंतर्गत अधिकृत किया गया है।
- मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची (ER) में शामिल हो और कोई भी अयोग्य मतदाता न रहे, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव हो सके।
- **बूथ स्तर अधिकारी** (BLO) **घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं ताकि:**
  - सभी योग्य नागरिकों का नामांकन किया जा सके।
  - अयोग्य नामों को हटाया जा सके (जैसे मृत व्यक्ति या जो अन्यत्र चले गए हों)। सटीकता के लिए विवरण अपडेट कर सके

साधारण निवासी का अर्थ:

- मतदान के लिए पात्रता "साधारण निवास" की अवधारणा पर निर्भर करती है, जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति पात्र होता है यदि वह:
  - निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक, नियमित उपस्थिति रखता हो।
  - केवल अस्थायी रूप से उपस्थित न हो (जैसे, छात्रावास में रहने वाले छात्र पात्र नहीं हो सकते)।
  - उस स्थान पर रहने या नियमित रूप से लौटने का इरादा रखता हो।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

- स्वतंत्रता के बाद भारत ने लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा या संपत्ति की परवाह किए बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया।
- संविधान का अनुच्छेद 326, 61वें संविधान संशोधन, 1989 के बाद, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करता है।
- **भारत में मतदान के अधिकार की स्थिति:** सर्वोच्च न्यायालय ने कुलदीप नायर बनाम भारत संघ (2006) के वाद में कहा कि 'चुनने का अधिकार' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार है, न कि एक मौलिक या संवैधानिक अधिकार।
  - अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले से तय इस स्थिति की पुन: समीक्षा करने से इंकार कर दिया।

मतदाता सूची में अशुद्धियों के निहितार्थ

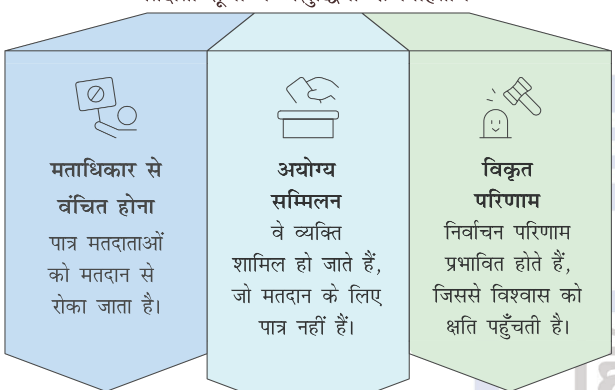

अनुपस्थित मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान

- भारत व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ लोगों के लिए वैकल्पिक मतदान व्यवस्थाएँ भी प्रदान करता है;
- 1961 के चुनाव आचरण नियमों के नियम 18 के अंतर्गत डाक मतपत्र – सशस्त्र बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों और चुनावी कर्मचारियों के लिए।
- विदेशी मतदाता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं, हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतदान करना होता है।
- विदेशी नागरिकों के लिए प्रॉक्सी या ऑनलाइन मतदान शुरू करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी लागू नहीं किए गए हैं।

भारत की क्षेत्रीय परिषदें

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री ने राँची, झारखंड में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की।

परिचय

- क्षेत्रीय परिषदें 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
- इस अधिनियम ने देश को पाँच क्षेत्रों (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद् का प्रावधान किया।
- प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमवार परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

क्षेत्रीय परिषदों की संरचना

- **उत्तर-पूर्वी परिषद्:** उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त, एक अलग संसदीय अधिनियम – उत्तर-पूर्वी परिषद् अधिनियम, 1971 – द्वारा उत्तर-पूर्वी परिषद् का गठन किया गया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।
- क्षेत्रीय परिषदें केवल विचार-विमर्श और सलाह देने वाले निकाय हैं। इनका उद्देश्य है;
  - राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
  - आर्थिक और सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन आदि जैसे विषयों पर चर्चा करना और सिफारिशें देना।
- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है।

विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)

संदर्भ

AAIB ने अहमदाबाद में हाल ही में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना, जिसमें 260 लोगों की जान गई, की जाँच पर अपनी 15 पृष्ठों की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है।

AAIB:

- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) एक वैधानिक निकाय है, जो 1934 के विमान अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है।
  - यह देश के भीतर होने वाली नागरिक उड्डयन दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जाँच के लिए जिम्मेदार है।

- **अधिदेश और उद्देश्य:**
  - 2017 के विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जाँच) नियमों के नियम 3 के अंतर्गत, AAIB का एकमात्र उद्देश्य भविष्य में दुर्घटनाओं और घटनाओं को रोकना है।
  - यह स्पष्ट रूप से दोषारोपण करने या देयता निर्धारित करने से बचता है।
- **जाँच शक्तियाँ:** AAIB को सभी संबंधित साक्ष्यों, जैसे उड़ान डेटा, मलबा और गवाहों के बयान, तक बिना किसी न्यायिक या अन्य सरकारी प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन लिए असीमित पहुँच का अधिकार प्राप्त है।

शिकागो कन्वेंशन और ICAO

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा के मामले अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय (शिकागो अभिसमय, 1944) द्वारा शासित होते हैं।
- शिकागो अभिसमय का परिशिष्ट 13 विमान दुर्घटनाओं की जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का विवरण देता है।
- इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि 'घटना का राज्य' (जहाँ दुर्घटना घटित होती है) जाँच का नेतृत्व करेगा, जबकि विमान से संबंधित राज्य (जैसे पंजीकरण का राज्य या निर्माण का राज्य) को जाँच में भाग लेने का अधिकार होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO), जो 193 सदस्य देशों (भारत सहित) वाला एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, वैश्विक वायु सुरक्षा के लिए तकनीकी मानकों की देखरेख करता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR ACT) 1955 पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट

संदर्भ

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR अधिनियम) 1955 के क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किया गया है।

2022 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- **कम रिपोर्टिंग:** मामलों की कम संख्या वास्तविक रूप से अस्पृश्यता की प्रथाओं में कमी के बजाय जागरूकता की कमी, प्रतिशोध के डर, कानून का उपयोग करने में अनिच्छा, या SCèkST अधिनियम को प्राथमिकता दर्शा सकती है।
- **उच्च लंबित मामले और कम दोषसिद्धि दर:**
  - 2022 में, PCR अधिनियम के अंतर्गत 1,242 मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे।
  - न्यायालयों में लंबित मामलों की दर 97% से अधिक बनी हुई है, जो धीमी न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाती है।
- **अप्रभावी प्रवर्तन:** बरी होने और लंबित मामलों की अत्यधिक दर जाँच, साक्ष्य संग्रह, गवाह/पीड़ित संरक्षण और न्यायिक प्रक्रियाओं में खामियों का संकेत देती है।
- **अतिव्यापी कानून:** SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधिनियमन और व्यापक कवरेज ने जाति-आधारित अपराधों के अधिकांश अभियोजन को इसके प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया है।
  - इस कारण PCR अधिनियम सीमित और कम गंभीर अपराधों तक सिमट गया है।
- **राज्य की पहल का अभाव:** कई राज्यों ने आवश्यक अवसंरचना या रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित नहीं की है, जिससे अधिनियम के उद्देश्य को क्षति पहुँची है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR अधिनियम) 1955

- संविधान का अनुच्छेद 17 (26 जनवरी 1950 से लागू) ने अस्पृश्यता को विधिक रूप से समाप्त कर दिया।
- इस संवैधानिक गारंटी को क्रियान्वित करने के लिए, 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया गया।
- 1976 में, इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम रखा गया, ताकि नागरिक अधिकारों के प्रवर्तन पर इसके फोकस को प्रतिबिंबित किया जा सके।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **'नागरिक अधिकार' की परिभाषा:** संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई भी अधिकार।
- **दंडनीय अपराध:**
  - मंदिर, कुएँ, दुकानें, रेस्तरां, सड़कें, विद्यालय आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से वंचित करना।
  - अस्पृश्यता के आधार पर वस्तुएँ बेचने या सेवाएँ प्रदान करने से इनकार करना।
  - अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति का अपमान करना।
  - निम्न प्रकार की सेवाएँ करने के लिए मजबूर करना या सामाजिक बहिष्कार करना।
  - किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक या सामाजिक प्रथा का पालन करने से रोकना।
- **अपराधों का स्वरूप:**
  - अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और अक्षम्य हैं।
  - पुनरावृत्ति करने वालों के लिए कठोर दंड (अधिकतम 2 वर्ष और जुर्माना)।
- **संस्थागत ढाँचा:**
  - क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
  - राज्य स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियाँ गठित की जानी हैं।
  - अधिनियम के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती हैं।

सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बढ़ते दुरुपयोग, विशेषकर सोशल मीडिया पर, चिंता व्यक्त की और आत्मसंयम तथा विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- **सीमाओं के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देता है, लेकिन इसका जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि इसका दुरुपयोग होता है, तो राज्य की कार्रवाई आवश्यक हो सकती है।
- **विभाजनकारी सामग्री हानिकारक है:** सोशल मीडिया पोस्ट जो एकता और अखंडता (अनुच्छेद 51A(c)) को कमजोर करती हैं, वे बन्धुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध जाती हैं।
- **अत्यधिक मामले:** अभिव्यक्ति पर बढ़ती एफआईआर न्यायालय और पुलिस पर बोझ डाल रही हैं, जिससे गंभीर मामलों से ध्यान भटक रहा है।
- **नागरिकों को स्वयं विनियमन करना चाहिए:** राज्य सेंसरशिप के बजाय, लोगों को अपने भाषण का स्वयं विनियमन करना चाहिए ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके।
- **अधिकार अन्य अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल राज्य से संरक्षण के बारे में नहीं है-यह अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकती है, विशेषकर ऑनलाइन।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
- **इसमें शामिल है:** भाषण, लेखन, मीडिया, फिल्में और सोशल मीडिया।

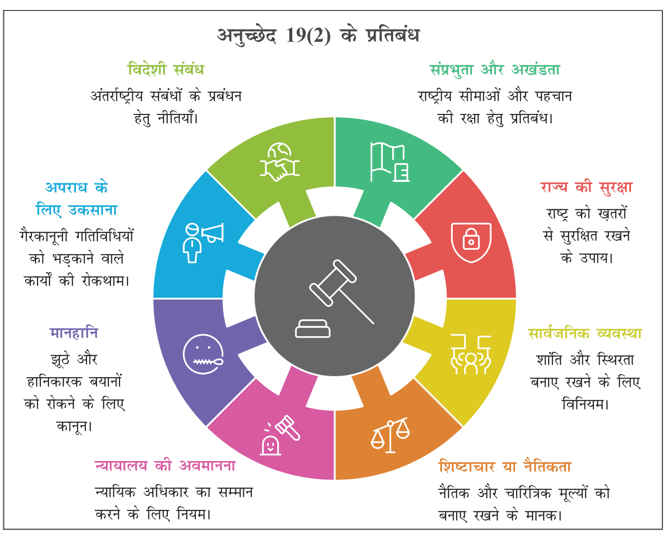

बिल ऑफ लेडिंग विधेयक, 2025

संदर्भ

बिल ऑफ लेडिंग विधेयक, 2025 संसद द्वारा पारित किया गया।

परिचय

- "लेडिंग" शब्द का अर्थ है जलपोत, विमान, ट्रेन या ट्रक पर माल (कार्गो) लादना।
- **बिल ऑफ लेडिंग का अर्थ:** बिल ऑफ लेडिंग (B/L) एक विधिक दस्तावेज है जिसे वाहक द्वारा माल को शिपमेंट के लिए प्राप्त करने की पुष्टि हेतु जारी किया जाता है। यह कार्य करता है:
  - माल की रसीद के रूप में,
  - परिवहन अनुबंध के रूप में, और
  - माल के शीर्षक के दस्तावेज के रूप में।

बिल ऑफ लेडिंग विधेयक, 2025

- **1856 के कानून को निरस्त करता है:** पुराने भारतीय बिल ऑफ लेडिंग अधिनियम, 1856 को एक आधुनिक विधिक ढाँचे से प्रतिस्थापित करता है।
- **सरल भाषा:** स्पष्ट, व्यवसाय-अनुकूल भाषा का उपयोग करता है ताकि विधिक अस्पष्टता और विवादों को कम किया जा सके।
- **अधिकारों का हस्तांतरण:** यह सुनिश्चित करता है कि माल प्राप्तकर्ता/एंडोर्सी को शिपिंग अनुबंध के अंतर्गत पूर्ण अधिकार और देनदारियाँ प्राप्त हों - अनुबंध की गोपनीयता से जुड़े मुद्दों का समाधान करता है।
- **विधिक निरंतरता:** पुराने कानून के अंतर्गत की गई पिछली कार्रवाइयों को मान्य करने के लिए प्रावधान शामिल हैं (निरसन और बचाव धारा)।
- **सरकारी शक्तियाँ:** प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
- **वैश्विक सामंजस्य:** अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मानकों के अनुरूप है, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग को अपनाने का मार्ग प्रशस्त होता है।

महत्त्व

- **समुद्री कानून का आधुनिकीकरण:** मौजूदा व्यापार और शिपिंग प्रथाओं को दर्शाने वाले कानून के साथ पुराने 1856 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है।
- **व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा:** दस्तावेजीकरण को सरल बनाता है और अधिकार स्पष्ट करता है, जिससे मुकदमों और अनुपालन के बोझ को कम करता है।
- **विधिक निश्चितता को प्रोत्साहन:** प्रेषकों, वाहकों और माल प्राप्तकर्ताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- **व्यापार डिजिटलीकरण का समर्थन:** इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग (e-BL) और पेपरलेस व्यापार के लिए विधिक आधार तैयार करता है।
- **भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है:** अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुरूप होकर वैश्विक शिपिंग विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

- **हितधारकों को सशक्त बनाना:** ग्राहकों (Consignees) और अनुमोदित व्यक्तियों (Endorsees) को अनुबंध लागू करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपूर्ति शृंखला में विश्वास मजबूत होता है।
- **नियामकीय लचीलापन सक्षम करना:** केंद्र सरकार को निर्देशों और अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रावधानों में संशोधन करने की अनुमति देता है।

पालना योजना

संदर्भ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण डे-केयर और संरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पालना योजना के अंतर्गत 14,599 आँगनवाड़ी सह-शिशुगृह (Anganwadi-cum-Crèches) को स्वीकृति दी है।

परिचय

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2022 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उम्ब्रेला मिशन शक्ति के सामर्थ्य खंड के अंतर्गत पालना योजना की शुरुआत की।
- **लक्षित लाभार्थी:** 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे और उनकी माताएँ (रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना)।

मुख्य विशेषताएँ:

- आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्ण-दिवसीय बाल देखभाल सहायता।
- पोषण, स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक विकास और वृद्धि निगरानी पर विशेष ध्यान।
- मौजूदा आंगनवाड़ी अवसंरचना के साथ एकीकरण, ताकि अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग्स

संदर्भ

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किए गए।

परिचय

- यह स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन (SBM-U) के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जिसने पिछले नौ वर्षों में शहरी भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने समुदायों को सक्रिय करने, जनमानस में सकारात्मक बदलाव लाने और निरंतर कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का कार्य किया है।
- 2016 में केवल 73 शहरी स्थानीय निकायों से शुरू होकर, इसका नवीनतम संस्करण अब 4,500 से अधिक शहरों को शामिल करता है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों का मुख्य विषय कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें (Reduce, Reuse, Recycle) है।
- कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें विभिन्न स्वच्छता मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों, छावनियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया।
- इस वर्ष, स्वच्छ सर्वेक्षण में एक सरल और समावेशी मूल्यांकन ढाँचा अपनाया गया, जिससे छोटे शहर भी "एक शहर, एक पुरस्कार" सिद्धांत के अंतर्गत बड़े शहरों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकें।

राष्ट्रीय	23	सुपर स्वच्छ लीग
	15	5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 स्वच्छ शहर
	1	स्वच्छ महाकुंभ के लिए विशेष मान्यता
	3	सफाईमित्र सुरक्षित शहर
	1	छावनी बोर्ड
	1	गंगा नगर
राज्य-स्तर	34	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उभरते स्वच्छ शहर

राष्ट्रीय-स्तरीय पुरस्कार = 78

सुपर स्वच्छ लीग शहर 2024-25

10 लाख से अधिक	3 लाख-10 लाख	50,000-3 लाख	20,000 - 50,000	20,000 से कम
इंदौर	नोएडा	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	वीटा	पंचगनी
सूरत	चंडीगढ़	तिरुपति	सासवद	पाटन
नवी मुंबई	मैसूरु	अंबिकापुर	देवलाई	पन्हाला
विजयवाड़ा	उज्जैन	लोनावाला	प्रवरा	बिश्रामपुर
	गाँधीनगर		डूंगरपुर	बूँदी
	गुंटूर			

मुख्य अपडेट्स

- इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में एक बार फिर शहरी स्वच्छता में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए सबसे स्वच्छ शहरों का दर्जा हासिल किया। नव-प्रवर्तित "सुपर स्वच्छ लीग" में, जो स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देती है, इन तीनों शहरों ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया।
- अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को नई पीढ़ी के शीर्ष स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जो भारत के अग्रणी स्वच्छ शहरों के रूप में उभरे हैं।

स्वच्छ शहर
5 जनसंख्या श्रेणियों में

	रैंक 01	रैंक 01	रैंक 01
10 लाख से अधिक	अहमदाबाद	भोपाल	लखनऊ
3 लाख-10 लाख	मीरा-भायंदर	बिलासपुर	जमशेदपुर
50,000-3 लाख	देवास	करहाड़	करनाल
20,000-50,000	पणजी	असका	कुम्हारी
20,000 से कम	बिल्हा	चिकिटी	शाहगंज

- प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर का सम्मान मिला, जबकि सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड को मजबूत स्वच्छता प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया।
- विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को सर्वश्रेष्ठ सफाईमित्र सुरक्षित शहर के रूप में सम्मानित किया गया, जिन्होंने सफाईकर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को प्राथमिकता दी।
- एक विशेष पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम को महाकुंभ, जिसमें लगभग 66 करोड़ लोगों की ऐतिहासिक उपस्थिति रही, के दौरान शहरी कचरे के सफल प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR)

संदर्भ

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) का 97वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

परिचय

- **स्वायत्त निकाय:** ICAR, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- **भूमिका:** यह भारत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन हेतु शीर्ष संस्था है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और उस समय इसे इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता था।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय NASC कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थित है।

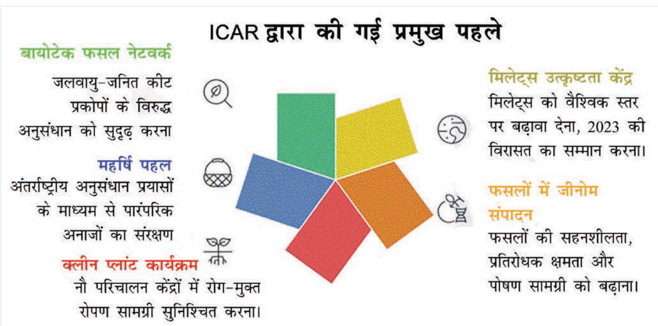

केंद्र ने अश्लील सामग्री मुद्दे पर 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक

संदर्भ

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित रूप से अश्लील और अभद्र सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।

अश्लीलता में वृद्धि के कारण

- **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का तेजी से विस्तार:** ओटीटी, सोशल मीडिया और वीडियो-शेयरिंग साइट्स के प्रसार ने आपत्तिजनक सामग्री तक आसान पहुँच और उसके प्रसार को संभव बनाया है।
- **ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पूर्व-जाँच का अभाव:** फिल्मों के विपरीत, ओटीटी सामग्री पूर्व-प्रमाणीकरण के अधीन नहीं होती, जिससे निर्माता पारंपरिक सेंसरशिप को दरकिनार कर सकते हैं।
- **सामग्री विनियमन तंत्र की कमजोरी:** स्व-नियामक ढाँचे में कमजोर प्रवर्तन के कारण अश्लील सामग्री का प्रकाशन बिना रोक-टोक जारी रहता है।
- **गोपनीयता और एन्क्रिप्शन:** उपयोगकर्ता एन्क्रिप्टेड ऐप्स और गुमनाम ब्राउजिंग टूल्स का उपयोग करके स्पष्ट सामग्री साझा और उपभोग करते हैं, जिससे वे कानूनी निगरानी से बच निकलते हैं।

भारत में अश्लीलता पर नियंत्रण हेतु विधिक व्यवस्था

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000:**
  - **धारा 67:** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन/प्रसारण पर दंड का प्रावधान।
  - **धारा 67A:** विशेष रूप से यौन स्पष्ट (Sexually Explicit) सामग्री के लिए दंडनीय।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** धारा 294 (पूर्व में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 292): अश्लील सामग्री, जिसमें डिजिटल सामग्री भी शामिल है, की बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध।
- **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:**
  - **धारा 4:** ऐसे विज्ञापनों या प्रकाशनों पर रोक जो महिलाओं का अशोभनीय चित्रण करते हैं।
- **आईटी नियम, 2021:**
  - ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आचार संहिता का पालन अनिवार्य।
  - तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान।
  - इसमें डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल (DPCGC) द्वारा निगरानी शामिल है, जो एक पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्व-नियामक संस्था है।

महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय और समितियाँ

- **जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन बनाम भारत संघ, 2018:** सर्वोच्च न्यायालय ने OTT सामग्री के कड़े नियमन की माँग वाली याचिका को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा। इसके बाद 2021 के आईटी नियमों के अंतर्गत स्व-नियमन के तंत्र बनाए गए।
- **श्याम दिवान समिति:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2021 में स्थापित इस समिति का उद्देश्य डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों, विशेषकर OTT की सामग्री के लिए आचार संहिता तैयार करना और नियमन की आवश्यकता का मूल्यांकन करना था।
  - इसने स्व-नियमन के साथ-साथ सरकारी निगरानी और डिजिटल प्रकाशकों तथा OTT प्लेटफार्मों के लिए जवाबदेही तंत्र लागू करने की सिफारिश की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँच वर्ष

संदर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो एक व्यापक शिक्षा नीति है, ने अपनाए जाने के पाँच वर्ष पूर्ण किए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएँ

- **संरचनात्मक सुधार:** 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम ढाँचे में परिवर्तन किया गया है, जिसमें 3–18 वर्ष की आयु को आधारभूत, प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरणों में विभाजित किया गया है।
- **आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता:** पढ़ने और गणना की मूलभूत दक्षता पर जोर दिया गया है। "निपुण भारत" जैसी पहलों के माध्यम से कक्षा 3 तक सभी बच्चों को इन कौशलों में दक्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मातृभाषा और बहुभाषिकता:** कम-से-कम कक्षा 5 तक (सर्वोत्तम रूप से कक्षा 8 तक) मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने को बढ़ावा दिया गया है। तीन-भाषा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है।
- **समग्र और बहुविषयक शिक्षा:** उच्च शिक्षा में बहुविकल्पीय प्रवेश/निर्गमन की सुविधा दी गई है तथा विभिन्न धाराओं में विषय चयन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।
- **व्यावसायिक और कौशल शिक्षा:** प्रारम्भिक स्तर से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप का समावेश किया गया है। 2025 तक कम-से-कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना (NDEAR), दीक्षा और प्रधानमंत्री ई-विद्या जैसे डिजिटल मंचों के माध्यम से समावेशी एवं सुलभ शिक्षा पर बल दिया गया है।
- **उच्च शिक्षा सुधार:** बहुविषयक संस्थानों के विकास, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- **सार्वभौमिक पहुँच और सकल नामांकन अनुपात** (GER) **लक्ष्य:** 2030 तक विद्यालय शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच और 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपलब्धियाँ और प्रभाव (2020-2025)

1. **विद्यालयी शिक्षा**

- **पीएम श्री स्कूल्स:** देशभर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6,400 से अधिक विद्यालयों को उन्नत कर मॉडल संस्थानों में परिवर्तित किया गया है। ये विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप शिक्षण-पद्धति और अधोसंरचना के मानक स्थापित कर रहे हैं।
- **मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता** (Foundational Literacy and Numeracy)**:** निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों की बुनियादी दक्षताओं में ठोस सुधार देखा गया है। एएसईआर 2024 के अनुसार, कक्षा 3 के 23.4% छात्र कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम पाए गए, जबकि यह आँकड़ा 2022 में केवल 16.3% था।
- **डिजिटल शिक्षण रूपांतरण:**
  - DIKSHA प्लेटफॉर्म ने 5 अरब से अधिक शिक्षण सत्र पूरे कर लिए हैं और यह बहुभाषी एवं बहु-माध्यमीय सामग्री के माध्यम से शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रमुख स्तंभ बन गया है।
  - साथ ही, पीएम ई-विद्या और स्वयं (SWAYAM) जैसे प्लेटफॉर्म ने शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाया, विशेष रूप से महामारी के दौरान।

2. **उच्च शिक्षा**

- **अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स** (ABC)**:** इस पहल ने क्रेडिट पोर्टेबिलिटी के माध्यम से शैक्षणिक लचीलापन सुनिश्चित किया है। अब तक 1,667 से अधिक संस्थान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और 32 करोड़ एबीसी आईडी (ABC IDs) जारी की जा चुकी हैं, जिससे छात्रों का विभिन्न संस्थानों के बीच निर्बाध शैक्षणिक स्थानांतरण संभव हुआ है।
- **संस्थागत विस्तार और बहुविषयकता:**
  - बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERUs) की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य उदारवादी और अनुसंधान-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है।
  - क्लस्टर कॉलेजों और स्वायत्त डिग्री प्रदाता संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया है ताकि उच्च शिक्षा में नवाचार और विविधता को बढ़ावा मिले।

3. **समानता, पहुँच और समावेशन**

- **सुधरी हुई नामांकन दर और पहुँच:** उच्च शिक्षा में सकल नामांकन (Gross Enrollment) 4.46 करोड़ तक पहुँच गया है, जो वर्ष 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में मजबूत प्रगति को दर्शाता है।
- **लक्षित पहलें:** विशेष पहलों के कारण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), मुस्लिम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 36% से लेकर 75% तक रही है।
- **वंचित समूहों के लिए सहयोग:**
  - विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों को मुख्यधारा में लाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
  - लैंगिक समावेशन और ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ किया गया।
  - लैंगिक समावेशन निधि और वजीफा योजनाओं का विस्तार किया गया, जिससे सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर समूहों की शिक्षा तक पहुँच आसान हुई।

बिहार मोबाइल ऐप से मतदान करने वाला पहला राज्य बना

संदर्भ

बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने नगर निकाय चुनावों और उपचुनावों में मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके ई-वोटिंग सुविधा शुरू की है।

परिचय

- छह नगर पंचायतों और 36 अन्य नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है।
- यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं को इस विकल्प का लाभ दिया गया है।
- मतदाताओं को E-SECBHR ऐप इंस्टॉल करना होगा, जो फिलहाल केवल एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

छेड़छाड़ रोकथाम के उपाय

- केवल दो पंजीकृत मतदाता ही एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं और प्रत्येक मतदाता का सत्यापन वोटर आईडी नंबर दर्ज करके किया जा रहा है।
- ब्लॉकचेन तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि डाले गए वोट सुरक्षित और अपरिवर्तनीय प्रणाली में दर्ज और संग्रहीत हों।
- चेहरा पहचानने और मिलान की तकनीक लॉग-इन और मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में मदद करती है।

माय भारत 2.0 प्लेटफॉर्म (MY BHARAT 2-0 PLATFORM)

संदर्भ

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (MYAS) ने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि माय भारत 2.0 प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सके।

परिचय

- यह एक गतिशील प्रौद्योगिकी मंच है, जो भारत के युवाओं को एक संरचित और सार्थक तरीके से जोड़ने और संगठित करने के लिए संस्थागत ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
- यह युवाओं को डिजिटल प्रोफाइल बनाने, स्वयंसेवा और शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने, मार्गदर्शकों और साथियों से जुड़ने तथा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की सुविधा प्रदान कर सार्थक युवा भागीदारी और नागरिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है।
- इसे वर्ष 2023 में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था और वर्तमान में 1.76 करोड़ से अधिक युवा तथा 1.19 लाख से अधिक संगठन एमवाई भारत मंच से जुड़े हुए हैं।
- एमवाई भारत 2.0 मंच एक उन्नत राष्ट्रीय युवा मंच है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और आपस में जोड़ना है।
- इसे माड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा, ताकि इसे बड़े स्तर पर उपयोग किया जा सके। इसमें स्मार्ट सीवी बिल्डर, व्यक्तिगत डिजिटल प्रोफाइल, एआई चौटबॉट्स, स्पीच-टू-टेक्स्ट, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन जैसे एआई-संचालित नए फीचर्स शामिल होंगे और वॉइस नेविगेशन के माध्यम से बेहतर सुगमता भी उपलब्ध होगी।

प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र

संदर्भ

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में 75वें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDK) का उद्घाटन किया जाएगा।

परिचय

- पीएमडीके एक अनोखी पहल है जिसका उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के लिए एक ही स्थान पर समेकित सेवाएँ उपलब्ध कराना है, जिनमें आकलन, मूल्यांकन, परामर्श, वितरण और वितरण उपरांत देखभाल शामिल हैं।
- इस केंद्र के उद्घाटन के साथ ही देशभर में संचालित प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों (पीएमडीके) की कुल संख्या 75 हो जाएगी।

प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र

यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य व्यापक पुनर्वास और सहायक सेवाएँ प्रदान करना है। यह सेवाएँ निम्नलिखित समूहों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं:

दिव्यांगजन (Persons with Disabilities – PwDs)

- वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें गतिशीलता या संवेदी सहायता की आवश्यकता होती है ये केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं तथा इनका क्रियान्वयन एएलआईएमसीओ, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, द्वारा किया जाता है।
- **लक्ष्य समूह:**
  - **दिव्यांगजन:** वे व्यक्ति जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पहचान की गई है।
  - **वरिष्ठ नागरिक:** विशेष रूप से वे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से आते हैं।

संचार मित्र योजना

संदर्भ

दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपनी 'संचार मित्र योजना' का विस्तार पूरे भारत में कर दिया है।

परिचय

- **उद्देश्य:** छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, जिम्मेदार मोबाइल उपयोग, तथा विद्युतचुंबकीय क्षेत्र (EMF) विकिरण जागरूकता को बढ़ावा देना।
- **स्वयंसेवक सहभागिता:** स्वयंसेवकों को संचार मित्र नाम दिया गया है।
- **लक्षित छात्र:** दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा से जुड़े विद्यार्थी।
- **नामांकन:** स्थानीय दूरसंचार विभाग (DoT) कार्यालयों के माध्यम से।

प्रशिक्षण और अनुभव:

- राष्ट्रीय संचार अकादमी-टेक्नोलॉजी और DoT की मीडिया विंग द्वारा प्रशिक्षण।
- **प्रमुख क्षेत्र:** 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा।
- **प्रोत्साहन:** श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट कार्य तथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस और आईटीयू कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजनों में प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो सकता है।

फेसऑथ (FaceAuth)

संदर्भ

हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण (FaceAuth) की शुरुआत की है।

परिचय

- फेसऑथ (FaceAuth) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण के लिए शुरू किया गया है।
- अब तक प्रमाणीकरण या तो ओटीपी-आधारित विधि से या बायोमेट्रिक तरीकों से किया जाता था। लेकिन यूआईडीएआई स्तर पर एसएमएस वितरण विफलता और बायोमेट्रिक असंगतियों जैसी बार-बार आने वाली समस्याओं के कारण लाभार्थियों को असुविधा हो रही थी।
- इस नई सुविधा में उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के मालिक के स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किए गए ऐप के माध्यम से मोबाइल कैमरे का उपयोग किया जाता है, जिससे लाभार्थियों का प्रत्यक्ष चेहरे से प्रमाणीकरण संभव हो पाता है।
- **महत्त्व:** इस नई प्रणाली से प्रमाणीकरण की सफलता दर में सुधार होगा और सत्यापन समय में कमी आएगी, जिससे राशन वितरण प्रक्रिया और तेज व अधिक कुशल हो जाएगी।

ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग

संदर्भ

भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है।

परिचय

- सतत विकास रिपोर्ट (SDR) वर्ष 2015 में कुल 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को अपनाए जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष हुई प्रगति की समीक्षा करती है। इस संस्करण में पहली बार उन देशों का मूल्यांकन भी शामिल है जिन्होंने एक हेडलाइन एसडीजी सूचकांक (SDGI) का उपयोग करके एसडीजी पर सबसे अधिक प्रगति की है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) के माध्यम से वैश्विक प्रतिबद्धता:** एजेंडा 2030 को अपनाने के बाद से संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 190 ने VNR प्रक्रिया में भाग लिया है।
- **एसडीजी प्रगति में क्षेत्रीय रुझान:** पूर्व और दक्षिण एशिया 2015 के बाद से सबसे तेजी से प्रगति करने वाला क्षेत्र है।
- **सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष तीन स्थानों पर हैं। शीर्ष 20 प्रदर्शनकर्ताओं में से 19 यूरोपीय देश हैं।
    - जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता लक्ष्यों के मामले में शीर्ष देशों के लिए भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- भारत की यदि बात करें तो 167 देशों में 99वें स्थान पर है। इससे भारत को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 67 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 2024 में इसके 109वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार है। **सतत विकास लक्ष्यों** (SDG) **को अपनाने के बाद से, भारत ने अपनी स्थिति में लगातार सुधार किया है:** वर्ष 2023 में यह 112वें, 2022 में 121वें और 2021 में 120वें स्थान पर रहा।
- भारत के पड़ोसी देशों में, चीन 49वें (74.4), भूटान 74वें (70.5), नेपाल 85वें (68.6), बांग्लादेश 114वें (63.9) और पाकिस्तान 140वें (57) स्थान पर है। **समुद्री पड़ोसी मालदीव और श्रीलंका क्रमश:** 53वें और 93वें स्थान पर हैं।
- **वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (SDG) की प्रगति पटरी से उतरी हुई है:** वर्तमान में 2030 तक वैश्विक स्तर पर 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में से कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है।
    - विश्व भर में केवल 17% सतत विकास लक्ष्य लक्ष्य ही पटरी पर हैं।
    - **प्रमुख बाधाएँ:** संघर्ष, संरचनात्मक कमजोरियाँ, सीमित वित्तीय गुंजाइश आदि।
- **उल्लेखनीय प्रगति निम्नलिखित क्षेत्रों में देखी गई:** एसडीजी 3 (स्वास्थ्य): 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर, एसडीजी-7: बिजली तक पहुँच, एसडीजी 9: मोबाइल ब्रॉडबैंड का उपयोग और इंटरनेट तक पहुँच।
- **इसने वर्ष 2015 से महत्त्वपूर्ण प्रतिगमन के पाँच क्षेत्रों की पहचान की:** मोटापे की दर (एसडीजी 2), प्रेस स्वतंत्रता (एसडीजी 16), सतत नाइट्रोजन प्रबंधन (एसडीजी 2), जैव विविधता हानि को मापने वाला रेड लिस्ट सूचकांक (एसडीजी 15), और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (एसडीजी 16)।
- **संयुक्त राष्ट्र-आधारित बहुपक्षवाद सूचकांक (यूएन-एमआई):** बारबाडोस पहले स्थान पर है - संयुक्त राष्ट्र-आधारित बहुपक्षवाद के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध। पेरिस जलवायु समझौते (2025) से हटने, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने और एसडीजी और एजेंडा 2030 के औपचारिक विरोध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम स्थान पर है।
- **विकासशील देशों में राजकोषीय बाधाएँ:** वैश्विक जनसंख्या का लगभग 50% ऐसे देशों में रहता है जहाँ सतत विकास में निवेश करने की राजकोषीय क्षमता का अभाव है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ (जैसे जलवायु संरक्षण, वैश्विक स्वास्थ्य, शांति) अपर्याप्त वित्तपोषित हैं।

सिफारिश

- वैश्विक वित्तीय ढाँचे (GFA) में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान जीएफए आसान पूँजी पहुँच वाले धनी देशों को प्राथमिकता देता है।
- वैश्विक वित्तपोषण को बढ़ावा देने और उसे सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और सार्वजनिक वस्तुओं के अनुरूप बनाने के लिए व्यावहारिक सुधारों का प्रस्ताव करता है।

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका यूनेस्को से बाहर होगा

संदर्भ

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शिक्षा एजेंसी यूनेस्को से बाहर होने का फैसला किया है।

बाहर होने के पीछे के कारण

- **इजराइल विरोधी पक्षपात का आरोप:** अमेरिका ने यूनेस्को पर इजराइल के विरुद्ध लगातार संस्थागत पक्षपात करने का आरोप लगाया, खासकर पश्चिम एशिया से संबंधित इसके प्रस्तावों और निर्णयों में।
- **अमेरिकी विदेश नीति से असंगति:** अमेरिका का कहना है कि यूनेस्को की कई पहल और स्थितियाँ उसकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति, विशेषकर वैश्विक सांस्कृतिक और शैक्षिक प्राथमिकताओं, से मेल नहीं खातीं।
- **संरचनात्मक सुधारों पर चिंता:** अमेरिका ने यूनेस्को के भीतर व्यापक आंतरिक सुधारों की आवश्यकता को लेकर लंबे समय से चिंता जताई है, ताकि दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके।

अमेरिका के यूनेस्को से बाहर होने के प्रभाव

- **वित्तीय और संरचनात्मक:** अमेरिका एक महत्त्वपूर्ण वित्त प्रदाता है और उसके बाहर होने से यूनेस्को के बजट पर असर पड़ता है, जिससे शिक्षा, संस्कृति और विरासत संरक्षण के कार्यक्रमों की निरंतरता खतरे में पड़ जाती है।
- **वैश्विक विरासत और विज्ञान:** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की देखरेख करता है, जिनमें अमेरिका के 26 स्थल (स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ग्रैंड कैन्यन आदि) शामिल हैं। अमेरिकी स्थलों को संरक्षण के लिए मिलने वाली धनराशि खोने का खतरा है और नए स्थलों के शामिल होने के अवसर भी छिन सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक और कूटनीतिक:** अमेरिका की अनुपस्थिति अन्य शक्तियों (विशेष रूप से चीन) के लिए वैश्विक मानकों और प्राथमिकताओं को तय करने में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर पैदा करती है। इसे बहुपक्षवाद से पीछे हटने के रूप में देखा जाता है, जिससे अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को कम प्राथमिकता देने का प्रोत्साहन मिल सकता है।

यूनेस्को

- **स्थापना:** द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् 1945 में स्थापित, इसका संविधान 1946 में प्रभावी हुआ।
- **उद्देश्य:** शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में सहयोग के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना।
- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस।
- **सदस्य:** 194 सदस्य देश और 12 सहयोगी सदस्य (जुलाई 2025 तक, अमेरिका ने जुलाई 2023 में पुन: सदस्यता ली)।
- **शासी निकाय:** महासम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड।
- **यूनेस्को की महत्त्वपूर्ण रिपोर्टें:** वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट
  - **यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट:** 2030 की ओर
  - वैश्विक महासागर विज्ञान रिपोर्ट
- **मुख्य कार्यक्रम और पहल:** मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) प्रोग्राम (1971), इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम (IHP), ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन (1972), यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) आदि

समुद्री पोत पर्यवेक्षक मिशन

संदर्भ

भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने पहली बार 'क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन' शुरू किया है।

परिचय

- समुद्र में पर्यवेक्षक सहभागिता भारतीय तटरक्षक, जापान तटरक्षक, संयुक्त राज्य तटरक्षक और ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल के बीच अपनी तरह की पहली पहल है। यह वर्ष 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनाए गए विलमिंगटन घोषणा पर आधारित है।
- यह मिशन एक मुक्त, खुला, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक को मजबूत करने के लिए क्वाड के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है।
- भारत की भागीदारी इसके रणनीतिक सागर सिद्धांत (Security and Growth for All in the Region) को रेखांकित करती है और इसके व्यापक इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) का समर्थन करती है।

भारत-दक्षिण अफ्रीका समुद्री साझेदारी

संदर्भ

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जोहांसबर्ग में हुई 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के दौरान पनडुब्बी सहयोग पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्त्व

- **ब्लू-वाटर सहयोग:** भारत के ब्लू-वाटर नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करने के लक्ष्य के लिए, दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग हिंद और अटलांटिक महासागरों में इसकी पहुँच को बढ़ाता है।

- **पनडुब्बियों से परे साझा सुरक्षा:** ये समझौते न केवल बचाव को, बल्कि प्रशिक्षण, निगरानी और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) को भी मजबूत करते हैं-जो समुद्री डकैती, तस्करी और सामरिक प्रतिद्वंद्विता जैसी चुनौतियों से निपटने की कुंजी है।
- **रक्षा औद्योगिक विकास:** रक्षा सचिव द्वारा रेखांकित भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता दक्षिण अफ्रीका की नौसैनिक आधुनिकीकरण महत्त्वाकांक्षाओं के साथ अच्छी तरह मेल खाती है।
- **क्षेत्रीय और ऐतिहासिक महत्त्व:** साझा औपनिवेशिक-विरोधी इतिहास में निहित यह साझेदारी राजनयिक अभिसरण को गहन रक्षा एकीकरण तक विस्तारित करती है।

भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध

- **आपसी संबंधों का इतिहास:** भारत और दक्षिण अफ्रीका औपनिवेशिकवाद और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में निहित ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। भारत 1946 में रंगभेद शासन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने वाला पहला देश था और उसने संयुक्त राष्ट्र एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) में प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व किया।
- **कूटनीतिक संबंध:** औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1993 में बहाल हुए।
  - 1997 की लाल किला घोषणा ने एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की।
  - 2023 ने नवीनीकृत कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने को चिह्नित किया।
- **रक्षा और समुद्री सहयोग:** रक्षा सहयोग का आरंभ 1996 में हुआ।
  - भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए जाते हैं, जैसे IBSAMAR (इंडिया-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका मेरिटाइम) और मिलन (MILAN)।
  - दक्षिण अफ्रीका भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद में भी भाग लेता है और उसने भारत के आईएफसी-आईओआर (IFC-IOR) में संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।
- **राजनीतिक सहभागिता:**
  - भारत और दक्षिण अफ्रीका नियमित रूप से ब्रिक्स, जी20 और इब्सा मंचों पर उच्च-स्तरीय बैठकें करते हैं।
  - राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे।
- **व्यापार और निवेश:**
  - द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 19.25 अरब डॉलर तक पहुँच गया।
  - भारत, वाहनों, औषधि उत्पादों, चावल और रसायनों का निर्यात करता है।
  - भारत, दक्षिण अफ्रीका से सोना, कोयला, तांबे का अयस्क, फॉस्फोरिक अम्ल और मैंगनीज आयात करता है।
  - भारत, दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।
- **कौशल और शिक्षा सहयोग:** कला-शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने के लिए गाँधी-मंडेला विशेषकरण केंद्र 2021 में प्रिटोरिया में स्थापित किया गया।
  - भारत, दक्षिण अफ्रीकी पेशेवरों के लिए आईटीईसी (ITEC) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।
  - **भारतीय प्रवासी:** दक्षिण अफ्रीका में 17 लाख भारतीय मूल की जनसंख्या निवास करती है।

कोलंबिया और उज्बेकिस्तान NDB में शामिल हुए

संदर्भ

कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के सदस्य बन गए हैं, जिससे इस बहुपक्षीय ऋणदाता के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों के एक कार्यक्रम में कहा कि विश्वभर में फैले तीन करोड़ पचपन लाख भारतीय प्रवासी भारत का "गौरव" हैं।

परिचय

- प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि त्रिनिदाद और टोबैगो के छठी पीढ़ी के भारतीय मूल के नागरिकों को जल्द ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- यह घोषणा कैरेबियाई देश के लिए भारत की पहली ऐसी पहल है, जो 2025 में गिरमिटियों के आगमन की 180वीं वर्षगाँठ मना रहा है।
- त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश भी बन गया है जिसने भारत की यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) प्रणाली को अपनाया है, जो दोनों पक्षों के बीच वित्तीय लेन-देन में मदद करेगी।

गिरमिटिया समुदाय

- "गिरमिटिया" वे भारतीय मजदूर थे जो 19वीं शताब्दी के मध्य से उत्तरार्ध के दौरान भारत से ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने हेतु गए थे, और जिनमें से अनेक अंततः वहीं बस गए।
- "गिरमिट" शब्द "एग्रीमेंट" का गलत उच्चारण है, जो उस अनुबंध को संदर्भित करता है, जिसके अंतर्गत वे प्रवासित हुए।
- इन मजदूरों को मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका आदि उपनिवेशों में ले जाया गया था।
- उनका **बिहार** और **पूर्वी उत्तर प्रदेश** से गहरा संबंध है और वे भोजपुरी-भाषी सांस्कृतिक विरासत रखते हैं।

भारतीय प्रवासी

- प्रवासी समुदाय में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो या तो अपनी जड़ें भारत से जोड़ सकते हैं या फिर भारतीय नागरिक हैं जो विदेश में अस्थायी या स्थायी रूप से रह रहे हैं।
- भारतीय विदेश मंत्रालय [2024] के अनुसार, वैश्विक भारतीय प्रवासी जनसंख्या लगभग 3.542 करोड़ है, जिसमें 1.585 करोड़ अप्रवासी भारतीय (NRI) और 1.957 करोड़ भारतीय मूल के लोग (PIO) शामिल हैं।
- **भारतीय प्रवासी जिन शीर्ष 5 देशों में रहते हैं:** संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): 54 लाख, संयुक्त अरब अमीरात (UAE): 36 लाख, मलेशिया: 29 लाख, कनाडा: 28 लाख, सऊदी अरब: 24 लाख
- संयुक्त राष्ट्र के विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का स्रोत है, जिनकी संख्या लगभग 1.8 करोड़ तक पहुँच गई है।

प्रवासी समुदाय का महत्त्व

- **रेमिटेंस (प्रेषण राशि):** 2024 में भारत को 129.1 अरब अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो वैश्विक रेमिटेंस प्रवाह का 14.3% है। इसने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और ग्रामीण आय को मजबूत किया।
- **निवेश और व्यापार:** एनआरआई और पीआईओ रियल एस्टेट, स्टार्टअप और बुनियादी ढाँचे में निवेश करते हैं और भारत एवं अपने मेजबान देशों के बीच महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सेतु का कार्य करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** भारतीय मूल के पेशेवर, विशेषकर सिलिकॉन वैली जैसे केंद्रों से, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और परामर्श में सहयोग करते हैं।
- **सांस्कृतिक राजदूत:** प्रवासी भारतीय भारतीय भाषाओं, योग, व्यंजन, सिनेमा और त्योहारों का प्रचार करते हैं, जिससे भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति वैश्विक स्तर पर बढ़ती है।
- **नीति समर्थन:** प्रवासी समुदाय अपने मेजबान देशों में विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और भारत-हितैषी निर्णयों के लिए लॉबिंग करते हैं।
- **जन कूटनीति:** द्विपक्षीय तनाव या मीडिया संकट के समय प्रवासी नेटवर्क भारत की मदद करते हैं और अनौपचारिक कूटनीतिक चैनलों के रूप में कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री की घाना यात्रा

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पाँच देशों की यात्रा पर हैं, दो दिवसीय राजकीय दौरे पर घाना पहुँचे।

भारत-घाना संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - भारत और घाना के बीच गहरे संबंध औपनिवेशिक-विरोधी एकजुटता और वैश्विक दक्षिण में सहयोग पर आधारित हैं।
  - भारत ने वर्ष 1953 में अक्रा में अपना कार्यालय स्थापित किया, जो घाना की वर्ष 1957 में हुई स्वतंत्रता से चार वर्ष पहले था। दोनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं।
- **भू-रणनीतिक:**
  - **पश्चिम अफ्रीका का द्वार:** घाना को पश्चिम अफ्रीका का राजनीतिक और आर्थिक प्रवेशद्वार माना जाता है, और इसकी लोकतांत्रिक स्थिरता इसे भारत की अफ्रीका सहभागिता रणनीति के लिए एक आदर्श साझेदार बनाती है।
  - इसका भौगोलिक स्थान और क्षेत्रीय प्रभाव भारत को इकोवास (पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय) के साथ अपनी सहभागिता को गहरा करने में सक्षम बनाता है।
- **भू-आर्थिक:**
  - भारत, घाना के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शामिल है तथा वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  - भारत के घाना से होने वाले आयात का 70% से अधिक हिस्सा सोना है, जबकि भारतीय औषधियाँ घाना के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारत, घाना के शीर्ष निवेशकों में है, जिसने कृषि-प्रसंस्करण, खनन और आईसीटी जैसे क्षेत्रों में 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
  - वर्ष 2024 में, परियोजनाओं की संख्या के मामले में भारत दूसरे और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मूल्य के मामले में 8वें स्थान पर रहा।
  - भारत ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण और अनुदान सहायता प्रदान की है, जिससे कोफी अन्नान आईसीटी केंद्र, कोमेंडा शुगर प्लांट और **तेमा-म्पकादन** रेलवे लाइन (2024) जैसी परियोजनाओं को समर्थन मिला है।
- **क्षमता निर्माण और डिजिटल सहयोग:** ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती नेटवर्क के अंतर्गत 1,600 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं, और घाना टेलीमेडिसिन एवं टेली-शिक्षा के लिए पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क से लाभान्वित हो रहा है।
- **सांस्कृतिक और मानवीय संबंध:**
  - एक सांस्कृतिक समझौता (1981) नियमित सांस्कृतिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है।

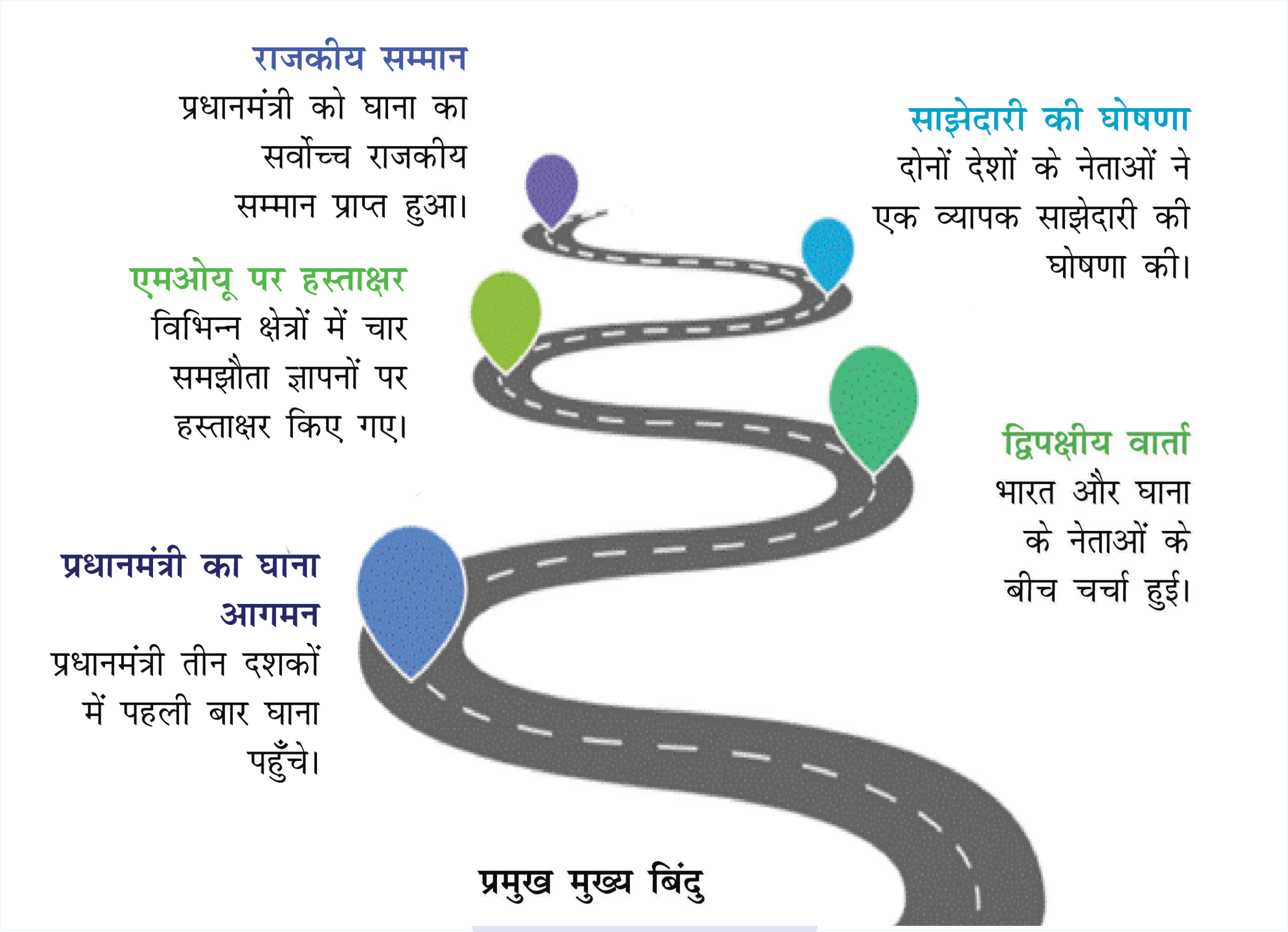

- भारत ने कोविड-19 वैक्सीन सहायता 50,000 डोज अनुदान के रूप में और 16 लाख डोज कोवैक्स (COVAX) के माध्यम से भी प्रदान की।

- **भारतीय प्रवासी:** घाना में 15,000 लोगों का भारतीय समुदाय निवास करता है, जिनमें से कुछ पिछले 70 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और व्यापार, व्यवसाय तथा सामाजिक क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं।

चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन:** घाना मुख्यत: कच्चा माल निर्यात करता है, जबकि भारत तैयार माल निर्यात करता है, जिससे व्यापार में असमानता पैदा होती है।
- **कमजोर संपर्क व्यवस्था:** प्रत्यक्ष हवाई और समुद्री मार्गों की कमी से व्यापार और पर्यटन की वृद्धि सीमित होती है।
- **कम जागरूकता:** भारतीय निवेशकों को घाना के उभरते क्षेत्रों और आर्थिक संभावनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।
- **नियामकीय बाधाएँ:** घाना में जटिल अनुमतियाँ और नीतिगत देरी व्यापार करने में आसानी को प्रभावित करती हैं।
- **सुरक्षा चिंताएँ:** घाना के कुछ क्षेत्रों में अपराध और अस्थिरता निवेश और प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति को हतोत्साहित करती है।
- **कमजोर परियोजना क्रियान्वयन:** स्थानीय प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण भारतीय विकास सहायता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

आगे की राह

- **व्यापार में विविधता:** घाना को अधिक मूल्यवर्धित वस्तुओं का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि व्यापार संतुलित हो सके।
- **संपर्क व्यवस्था में सुधार:** दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों और बेहतर शिपिंग संपर्क को बढ़ावा दें।
- **निवेश जागरूकता को प्रोत्साहन:** भारत-घाना व्यापार शिखर सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन करें।
- **नियामकीय बाधाओं में कमी:** घाना को अनुमोदन और कराधान प्रणाली को सरल बनाने में सहयोग दें।
- **सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा:** व्यवसायों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक सहभागिता को मजबूत करें।
- **परियोजना निगरानी को सुदृढ़ करें:** सहायता परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संयुक्त कार्यान्वयन निकाय स्थापित करें।

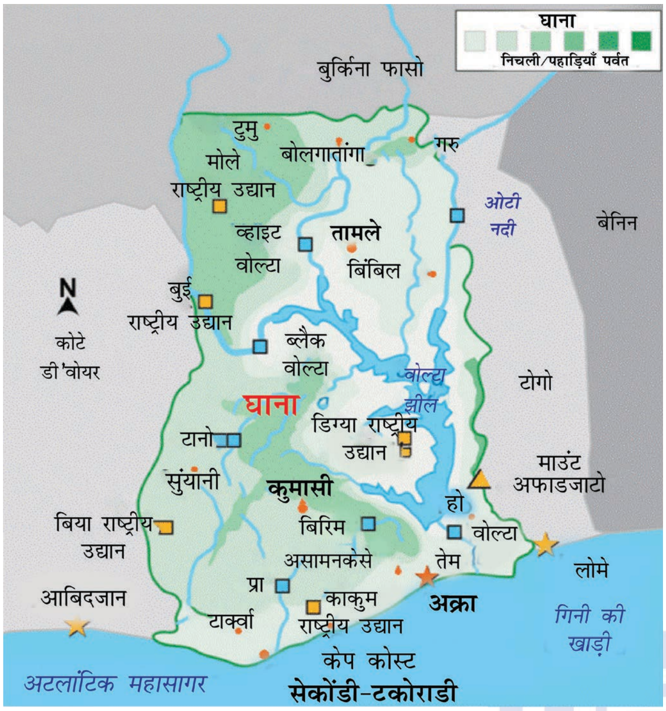

AUKUS के अंतर्गत जिलॉन्ग संधि

संदर्भ

ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के जीलॉन्ग शहर में द्विपक्षीय परमाणु-संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि (जीलॉन्ग संधि) पर हस्ताक्षर किए, जिससे AUKUS रक्षा समझौते के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

परिचय

- जीलॉन्ग संधि एक ऐतिहासिक समझौता है, जो ऑकस के स्तंभ-I के अंतर्गत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को 50 वर्षों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए प्रतिबद्ध करता है।
- यह संधि उनके एसएसएन-ऑकस पनडुब्बियों के डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और निस्तारण पर व्यापक सहयोग को सक्षम बनाएगी।
- संधि पर हस्ताक्षर उस समय हुए जब संयुक्त राज्य अमेरिका ऑकस गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में था।
- अमेरिका ने त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की समीक्षा की घोषणा की है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह समझौता "अमेरिका फर्स्ट" एजेंडा के अनुरूप है या नहीं।

AUKUS के गठन के पीछे कारण:

- **चीन का बढ़ता आक्रामक रुख:** चीन के क्षेत्रीय दावों और सैन्य विस्तार के कारण इंडो-पैसिफिक में बढ़ता तनाव।
- **साझा सुरक्षा चिंताएँ:** सदस्य देश क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग:** उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों, जिसमें परमाणु-संचालित पनडुब्बियाँ और एआई क्षमताएँ शामिल हैं, पर ध्यान केंद्रित।
- **मजबूत रणनीतिक गठबंधन:** ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधों को गहरा करता है।
- **क्षेत्रीय परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया:** करीबी साझेदारियों और प्रतिरोधक रणनीतियों के माध्यम से चीन के प्रभाव को संतुलित करने के प्रयासों को दर्शाता है।

3 अर्थव्यवस्था

भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 736 अरब डॉलर हुआ

संदर्भ

मार्च 2025 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया, जो देश के कुल घरेलू उत्पाद (GDP) का 19.1% है। एक वर्ष पहले यह विदेशी ऋण 668.8 अरब डॉलर था, जो GDP का 18.5% था।

विदेशी ऋण क्या होता है?

- विदेशी ऋण किसी देश के उस ऋण का हिस्सा होता है, जिसे विदेशी ऋणदाताओं से लिया जाता है।
  - इसमें संप्रभु सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान तथा निजी वाणिज्यिक संस्थाएँ शामिल होती हैं।
- **इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है:**
  - **दीर्घकालिक ऋण** (Long-term debt): जिसकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक होती है।
  - **अल्पकालिक ऋण** (Short-term debt): जिसकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है।

'वन बिग ब्यूटीफुल बिल': विदेशी धन प्रेषण कर

संदर्भ

अमेरिकी कांग्रेस ने 3 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप का "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" पास किया। इस कानून के अंतर्गत नकद, मनी ऑर्डर या कैशियर चेक के माध्यम से किए गए रेमिटेंस (विदेशी धन प्रेषण) पर 1% कर लगाया गया है।

परिचय

- रेमिटेंस टैक्स दर प्रारंभ में 5% निर्धारित की गई थी, लेकिन बिल के अंतिम संस्करण में इसे घटाकर 1% कर दिया गया।
- यह टैक्स अमेरिकी नागरिक नहीं होने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण (remittance) पर लागू होगा, जिनमें ग्रीन कार्ड धारक और अस्थायी वीजा पर काम करने वाले लोग जैसे H-1B या H-2A वीजा धारक शामिल हैं।
  - यह प्रस्तावित टैक्स अमेरिकी नागरिकों पर लागू नहीं होगा।
- बिल में उन रेमिटेंस को छूट दी गई है जो किसी वित्तीय संस्थान में या उसके द्वारा संचालित खाते से किए गए हों, या संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए हों।

भारत पर प्रभाव

- भारत विदेशी प्रेषणों का विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय प्रवासी समुदाय ने 135.46 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड प्रेषण किया।
- RBI के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका भारत को रेमिटेंस भेजने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2023-24 में अमेरिका से भारत को कुल रेमिटेंस का 27.7% यानी लगभग 32.9 अरब डॉलर प्राप्त हुआ।
- केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों परिवारों की आय शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए रेमिटेंस पर निर्भर करती है।
- विदेशी रेमिटेंस पर टैक्स लगाए जाने से भारत में आने वाले कुल रेमिटेंस में कमी आ सकती थी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और साथ ही चालू खाता संतुलन (Current Account Balance) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक टूल (Financial Fraud Risk Indicator tool) को अपनाने की सलाह दी है।

परिचय

- यह टूल मई 2025 में दूरसंचार विभाग (DoT) की इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह एक जोखिम आधारित मापदंड (risk-based metric) है, जो किसी मोबाइल नंबर को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत करता है।
  - यह वर्गीकरण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होता है, जैसे भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर की गई शिकायतें, क्वज का चक्षु प्लेटफॉर्म, और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से साझा की गई इंटेलिजेंस।
- यह टूल बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और UPI सेवा प्रदाताओं को उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों के विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता देने में मदद करता है जैसे कि संदिग्ध लेनदेन को रोकना और सतर्कता अलर्ट जारी करना।

- PhonePe और ICICI बैंक जैसी प्रमुख संस्थाएँ पहले से ही FRI (Financial Fraud Risk Indicator) का उपयोग कर रही हैं, जिससे भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूती मिल रही है।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क विनियम

संदर्भ

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क विनियम, 2025 में द्वितीय संशोधन को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख संशोधन

- **सरलीकृत टैरिफ जोन:** PNGRB ने देशभर में प्राकृतिक गैस परिवहन प्रणाली को सरल बनाने के लिए यूनिफाइड टैरिफ जोन की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी है।
  - इस पहल से एक अधिक न्यायसंगत टैरिफ संरचना सुनिश्चित होगी और विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस तक पहुँच आसान होगी।
- **CNG और PNG (घरेलू) को बढ़ावा:** यूनिफाइड जोनल टैरिफ का लाभ, जो पहले जोन 1 तक सीमित था, अब पूरे देश में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) घरेलू उपभोक्ताओं तक बढ़ा दिया गया है।
  - इससे शहरी घरों और परिवहन नेटवर्क के लिए प्राकृतिक गैस सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
- **ईंधन खरीद में दक्षता का प्रावधान:** टैरिफ स्थिर बनाए रखने और आपूर्ति में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए PNGRB ने पाइपलाइन ऑपरेटरों को यह अनिवार्य किया है कि वे अपनी वार्षिक सिस्टम-यूज गैस का कम से कम 75% दीर्घकालिक अनुबंधों (न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि) के माध्यम से खरीदें।
  - इससे खरीद जोखिम कम होगा, लेन-देन की लागत घटेगी और उपभोक्ताओं व निवेशकों दोनों के लिए टैरिफ अधिक पूर्वानुमेय और किफायती होंगे।
- **पाइपलाइन विकास कोष - टिकाऊ अवसंरचना मॉडल:** भविष्य के विस्तार को वित्तपोषित करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने एक विशेष पाइपलाइन विकास आरक्षित निधि स्थापित की है, जिसमें उन पाइपलाइन संस्थाओं की आय का उपयोग किया जाएगा जो 75% से अधिक उपयोग मानक को पार करती हैं।
  - इन शुद्ध लाभ (कर के पश्चात) का 50% अवसंरचना विकास में पुनर्निवेश किया जाएगा और शेष 50% उपभोक्ताओं को टैरिफ समायोजन के माध्यम से वापस मिलेगा। इससे प्रदर्शन-आधारित, आत्मनिर्भर और सतत् विकास का मॉडल तैयार होगा।

महत्त्व:

- यह नियामक सुधार PNGRB की उस रणनीति को दर्शाता है जिसका उद्देश्य बाजार संरचना को सरल बनाना, स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना और "वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ" की परिकल्पना पर आधारित एक समावेशी गैस-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)

- यह एक वैधानिक संस्था है, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इसका मुख्य कार्य भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की डाउनस्ट्रीम गतिविधियों को विनियमित करना है, जिसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को शामिल नहीं किया गया है।
- इस बोर्ड के पास विवाद निपटाने के लिए दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ हैं और यह क्षेत्र की गतिविधियों पर एक डेटा बैंक भी बनाए रखता है।
- PNGRB ने राष्ट्रीय हाइड्रोकार्बन अवसंरचना निगरानी प्रणाली (NHIMS) विकसित की है, जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन अवसंरचना की वास्तविक समय (रीयल-टाइम) पर निगरानी की जा सकती है।

भारत का एल्युमीनियम और कॉपर विज़न दस्तावेज

संदर्भ

भारत ने दो विज़न दस्तावेज जारी किए हैं जिनका उद्देश्य भविष्य की माँगों को पूरा करने और 2047 तक देश की वृद्धि में सहयोग करने के लिए एल्यूमिनियम और तांबे के उत्पादन को बढ़ाना है।

दस्तावेजों के बारे में

- एल्यूमिनियम विज़न दस्तावेज का लक्ष्य 2047 तक उत्पादन को छह गुना बढ़ाना है। इसके अंतर्गत बॉक्साइट उत्पादन क्षमता को 150 एमटीपीए तक बढ़ाना, एल्यूमिनियम रीसाइक्लिंग दर को दोगुना करना और निम्न-कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देना शामिल है।
  - यह दस्तावेज स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आधुनिक अवसंरचना में एल्यूमिनियम की भूमिका को रेखांकित करता है।
  - माँग को पूरा करने के लिए, उत्पादन को वर्तमान 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से बढ़ाकर 37 MTPA करना होगा, जिसके लिए ₹20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी।
- कॉपर विजन दस्तावेज का अनुमान है कि 2047 तक ताँबे की माँग छह गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए 2030 तक स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग क्षमता में 5 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि की आवश्यकता होगी।
  - रणनीति का मुख्य फोकस द्वितीयक रिफाइनिंग को बढ़ाना, घरेलू रीसाइक्लिंग को सुदृढ़ करना और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से विदेशों में खनिज संपत्तियों को सुरक्षित करना है।

अतिरिक्त जानकारी

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक, परिष्कृत ताँबे के शीर्ष-10 उत्पादकों में से एक तथा लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने भारत मक्का शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया।

परिचय

- **मक्का**, जिसे सामान्यतः इंडियन कॉर्न कहा जाता है, अपनी अत्यधिक आनुवंशिक उपज क्षमता के चलते विश्वभर में "अनाजों की रानी" के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में यह चावल और गेहूँ के पश्चात् तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
- मक्का मुख्यतः वर्षा आधारित खरीफ फसल है, जो अर्ध-शुष्क क्षेत्रों (25 - 75 सेंटीमीटर वर्षा) में उगाई जाती है, जहाँ चावल और गेहूँ की खेती संभव नहीं होती।
- तमिलनाडु में मक्का को रबी फसल के रूप में बोया जाता है, विशेषकर सितंबर और अक्टूबर में शीत ऋतु की वर्षा प्रारंभ होने से पहले। यहाँ वर्षा मुख्यतः नवंबर और दिसंबर में होती है, इसलिए पूर्वी तमिलनाडु में इसकी बुवाई का यही उपयुक्त समय है।
- मक्का को दोमट बालुई मृदा से लेकर चिकनी दोमट मृदा तक विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। भारत का मक्का उत्पादन 1990 के दशक में लगभग 10 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर हाल के वर्षों में 42.3 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच गया है, और 2047 तक इसका लक्ष्य 86 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया है।
- मक्का लगभग सभी भारतीय राज्यों में उगाई जाती है।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य हैं** - कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश।

आनुवंशिक उपज क्षमता (Genetic Yield Potential)

- यह उस अधिकतम संभावित उपज को दर्शाता है, जिसे किसी फसल की किस्म आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों और सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों के अंतर्गत प्राप्त कर सकती है, बशर्ते पानी, पोषक तत्त्वों या अन्य कारकों से कोई बाधा न हो।
- यह उस सर्वोच्च उपज को दर्शाता है जिसे किसी विशेष आनुवंशिक संरचना वाले पौधे द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जब सभी अन्य कारक अनुकूल हों।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम

संदर्भ

दिल्ली की एक विशेष न्यायालय ने ब्रिटेन स्थित एक हथियार व्यापारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEO Act) के अंतर्गत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया।

परिचय

- **भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) वह व्यक्ति होता है** -
  - जिसके विरुद्ध निर्धारित आर्थिक अपराध (₹100 करोड़ या उससे अधिक की राशि से जुड़ा हुआ) करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ हो, और
  - जो भारत छोड़कर भाग गया हो ताकि आपराधिक मुकदमे से बच सके, या वापस आने से इंकार करता हो ताकि न्यायिक प्रक्रिया का सामना न करना पड़े।
- यह परिभाषा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत दी गई है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नियुक्त निदेशक या उपनिदेशक विशेष न्यायालय (2002 अधिनियम के अंतर्गत नामित) के समक्ष किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- निदेशक या उपनिदेशक, विशेष न्यायालय की अनुमति से, आवेदन में उल्लिखित किसी भी संपत्ति को कुर्क (Attach) कर सकते हैं।
- विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

आपदा बॉन्ड (CATASTROPHE BONDS - CAT BONDS)

संदर्भ

हाल ही में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भारत को आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा के पश्चात् पुनर्निर्माण लागत को संभालने के लिए आपदा बॉन्ड (कैट बांड्स) को एक वित्तीय साधन के रूप में अपनाने पर विचार करना चाहिए।

कैट बॉन्ड क्या है?

- कैट बॉन्ड एक विशिष्ट हाइब्रिड बीमा-सह-ऋण वित्तीय उत्पाद हैं, जो बीमा कवरेज को एक व्यापार योग्य प्रतिभूति (ट्रेडेबल सिक्योरिटी) में परिवर्तित करते हैं।
- ये उच्च-प्रतिफल (हाई-यील्ड) ऋण साधन होते हैं, जिन्हें किसी प्रायोजक संस्था (जैसे सरकार) द्वारा विश्व बैंक या एडीबी जैसी मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से जारी किया जाता है और निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है।
  - यदि कोई निर्दिष्ट आपदा घटित होती है, तो निवेशक अपनी मूल राशि का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा खो सकते हैं, जिसे फिर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है।
  - लेकिन यदि बॉन्ड की अवधि के दौरान कोई आपदा नहीं होती है, तो निवेशकों को आकर्षक कूपन भुगतान प्राप्त होता है।
- जब कोई कैट बॉन्ड जारी किया जाता है, तो उसके साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) भी बनाया जाता है। यह SPV एक अस्थायी कंपनी की तरह होता है, जिसे केवल उस बॉन्ड को संभालने के लिए बनाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि -
  - पैसा सुरक्षित रहे और उसे सरकार या किसी कंपनी के अन्य धन के साथ न मिलाया जाए।
  - निवेशकों को धोखाधड़ी या दुरुपयोग से सुरक्षा मिले।

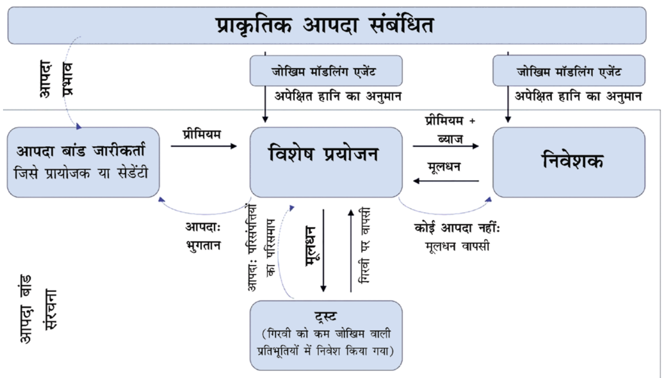

कैट बॉन्ड के लाभ

- **जोखिम विविधीकरण:** नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविट्ज के अनुसार, कैट बॉन्ड को शामिल करने से निवेशकों के पोर्टफोलियो में विविधता आती है, क्योंकि आपदा जोखिम पारंपरिक वित्तीय बाजारों से संबद्ध नहीं होता।
- **त्वरित भुगतान:** पारंपरिक बीमा दावों के विपरीत, जिन्हें निपटाने में कई महीने लग सकते हैं, कैट बॉन्ड ट्रिगर घटना के तुरंत पश्चात् धनराशि जारी कर देते हैं, जिससे आपदा पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है।
- **सरकारों पर कम बोझ:** यह पहले से तय की गई वित्तीय व्यवस्था प्रदान करते हैं, जिससे आपदा पुनर्प्राप्ति खर्चों के कारण सरकारी बजट पर अचानक पड़ने वाले झटकों से बचाव होता है।
- **विस्तृत पूँजी आधार:** ये साधन वैश्विक वित्तीय बाजारों से पूँजी जुटाते हैं, जो पारंपरिक पुनर्बीमा (Reinsurance) क्षमताओं से कहीं आगे जाते हैं।
- **नियंत्रण उपायों को बढ़ावा:** जिन जारीकर्ताओं के पास आपदा से निपटने और नियंत्रण की मजबूत नीतियाँ होती हैं, वे कम प्रीमियम का लाभ उठा सकते हैं। इससे जोखिम घटाने वाले व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है।

कैट बॉन्ड की सीमाएँ

- **ट्रिगर सीमा की कठोरता:** यदि आपदा पूर्वनिर्धारित सीमा से थोड़ी कम हो (उदाहरण के लिए, जब बॉन्ड में 6.6 तीव्रता का भूकंप आवश्यक है और वास्तव में 6.5 तीव्रता का भूकंप आता है), तो भले ही क्षति गंभीर हो, कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- **अवसर लागत:** यदि कोई आपदा घटित नहीं होती है, तो दिया गया प्रीमियम व्यर्थ खर्च जैसा लग सकता है, विशेषकर संसाधनों की कमी वाली स्थितियों में।
- **डिज़ाइन की जटिलता:** यदि बॉन्ड का ढाँचा ठीक से तैयार न किया गया हो, तो यह कई संभावित जोखिम परिदृश्यों को बाहर कर सकता है, जिससे यह अप्रभावी हो जाता है।
- **उच्च जोखिम क्षेत्रों में अधिक प्रीमियम:** आपदा-प्रवण क्षेत्रों में प्रीमियम बहुत अधिक हो सकता है, जिससे लागत-प्रभावशीलता घट जाती है, जब तक कि इसे वैश्विक बिचौलियों द्वारा समर्थन न मिले।

भारत में कैट बॉन्ड की संभावना

- **आपदा जोखिम:** भारत विश्व के सबसे अधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है, जहाँ नियमित रूप से चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप आते रहते हैं।
- **कम बीमा प्रसार:** आपदा जोखिम बीमा अभी भी बहुत कम विकसित है, जिसके कारण अधिकांश व्यक्तिगत संपत्तियाँ और आजीविकाएँ बीमा रहित हैं।
- **सरकारी वित्तपोषण:** भारत ने आपदा शमन और क्षमता निर्माण के लिए (वित्त वर्ष 2021-22 से) हर वर्ष ₹1.8 बिलियन आवंटित किए हैं, जो सक्रिय जोखिम प्रबंधन के लिए उसकी तत्परता को दर्शाता है।

बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां सदस्य बना

संदर्भ

हाल ही में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो को अपनाने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वाँ सदस्य बन जाएगा।

परिचय

- यूरोजोन उन यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों को संदर्भित करता है, जिन्होंने यूरो (€) को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है और जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की मौद्रिक नीति के अधीन होते हैं।
- यूरो को 1 जनवरी 1999 को गैर-भौतिक रूप (जैसे ट्रैवलर्स चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, बैंकिंग आदि) में लॉन्च किया गया था और 1 जनवरी 2002 को यह 12 देशों में भौतिक मुद्रा के रूप में प्रचलन में आई।
- बुल्गारिया ने पहले उच्च मुद्रास्फीति के कारण यूरो को अपनाने में देरी की थी, क्योंकि वह मास्ट्रिच अभिसरण मानदंड (Maastricht convergence criteria) को पूरा नहीं कर पाया था।

मास्ट्रिच अभिसरण मानदंड क्या हैं?

- **मूल्य स्थिरता** (Price Stability)**:** किसी देश की मुद्रास्फीति दर मूल्य स्थिरता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन सदस्य देशों की दर के समीप होनी चाहिए, जिसमें अधिकतम 1.5 प्रतिशत अंक तक का अंतर स्वीकार्य है।
- **सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त** (Sound Public Finances)**:**
- **सरकारी घाटा** (Government Deficit)**:** वार्षिक सरकारी घाटा (सरकारी खर्च और राजस्व के बीच का अंतर) जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **सरकारी ऋण** (Government Debt)**:** सकल सरकारी ऋण (सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण) जीडीपी के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **विनिमय दर स्थिरता** (Exchange Rate Stability)**:** देशों को कम से कम 2 वर्षों तक ERM-II (विनिमय दर तंत्र) में बिना किसी गंभीर तनाव के बने रहना चाहिए।
- **ब्याज दर अभिसरण** (Interest Rate Convergence)**:** किसी देश की दीर्घकालिक ब्याज दर शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सदस्य देशों की औसत दर से 2 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कॉरपोरेट निवेश अपेक्षित गति से पीछे

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की मासिक वृद्धि दर जारी की है, जो घटकर 1.2% रह गई है और यह पिछले नौ महीनों का सबसे निम्न स्तर है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- यह आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक है, जिसका उपयोग किसी चुने हुए आधार वर्ष के संदर्भ में समय के साथ औद्योगिक उत्पादन के रुझानों को मापने के लिए किया जाता है।
  - यह किसी निर्दिष्ट वर्ष में उद्योगों के भौतिक उत्पादन में सापेक्षिक परिवर्तन को पिछले वर्ष की तुलना में दर्शाता है।
- **जारीकर्ता:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
- **मंत्रालय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- **आवृत्ति:** मासिक
- **आधार वर्ष (वर्तमान):** 2011-12
- **IIP तीन प्रमुख क्षेत्रों से मिलकर बना है:**
  - **विनिर्माण** (Manufacturing): 77.6% भारांश;
  - **खनन** (Mining): 14.4% भारांश;
  - **विद्युत** (Electricity): 8.0% भारांश
- **एक अन्य वर्गीकरण वस्तुओं के उपयोग पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं:** प्राथमिक वस्तुएँ, पूँजीगत वस्तुएँ, मध्यवर्ती वस्तुएँ, अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ तथा उपभोक्ता अल्पकालिक (गैर-टिकाऊ) वस्तुएँ।

निवेश में वृद्धि क्यों नहीं हुई?

- **माँग में अनिश्चितता** (Demand Uncertainty): कमजोर उपभोक्ता माँग के कारण क्षमता उपयोग (Capacity Utilization) घटा हुआ है।
  - कंपनियाँ तब तक नई क्षमताओं में निवेश करने से हिचक रही हैं, जब तक कि माँग में स्थायी वृद्धि के स्पष्ट संकेत न मिलें।
- **उद्योग में अतिरिक्त क्षमता** (Excess Capacity in Industry): कई क्षेत्र, विशेषकर विनिर्माण (Manufacturing), अभी भी अपनी पूरी क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं। कंपनियाँ नई पूँजी लगाने से पहले मौजूदा ढाँचे का पूरा उपयोग करना पसंद करती हैं।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता:** भू-राजनीतिक तनाव (जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, लाल सागर संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति) ने व्यापार और निवेशक विश्वास को प्रभावित किया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता भारत के निर्यात और निवेशक भावनाओं पर असर डालती है।
- **धीमी ऋण संचरण प्रक्रिया:** COVID के पश्चात् रेपो दरें कम होने के बावजूद उद्योग को ऋण वृद्धि हाल तक कमजोर रही।
  - बैंकों ने जोखिमपूर्ण औद्योगिक ऋण की बजाय रिटेल लेंडिंग (जैसे आवास और ऑटो ऋण) को प्राथमिकता दी।
- **अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में बाधाएँ:** हालाँकि सुधार जारी हैं (जैसे गति शक्ति, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान), लेकिन भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अब भी अधिक है।
  - परियोजना स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण में देरी पूँजी निर्माण की गति धीमी करती है।
- प्रमुख क्षेत्रों में कम एफडीआई (Low FDI in Key Sectors): एफडीआई प्रवाह डिजिटल और सेवा क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन विनिर्माण और अवसंरचना में कमजोर है।
  - प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के बावजूद विदेशी निवेशक बाजार के आकार, कारोबार की सहजता और बाहर निकलने के विकल्पों को लेकर सतर्क हैं।
- **सरकारी पूँजीगत व्यय का विलंबित गुणक प्रभाव** (Delayed Government Capex Multiplier): सार्वजनिक निवेश (विशेषकर अवसंरचना में) बढ़ा है, लेकिन इसका निजी निवेश पर क्राउडिंग-इन (Crowding-in) प्रभाव पूरी तरह सामने नहीं आया है।
  - राज्य स्तर पर पूँजीगत व्यय भी राजकोषीय सीमाओं के कारण कमजोर रहा है।

नीतिगत कदम

- **कॉरपोरेट कर कटौती (2019):** कर दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की लाभप्रदता और निवेश को बढ़ावा देना था।
- **पूँजीगत व्यय** (Capex) **पर जोर:** हाल के बजटों में सरकार ने माँग को प्रोत्साहित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अवसंरचना पर खर्च बढ़ाया।
- **मौद्रिक सहजता** (Monetary Easing): आरबीआई ने ब्याज दरों को घटाया ताकि उधारी की लागत कम हो और तरलता (Liquidity) में सुधार हो सके।

सऊदी अरब के साथ उर्वरक आपूर्ति समझौते

संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ने सऊदी अरब की अपनी तीन दिवसीय यात्रा संपन्न की।

मुख्य परिणाम

- सऊदी अरब की मादेन (Maaden) और भारतीय कंपनियों (IPL, KRIBHCO, CIL) के बीच दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  - 2025-26 से प्रतिवर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डाईअमोनियम फॉस्फेट (DAP) की आपूर्ति होगी, जो 2024-25 के 1.9 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है।
  - ये समझौते 5 वर्षों के लिए मान्य रहेंगे, और आपसी सहमति से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाए जा सकते हैं।

- भारत के DAP आयात में वित्त वर्ष 2024-25 में 17% की वृद्धि हुई (1.9 मिलियन टन), जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 1.6 मिलियन टन था।
- **महत्त्व:** ये दीर्घकालिक उर्वरक समझौते भारत के कृषि क्षेत्र के लिए आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करेंगे और भारत-सऊदी अरब के रणनीतिक साझेदारी संबंधों को और गहरा बनाएँगे।

DAP क्या है?

- डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) एक प्रकार का उर्वरक है, जिसमें 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है। ये दोनों ही पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व हैं। नैनो DAP में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के नैनोकण होते हैं, जो फसल की बेहतर वृद्धि और उत्पादन में सहायक होते हैं।
- DAP का उपयोग कृषि में पौधों को त्वरित और आसानी से उपलब्ध पोषक तत्त्व प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- भारत में यूरिया के पश्चात् यह दूसरा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है।

डिजिटल इंडिया यात्रा के 10 वर्ष

संदर्भ

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जिसे सरकार ने 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया था, का उद्देश्य भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।

परिचय

- डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसने 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया और 2024-25 तक इसके 13.42% तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत विश्व में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में तीसरे स्थान पर है।
- 2030 तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से देश की समग्र अर्थव्यवस्था में लगभग पाँचवाँ हिस्सा योगदान करने का अनुमान है।

डिजिटल इंडिया के अंतर्गत प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र और सेवाएँ

- **कनेक्टिविटी और अवसंरचना:** वर्षों में डिजिटल इंडिया ने पूरे देश में मजबूत डिजिटल अवसंरचना तैयार की है।
- **दूरसंचार और इंटरनेट प्रसार:** भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर 2025 में 120 करोड़ से अधिक हो गए हैं। टेली-डेंसिटी (प्रति 100 व्यक्तियों पर फोन कनेक्शन) 2024 तक 75.23% से बढ़कर 84.49% हो गई।
- **UPI:** भारत ने 2023 में वैश्विक वास्तविक समय (Real-Time) लेन-देन का 49% हिस्सा संभाला। UPI अब सात से अधिक देशों (भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और UAE) में सक्रिय है।
- **आधार:** आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रणाली ने सत्यापन प्रक्रिया को तेज, कागजी कार्यवाही को कम और विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता को बढ़ाया है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण** (DBT)**:** DBT आधार का उपयोग कर कल्याणकारी भुगतान सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाता है और फर्जी लाभार्थियों को हटाता है।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स** (ONDC)**:** 2022 में आरंभ ONDC छोटे व्यवसायों को डिजिटल बाजार में प्रवेश करने में मदद करता है।
- **इंडिया AI मिशन:** इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग तक पहुँच सुनिश्चित करना, नवाचार को बढ़ावा देना, डाटा सेट में सुधार करना, स्टार्टअप्स को वित्तपोषण देना और एथिकल AI (नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का उपयोग सुनिश्चित करना है।
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:** 76,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ यह मिशन स्थानीय चिप और डिस्प्ले निर्माण को समर्थन देता है।
- **ई-गवर्नेंस:** इसमें मिशन कर्मयोगी, डिजिलॉकर और उमंग ऐप जैसी पहलें शामिल हैं, जिन्होंने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद की प्रक्रिया को बदला है, जिससे सेवाएँ अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी हुई हैं।

विकासशील देशों में संप्रभु ऋण

संदर्भ

चौथा विकास के लिए वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FfD4) स्पेन में आयोजित हो रहा है, जिसका केंद्र बिंदु विकासशील देशों पर बढ़ते ऋण बोझ पर है।

परिचय

- सार्वजनिक ऋण या संप्रभु ऋण वह धन है जिसे कोई राष्ट्रीय सरकार घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेती है, प्राय: सरकारी बॉन्ड जारी करके या ऋण के रूप में।
- 2010 से अब तक, विकासशील देशों में संप्रभु ऋण की वृद्धि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में दो गुना तेज रही है। इसका वैश्विक कुल ऋण में हिस्सा 2010 में 16% से बढ़कर 2023 में 30% हो गया।
- विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों ने 2023 में अपने विदेशी ऋण की अदायगी पर रिकॉर्ड 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, क्योंकि ब्याज लागत पिछले 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी।

- वर्तमान में, आधे से अधिक विकासशील देश अपनी सरकारी आय का कम से कम 8% ब्याज भुगतान में खर्च कर रहे हैं। यह आँकड़ा पिछले एक दशक में दोगुना हो गया है।
- ब्याज भुगतान का बढ़ता दबाव सभी क्षेत्रों में गंभीर है, विशेषकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में।

भारत में घरेलू बचत में गिरावट

संदर्भ

भारत में संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जिसमें शुद्ध वित्तीय बचत में कमी, घरेलू ऋण में वृद्धि, तथा परिसंपत्ति संरचना में बदलाव शामिल है।

परिचय

- घरेलू बचत (Household Saving) से आशय उस शेष राशि से है, जो परिवार की शुद्ध उपलब्ध आय में से कुल उपभोग व्यय (करों और ऋण अदायगी सहित) घटाने पर प्राप्त होती है।
- यह परिवारों की उस क्षमता को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत वे वर्तमान उपभोग को टालकर भविष्य की सुरक्षा, निवेश या आपात स्थितियों के लिए बचत कर सकते हैं।

हाल के रुझान

- भारत की सकल घरेलू बचत दर 2011-12 में जीडीपी के 34.6% से घटकर 2022-23 में 29.7% पर आ गई है, जो पिछले चार दशकों का सबसे निम्न स्तर है।
- परिवार की वित्तीय बचत (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) 2020-21 में 11.5% से घटकर 2022-23 में 5.1% रह गई। इसी समय, परिवार का ऋण FY24 में बढ़कर जीडीपी का 6.4% हो गया, जो पिछले 17 वर्षों का सबसे ऊँचा स्तर है।
- **ग्रामीण-शहरी बचत व्यवहार का अंतर:** शहरी परिवारों में वित्तीय भागीदारी अधिक है क्योंकि वहाँ बेहतर पहुँच और वित्तीय साक्षरता है।
  - इसके विपरीत, ग्रामीण परिवार अक्सर अनौपचारिक बचत पर निर्भर रहते हैं और आय के झटकों के प्रति अधिक असुरक्षित होते हैं।
  - **परिवार का निवेश:** म्यूचुअल फंड और इक्विटी में परिवारों का निवेश FY21 में ₹1.02 ट्रिलियन से लगभग दोगुना बढ़कर FY23 में ₹2.02 ट्रिलियन हो गया।

घरेलू आय में गिरावट के प्रमुख कारण

- **सामूहिक आर्थिक कारक** (Macroeconomic Factors): लगातार ऊँची मुद्रास्फीति ने परिवारों की क्रय शक्ति को कम कर दिया है।
- **वास्तविक मजदूरी में गिरावट** (Decline in Real Wages): वास्तविक मजदूरी वृद्धि विशेषकर असंगठित क्षेत्र में ठहरी हुई है ।
- **कम वास्तविक ब्याज दरें:** बैंक जमाओं और लघु बचत योजनाओं पर कम वास्तविक ब्याज दरों ने पारंपरिक उत्पादों में बचत को हतोत्साहित किया है।
- **उपभोग और निवेश पैटर्न में बदलाव:** कोविड के पश्चात् उपभोग में सुधार से उपभोग, आवास और शिक्षा के लिए उधारी बढ़ी है।
- **बढ़ता आकांक्षी खर्च:** शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों का खर्च जीवनशैली से जुड़ी वस्तुओं, विदेश यात्रा आदि पर तेजी से बढ़ रहा है।

घरेलू बचत में गिरावट पर चिंता

- **निवेश के लिए घटती पूँजी:** भारत की सकल घरेलू बचत में लगभग 60% योगदान परिवारों की बचत का होता है। बचत में गिरावट से अवसंरचना और औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध घरेलू पूँजी का भंडार घट जाता है।
- **बढ़ता पारिवारिक ऋण:** देनदारियों के बढ़ने और बचत के घटने से परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। लंबे समय तक अधिक ऋण बोझ बने रहने से ऋण योग्यता (Creditworthiness) घट सकती है और बढ़ते डिफॉल्ट के कारण बैंकिंग क्षेत्र की सेहत पर असर पड़ सकता है।
- **बचत का वित्तीयकरण:** बचत का बढ़ता हुआ वित्तीयकरण (Financialisation of Savings) उत्पादक निवेश को हटाकर उसे सट्टा आधारित वित्तीय क्षेत्रों की ओर मोड़ सकता है।
- **अपर्याप्त सेवानिवृत्ति सुरक्षा:** दीर्घकालिक बचत में कमी से सेवानिवृत्ति की तैयारी असुरक्षित हो जाती है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जून 2025 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया है।

परिचय

- PLFS प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के आकलन देता है।
- **ये संकेतक इस प्रकार हैं:**
  - **श्रम बल भागीदारी दर** (Labour Force Participation Rate - LFPR): यह आबादी में श्रम बल (यानी कार्यरत, कार्य की तलाश करने वाले या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति) का प्रतिशत है।
  - **कार्यकर्ता-जनसंख्या अनुपात** (Worker Population Ratio - WPR): यह आबादी में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत दर्शाता है।
  - **बेरोजगारी दर** (Unemployment Rate - UR): श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।
  - **साप्ताहिक वर्तमान स्थिति** (Current Weekly Status - CWS): सर्वेक्षण की तिथि से पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि स्थिति।

मुख्य बिंदु

- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जून 2025 में 54.2% रही, जबकि मई 2025 में यह 54.8% थी। इसी आयु वर्ग के लिए जून 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 56.1% और शहरी क्षेत्रों में 50.4% रही।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जून 2025 में क्रमशः 78.1% और 75.0% रही, जो मई 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों के 78.3% और शहरी क्षेत्रों के 75.1% के अनुमानों से मामूली गिरावट दर्शाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जून 2025 में 35.2% रही।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का कार्यकर्ता-जनसंख्या अनुपात (WPR) जून 2025 में 53.3% रहा।
  - इसी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में WPR जून 2025 में 46.8% रहा। देश के स्तर पर कुल WPR जून 2025 में 51.2% दर्ज किया गया, जबकि मई 2025 में यह 51.7% था।
  - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए WPR ग्रामीण क्षेत्रों में 33.6% और शहरी क्षेत्रों में 22.9% रहा। देश के स्तर पर इस आयु वर्ग की महिलाओं का कुल WPR 30.2% दर्ज हुआ।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर (UR) मई 2025 और जून 2025 दोनों में समान रही, जो 5.6% थी।
- जून 2025 में LFPR और WPR में मामूली गिरावट मुख्यतः मौसमी कृषि पैटर्न, भीषण ग्रीष्मकालीन गर्मी, जिसने बाहरी शारीरिक कार्य को सीमित कर दिया, और कुछ बिना भुगतान वाले सहायकों का, विशेषकर उच्च आय वाले ग्रामीण परिवारों से, घरेलू कार्यों की ओर स्थानांतरण आदि कारणों से हुई।

क्या आप जानते हैं?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की सैम्पलिंग पद्धति को जनवरी 2025 से नया रूप दिया गया है, ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके:

- प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (जैसे - श्रम बल भागीदारी दर, कार्यकर्ता-जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर) का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में पूरे भारत स्तर पर मासिक आकलन करना।
- PLFS के त्रैमासिक परिणामों के कवरेज को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाना, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए CWS में त्रैमासिक आकलन तैयार किए जा सकें।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (Usual Status) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का वार्षिक आकलन करना।

भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज सिक्किम में उद्घाटित

संदर्भ

देश के पहले डिजिटल नोमैड विलेज का आधिकारिक उद्घाटन सिक्किम के पाकयोंग जिले के याकतेन गाँव में किया गया।

परिचय

- **उद्देश्य:** याकतेन को डिजिटल पेशेवरों के लिए एक टिकाऊ रिमोट वर्क हब के रूप में विकसित करना, साथ ही स्थानीय पर्यटन और ग्रामीण आजीविकाओं को समर्थन देना।
- **मॉडल:** यह पेशेवरों को शांतिपूर्ण और पर्यावरण-हितैषी वातावरण में रिमोट वर्क करने की सुविधा देता है, जिससे मौसमी पर्यटन के बजाय पूरे वर्ष का विकल्प उपलब्ध होता है।

क्या आप जानते हैं?

डिजिटल नोमैड ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रायः पारंपरिक कार्यालय से बाहर यात्रा करते हुए दूरस्थ रूप से काम करते हैं और तकनीक का उपयोग करके विभिन्न स्थानों से जीवनयापन एवं कार्य करते हैं। वे स्थान-स्वतंत्र जीवनशैली अपनाते हैं और इंटरनेट तथा अन्य डिजिटल साधनों का प्रयोग करके विश्व में कहीं से भी अपना कार्य संपादित करते हैं।

ऑटोमोटिव मिशन योजना (AMP), 2047

संदर्भ

सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 (AMP 2047) के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

परिचय

- यह एक रणनीतिक रोड मैप है जो 'विकसित भारत@2047' विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव अभिकर्ता के रूप में स्थापित करना है, जिसमें नवाचार और सतत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016-26 (एएमपी 2026) की सफलता पर आगे निर्माण करने का लक्ष्य रखता है, जिसने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को विश्व के शीर्ष तीन में शामिल करने की परिकल्पना की थी।
- सात उप-समितियाँ, जिनमें सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ शामिल होंगे, 2030, 2037 और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना के विकास का मार्गदर्शन करेंगी।
- यह मूल उपकरण निर्माता (OEMs), ऑटो कंपोनेंट निर्माता, नीति निर्माता, शिक्षा जगत और अंतिम उपयोगकर्ताओं सहित सभी हितधारकों की सामूहिक दृष्टि को एकीकृत करने का प्रयास करता है, ताकि तकनीकी प्रगति और चार्जिंग अवसंरचना जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- **प्रभारी मंत्रालय:** भारी उद्योग मंत्रालय।

कृषि-खाद्य प्रणालियों में युवाओं की स्थिति रिपोर्ट: FAO

संदर्भ

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने अपनी रिपोर्ट 'कृषि-खाद्य प्रणालियों में युवाओं की स्थिति' में बताया कि कृषि में लाखों युवाओं को रोजगार देने और वैश्विक जीडीपी को 1.4% तक बढ़ाने की क्षमता है, जिससे 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त मूल्य जोड़ा जा सकता है।

परिचय

- **युवा बेरोजगारी:** विश्व के 1.3 अरब युवाओं (15-24 वर्ष आयु वर्ग) में से 20% से अधिक ऐसे हैं, जो न तो किसी रोजगार में लगे हैं और न ही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं (Not in Employment, Education, or Training - NEET)। युवा महिलाओं के NEET श्रेणी में आने की संभावना पुरुषों की तुलना में दोगुनी है।
- **कृषि-खाद्य प्रणालियों की आर्थिक क्षमता:** अनुमानित जीडीपी वृद्धि का 45% हिस्सा सीधे युवाओं की कृषि-खाद्य प्रणालियों में भागीदारी बढ़ने से आएगा।
    - कृषि में केवल खेतों पर ही नहीं, बल्कि पूरे मूल्य श्रृंखला (प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और नवाचार) में रोजगार के अवसर हैं।
    - संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं में से 82% तक कृषि-खाद्य प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं।
- **जलवायु और जनसांख्यिकीय दबाव:** 395 मिलियन ग्रामीण युवा ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ कृषि उत्पादकता घटने का अनुमान है।
    - युवाओं में खाद्य असुरक्षा 2014-16 में विशेषकर अफ्रीका में 16.7% से बढ़कर 2021-23 में 24.4% हो गई।
    - कृषि-खाद्य प्रणालियों में युवाओं की भागीदारी 2005 में 54% से घटकर 2021 में 44% रह गई।

FAO की त्रि-आयामी रणनीति

- **अधिक जानना** (Inquire More)**:** डाटा की कमी को दूर करने और युवाओं को शामिल करने वाली नीतियों के लिए ठोस प्रमाण तैयार करना।
- **अधिक शामिल करना** (Include More)**:** निर्णय-निर्माण और शासन में युवाओं की आवाज को सशक्त बनाना।
- **अधिक निवेश करना:** सम्मानजनक नौकरियाँ सृजित करना, भूमि, ऋण, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तक युवाओं की पहुँच में सुधार करना।

कार्रवाई के लिए सिफारिशें

- **कृषि-खाद्य प्रणालियों का आधुनिकीकरण:** कृषि को आकर्षक बनाने के लिए अवसंरचना और नवाचार में निवेश करना।
- **प्रवास मार्गों को समर्थन देना:** श्रम की कमी को दूर करने के लिए सुरक्षित और युवाओं के अनुकूल प्रवास को सक्षम बनाना।
- **डिजिटल पहुँच का विस्तार:** युवा किसानों को ऐसे साधनों से सुसज्जित करना, जिससे वे बाजारों और आधुनिक पद्धतियों से जुड़ सकें।
- **सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** वित्तीय कमी को दूर करना और कमजोर युवाओं के लिए सुरक्षा जाल (Safety Nets) प्रदान करना।

'ट्रेड कनेक्ट' ई-प्लेटफॉर्म

संदर्भ

'ट्रेड कनेक्ट' ई-प्लेटफॉर्म को हाल ही में दो प्रमुख B2B व्यापार प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया।

परिचय

- ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की एक पहल है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जानकारी और सेवाओं के लिए सभी हितधारकों हेतु एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- यह MSME के लिए सरल स्वरूप में टैरिफ, प्रमाणपत्र, व्यापार आयोजनों, ई-कॉमर्स और खरीदारों से संबंधित ताजा जानकारी उपलब्ध कराता है।
- इसमें MSME को निर्यात और संबंधित प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए इंटरैक्टिव कोर्स भी उपलब्ध हैं, जो कई भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं।
- यह प्राथमिक (Preferential) और गैर-प्राथमिक (Non-Preferential) उत्पत्ति प्रमाणपत्रों (Certificates of Origin) के निर्गमन और सत्यापन के लिए भी एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह प्रक्रिया सुरक्षित, इलेक्ट्रॉनिक और पेपरलेस होती है तथा सभी अधिकृत जारी करने वाली एजेंसियाँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं।

जैव उत्तेजक (BIOSTIMULANTS)

संदर्भ

केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या जैव-उत्तेजकों की "जबरन टैगिंग" को तुरंत बंद करने का आग्रह किया।

परिचय

- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 जैव-उत्तेजकों (Biostimulants) के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
- **जैव-उत्तेजक क्या हैं:** यह एक ऐसा पदार्थ या सूक्ष्मजीव (या दोनों का मिश्रण) है, जिसका मुख्य कार्य पौधों, बीजों या राइजोस्फीयर (जड़ क्षेत्र) पर लगाए जाने पर जैव-शारीरिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करना होता है।
- यह पोषक तत्वों के अवशोषण, वृद्धि, उत्पादन, पोषण दक्षता, फसल की गुणवत्ता और तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है।
- इसमें कीटनाशक या पादप वृद्धि नियामक शामिल नहीं होते, जिन्हें कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

चिंताएँ

- कई जैव-उत्तेजक यौगिकों या सूक्ष्मजीवों के जटिल मिश्रण होते हैं, और उनके कार्य करने के सही तरीके हमेशा स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आते।
- जलवायु, मिट्टी, फसल की किस्म आदि में भिन्नताओं के कारण क्षेत्रीय परिस्थितियों में इनका प्रदर्शन असंगत हो सकता है।
- कंपनियाँ कभी-कभी उर्वरकों या कीटनाशकों को जैव-उत्तेजक के रूप में बाजार में बेच सकती हैं ताकि नियमों से बच सकें या खुद को सतत् दिखा सकें (ग्रीनवॉशिंग)।
    - इससे विश्वसनीयता घटती है और यह किसानों और नीति निर्माताओं दोनों को गुमराह कर सकता है।

कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक

संदर्भ

रोम में आयोजित कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (Codex Alimentarius Commission) की कार्यकारी समिति के 88वें सत्र (CCEXEC 88) में वैश्विक खाद्य मानक विकास में भारत की भूमिका की सराहना की गई।

परिचय

- भारत ने साबुत मोटे अनाज (Whole Millet Grains) के लिए समूह मानकों के विकास की अध्यक्षता की, जिसमें माली, नाइजीरिया और सेनेगल सह-अध्यक्ष रहे।
    - समिति ने भारत के नेतृत्व की सराहना की और मोटे अनाज मानक को अंतिम स्वीकृति के लिए कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC) के 48वें सत्र में रखा गया है, जो नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा।
- भारत ने कोडेक्स रणनीतिक योजना 2026-2031 पर हुई चर्चाओं में सक्रिय योगदान दिया। भारत ने SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) परिणाम-आधारित संकेतकों का समर्थन किया।
    - ये प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) अंतिम रूप से तैयार कर लिए गए हैं और इन्हें CAC48 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- भारत ने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तिमोर-लेस्ते जैसे पड़ोसी देशों के लिए अपने क्षमता-विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिन्हें FAO द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है।
- भारत ने कम सक्रिय सदस्य देशों को मेंटरशिप और ट्विनिंग कार्यक्रमों के लिए कोडेक्स ट्रस्ट फंड (CTF) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC)

- यह एक अंतर-सरकारी खाद्य मानक निकाय है, जिसे 1963 में स्थापित किया गया था।
- **स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के अंतर्गत।
- **उद्देश्य:** उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करना।
- **सदस्य:** वर्तमान में 189 सदस्य (188 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और यूरोपीय संघ)।
- भारत 1964 में सदस्य बना।
- **मुख्यालय:** रोम

क्या आप जानते हैं?

- कोडेक्स ट्रस्ट फंड (CTF) खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य विकासशील और संक्रमण अर्थव्यवस्था वाले देशों को कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग में प्रभावी रूप से भाग लेने में सहायता करना है।
- CTF का लक्ष्य इन देशों में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों के विकास में भागीदारी के लिए मजबूत, ठोस और सतत् राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना है।

RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) वित्त वर्ष 2025 में 4.3% बढ़ा।

परिचय

- यह एक व्यापक सूचकांक है, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित विवरण शामिल किए जाते हैं, और इसे सरकार तथा संबंधित क्षेत्रीय नियामकों से परामर्श कर तैयार किया जाता है।
- यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को एक ही मान (Value) में दर्शाता है, जो 0 से 100 के बीच होता है, जहाँ 0 का अर्थ पूर्ण वित्तीय बहिष्करण और 100 का अर्थ पूर्ण वित्तीय समावेशन होता है।
- **यह सूचकांक तीन व्यापक मानकों पर आधारित है:**
    - **पहुँच (Access) - 35% भार:** यह दर्शाता है कि वित्तीय सेवाएँ कितनी आसानी से उपलब्ध हैं।
    - **उपयोग (Usage) - 45% भार:** यह इंगित करता है कि लोग इन सेवाओं का कितनी बार और कितने प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।
    - **गुणवत्ता (Quality) - 20% भार:** इसमें वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, असमानताओं में कमी और सेवाओं की कमियों को दूर करने जैसे पहलू शामिल हैं।

हाल के आँकड़ों के प्रमुख निष्कर्ष

- सूचकांक का मान मार्च 2024 में 64.2 से बढ़कर मार्च 2025 में 67 हो गया।

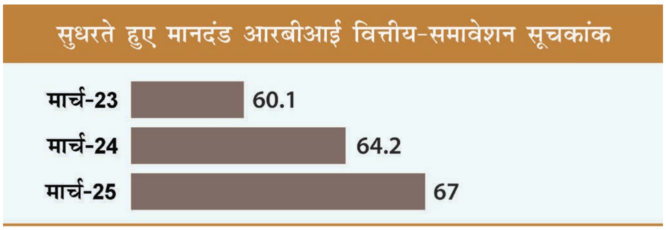

- यह वृद्धि सभी उप-सूचकांकों - पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता में देखी गई।
    - वित्त वर्ष 2024-25 में यह सुधार मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता के पहलुओं में हुई प्रगति से प्रेरित रहा, जो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के साथ गहरे जुड़ाव तथा वित्तीय साक्षरता प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है।

भारत में समुत्थानशील और समृद्ध शहरों की ओर

संदर्भ

विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट का शीर्षक है "भारत में समुत्थानशील और समृद्ध शहरों की ओर"।

परिचय

- यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है।
- इसमें भारत के 24 शहरों का अध्ययन किया गया, जिसमें विशेष ध्यान चेन्नई, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम पर केंद्रित रहा।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- भारत की शहरी जनसंख्या 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन और 2070 तक 1.1 बिलियन होने का अनुमान है। 2030 तक भारत में सृजित होने वाले नए रोजगारों का 70% शहरों में सृजित होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2022 से 2070 के बीच, भारत में 14.4 करोड़ से अधिक शहरी आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी, जो मौजूदा आवास स्थिति से दोगुने से भी अधिक होगी। पिछले 60 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की संख्या छह गुना बढ़ी है।
- भारतीय शहर वर्ष 2035 तक 285 मिलियन टन और 2050 तक 415 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न करेंगे, जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की बड़ी संभावना है।
- वर्ष 2050 तक नई समुत्थानशील एवं हरित शहरी अवसंरचना और सेवाओं के लिए कुल अनुमानित $2.4 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता होगी तथा 2070 तक यह बढ़कर $10.9 ट्रिलियन हो जाएगी।
- लगातार शहरीकरण और जलवायु प्रभावों के चलते, यदि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो वर्ष 2030 तक वर्षा-जनित बाढ़ से वार्षिक नुकसान लगभग 5 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जबकि 2070 तक यह बढ़कर 14 से 30 अरब डॉलर के बीच पहुँच सकता है।
- भारतीय शहरों में आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं तथा वर्ष 2030 तक नए रोजगार का 70% शहरों से आने का अनुमान है।
- भारत की शहरी आबादी वर्ष 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाएगी। इससे वर्ष 2070 तक 144 मिलियन से अधिक नए घरों की आवश्यकता होगी।
- स्मार्ट निवेश वर्ष 2030 तक बाढ़ से होने वाले $5 बिलियन के वार्षिक नुकसान और वर्ष 2070 तक $30 बिलियन तक की क्षति को रोक सकता है। साथ ही, वर्ष 2050 तक अत्यधिक गर्मी से 1,30,000 से अधिक जीवन बचाए जा सकते हैं।

समस्याएँ

- शहरों को हीटवेव और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं से बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।
- शहरों के केंद्रों में बढ़ते तापमान और तेज निर्माण के कारण कमजोर जल निकासी व्यवस्था शहरों को और अधिक गरम तथा बाढ़-प्रवण बना रही है।

सुझाव

- अत्यधिक शहरी गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए ऐसे कार्यक्रम लागू करें जिनमें वर्षा जल प्रबंधन के बेहतर नियम, हरित क्षेत्र का विकास, कूल रूफ की स्थापना तथा प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ शामिल हों।
- समुत्थानशील बुनियादी ढाँचे और नगरपालिका सेवाओं में निवेश करें, ऊर्जा-कुशल एवं आपदा-रोधी आवास विकसित करें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का आधुनिकीकरण करें तथा शहरी परिवहन को बाढ़-रोधी बनाएँ।
- निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी के माध्यम से शहरी वित्त तक पहुँच में सुधार करें। वर्ष 2050 तक शहरों में नई, समुत्थानशील और न्यून-कार्बन अवसंरचना और सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए $2.4 ट्रिलियन से अधिक का निवेश आवश्यक होगा।
    - इन निवेशों को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भूमिका निर्णायक होगी।

वर्ल्ड फूड इंडिया, 2025

संदर्भ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया, 2025 का चौथा संस्करण 25-28 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित करने जा रहा है।

परिचय

- इसे वर्ष 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा प्रारंभ किया गया था, ताकि भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को प्रदर्शित किया जा सके और वैश्विक निवेश आकर्षित किया जा सके।
- यह विश्वभर के हितधारकों के लिए एक प्रधान मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ वे भारत के गतिशील खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य में जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और अवसरों की खोज कर सकते हैं।
- वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्देश्य भारत को खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति का वैश्विक केंद्र स्थापित करना है।
- विषय: समृद्धि के लिए प्रसंस्करण (Processing for Prosperity)

भारत ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण हासिल किया

संदर्भ

भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो उसके मूल लक्ष्य वर्ष 2030 से पाँच वर्ष पहले है।

परिचय

- पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण 2014 में केवल 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है - यह 11 वर्षों में लगभग 13 गुना वृद्धि है।

- एथनॉल उत्पादन 2014 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर हो गया है।
- आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाकर भारत ने लगभग ₹1.36 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत की है।
- डिस्टिलरियों को ₹1.96 लाख करोड़ का भुगतान किया गया है, जिससे घरेलू जैव-ईंधन उद्योग की वृद्धि को बल मिला है।
- किसानों को ₹1.18 लाख करोड़ का वितरण किया गया है, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई और कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा मिला।
- एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के बढ़ते उपयोग से 698 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान है।

एथनॉल सम्मिश्रण

- सरकार द्वारा 2018 में अधिसूचित की गई 'राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति' में 2030 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों और उत्साहजनक प्रदर्शन को देखते हुए इस 20% लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया।

एथनॉल (ETHANOL)

- एथनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
- अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट (खमीर) की मदद से शर्करा (Sugar) के किण्वन (Fermentation) द्वारा किया जाता है। गन्ने के रस या शीरे (Molasses) में शर्करा सुक्रोज के रूप में होती है, जो टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है।
- अनाजों में स्टार्च (एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट) होता है, जिसे पहले निकालकर सुक्रोज और सरल शर्करा में परिवर्तित करना पड़ता है। इसके पश्चात् ही उसका किण्वन, निर्जलीकरण (Dehydration) और आसवन (Distillation) कर एथनॉल बनाया जाता है।
- पेट्रोल में मिश्रण के लिए प्रयुक्त एथनॉल मुख्यतः गन्ने जैसी फसलों से प्राप्त किया जाता है, जिससे यह पहल भारतीय कृषि को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ADB ने भारत की वित्त वर्ष 2026 की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% किया

संदर्भ

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर (वित्त वर्ष 2025-26) के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है, जो पहले 6.7% था। यह कटौती मुख्य रूप से अमेरिका की टैरिफ नीतियों के प्रभाव के कारण की गई है।

परिचय

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए की गई थी। इसके 69 सदस्य देश हैं।
- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य अपने विकासशील सदस्य देशों को गरीबी कम करने और उनके लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करना है। यह समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से सतत् विकास तथा क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस।

भारत का बीमा क्षेत्र

संदर्भ

हाल ही में इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IBAI) और McKinsey - Company द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार,भारत के बीमा क्षेत्र में मजबूत विस्तार होने का अनुमान है।

परिचय

- रिपोर्ट के अनुसार, ग्रॉस अंडररिटन प्रीमियम (GWP) 2024 के ₹11.2 लाख करोड़ से बढ़कर 2030 तक 123% की वृद्धि के साथ ₹25 लाख करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।
- यह वृद्धि भारत में बीमा की पहुँच को वर्तमान 3.7% से बढ़ाकर 5% तक ले जाएगी, जिससे भारत 2023 में दर्ज किए गए वैश्विक औसत 6.8% के और करीब पहुँच जाएगा।
- वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 के बीच, इस उद्योग ने मजबूत दो अंकीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें जीवन और सामान्य बीमा (Life & Non-Life) दोनों खंडों में कुल प्रीमियम ₹7.8 लाख करोड़ से बढ़कर ₹11.2 लाख करोड़ हो गया।
- संस्थानिक खंड (Institutional Segment), जो मुख्य रूप से सामान्य बीमा से संबंधित है, का GWP 2030 तक लगभग तीन गुना बढ़कर ₹2.8 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- वहीं, खुदरा खंड का GWP 2030 तक लगभग ₹21 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है, जिसमें 90% से अधिक हिस्सेदारी जीवन बीमा की होगी।
- **नोट:** भारत, उभरते बीमा बाजारों में विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है, जो प्रतिवर्ष 32-34% की दर से बढ़ रहा है।

भारतीय रेल द्वारा पहले हाइड्रोजन-संचालित कोच का परीक्षण

संदर्भ

भारतीय रेल ने चेन्नई स्थित अपने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में पहले हाइड्रोजन-संचालित कोच या ड्राइविंग पावर कार का परीक्षण किया।

परिचय

- भारत 1,200 एचपी की हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कर रहा है। यह भारत को हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन प्रौद्योगिकी के अग्रणी देशों में शामिल करेगा।
- हाइड्रोजन लोकोमोटिव भारतीय रेल की "Hydrogen for Heritage" पहल का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देशभर में धरोहर (हेरिटेज) और पहाड़ी मार्गों पर 35 हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनों को तैनात करना है।
- प्रत्येक ट्रेन की अनुमानित लागत लगभग ₹800 करोड़ (9.24 मिलियन डॉलर) है, जबकि प्रति मार्ग सहायक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त ₹700 करोड़ की आवश्यकता होगी।
- भारतीय रेल ने एक पायलट परियोजना भी प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत एक मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से पुन:सज्जित (retrofit) किया जा रहा है। यह ट्रेन उत्तर रेलवे नेटवर्क के जिन्द-सोनीपत मार्ग पर संचालित होने के लिए निर्धारित है।
- प्राथमिक डिजाइन, प्रमाणीकरण (validation) और परीक्षण का कार्य भारतीय रेल के अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) द्वारा किया जा रहा है।

हाइड्रोजन क्या है?

- हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्त्व है और यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो लगभग 75% सामान्य पदार्थ का निर्माण करता है।
- यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर-विषैला और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।

IT सेवा उद्योग में छंटनी

संदर्भ

हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 12,261 कर्मचारियों (अपनी वैश्विक कार्यबल का लगभग 2%) को नौकरी से निकालने की योजना की घोषणा की है।

परिचय

- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अपनी संशोधित बेंच नीति को लेकर निगरानी (जाँच-पड़ताल) में है।
- कंपनी ने एक नई तैनाती नीति लागू की है, जिसके अनुसार कर्मचारियों को हर वर्ष कम से कम 225 कार्य दिवसों तक बिल योग्य (billable) कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों के लिए बिना प्रोजेक्ट (बेंच पर) रहने की अधिकतम अवधि घटकर वर्षाना केवल 35 कार्य दिवस रह जाएगी।
- नेसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (NITES) ने इस नीति को 'जबरन लागू करने वाली', 'दंडात्मक' और 'अमानवीय' बताते हुए औपचारिक रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में शिकायत दर्ज की है।

परिचय

- 'बेंच' का आशय उन कर्मचारियों से है जो वर्तमान में किसी सक्रिय, बिल योग्य (billable) प्रोजेक्ट पर कार्यरत नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेरोल (वेतन सूची) पर बने रहते हैं। ये कर्मचारी हो सकते हैं: प्रोजेक्ट आवंटन की प्रतीक्षा में, प्रशिक्षण ले रहे हों, या भूमिकाओं के बीच संक्रमण (Transition) की प्रक्रिया में हों।
- बड़ी आईटी कंपनियाँ परंपरागत रूप से एक काफी बड़ी बेंच बनाए रखती रही हैं ताकि ग्राहकों की माँगों का शीघ्रता से जवाब देने में लचीलापन (Agility) सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य कारण

- **लागत अनुकूलन** (Cost Optimization)**:** बड़ी बेंच बनाए रखना मंदी (Lean Times) के दौरान महँगा और अक्षम (Inefficient) होता है।
- **कौशल असमानता एवं पुन:-तैनाती की चुनौतियाँ** (Skill Mismatch - Redeployment Challenges)**:** जैसे-जैसे डिलीवरी मॉडल एआई, क्लाउड और साइबर सुरक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, कई कर्मचारी विशेषकर मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर पर नई तकनीक-आधारित भूमिकाओं में स्थानांतरित (Transition) होने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- **एआई एवं स्वचालन का प्रभाव** (AI - Automation Impact)**:** एआई नौकरी भूमिकाओं को नया आकार दे रहा है। प्रवेश स्तर (Entry-Level) के कार्य तेजी से स्वचालित हो रहे हैं, जिससे बड़ी बेंच पूल की आवश्यकता कम हो रही है।
- **उत्पाद-केंद्रित डिलीवरी मॉडल:** आईटी कंपनियाँ पारंपरिक प्रोजेक्ट-आधारित स्टाफिंग से हटकर एजाइल, उत्पाद-केंद्रित टीमों की ओर बढ़ रही हैं। इससे बेंच स्ट्रेंथ पर निर्भरता घट रही है और लगातार नए कौशल सीखने (Continuous Upskilling) की माँग बढ़ रही है।

परिणाम

- **कर्मचारी चिंताएँ:** बढ़ती नौकरी असुरक्षा (Job Insecurity) कर्मचारियों के मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।
- **शिक्षा एवं करियर मार्गों पर दबाव:**
  - आईटी क्षेत्र इंजीनियरिंग स्नातकों का सबसे बड़ा नियोक्ता है।
  - छंटनी (Layoffs) पारंपरिक तकनीकी करियर की व्यवहार्यता (Viability) पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है।
- **आर्थिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ:** छंटनी भारत की अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को दर्शाती है – जहाँ गुणवत्तापूर्ण रोजगार विकास की गति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाया है।
- **वैश्विक निर्भरताएँ एवं कमजोरियाँ:** भारत की आईटी कंपनियाँ निर्यात बाजारों पर अत्यधिक निर्भर हैं, विशेषकर अमेरिका और यूरोप पर। वहाँ की मंदी (Recession), मुद्रास्फीति (Inflation) और टेक बजट कटौती सीधे भारत में भर्ती और प्रोजेक्ट वॉल्यूम को प्रभावित करती है।
- **पारदर्शिता एवं न्यायसंगतता:** आलोचकों का तर्क है कि नीतियों में संवेदनशीलता (Empathy) की कमी है और यह असमान रूप से फ्रेशर्स और मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स को प्रभावित कर सकती हैं।

अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर भारत के प्रतिकारात्मक शुल्क (RETALIATORY TARIFFS)

संदर्भ

भारतीय सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) को यह सूचित किया है कि वह अमेरिका पर लगभग 724 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रतिकारात्मक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रख रही है।

परिचय

- यह कदम अमेरिका के उस निर्णय के पश्चात् उठाया गया है, जिसमें उसने भारत से आने वाले यात्री वाहनों, हल्के ट्रकों और कुछ ऑटोमोबाइल पुर्जों के आयात पर 25% ऐड-वेलोरम (ad valorem) बढ़ोत्तरी सहित सेफगार्ड शुल्क को बढ़ाने का फैसला किया।
- भारत द्वारा प्रस्तावित रियायतों का निलंबन या अन्य दायित्वों का पालन न करना, अमेरिका से आने वाले चयनित उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के रूप में होगा।

अमेरिकी टैरिफ की पृष्ठभूमि

- मूल रूप से वर्ष 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए इन शुल्कों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के आधार पर इस्पात (25%) और एल्यूमीनियम (10%) को निशाना बनाया था।
- वर्ष 2025 में, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान, अमेरिका ने देश और उत्पाद-विशिष्ट छूटों को समाप्त कर दिया, जिससे भारत सीधे प्रभावित हुआ।
- अमेरिका ने परामर्श आयोजित करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ये शुल्क सेफगार्ड उपाय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय हैं।

विश्व व्यापार संगठन सुरक्षा समझौता

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सेफगार्ड समझौते के अनुच्छेद 12.3 के अनुसार, कोई भी देश यदि सेफगार्ड उपाय लागू करने की योजना बना रहा है तो उसे प्रभावित सदस्य देशों से पूर्व परामर्श करना आवश्यक है, ताकि वे प्रस्तावित कदम पर चर्चा कर सकें और स्पष्टीकरण माँग सकें।
- अनुच्छेद 12.5 के अंतर्गत, यदि कोई सदस्य देश बिना उचित परामर्श के सेफगार्ड उपाय लागू करता है, तो अन्य सदस्य देश अपनी व्यापार रियायतों को निलंबित करने की मंशा की सूचना दे सकते हैं।

भारत की स्थिति

- भारत का मानना है कि अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 (GATT 1994) तथा सेफगार्ड समझौते (AoS) के अनुरूप नहीं हैं।
- साथ ही, भारत ने कहा कि चूँकि अमेरिका ने AoS के अनुच्छेद 12.3 के अंतर्गत अनिवार्य परामर्श नहीं किया, इसलिए भारत को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई (retaliation) का अधिकार है।
  - भारत यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह अपनी व्यापार रियायतों या अन्य दायित्वों को निलंबित कर सकता है, जो उसके व्यापार पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों के तुल्य हों।
- **WTO निगरानी:** भारत अपनी इन कार्रवाइयों की सूचना WTO की काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स और सेफगार्ड समिति को देगा।

निहितार्थ

- **द्विपक्षीय व्यापार:** अमेरिका की कार्रवाई से प्रभावित व्यापार का अनुमानित मूल्य 2.9 अरब डॉलर है।
  - भारत अपने प्रस्तावित शुल्क उपायों के माध्यम से प्रतिवर्ष 723.75 मिलियन डॉलर की वसूली करना चाहता है।
- **व्यापार समझौता:**
  - भारत की अधिसूचना का समय महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय आया है जब भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर चल रही वार्ताओं में प्रगति की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं।
  - इस कदम को भारत द्वारा वार्ता में दबदबा बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर जब भारत अंतिम समझौते में अमेरिकी सेफगार्ड ड्यूटी को हटाने की कोशिश कर रहा है।
- **WTO नियम और सुधार:** यह विवाद कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क को सेफगार्ड उपाय माना जा सकता है या नहीं, WTO की प्रासंगिकता और प्रवर्तन क्षमता पर व्यापक बहस को और तेज करता है।
- **रणनीतिक कदम:** भारत की WTO अधिसूचना एक कानूनी और रणनीतिक कदम है, जो यह संकेत देती है कि भारत अमेरिका द्वारा ऑटोमोबाइल और उसके पुर्जों पर लगाए गए सेफगार्ड शुल्कों का प्रतिशोध करने के लिए तैयार है।

रासायनिक उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट "रासायनिक उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" जारी की है।

परिचय

- यह रिपोर्ट भारत के रासायनिक क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें अवसरों और चुनौतियों दोनों को रेखांकित किया गया है तथा भारत को वैश्विक रासायनिक बाजारों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक रोडमैप सुझाया गया है।
- रासायनिक उद्योग एक विशाल और विविधतापूर्ण क्षेत्र है, जो रासायनिक पदार्थों के उत्पादन, रूपांतरण और वितरण को सम्मिलित करता है।

भारत का रासायनिक उद्योग

- भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है और एशिया में तीसरे स्थान पर है।
- भारत की वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखला में 3.5% हिस्सेदारी है।

- **बाजार का आकार** (Market Size): वर्ष 2023 में यह क्षेत्र 220 अरब डॉलर से अधिक का था और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 7% का योगदान करता है।
- यह कृषि, औषधि उद्योग (Pharmaceuticals), वस्त्र, ऑटोमोबाइल और निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
- **भविष्य की संभावना** (Future Projection): वर्ष 2030 तक इसका विस्तार बढ़कर 400-450 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है और 2040 तक यह संभावित रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है।
- **रणनीतिक दृष्टिकोण** (Strategic Vision): वर्ष 2030 तक भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी को दोगुना करने का लक्ष्य है।

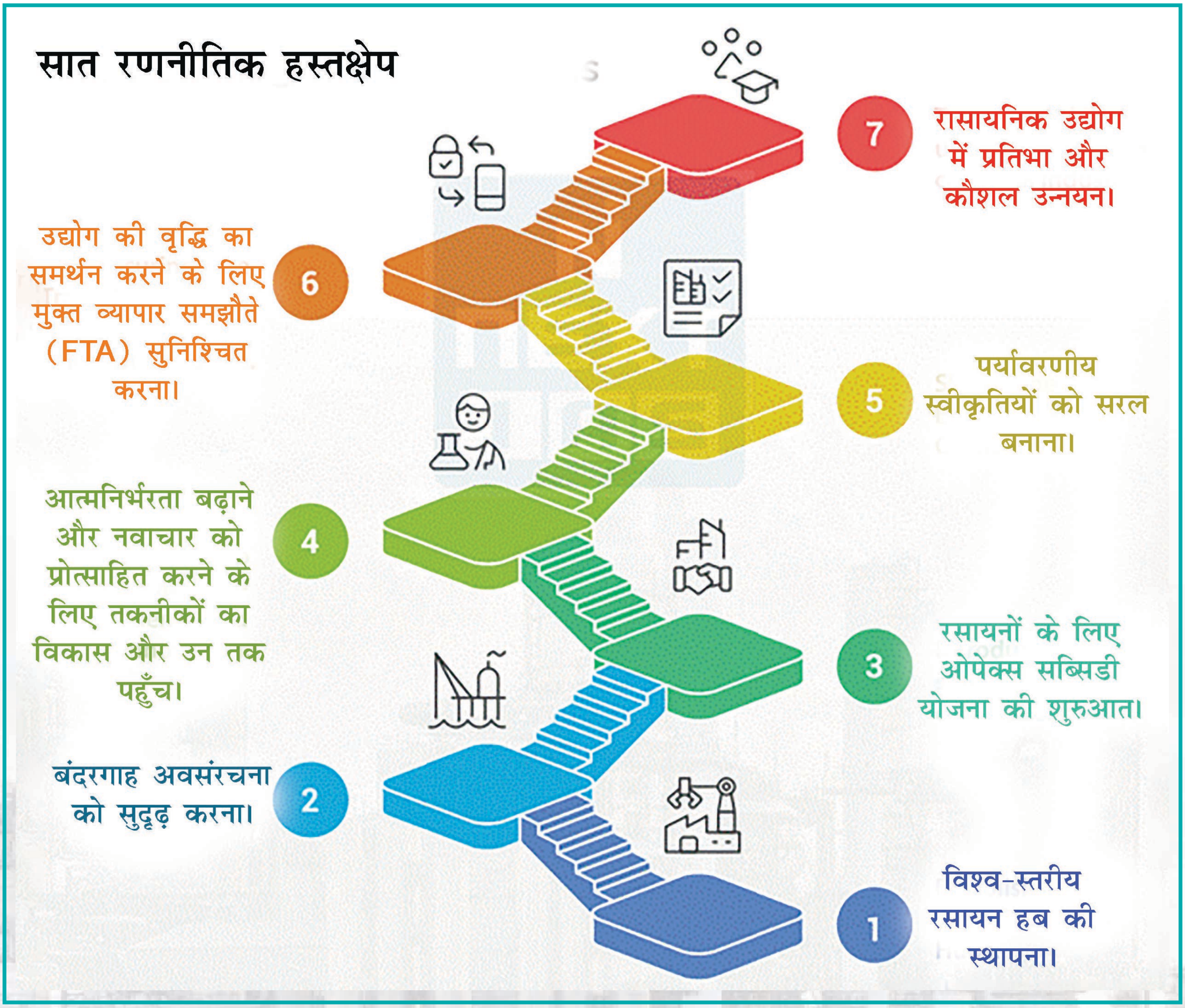

4 पर्यावरण

द्वितीयक प्रदूषक

संदर्भ

द्वितीयक प्रदूषक, विशेष रूप से अमोनियम सल्फेट, जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और अमोनिया (NH_3) की प्रतिक्रिया से बनता है, भारत में सूक्ष्म कणीय प्रदूषण (PM2.5) के लगभग एक-तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेदार है।

प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं?

- **प्राथमिक वायु प्रदूषक** (Primary Air Pollutants)**:** वे प्रदूषक जो सीधे किसी विशेष स्रोत से उत्सर्जित और निर्मित होते हैं। उदाहरण – कणीय पदार्थ (Particulates), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), सल्फर ऑक्साइड (SOx)
- **द्वितीयक वायु प्रदूषक:** वे प्रदूषक जो निचले वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। उदाहरण – ओजोन (Ozone) और द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल (Secondary Organic Aerosol / Haze)।
  - द्वितीयक प्रदूषकों को नियंत्रित करना कठिन होता है क्योंकि इनके बनने के तरीके अलग-अलग होते हैं और उनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया पूरी तरह समझी नहीं गई है।
  - ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और प्रकाश-रासायनिक धुंध (Photochemical Smog) जैसी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।

PM2.5

- **PM2.5** (जिसे सूक्ष्म कण भी कहा जाता है) सामान्यत: उन कणों को कहा जाता है, जिनका वायुगतिकीय व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है।
- सूक्ष्म कणों (Fine Particles) के स्रोतों में सभी प्रकार की दहन गतिविधियाँ जैसे मोटर वाहन, विद्युत संयंत्र, लकड़ी जलाना आदि, तथा कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

CITES के 50 वर्ष

संदर्भ

लुप्तप्राय वन्य जीव और वनस्पतियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि (CITES) को लागू हुए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं।

परिचय

- **उद्भव:** CITES (लुप्तप्राय वन्य जीव एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि) एक अग्रणी वैश्विक समझौता है, जिसकी परिकल्पना मूल रूप से 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की बैठक में की गई थी। यह 1 जुलाई 1975 को प्रभावी हुआ।
- **लक्ष्य और उद्देश्य:** CITES सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी जीवित रहने की क्षमता के लिए खतरा न बने।
  - यह एक लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है, जो सूचीबद्ध प्रजातियों तथा उनके अंगों या उत्पादों के सभी आयात, निर्यात और पुन:-निर्यात को नियंत्रित करता है।
- **प्रशासन और संरचना:** CITES सचिवालय का संचालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाता है।
  - 2024 तक, CITES के 185 पक्षकार (देश या क्षेत्रीय संगठन) हैं; भारत ने इस कन्वेंशन को 1976 में अनुमोदित किया था।
  - हालाँकि CITES अपने पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह राष्ट्रीय कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं करता। बल्कि, प्रत्येक पक्षकार को अपने घरेलू कानूनों के माध्यम से CITES को लागू करना होता है।

महत्त्व

- CITES ने सहमति-आधारित शासन और क्रियान्वयन उपकरणों को विकसित करके स्वयं को सबसे प्रभावी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इनमें CITES व्यापार डेटाबेस – जो वैश्विक वन्यजीव व्यापार डेटा का विश्व का सबसे व्यापक स्रोत है – और वैध अधिग्रहण, परमिटिंग और प्रवर्तन के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं।
- इस कन्वेंशन के कारण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने कई गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे अफ्रीकी हाथी, पैंगोलिन और मगरमच्छों को विलुप्ति के कगार से बचाने में मदद की है।

महत्त्वपूर्ण पहल

- **हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम:** इसे 10वें कॉप हरारे, 1997 में अपनाया गया था। यह एक साइट-आधारित प्रणाली है, जो अफ्रीका और एशिया में हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों की निगरानी करती है।
- **वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (ICCWC):** इसे 2010 में प्रारंभ किया गया था। यह CITES और अन्य संगठनों की साझेदारी है, जो राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वन्यजीव और वनों से जुड़े अपराधों से निपटने में सहायता प्रदान करती है।
- **CITES वृक्ष प्रजाति कार्यक्रम:** इसे 2024 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य CITES के अंतर्गत सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियों के प्रबंधन और सतत् उपयोग में सुधार करना है।

असम में गार्सिनिया की नई प्रजाति पाई गई

संदर्भ

असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया वंश से संबंधित एक नई पादप प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम गार्सिनिया कुसुमाए रखा गया है।

परिचय

- इस प्रजाति का नाम पर्यावरणविद जतीन्द्र शर्मा की दिवंगत माता कुसुम देवी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस खोज का नेतृत्व किया।
- यह प्रजाति स्थानीय रूप से थोइकोरा के नाम से जानी जाती है और यह एक द्विलिंगी (dioecious) सदाबहार वृक्ष है, जो अधिकतम 18 मीटर ऊँचाई तक बढ़ सकता है।

गार्सिनिया वंश के बारे में

- गार्सिनिया (Garcinia) क्लूसिएसी (Clusiaceae) कुल के अंतर्गत एक बड़ा, पैन-ट्रॉपिकल वंश है, जिसमें अब तक 414 ज्ञात प्रजातियों के झाड़ियाँ और वृक्ष शामिल हैं।
- यह वंश मुख्य रूप से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में वितरित है और सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है।
- गार्सिनिया की प्रजातियाँ अपनी औषधीय गुणों के साथ-साथ पाक और सांस्कृतिक महत्त्व के लिए जानी जाती हैं, विशेषकर आदिवासी समुदायों में।

भारत में गार्सिनिया:

- भारत में गार्सिनिया की 33 प्रजातियाँ और 7 किस्में पाई जाती हैं। केवल असम राज्य में ही 12 प्रजातियाँ और 3 किस्में पाई जाती हैं।
- **ये प्रजातियाँ मुख्यतः** पूर्वोत्तर के वर्षावनों, पश्चिमी घाटों, तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित हैं, जो इन्हें भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट्स का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।

ग्रीन क्लाइमेट फंड

संदर्भ

ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), जो विश्व का सबसे बड़ा जलवायु फंड है, ने एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा संचालित एक नए कार्यक्रम के लिए 200 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है।

परिचय

- यह एडीबी की इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी (IGFF) का समर्थन करेगा, जो एक मिश्रित वित्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत की प्रमुख विकास वित्त संस्थाओं (DFIs) और निजी क्षेत्र से उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश आकर्षित करना है।
- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) विश्व का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु फंड है।
- यह 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य विकासशील देशों का समर्थन करना है:
  - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित या कम करना (शमन)।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप ढलना (अनुकूलन)।
- जीसीएफ को अपने संसाधनों का 50% शमन और 50% अनुकूलन में अनुदान समकक्ष के रूप में निवेश करने का दायित्व है।
  - इसके अनुकूलन संसाधनों का कम से कम आधा हिस्सा सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देशों (SIDS, LDCs और अफ्रीकी राज्यों) में निवेश किया जाना चाहिए।
- **मुख्यालय:** इंचियोन, दक्षिण कोरिया।
- GCF का एक मुख्य सिद्धांत देश-चालित दृष्टिकोण का पालन करना है, जिसका अर्थ है कि विकासशील देश जीसीएफ कार्यक्रमों और क्रियान्वयन का नेतृत्व करते हैं।

खराई ऊँट

संदर्भ

समुद्री ज्वार में फंसे दुर्लभ खराई ऊँटों को गुजरात तट से बचाया गया।

परिचय

- खराई ऊँट गुजरात, भारत के कच्छ के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली एक दुर्लभ और अनोखी नस्ल है।
- इन्हें अक्सर "तैरने वाला ऊँट" कहा जाता है क्योंकि इनमें समुद्री जल में लंबी दूरी लगभग 3 किलोमीटर तक तैरकर चराई के लिए मैंग्रोव द्वीपों तक पहुँचने की अद्भुत क्षमता होती है।
- "खराई" नाम गुजराती शब्द "खारा" से लिया गया है, जिसका अर्थ है खारा (लवणीय), जो इनके लवणीय मरुस्थल और तटीय पारिस्थितिक तंत्र दोनों में अनुकूलन को दर्शाता है।
- इस नस्ल को रबारी और फकीरानी जाट जनजातियों द्वारा 400 वर्षों से संरक्षित किया गया है।

ग्रेट हॉर्नबिल

संदर्भ

एक दुर्लभ और अद्भुत दृश्य में, मलमुझक्की वेझमबल (ग्रेट हॉर्नबिल), जो केरल का राज्य पक्षी है, कक्कमपारा के तटीय क्षेत्र में देखा गया।

परिचय

- इसे कॉनकेव-कास्क्ड हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल भी कहा जाता है। यह हॉर्नबिल परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
- इसका विशाल आकार और आकर्षक रंग इसे कई जनजातीय संस्कृतियों और अनुष्ठानों में महत्त्वपूर्ण बनाते हैं।
- ग्रेट हॉर्नबिल कैद में 50 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यह मुख्यतः फलों पर निर्भर रहता है, लेकिन भोजन की कमी होने पर छोटे स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों का भी शिकार कर सकता है।

- इसे IUCN द्वारा सुभेद्य (Vulnerable) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है और भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित है।

क्या आप जानते हैं?

- केरल के अलावा, ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है।
- ग्रेट हॉर्नबिल को जंगल का किसान भी कहा जाता है, क्योंकि यह 40 प्रजातियों के वृक्षों के बीज फैलाता है।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) अधिसूचना

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) अधिसूचना 2011 के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नियमों को बढ़ाने और संशोधित करने वाली एक नई अधिसूचना जारी की है।

परिचय

- द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) अधिसूचना, 2011 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी एक कानूनी ढाँचा है, जिसका उद्देश्य भारत के द्वीपों, विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को विनियमित और संरक्षित करना है।
- अधिसूचना के अनुसार, IPZ 2011 के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियों की वैधता अब 10 वर्ष होगी (पहले 7 वर्ष थी)। इस अवधि को अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह अधिसूचना द्वीपों में अवसंरचना और पर्यटन परियोजनाओं में तेजी के बीच आई है, जिनमें ₹81,800 करोड़ की ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना (बंदरगाह, हवाई अड्डा, विद्युत संयंत्र, टाउनशिप, ट्रंक रोड) शामिल है।

CRZ से अंतर

- **CRZ (तटीय विनियमन क्षेत्र):** भारत की मुख्य भूमि के तट पर लागू होता है।
- **IPZ:** केवल द्वीपों पर लागू होता है।

RhODIS इंडिया

संदर्भ

असम वन विभाग ने गैंडे के सींगों की डीएनए प्रोफाइलिंग प्रारंभ की है, और इस आनुवंशिक डेटा को RhODIS इंडिया डीएनए डेटाबेस में सम्मिलित किया है ताकि वन्यजीव अपराध के विरुद्ध प्रयासों को मजबूत किया जा सके।

परिचय

- RhODIS® या राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम, एक वन्यजीव फोरेंसिक उपकरण है जिसे विशेष रूप से वन्यजीव अपराध मामलों की जाँच के लिए विकसित किया गया है।
- डेटाबेस प्रणाली में सभी गैंडों की डीएनए प्रोफाइलिंग जब्ती के मामलों को अपराध घटना से जोड़ती है और फोरेंसिक आधारित वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन में मदद करती है।
- RhODIS® की शुरुआत प्रिटोरिया विश्वविद्यालय की वेटरनरी जेनेटिक्स प्रयोगशाला द्वारा व्यक्तिगत गैंडों की विशिष्ट डीएनए प्रोफाइल का उपयोग करके डेटाबेस बनाकर की गई थी। इसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल किया गया।
- 2016 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के वन विभागों तथा WWF इंडिया के साथ मिलकर RhODIS इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया।
- यह कार्यक्रम अपराध जाँचों को वैज्ञानिक रूप से सुधारने और भारत की गैंडे की जनसंख्या के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

ग्रेट वन-हॉर्न्ड राइनोसेरोस (राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस)

- ग्रेट वन-हॉर्न्ड गैंडा (या "भारतीय गैंडा") गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा है (WWF के अनुसार)।
- **आवास और वितरण:** भारतीय गैंडे का पसंदीदा आवास मुख्य रूप से हिमालय की तराई तथा ब्रह्मपुत्र और गंगा घाटी में स्थित घासभूमि और आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं।
- वर्तमान में, यह प्रजाति इंडो-नेपाल तराई, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों और असम के छोटे-छोटे क्षेत्रों तक सीमित है। पूर्व में इनका व्यापक वितरण ब्रह्मपुत्र और गंगा घाटी में था।
- भारत में, गैंडे मुख्य रूप से सात संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे - असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पाबितरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान; पश्चिम बंगाल में जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान; तथा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अतिरिक्त, अस्थायी आबादी उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी देखी जाती है, जहाँ पड़ोसी नेपाल से गैंडे आते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN स्थिति:** सुभेद्य (Vulnerable)।
  - **CITES:** परिशिष्ट-I (उन प्रजातियों को शामिल करता है जो विलुप्ति के खतरे में हैं। इन प्रजातियों के नमूनों का व्यापार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत है)।

HTBt कपास

संदर्भ

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि शाकनाशी-सहिष्णु बीटी कपास (HTBt) की समस्या को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा, क्योंकि किसानों द्वारा इसके अवैध रूप से बोए जाने की रिपोर्टें सामने आई हैं।

परिचय

- HTBt कपास, जिसे शाकनाशी-सहिष्णु बीटी कपास भी कहा जाता है, एक आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास की किस्म है, जिसमें दो महत्त्वपूर्ण गुण शामिल हैं;

ग्रेटर वन-हॉर्न्ड गैंडा या
भारतीय गैंडा

(Rhinoceros unicornis)

एकांत में रहने वाले जीव

भौगोलिक क्षेत्रः
भारत में असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश; साथ ही नेपाल और भूटान

जनसंख्याः
3,500+ (केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही 2,400)

आयुः 30-45 वर्ष
ऊँचाईः 1-8-2 मीटर (वयस्क नर)

विशाल आकार
- गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति (WWF)
- एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी (एशियाई हाथी के बाद)

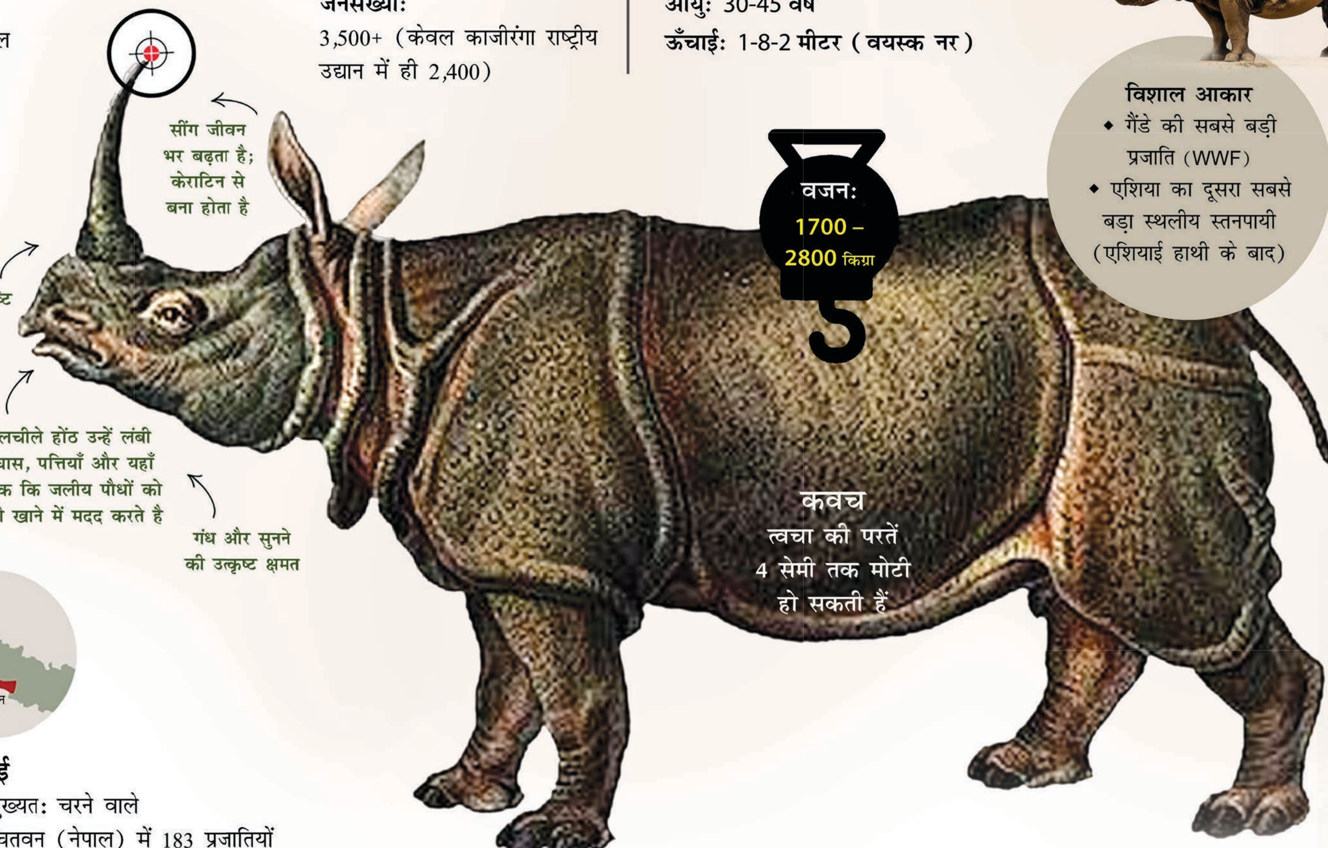

आवासः
ऊँची, जलोढ़ घासभूमिया

क्षेत्र
- औसतन वार्षिक क्षेत्र लगभग 4 वर्ग किमी
- मूत्र और मल से, खुरों से मिट्टी खुरचकर और सींगों से पेड़ों को घिसकर क्षेत्र चिह्नित करते हैं।

गोबर के ढेर
- इनके गोबर के ढेर, जिन्हें 'मिडन्स' कहा जाता है, संकेत देने वाले स्तंभ का कार्य करते हैं।
- एक बार में 25 किग्रा तक गोबर जमा कर सकते हैं।

चराई
- मुख्यतः चरने वाले
- चितवन (नेपाल) में 183 प्रजातियों के पौधों पर भोजन करते हुए।

ख़तरा
THREATS

- **सींग के लिए शिकार**, जिसे पारंपरिक चीनी दवाओं में उपयोग किया जाता है
- भीड़भाड़ वाले उद्यानों में **अंतःप्रजनन** और **रोगों का प्रसार**
- कृषि के कारण जलोढ़ घासभूमियों का नुकसान

संरक्षण स्थितिः
आईयूसीएन रेड लिस्ट पर संवेदनशील (Vulnerable)

- **बॉलवर्म प्रतिरोधक क्षमता:** यह Bt (बेसिलस थुरिंजिएन्सिस) जीन से प्राप्त होती है, जो बॉलवर्म कीटों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करता है।
- **शाकनाशी सहिष्णुता:** HTBt कपास को ग्लाइफोसेट के प्रति सहिष्णु बनाया गया है, जो खरपतवार नियंत्रण के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त शाकनाशी है।

- Bt कपास भारत की पहली GM फसल थी, जिसे 2002 में (बॉलगार्ड I) के रूप में पेश किया गया और 2006 में (बॉलगार्ड II) के रूप में उन्नत किया गया।
- HTBt कपास को अब तक आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। हालाँकि, इसकी अवैध खेती गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में की जा रही है।

असम की वूला चाय

संदर्भ

असम की वूला चाय ने भारत के पहले बैग-रहित चाय नवाचार 'कंप्रेस्ड टू होल लीफ टी डिप्स एंड मेथड देयरऑफ' के लिए 20 साल का पेटेंट सुरक्षित किया है।

परिचय

- 'एति कोली दुटि पात' (एक कली और दो पत्तियाँ) के संकुचित बंडल का उपयोग करता है, जिसे प्राकृतिक डोरी से बाँधा जाता है, जिससे पारंपरिक टी बैग्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- यह अभिनव बैग-रहित अवधारणा भारत के चाय निर्यात में मूल्य और स्थिरता जोड़ती है और सामान्य टी बैग्स से अक्सर निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स से भी बचाती है।

MNRE द्वारा बायोमास दिशा-निर्देशों में संशोधन

संदर्भ

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने राष्ट्रीय बायोएनेर्जी कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत बायोमास कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू होंगे।

परिचय

- बायोमास का अर्थ पौधों और जानवरों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ से है, जिसमें शामिल हैं: वानिकी अपशिष्ट, कृषि कार्य से अवशेष, उद्योग से प्रसंस्कृत अपशिष्ट, नगर/शहरी ठोस अपशिष्ट।
- देश में वार्षिक बायोमास उत्पादन लगभग 750 MMT है, जिसमें से 228 MMT अधिशेष (surplus) बायोमास है।

संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

- **सरलीकृत प्रक्रियाएँ:** कागजी कार्रवाई और स्वीकृति की बाधाओं में कमी, विशेष रूप से MSMEs को लाभ। ब्रिकेट/पैलेट निर्माण इकाइयों के लिए प्रलेखन आवश्यकताओं को आसान बनाया गया।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** IoT-आधारित निगरानी या त्रैमासिक डेटा प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा देता है, महँगे SCADA प्रणालियों की जगह। संचालन लागत को कम करते हुए डिजिटल जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- **बाजार लचीलापन:** पहले की दो-वर्षीय अनुबंध आवश्यकता को एक सामान्य बिक्री समझौते से बदलता है, जिससे व्यवसायों को बाजार की माँग के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करने की अनुमति मिलती है।
- **प्रदर्शन-आधारित सब्सिडी:**
  - केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के अंतर्गत, ≥80% दक्षता पर काम करने वाली परियोजनाओं को पूरी सब्सिडी मिलती है।
  - 80% से कम वाली परियोजनाओं को आनुपातिक (pro-rata) आधार पर सब्सिडी मिलती है।
- **तर्कसंगत निरीक्षण मानदंड:**
  - प्रदर्शन निरीक्षण अब या तो कमीशनिंग या सैद्धांतिक स्वीकृति के 18 महीनों के भीतर किया जा सकता है।
  - संचालन संबंधी आवश्यकता को तीन दिन (16 घंटे/प्रति दिन) से घटाकर एक 10 घंटे के समय तक कर दिया गया है ताकि प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके।
- **क्षेत्रीय समन्वय:** दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान व उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में बायोमास पेलेट उत्पादक, लाभ के आधार पर MNRE या CPCB सहायता योजनाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं।

राष्ट्रीय बायोएनेर्जी कार्यक्रम (NBP)

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय बायोएनेर्जी कार्यक्रम (NBP) अधिसूचित किया।
- इस कार्यक्रम को कुल 1715 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है और चरण-1 के लिए 858 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान आवंटित किया गया है।
- **राष्ट्रीय बायोएनेर्जी कार्यक्रम में निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल होंगी:**
  - **वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम:** बड़े बायोगैस, बायो CNG और पावर प्लांट्स की स्थापना का समर्थन करने के लिए (नगर निगम ठोस अपशिष्ट से पावर परियोजनाओं को छोड़कर)।
  - **बायोमास कार्यक्रम:** विद्युत उत्पादन और गैर-बैगेस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए पेलेट्स और ब्रिकेट्स की स्थापना का समर्थन करने के लिए।
  - **बायोगैस कार्यक्रम:** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करने के लिए।

नई लाइकेन प्रजाति द्वारा प्राचीन सहजीवन का खुलासा

संदर्भ

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट से लाइकेन की एक अब तक अज्ञात प्रजाति Allographa effusosoredica की खोज की है, जो सहजीवन, विकास और समुत्थान शक्ति पर प्रकाश डालती है।

परिचय

- Allographa effusosoredica एक क्रस्टोज लाइकेन है, जो सोरेडिया (पाउडर जैसे वनस्पति प्रजनन संरचनाएँ) उत्पन्न करता है और इसमें नॉर्स्टिक्टिक एसिड नामक रसायन पाया जाता है। यह आकृति-विज्ञान की दृष्टि से Graphis glaucescens से मेल खाता है, जिससे Graphidaceae कुल में वंशीय सीमाओं पर विकासवादी प्रश्न उठते हैं।
- यह भारत से Allographa की पहली प्रजाति है जिसका अनुक्रमण किया गया है और यह देश से आणविक डेटा द्वारा समर्थित पहली Allographa है।

लाइकेन

- ये संयुक्त जीव होते हैं जो एक कवक (माइकोबायोन्ट) और एक प्रकाश संश्लेषक साथी (फोटोबायोन्ट, आमतौर पर हरा शैवाल या सायनोबैक्टीरिया) के बीच सहजीवी संबंध से बनते हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** मृदा निर्माण, पोषक चक्रण, कीड़ों के लिए भोजन के रूप में कार्य करना, पर्यावरणीय गुणवत्ता (विशेषकर वायु प्रदूषण) के जैव संकेतक।

केरल के रबर बागान खतरे में

संदर्भ

केरल में रबर बागान पर एम्ब्रोसिया बीटल और दो कवकों (फुसैरियम एम्ब्रोसिया और फुसैरियम सोलानी) के पारस्परिक सहजीवी संबंध से खतरा मंडरा रहा है, जिससे वृक्षों को व्यापक नुकसान हो रहा है।

परिचय

- **एम्ब्रोसिया बीटल:** मध्य और दक्षिण अमेरिका के स्थानिक। इन्हें भारत में पहली बार 2012 में गोवा के पोंडा में काजू के पौधों में देखा गया था।
- ये मुख्य रूप से मृत, संक्रमित या तनावग्रस्त पेड़ों पर हमला करते हैं- अक्सर ऐसे पेड़ों से उत्सर्जित एथेनॉल से आकर्षित होते हैं।
- बीटल सीधे लकड़ी पर भोजन नहीं करते; बल्कि, वे छाल में गैलरी नामक सुरंग बनाते हैं और सहजीवी कवक (जैसे, Fusarium ambrosia) का परिचय कराते हैं।
- ये कवक एंजाइम स्रावित कर लकड़ी के ऊतकों को विघटित करते हैं, जिससे पोषक तत्त्वों से भरपूर वातावरण बनता है। इसके बाद बीटल और उनके लार्वा कवक के मायसीलियम (कवक का वनस्पतिक भाग) पर भोजन करते हैं, न कि स्वयं पेड़ पर।
- बीटल-कवक संबंध पेड़ों को कई तरीकों से नुकसान पहुँचाता है जैसे संरचना को कमजोर करना, गंभीर पत्तों का झड़ना, तना सूखना, और कुछ मामलों में पेड़ की मृत्यु तक हो जाना।
- संक्रमण रबर के पेड़ों से कुल लेटेक्स उत्पादन को भी प्रभावित करता है, जिससे आर्थिक और कृषि हानि होती है।
- **रोकथाम तकनीकें:** संक्रमण से निपटने के लिए, विशेषज्ञ कुछ विशिष्ट तरीकों का पालन करते हैं, जैसे एंटीफंगल एजेंट्स का उपयोग करना, पेड़ों के संक्रमित हिस्से को हटाना, छेद वाले किसी भी हिस्से को जलाना या काट देना, और रोकथाम उपायों के रूप में एम्ब्रोसिया बीटल के लिए जाल का उपयोग करना।

रबर उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति

- **जलवायु:** गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ, जहाँ तापमान 25-35°C के बीच होता है।
- **वर्षा:** वार्षिक वर्षा 1,800-2,500 मिमी के बीच।
- **मृदा प्रकार:** गहरी, अच्छी तरह से जल निकासी वाली दोमट या लेटराइटिक मिट्टियाँ, जिनमें अच्छी जल धारण क्षमता होती है।
- **ऊँचाई:** सामान्यत: समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊँचाई पर उगाया जाता है।
- **भारत में रबर उत्पादन:**
  - **केरल:** रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य, जो भारत के कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान करता है।
  - **अन्य राज्य:** तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम।

प्राकृतिक रबर उत्पादन

- प्राकृतिक रबर हेवेआ ब्रासिलिएन्सिस (Hevea brasiliensis) के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो अमेजन बेसिन का मूल वृक्ष है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 (FY25) में भारत का घरेलू उत्पादन 8.7 लाख टन रहा। उसी अवधि में प्राकृतिक रबर की घरेलू खपत 14.1 लाख टन तक पहुँच गई।
- भारत वर्तमान में चीन के पश्चात् विश्व में प्राकृतिक रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- हालाँकि, यह वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो खपत और घरेलू उत्पादन के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।
- विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि भारत की प्राकृतिक रबर (NR) खपत 2030 तक 20 लाख टन तक पहुँच जाएगी, जो बढ़ती माँग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को तेज करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है।

प्राकृतिक रबर का महत्त्व

- **टायर उद्योग:** प्राकृतिक रबर (NR) का 70% से अधिक उपभोग करता है; यह ऑटोमोबाइल, विमानन और रक्षा क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **रोजगार:** लगभग 13 लाख छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देता है, विशेष रूप से केरल, त्रिपुरा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में।
- **राष्ट्रीय समुत्थान शक्ति:** आयातित रबर और तैयार टायरों पर निर्भरता कम करना आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है।

रबर उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई पहल

- **NE-मित्र परियोजना** (North East Mission for Integrated Technology and Rubber Advancement)**:** इसका उद्देश्य रबर उत्पादन और प्राकृतिक रबर में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, जिससे देश की आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- **आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए,** ATMA (Automotive Tyre Manufacturers' Association) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रबर बोर्ड के सहयोग से परियोजना INROAD (Indian Natural Rubber Operations for Assisted Development) प्रारंभ की है।

सिंह-पूंछ मकाक

संदर्भ

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति ने शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना (2,000 मेगावाट) के लिए शरावती घाटी लायन-टेल्ड मकाक (सिंह-पूंछ मकाक) वन्यजीव अभयारण्य की 142.76 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

शरावती घाटी सिंह-पूंछ मकाक वन्यजीव अभयारण्य

- यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट में स्थित है।
- यह लगभग 700 सिंह-पूंछ मकाक का घर है, जो किसी भी संरक्षित क्षेत्र में इस विलुप्तप्राय प्रजाति की सबसे अधिक आबादी है।

सिंह-पूंछ मकाक (Macaca Silenus)

- यह एक बंदर प्रजाति है, जिसके गले के चारों ओर चाँदी-सफेद अयाल होता है और यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है।
- यह पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं का स्थानिक है।
- **जनसंख्या:** IUCN के अनुसार, केवल लगभग 2,500 जीव जंगल में शेष हैं और इनकी संख्या लगातार घट रही है।
- **आवास और वितरण:** इसे मकाक प्रजातियों में सबसे अधिक वृक्षवासी माना जाता है, जो अपना 93% समय जंगल की छत्रछाया के मध्य और ऊपरी भागों में बिताता है, और अपना 1% से भी कम समय जमीन पर बिताता है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों (शोलास) की ऊपरी छत्रछाया को प्राथमिकता देता है, लेकिन मानसूनी वनों और विक्षुब्ध क्षेत्रों में भी रह सकता है।
- **खतरे:** इसकी जनसंख्या को आवास हानि, खंडन, और मानव अतिक्रमण से खतरा है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति।
  - CITES की परिशिष्ट-I में शामिल।
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I, भाग-I में सूचीबद्ध।

पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो)

संदर्भ

जल शक्ति मंत्री ने नई दिल्ली में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) पर केंद्रित एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की।

परिचय

- पर्यावरणीय प्रवाह उस जल प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता को संदर्भित करता है, जो मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्रों और उन पर निर्भर आजीविकाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- यह नदियों और उनके मुहानों की पारिस्थितिक अखंडता बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- ई-फ्लो मानव कल्याण के लिए भी महत्त्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ जल उपयोग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और विनियमित है।
- नदी प्रवाह में व्यापक हस्तक्षेप-जैसे कि बांध और बैराज का निर्माण, प्रदूषण, और अतिक्रमण ने नदियों के पारिस्थितिक संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाला है।
- इन समस्याओं के समाधान के लिए "पर्यावरणीय प्रवाह" की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- ई-फ्लो अध्ययन प्रमुख मछली प्रजातियों के आवास और प्रवाह आवश्यकताओं पर विचार करते हैं ताकि जलीय जीवन के अस्तित्व और संतुलित नदी प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। यह समाज के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों में योगदान देता है।

क्योटो प्रोटोकॉल

संदर्भ

विजय शर्मा, क्योटो प्रोटोकॉल के निर्माता एवं भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार का निधन हो गया है।

परिचय

- एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत अपनाया गया।
- इसे 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू किया गया।
- **उद्देश्य:** ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना और वैश्विक ऊष्मीकरण का मुकाबला करना।
- **विधिक रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ:** विकसित देशों (Annex I देशों) के लिए अपनी GHG उत्सर्जन को कम करने हेतु। विकासशील देशों, जिनमें भारत और चीन शामिल हैं, के लिए कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं था।
- **लक्ष्य अवधि:**
  - **पहली प्रतिबद्धता अवधि (2008-2012):** 1990 के स्तर से औसतन 5% कम उत्सर्जन करना।
  - **दूसरी प्रतिबद्धता अवधि (2013-2020):** दोहा संशोधन के रूप में जानी जाती है (कई देशों द्वारा अनुमोदित नहीं, जिनमें अमेरिका और कनाडा शामिल हैं)।
- क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्य छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कवर करते हैं, अर्थात्: कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2); मीथेन (CH_4); नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O); हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स (HFCs); परफ्लोरोकार्बन्स (PFCs); और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6)
- लचीले बाजार तंत्र की स्थापना, जो उत्सर्जन परमिट के व्यापार पर आधारित हैं।
- प्रोटोकॉल के अंतर्गत, देशों को अपने लक्ष्यों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से पूरा करना होता है।
- हालाँकि, प्रोटोकॉल उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तीन बाजार-आधारित तंत्रों के रूप में एक अतिरिक्त साधन भी प्रदान करता है:

- **उत्सर्जन व्यापार** (Emissions Trading): देश लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन भत्तों का व्यापार कर सकते हैं।
- **क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म** (CDM): विकसित देश विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं को वित्त पोषित कर क्रेडिट कमा सकते हैं।
- **जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन** (JI): विकसित देशों के बीच उत्सर्जन कटौती परियोजनाएँ क्रेडिट उत्पन्न कर सकती हैं।

- एक अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) की स्थापना की गई थी ताकि क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया जा सके।
- वर्तमान में, क्योटो प्रोटोकॉल के 192 पक्षकार देश हैं।
- क्योटो प्रोटोकॉल को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में एक ऐतिहासिक विधायी उपलब्धि माना जाता है। यद्यपि इस संधि को पेरिस समझौते ने प्रतिस्थापित कर दिया है, फिर भी क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण और संरक्षण के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

सुनहरा सियार (GOLDEN JACKAL)

संदर्भ

गैर सरकारी संगठन अरण्यकम नेचर फाउंडेशन द्वारा किए गए शोध का अनुमान है कि केरल में 20,000-30,000 सुनहरे सियार हैं।

परिचय

- सुनहरा सियार (Canis aureus) जिसे कॉमन जैकल भी कहा जाता है, एक भेड़िये जैसा कैनिड है जो यूरेशिया का स्थानिक है।
- इसका कोट सुनहरे से हल्के सोने के रंग का या भूरे-सिरे वाला होता है, जो मौसम और क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है।
- **व्यवहार:** मुख्य रूप से रात्रिचर, यानी ज्यादातर रात में सक्रिय।
- **आवास और वितरण:** यूरोप, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में सुनहरे सियार केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में पाए जाते हैं।
- **आहार:** सर्वाहारी प्रकृति के होते हैं, ये छोटे स्तनधारियों, कीड़ों, खरगोशों, मछलियों, पक्षियों और फलों को खाते हैं और अक्सर इन्हीं की तलाश में मानव बस्तियों में भी चले जाते हैं।
- **कानूनी संरक्षण:**
  - **IUCN रेड लिस्ट:** लीस्ट कन्सर्न (Least Concern)
  - **CITES:** परिशिष्ट III (Appendix III)

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का हरित संश्लेषण

संदर्भ

एस. एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (SNBCBS) के शोधकर्ताओं ने जल और सूर्य के प्रकाश से सीधे H_2O_2 (हाइड्रोजन पेरॉक्साइड) संश्लेषित करने की एक नवीन पद्धति विकसित की है।

परिचय

- सूर्य का प्रकाश और जल अब एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (H_2O_2) में परिवर्तित किए जा सकते हैं, एक फोटोकैटेलिस्ट का उपयोग करके।
- इस रसायन के संश्लेषण की नई विधि हरित रसायन (ग्रीन केमिस्ट्री) के लिए नए अवसर खोल सकती है।

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड

- हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक महत्त्वपूर्ण ऑक्सीकारक है, जिसका उपयोग रासायनिक संश्लेषण, नसबंदी, अपशिष्ट जल उपचार और ईंधन कोशिकाओं में व्यापक रूप से किया जाता है।
- यह अपनी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह केवल जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है - H_2O_2 सतत् रासायनिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख घटक है।
- हालाँकि, इसके पारंपरिक उत्पादन तरीके ऊर्जा-गहन, पर्यावरण के लिए हानिकारक और महंगे होते हैं।

मौजूदा कमियाँ क्या थीं?

- पारंपरिक फोटोकैटेलिस्ट जैसे मेटल ऑक्साइड्स, ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड (g-C3N4), पॉलीमर्स और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) व्यापक बैंड गैप्स और सीमित स्थिरता के कारण सीमाएँ झेलते हैं।
- इसके विपरीत, कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (COFs) उच्च सतह क्षेत्र, ट्यून करने योग्य पोरोसिटी, संकीर्ण बैंड गैप्स, और फोटोस्टेबिलिटी जैसे लाभ प्रदान करते हैं। फिर भी, इनमें अक्सर सक्रिय स्थलों (active sites) और कुशल इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की कमी होती है।
- COFs में मेटल सेंटर्स को एम्बेड करना (M-COFs का निर्माण) इन समस्याओं का समाधान करता है, जिससे कैटलिटिक सक्रियता, चार्ज पृथक्करण और समग्र फोटोकैटलिटिक प्रदर्शन में वृद्धि होती है।

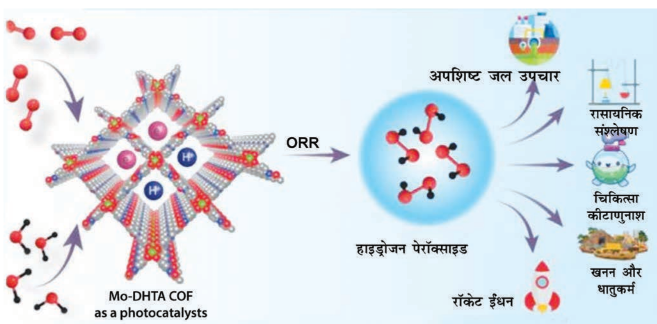

हालिया सफलता:

- शोधकर्ताओं ने H_2O_2 को सीधे जल और सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित करने के लिए Mo-DHTA COF नामक एक अत्याधुनिक पदार्थ का उपयोग करने का एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है, जिसका पूर्ण रूप है डाइमोलिब्डेनम पैडलव्हील-एम्बेडेड कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क।
- यह नवाचार हाइड्रोजन पेरऑक्साइड उत्पादन के लिए एक स्वच्छ, अधिक कुशल और पुनर्चक्रण योग्य मार्ग प्रदान करता है, जो संभावित रूप से औषधि उद्योग, हरित रसायन (ग्रीन केमिस्ट्री) और मटेरियल्स साइंस जैसे क्षेत्रों को परिवर्तित कर सकता है।

- Mo-DHTA COF डाइमोलिब्डेनम पैडलव्हील इकाइयों को α-हाइड्रोक्विनोन लिंकर्स के साथ एकीकृत करता है, जो बेंजीन के सुगंधित कार्बनिक व्युत्पन्न हैं और पैरापोजीशन पर हाइड्रॉक्सिल समूह रखते हैं। यह एक मजबूत ढाँचा (robust framework) बनाता है, जो ऑक्सीजन को बाँधने और दृश्य प्रकाश (visible light) के अंतर्गत उसके अपचयन (reduction) को सुगम बनाने में सक्षम होता है।
- प्रकाश विकिरण (light irradiation) पर यह पदार्थ, जो एक अत्यधिक संगठित आणविक ढाँचे (molecular scaffold) की तरह कार्य करता है और जिसमें धातु परमाणु जड़े होते हैं जो मिनी सोलर-पावर्ड फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं, एक्साइटॉन्स (excitons) उत्पन्न करता है, जो प्रकाश-उत्प्रेरक (photocatalytic) प्रतिक्रियाओं को संचालित करते हैं।
  - इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को घटाकर सुपरऑक्साइड रेडिकल्स बनाते हैं, जो प्रोटॉन्स और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ अभिक्रिया कर H_2O_2 का उत्पादन करते हैं।
- गौर करने योग्य है कि यह पदार्थ विभिन्न माध्यमों (media) में असाधारण प्रकाश-उत्प्रेरक दक्षता (photocatalytic efficiency) प्रदर्शित करता है, एथेनॉल और बेंजिल अल्कोहल में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन पेरऑक्साइड उत्पन्न करता है और यहाँ तक कि शुद्ध जल में भी प्रभावी रूप से कार्य करता है।
  - इसके अलावा, Mo-DHTA COF उत्कृष्ट संरचनात्मक स्थिरता और पुनर्चक्रण योग्यता (recyclability) प्रदर्शित करता है, जो इसे दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक टिकाऊ उत्प्रेरक (durable catalyst) बनाता है।

क्या आप जानते हैं?

एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, वह पदार्थ है जो ऑक्सीकरण कराने में सक्षम होता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया (chemical reaction) है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स खो दिए जाते हैं।

दूसरे शब्दों में, यह ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार कर सकता है, जिसके कारण वह अन्य पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देता है और ऑक्सीकृत हो जाता है।

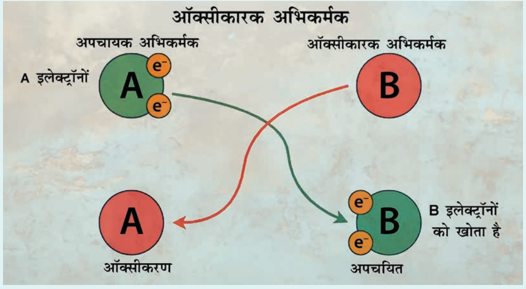

निष्कर्ष:

- Mo-DHTA COF का विकास फोटोकेटलिटिक प्रौद्योगिकी में एक बड़ा कदम है।
- सूर्य के प्रकाश और जल का पर्यावरण-हितैषी परिस्थितियों में उपयोग करके, यह पारंपरिक तरीकों का एक आशाजनक विकल्प प्रदान करता है। यह स्वच्छ, कम लागत वाला और हरित रासायनिक संश्लेषण (green chemical synthesis) की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसका व्यापक औद्योगिक प्रभाव होगा।
- यदि इस प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है, तो यह न केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बल्कि कई अन्य हरित रसायनों के उत्पादन के तरीकों को बदल सकता है।
- यह स्वदेशी विज्ञान और अनुसंधान विकास में भी एक बड़ा मील का पत्थर है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घासभूमि पक्षी गणना

संदर्भ

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए पहली घासभूमि पक्षी सर्वेक्षण रिपोर्ट 15 जुलाई, 2025 को जारी किया गया।

परिचय

- यह सर्वेक्षण 18 मार्च से 25 मई, 2025 के बीच किया गया था।
- सर्वेक्षण में एक नई कार्यप्रणाली "पैसिव अकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग" का उपयोग किया गया, जिसका उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में भी किया गया था।
- यह विधि छोटे और अत्यधिक छद्मावरण (camouflaged) वाले पक्षियों का सर्वेक्षण करने में मदद करती है, जिन्हें पारंपरिक तरीकों जैसे दृश्य गणना (visual counting) से गिनना बहुत कठिन होता है।
- इस पद्धति में पक्षियों के प्रजनन मौसम के दौरान, जब वे बहुत अधिक ध्वनि करते हैं-साथी को आकर्षित करने और नर पक्षियों द्वारा अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए-घासभूमि के पास ऊँचे पेड़ों में ध्वनि रिकॉर्डर लगाए जाते हैं।
- रिकॉर्डिंग का विश्लेषण स्पेक्ट्रोग्राम और Birdnet नामक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया, जिससे प्रजातियों की पहचान की जा सके।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** घासभूमि पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के सूचक होते हैं।
  - उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि आवास संतुलित और समृद्ध हैं।
  - जनगणना से जैव विविधता की स्थिति को समझने और लक्षित संरक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिलती है।
  - काजीरंगा असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ विश्व में भारतीय एक-सींग गैंडे की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है।

मुन्नार को एक वैश्विक 'उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य' बनाया जाएगा

संदर्भ

केरल सरकार मुन्नार को एक वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने पर कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य इसे नेट-जीरो पर्यटन केंद्र बनाना है जो इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सके।

परिचय

- यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक शांत हिल स्टेशन है और समुद्र तल से 1,600 मीटर की ऊँचाई पर तीन नदियों-मुथिरापुझा, नल्लथानी और कुंडला के संगम पर बसा हुआ है।
- यह अनामलाई हिल्स और कार्डामम हिल्स से घिरा हुआ है।
- अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध, यहाँ ढलान वाले पहाड़, धुंधली घाटियाँ, हरे-भरे चाय के बागान और झरने पाए जाते हैं।
- मूल रूप से यहाँ मुथुवन जनजातीय समुदाय निवास करता था और 19वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोपीय प्लांटर ए. एच. शार्प ने पहली बार चाय के बागान स्थापित किए, तब यह चाय का प्रमुख केंद्र बन गया।
- मुन्नार नीलकुरिंजी फूल के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर 12 वर्ष में एक बार खिलता है, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जो संकटग्रस्त नीलगिरि तहर और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनामुड़ी पीक का घर है।

माजुली द्वीप

संदर्भ

असम के माजुली के पाथोरिचुक गाँव के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर कंचन के पेड़ लगाकर नदी तट क्षरण से लड़ रहे हैं।

परिचय

- माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और वर्ष 2016 में भारत का पहला नदीय द्वीप जिला बना।
- माजुली मिसिंग, देओरी और सोनवाल कछारी जैसी जनजातियों का घर है और यह असमिया नव-वैष्णव संस्कृति का केंद्र है।
- कंचन के पेड़ गहरी जड़ों वाले होते हैं, जो मिट्टी को एक साथ पकड़कर रखते हैं और तेज नदी की धाराओं के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध की तरह कार्य करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

उमानंद द्वीप, जो असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ब्रिटिशों ने इसके आकार के कारण इसे "पीकॉक आइलैंड" (मोर द्वीप) कहा था।

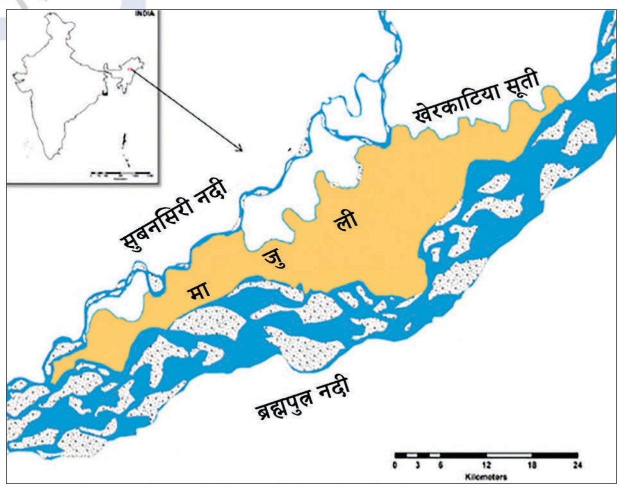

नून नदी

संदर्भ

नून नदी का जीर्णोद्धार समुदाय के नेतृत्व में गाद हटाने के प्रयासों के माध्यम से किया जा रहा है।

परिचय

- यह नदी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सताह गाँव से निकलती है और 81 किमी बहने के बाद यमुना से मिलती है।
- नदी के पुनर्जीवन का उद्देश्य कृषि भूमि के डूबने और जल की कमी की समस्या का समाधान करना है।
- सामुदायिक भागीदारी और प्रशासनिक सहयोग के कारण नदी का एक बड़ा हिस्सा पुनर्स्थापित किया गया है।
- यह हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने और अनेक गाँवों के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने की क्षमता प्रदान करती है।

महादेई नदी

संदर्भ

गोवा ने कर्नाटक पर महादेई नदी की कालसा सहायक नदी से अवैध जल मोड़ने का आरोप लगाते हुए मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठाया है।

परिचय

- **उद्गम:** पश्चिमी घाट (भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक)
- **घाटी:** (गोवा 78%, कर्नाटक 18%, महाराष्ट्र 4%)। यह कर्नाटक से होकर गोवा में प्रवेश करती है, जहाँ इसे मांडवी के नाम से जाना जाता है, और अरब सागर में मिल जाती है।
- **मुख्य झरने:** दूधसागर झरना और वरपोहा झरना।
- इसे कुछ स्थानों पर गोमती के नाम से भी जाना जाता है।

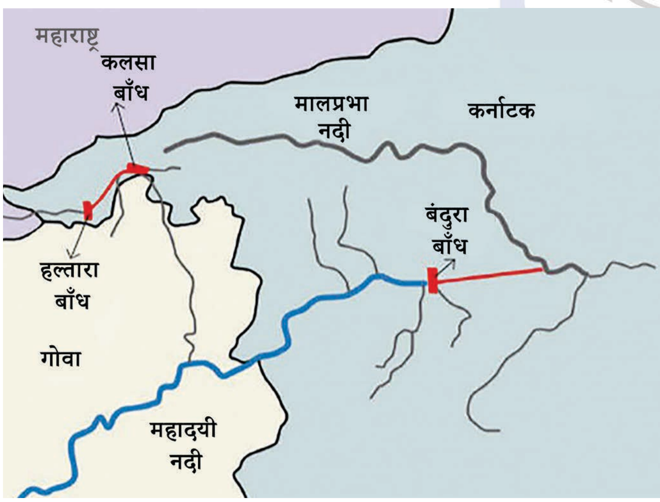

नपने जलप्रपात

संदर्भ

हाल ही में नपने जलप्रपात पर बने काँच के पुल का उद्घाटन किया गया।

परिचय

- नपने जलप्रपात कोंकण क्षेत्र में स्थित है और महाराष्ट्र में एक बारहमासी जलप्रपात है।
- यह हॉर्नबिल, तितलियों और प्रचुर मात्रा में स्थानिक वनस्पतियों का घर है, जो सौंदर्य और पारिस्थितिक आकर्षण दोनों प्रदान करता है।
- यह स्थान कुछ विदेशी पक्षी जीवन का भी घर है, जो पूरे क्षेत्र से पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करता है।

वुलर झील

संदर्भ

झील में 30 वर्षों बाद फिर से कमल खिले है। वर्ष 1992 की भीषण बाढ़ में कमल की गाँठें (rhizomes) गाद की परतों के नीचे दब गई थीं।

परिचय

- **अवस्थिति:** यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में, हरमुक पर्वत की तलहटी में स्थित है।
    - यह कुल 200 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली है, जिसकी लंबाई लगभग 24 किमी और चौड़ाई 10 किमी है।
    - वुलर झील का मुख्य जलस्रोत झेलम नदी है।
    - वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है (बैकाल झील के बाद)।
- इसका उद्भव टेक्टोनिक गतिविधियों से हुआ है।
- इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था।

चोल गंगम झील

संदर्भ

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक चोल गंगम झील (जिसे पोननेरी झील भी कहा जाता है) को विकसित करने की एक बड़ी पहल की घोषणा की है।

परिचय

- चोल गंगम झील का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम (1014–1044 ईस्वी) द्वारा किया गया था और यह चोल युग की जल-इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे मूल रूप से उनकी उत्तरी विजय अभियान की स्मृति में और अपने नए राजधानी नगर में पवित्र गंगा जल लाने के लिए बनाया गया था।
- झील और उससे जुड़ी नहरें गंगैकोंडा चोलपुरम की कार्यप्रणाली और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण थीं, जो चोलों के उन्नत जल प्रबंधन और नगरीय नियोजन को दर्शाती हैं।

करियाचल्ली द्वीप

संदर्भ

तमिलनाडु सतत् महासागरीय संसाधन दोहन (TNSHORE) परियोजना अगस्त 2025 में करियाचल्ली द्वीप को बचाने के लिए प्रारंभ होने की उम्मीद है। यह परियोजना कृत्रिम मॉड्यूल लगाकर रीफ (प्रवाल भित्तियों) को पुनर्जीवित करने, सीग्रास (समुद्री घास) के मैदान लगाने और समुद्री जीवन को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी।

करियाचल्ली द्वीप

- यह द्वीप मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क क्षेत्र के 21 द्वीपों में से एक है।
  - यह खाड़ी भारत की चार प्रमुख प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) में से एक का घर है (अन्य तीन हैं-कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप द्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह)।
- यह भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर रामेश्वरम और तूतीकोरिन के बीच स्थित है।
- 1969 से यह 70% से अधिक सिकुड़ चुका है, जिसका कारण है अपरदन (erosion), समुद्र स्तर का बढ़ना और प्रवाल भित्तियों का क्षरण। इसके वर्ष 2036 तक डूब जाने का खतरा है।

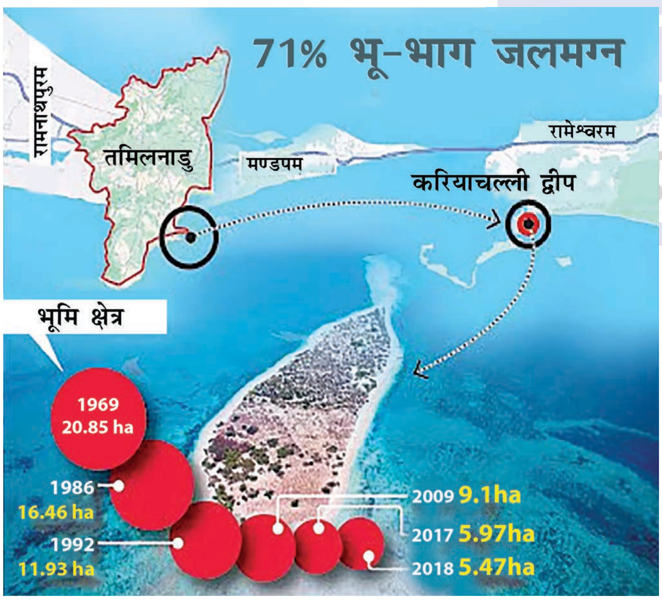

प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित

संदर्भ

नामीबिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस" प्रदान किया। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं।

परिचय

- नामीबिया अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है।
- इसके उत्तर में अंगोला, उत्तर-पूर्व में जाम्बिया, पूर्व में बोत्सवाना, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है।
- देश का नाम नामिब मरुस्थल से लिया गया है, जिसे विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल माना जाता है।
- **मुख्य नदियाँ:** नामीबिया की सीमाओं के साथ चार बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं - जाम्बेजी, ऑरेंज, कुनने और ओकावांगो/कुबांगो।

क्या आप जानते हैं?

नामीबिया वास्तविक समय डिजिटल भुगतान के लिए भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणाली को अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है।

रोल क्लाउड

संदर्भ

एक दुर्लभ "रोल क्लाउड," जो एक लंबी, नलिका-आकार की बादल संरचना है, पुर्तगाल के पोवा दो वारजिम के समुद्र तट पर लुढ़कते हुए देखी गई।

परिचय

- रोल क्लाउड एक क्षैतिज, नलिका-आकार का, निम्न और अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रकार का आर्कस बादल है। ये आमतौर पर एक क्षैतिज अक्ष के चारों ओर "लुढ़कते" हुए दिखाई देते हैं।
- यह वातावरण में उत्पन्न एक तरंग द्वारा बनता है, जो आस-पास के क्षेत्रों में उठने और डूबने की गति पैदा करती है, जिससे बादल बनते हैं और आगे की ओर लुढ़कते हुए प्रतीत होते हैं।
- इस प्रकार का रोल क्लाउड कई सौ मील लंबा फैल सकता है।
- **निर्माण:** समुद्र के ऊपर से आने वाली ठंडी, नम हवा भूमि के ऊपर की गर्म, शुष्क हवा से मिलती है।

- यह तीव्र संघनन, बादल के ऊपर और नीचे अलग-अलग दिशाओं में बहने वाली हवाओं के साथ मिलकर इसे विशिष्ट सिगार जैसी आकृति देता है, जो प्रायः तटों के पास दिखाई देती है।
- यह अक्सर तूफान से पहले बनता है, जब तूफान की डाउनड्राफ्ट (नीचे गिरने वाली धारा) से निकलने वाली हवाएँ गर्म, नम हवा के साथ मिलती हैं।

- **खतरनाक नहीं:** यह नाटकीय दिखता है लेकिन इसका संबंध गंभीर मौसम या बवंडर (टॉरनेडो) गतिविधि से नहीं होता।
- **सामान्य स्थान:** पुर्तगाल में रोल क्लाउड असामान्य हैं, ये अधिकतर ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर देखे जाते हैं, जहाँ तस्मानिया से आने वाली ठंडी हवा गर्म मुख्य भूमि की परिस्थितियों से मिलती है।
- **दुर्लभता:** यह अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है और सामान्यतः अल्पकालिक होता है।

ब्लू नील

संदर्भ

इथियोपिया ने ब्लू नील नदी पर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम (GERD) के पूरा होने की घोषणा की है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र है। यह परियोजना लंबे समय से मिस्र और सूडान के साथ तनाव का कारण रही है।

परिचय

- ब्लू नील नदी की उत्पत्ति लेक टाना से होती है, जो पूर्वी अफ्रीका के इथियोपियाई हाइलैंड्स में स्थित है।
- यह खार्तूम (जो सूडान की राजधानी है) में श्वेत नील नदी से मिलती है। इस संगम से नदी उत्तर की ओर सूडान और मिस्र से होकर प्रवाहित होती है और अंततः भूमध्य सागर में नील नदी के रूप में मिल जाती है।
- नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो 11 देशों से होकर बहती है: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, युगांडा, केन्या, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, रवांडा, तंजानिया, सूडान और मिस्र।
- नील की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं: श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील लंबी होने के कारण पारंपरिक रूप से इसे जलग्रहण क्षेत्र की धारा माना जाता है, जबकि वास्तव में संगम के बाद ब्लू नील 80% जल और गाद का योगदान करती है।

त्रिनिदाद और टोबैगो

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को अपनाने वाला कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है।

परिचय

- **अवस्थिति:** त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियाई सागर में स्थित है।
- यह पश्चिमी इंडीज में लेसर एंटील्स का हिस्सा है, जो भौगोलिक रूप से अटलांटिक महासागर और कैरेबियाई सागर के बीच स्थित है। ये द्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के निकट स्थित हैं, जिन्हें पारिया की खाड़ी अलग करती है।
- **राजधानी:** पोर्ट ऑफ स्पेन
- **जनसांख्यिक पहलू:** जनसंख्या का 35% से अधिक हिस्सा भारतीय मूल का है, जिनकी जड़ें मुख्य रूप से उन गिरमिटिया मजदूरों से जुड़ी हैं, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से लाया गया था।

एस्वातिनी

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने गंभीर अपराधों के दोषी पाँच विदेशी नागरिकों को एस्वातिनी निर्वासित कर दिया है।

परिचय

- यह एक स्थलरुद्ध देश है जो दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक की सीमा से लगा हुआ है।
- यह लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ कॉमन मॉनेटरी एरिया (CMA) का सदस्य है।
- पहले इसे स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था और इसने 2018 में अपना नाम बदलकर अपनी उपनिवेश-पूर्व पहचान को दर्शाने के लिए एस्वातिनी रखा।
- यह विश्व के उन कुछ देशों में से एक है, और अफ्रीका का एकमात्र देश है, जहाँ एक निरंकुश सम्राट शासन करता है।

तुर्काना बेसिन

संदर्भ

हाल के अध्ययनों में केन्या के तुर्काना बेसिन में विलुप्त स्तनपायी जीवाश्मों से 18-20 मिलियन वर्ष पुराने इनैमल प्रोटीन निकाले गए।

परिचय

- तुर्काना बेसिन उत्तर-पश्चिमी केन्या और दक्षिणी इथियोपिया में एक विशाल अंतर्देशीय क्षेत्र है, जो विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील तुर्काना झील के आसपास केंद्रित है।
- यह अपने समृद्ध जीवाश्म रिकॉर्ड, अद्वितीय जैव विविधता और मानव एवं स्तनधारी विकास के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है।

क्या आप जानते हैं?

- एण्डोरेइक बेसिन, जिसे क्लोज्ड या टर्मिनल बेसिन भी कहा जाता है, एक ऐसा जल निकासी बेसिन होता है जहाँ जल समुद्र या महासागर तक नहीं पहुँचता।
- इसके बजाय, नदियों, धाराओं या वर्षा के माध्यम से बेसिन में आने वाला जल भीतर ही फँसा रहता है और अंततः केवल वाष्पीकरण या भूमि में रिसाव के माध्यम से बाहर निकलता है।

UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट, 2025

संदर्भ

सातवाँ संस्करण, फ्रंटियर्स 2025: द वेट ऑफ टाइम - फेसिंग ए न्यू एज ऑफ चौलेंजेज फॉर प्यूपल एंड इकोसिस्टम्स, उभरते पर्यावरणीय खतरों और संभावित समाधानों को उजागर करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **हीटवेव और संवेदनशील जनसंख्या:** अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ बार-बार और अधिक तीव्रता से हो रही हैं, जिसमें बुजुर्ग (65+) मृत्यु और स्वास्थ्य जोखिमों का अधिक सामना कर रहे हैं; इस समूह में गर्मी से संबंधित मौतों में 1990 के दशक से 85% की वृद्धि हुई है।
  - अत्यधिक गर्मी या ठंड के तीव्र और लंबे समय तक संपर्क से हृदय संबंधी, मस्तिष्क संबंधी और श्वसन संबंधी स्थितियों का जोखिम बढ़ जाता है।
- **क्रायोस्फीयर में गिरावट और जॉम्बी सूक्ष्मजीव:** पिघलते ग्लेशियर और स्थायी हिम ("क्रायोस्फीयर पतन") 67 करोड़ लोगों की जल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और प्राचीन सुप्त रोगजनकों को पुनः सक्रिय करने का जोखिम उत्पन्न करते हैं, जो एएमआर (प्रतिजैविक प्रतिरोध) का कारण बन सकते हैं।
- **पुराने बाँध:** रिपोर्ट असुरक्षित, अप्रचलित बाँधों के खतरे को रेखांकित करती है, जो पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों के लिए खतरा हैं, और सुझाव देती है कि बाँधों को हटाने से नदियों और जैव विविधता को पुनः स्थापित किया जा सकता है।
- **भारत-विशिष्ट प्रभाव:** 1986-2005 और 2013-2022 के बीच, भारत में वृद्ध वयस्कों ने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2.1-4 अतिरिक्त हीटवेव दिनों में वृद्धि का अनुभव किया। इससे हीटवेव के दौरान बुजुर्गों में बीमारी और मृत्यु दर की उच्च दर देखी गई।

सिफारिशें

- **शहरों को आयु-अनुकूल समुत्थानशील के लिए रूपांतरित करें:** प्रदूषण-मुक्त, समुत्थानशील और सुलभ शहरी स्थान विकसित करें जिनमें प्रचुर मात्रा में हरियाली हो।
  - शहरी नियोजन में सुधार करें ताकि वृद्ध होती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, विशेषकर अत्यधिक मौसम की घटनाओं के दौरान।

- **प्रारंभिक चेतावनी और अनुकूलन में निवेश करें:** अत्यधिक गर्मी की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए मौसम स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करें।
  - समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा दें और वृद्ध वयस्कों के लिए समय पर जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित करें।
- **'15-मिनट शहर' दृष्टिकोण अपनाएँ:** ऐसे मोहल्लों को डिजाइन करें जहाँ आवश्यक सेवाएँ – घर, कार्यस्थल, विद्यालय, दुकानें और हरित क्षेत्र 15 मिनट की पैदल दूरी या साइकिल पर हों। यह सघन और सुलभ मॉडल वृद्ध वयस्कों के लिए स्वतंत्र जीवन का समर्थन करता है, कार पर निर्भरता को कम करता है और वायु गुणवत्ता में सुधार करता है।

सोकोत्रा द्वीप

संदर्भ

संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन की फील्ड टीमों ने यमन के सोकोत्रा द्वीप पर एक व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

परिचय

- सोकोत्रा द्वीप भारतीय महासागर में स्थित एक दूरस्थ यमनी द्वीपसमूह है, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में लगभग 380 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
  - यह उत्तर-पश्चिम भारतीय महासागर में अदन की खाड़ी के पास 250 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें चार द्वीप तथा दो पथरीले टापू शामिल हैं, जो अफ्रीका के हॉर्न के विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं।
- सोकोत्रा अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लगभग एक-तिहाई पादप प्रजातियाँ स्थानिक (endemic) हैं और विश्व में कहीं और नहीं पाई जातीं। अपनी प्राकृतिक महत्ता के बावजूद, सोकोत्रा यमन के गृहयुद्ध से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इस द्वीप को वर्ष 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।

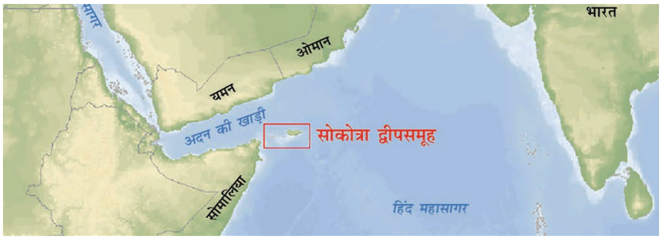

काबो डेलगाडो क्षेत्र

संदर्भ

एक नए अध्ययन से पता चला है कि उत्तरी मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो क्षेत्र में स्थित रोवुमा बेसिन में प्रस्तावित चार तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) परियोजनाएँ, यदि पूरी तरह से उपयोग की जाती हैं, तो वैश्विक जलवायु पर असामान्य रूप से बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।

परिचय

- काबो डेलगाडो मोजाम्बिक का सबसे उत्तरी प्रांत है, जो उत्तर में तंजानिया (रोवुमा नदी के पार), पश्चिम में निआसा प्रांत, दक्षिण में नामपुला प्रांत और पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है।

कामचटका प्रायद्वीप

संदर्भ

रूस के कामचटका प्रायद्वीप में कई भूकंप आए।

परिचय

- सुदूर पूर्वी रूस में स्थित यह प्रायद्वीप पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर एवं बेरिंग सागर के बीच स्थित है।
- यह कामचाटका के ज्वालामुखियों का घर है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और प्रशांत अग्नि वृत्त का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

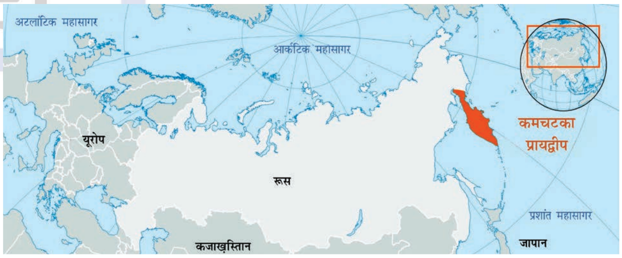

ग्रेट रूहा नदी

संदर्भ

तंजानिया का विज़न 2050 महान रूहा नदी को खतरा पहुँचाने वाले जलवायु संकट से निपटने का लक्ष्य रखता है, जो कृषि और जैव विविधता के लिए एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है।

परिचय

- यह तंजानिया के दक्षिण-मध्य क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है।
- यह उत्तर-पूर्व की ओर उसांगु आर्द्रभूमियों से होकर प्रवाहित होती है, उसांगु मैदानों (जो कृषि और पशुपालन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं) से गुजरती है, और रुहा राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलती है।

6 आंतरिक सुरक्षा

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

संदर्भ

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹1.05 लाख करोड़ रुपये के पूँजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

परिचय

- **स्थापना:** 2001, कारगिल युद्ध (1999) के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसार।
- **उद्देश्य:** सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों और प्रणालियों की समय पर और प्रभावी खरीद सुनिश्चित करने हेतु खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित करना।

मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (MALE) ड्रोन

संदर्भ

अपनी सीमाओं के साथ निगरानी को मजबूत करने के लिए, भारत ने स्वदेशी निर्माताओं से 87 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (MALE) ड्रोन की खरीद को तेज कर दिया है।

MALE ड्रोन के बारे में

- **भूमिका:** MALE ड्रोन उन्नत, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी (Intelligence), निगरानी और टोही (Reconnaissance - ISR) क्षमताएँ प्रदान करते हैं और विविध भूभागों में प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं।
  - ये निगरानी और युद्ध अभियानों दोनों के लिए सुसज्जित होते हैं।
- **क्षमताएँ:**
  - **उड़ान अवधि:** लगातार 30 घंटे से अधिक की उड़ान।
  - **ऊँचाई:** कम से कम 35,000 फीट की अधिकतम ऊँचाई पर संचालन करने में सक्षम।
- **महत्त्व:** इन ड्रोन में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए, और कई प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियाँ इस खरीद का हिस्सा बनने की संभावना है। यह भारत की पहली बड़ी स्वदेशी MALE-श्रेणी ड्रोन की खरीद को दर्शाता है – इससे पहले, भारत मुख्य रूप से इजरायली कंपनियों से आयात पर निर्भर था।

अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर

संदर्भ

भारत को अमेरिका से अपने पहले अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं, जो इसकी सैन्य क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

परिचय

महाराष्ट्र का 'शहरी माओवाद' विधेयक

संदर्भ

महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा (MSPS) विधेयक, 2024, जिसे सामान्यत: 'शहरी माओवाद' विधेयक कहा जाता है, महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया।

पृष्ठभूमि:

- मौजूदा कानूनों (जैसे, यूएपीए) में शहरी माओवादी रणनीतियों से निपटने की खामियों के कारण इसे पेश किया गया।
- **शहरी मोर्चा रणनीति:** माओवादी समूह ग्रामीण विद्रोह को समर्थन देने और राज्य संस्थानों को कमजोर करने के लिए तेजी से गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), बुद्धिजीवियों, छात्रों और मीडिया मंचों का उपयोग कर रहे हैं।

- **राज्य स्तर की कार्रवाई:** महाराष्ट्र, उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष लोक सुरक्षा कानून लागू करने वाले राज्यों-तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में शामिल हो गया है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **उद्देश्य:** शहरी नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिबंधित संगठनों को समर्थन देना अपराध घोषित करना।
- **अवैध गतिविधि:** सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले कार्य, कानून की अवज्ञा को बढ़ावा देना, या उग्रवादी समूहों को बौद्धिक, वित्तीय, तार्किक या प्रतीकात्मक रूप से सहायता करना शामिल है।
- **राज्य की शक्तियाँ:** सरकार संगठनों को "अवैध" घोषित कर सकती है और उनकी सदस्यता, धन एकत्र करने या समर्थन करने पर दंडित कर सकती है।
- **दंड:** 2-7 वर्ष का कारावास; ₹2-5 लाख का जुर्माना; अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
- **संपत्ति जब्ती:** राज्य, दोष सिद्ध होने से पहले ही संबंधित संपत्तियों को जब्त कर सकता है; प्रभावित पक्ष 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
- **सुरक्षा उपाय:** जाँच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी; एक सलाहकार बोर्ड (3 उच्च न्यायालय-योग्य व्यक्तियों का) "अवैध" दर्जे की पुष्टि करेगा।

IMO परिषद का 134वाँ सत्र

संदर्भ

लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के 134वें सत्र के दौरान भारत ने समुद्री सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

सत्र में भारत के प्रमुख हस्तक्षेप

- भारत ने हाल ही में हुई समुद्री दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनमें एमएससी एल्सा 3 का डूबना (मई 2025) और वान हाई 503 में आग लगना (जून 2025) शामिल हैं-दोनों ही घटनाएँ केरल तट के पास हुई।

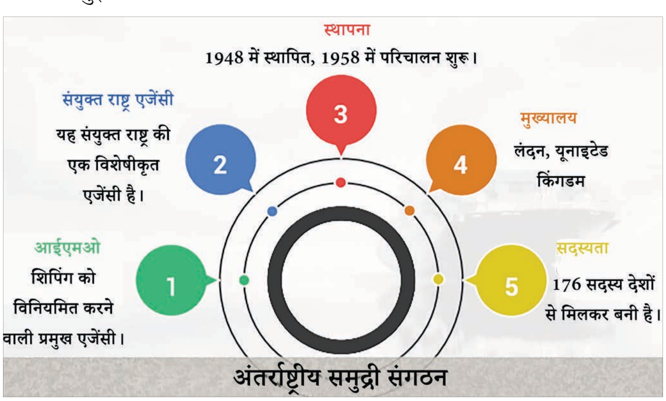

- खतरनाक कार्गो से जुड़े कंटेनर जहाज की घटनाओं पर आईएमओ-नेतृत्व वाली जाँच की माँग की।
- आईएमडीजी कोड के अंतर्गत विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों के लिए खतरनाक वस्तुओं के परिवहन हेतु वैश्विक मानकों की समीक्षा करने का आग्रह किया।
- खतरनाक सामग्रियों की पैकेजिंग, घोषणा, भंडारण और निगरानी से संबंधित प्रोटोकॉल में सुधार का अनुरोध किया।
- कंटेनर जहाज दुर्घटनाओं के लिए घटना प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के वैश्विक मानकीकरण का प्रस्ताव रखा और कंटेनर जहाजों की परिचालन सुरक्षा में सुधार हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने की माँग की।
- 2024 में प्रारंभ की गई "सागर में सम्मान" पहल को प्रदर्शित किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री कार्यस्थल पर सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देना है।
  - इस योजना का लक्ष्य समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, जिसमें नाविक से लेकर नेतृत्व भूमिकाएँ शामिल हैं।
  - भारत ने महिला नाविकों में 650% की वृद्धि की रिपोर्ट दी, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।

संबंधित कानून और अभिसमय:

- **अंतर्राष्ट्रीय जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (MARPOL):** इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा 1973 में लागू किया गया था और इसने तेल रिसाव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को मान्यता दी।
  - भारत MARPOL अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है।
- **समुद्री श्रम अभिसमय, 2006:** यह वैश्विक स्तर पर नाविकों के लिए न्यूनतम कार्य और जीवन स्तर निर्धारित करता है। इसमें समान अवसर, सुरक्षा और जहाजों पर लैंगिक समावेशन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।
- **वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958:** यह अधिनियम उस शक्ति का वर्णन करता है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार जहाज के स्वामी को नोटिस दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि जहाज निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं है।
  - नोटिस के बाद यदि व्यक्ति अनुपालन करने में विफल रहता है, तो सरकार उस व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराकर दंडित कर सकती है।

कारगिल विजय दिवस

संदर्भ

हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में मनाया जाता है।

परिचय

- यह संघर्ष मई 1999 में प्रारंभ हुआ, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पार भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लद्दाख की रणनीतिक जीवनरेखा को पृथक कर देना था।

- भारत ने अधिगृहीत की गई भूमि को वापस पाने के लिए ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया, जिसके परिणामस्वरूप कारगिल, लद्दाख की बर्फीली ऊँचाइयों पर लगभग तीन महीने तक तीव्र युद्ध चला।
- तोलोलिंग, टाइगर हिल और प्वाइंट 4875 की लड़ाइयाँ अब साहस और वीरता के अमर प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय स्मृति में अंकित हैं।
- 26 जुलाई, 1999 को इस अभियान को आधिकारिक रूप से सफल घोषित किया गया, जिसने भारत की निर्णायक विजय को चिह्नित किया।

पृथ्वी-II और अग्नि-I

संदर्भ

रणनीतिक बल कमान ने ओडिशा के चांदीपुर से पृथ्वी-II और अग्नि-I बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

परिचय

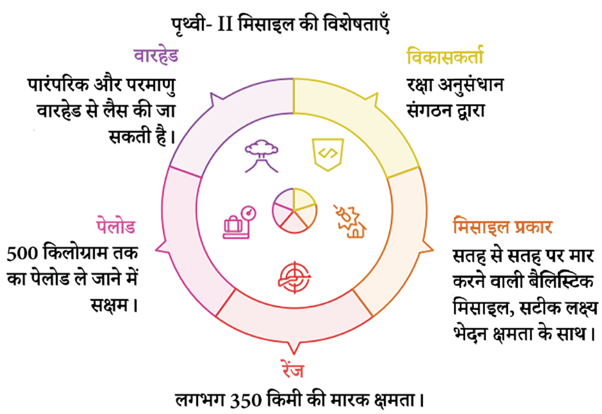

रणनीतिक बल कमान (SFC)

- 2003 में स्थापित, यह भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण का एक प्रमुख हिस्सा है, जो देश के परमाणु हथियारों की तैनाती और परिचालन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इसका नेतृत्व एक थ्री-स्टार जनरल (कमांडर-इन-चीफ रैंक) द्वारा किया जाता है।
- यह अग्नि और पृथ्वी जैसे रणनीतिक मिसाइल प्रणालियों के प्रशिक्षण, तत्परता और परीक्षण को सुनिश्चित करता है।

अस्त्र मिसाइल

संदर्भ

DRDO और भारतीय वायु सेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान-परीक्षण ओडिशा के तट से सुखोई-30 MKI से सफलतापूर्वक किया है।

पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली

संदर्भ

यूक्रेन को हथियार आपूर्ति पर चर्चा के बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे रूस की आक्रामकता के विरुद्ध यूक्रेन की मदद के लिए पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियाँ भेजेंगे।

परिचय

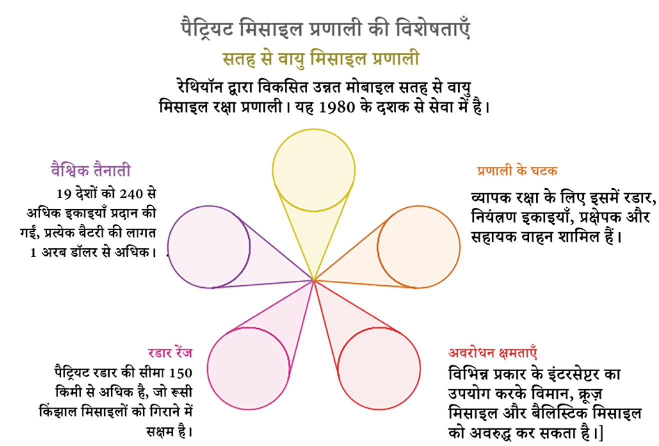

INS निस्तार

संदर्भ

भारतीय नौसेना को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापट्टनम से उसका पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) INS निस्तार प्राप्त हुआ।

परिचय

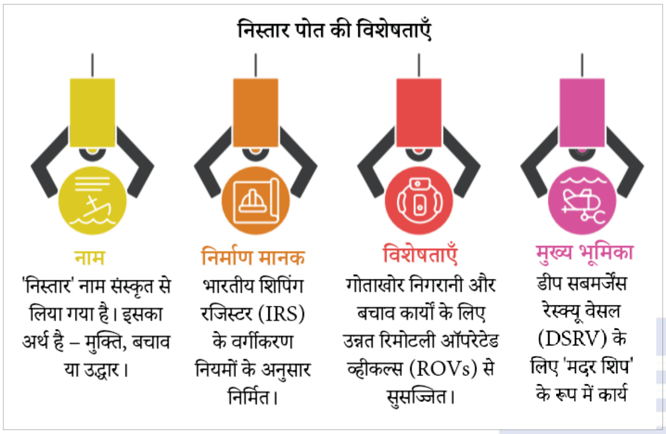

नशामुक्त भारत के लिए काशी घोषणा पत्र

संदर्भ

काशी घोषणा, जो नशामुक्त भारत के लिए पाँच वर्षीय रोडमैप का खाका प्रस्तुत करती है, वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित की गई।

परिचय

- काशी घोषणा यह पुष्टि करती है कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग को एक बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में देखा जाए, और इसके समाधान के लिए संपूर्ण सरकार तथा संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया जाए।
- यह बहु-मंत्रालयीय समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव रखती है, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन, वार्षिक प्रगति रिपोर्टिंग तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहयोग सेवाओं से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना शामिल है।

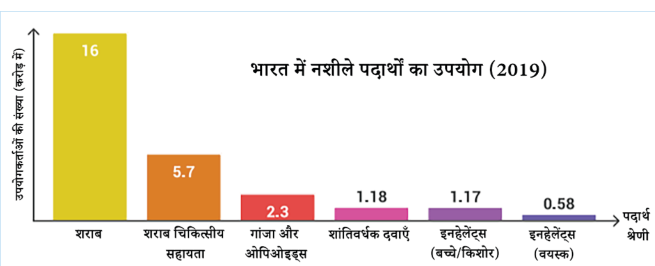

भारत में नशीली दवाओं के खतरे के कारण

- **भौगोलिक स्थिति:** भारत स्वर्णिम अर्धचंद्र (Golden Crescent) और स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle), जो प्रमुख वैश्विक मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्र हैं, के निकट स्थित है।
- पंजाब, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में आसान सीमा-पार तस्करी नशीले पदार्थों के प्रवेश को सक्षम बनाती है।
- **युवा संवेदनशीलता:** साथियों का दबाव, तनाव, बेरोजगारी और जिज्ञासा युवाओं को नशीली दवाओं के उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
- **कमजोर प्रवर्तन:** अपर्याप्त निगरानी, भ्रष्टाचार और अधिक बोझिल एजेंसियाँ प्रभावी नियंत्रण में बाधा डालती हैं।
- **आसान उपलब्धता:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्थानीय विक्रेता और फार्मेसियाँ नशीली दवाओं को अधिक सुलभ बनाती हैं।
- **सामाजिक विघटन:** टूटे हुए परिवार, अलगाव और सामुदायिक सहयोग की कमी नशे की लत के खतरों को बढ़ाते हैं।

उठाए गए कदम

- **भारतीय पहलें:**
  - **मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम):** यह अवैध दवाओं के उत्पादन, कब्जा, बिक्री और उपभोग पर रोक लगाता है और उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
  - **नशा मुक्त भारत अभियान:** 2020 में प्रारंभ किया गया यह अभियान नशे के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने और नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखता है।
  - **एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF):** कई राज्यों ने राज्य स्तर पर नशीली दवाओं के कानून के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए ANTF का गठन किया है।
  - **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अंतर्गत डार्कनेट मॉनिटरिंग सेल:** यह ऑनलाइन नशीली दवाओं की बिक्री पर नजर रखता है।
- **वैश्विक पहलें:**
  - **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC):** UNODC अवैध मादक द्रव्यों के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में अग्रणी है। इसके नेतृत्व में चलाया गया अभियान नशे के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड (INCB):** INCB वैश्विक नशीली दवाओं की स्थिति की निगरानी करता है और देशों की अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा नियंत्रण संधियों के अनुपालन की समीक्षा करता है।

मिसाइल (ULPGM)-V3

संदर्भ

DRDO ने उन्नत मानव रहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल-V3 का सफल उड़ान परीक्षण किया।

परिचय

- यह DRDO द्वारा डिजाइन, विकसित और परीक्षण किया गया है तथा इसे ULM-ER (एक्सटेंडेड-रेंज वैरिएंट) भी कहा जाता है।
- यह DRDO के UAV-लॉन्च प्रिसीजन म्यूनिशन का उन्नत संस्करण है और इसमें इमेजिंग इन्फ्रारेड (IR) सीकर का उपयोग करते हुए पैसिव होमिंग की सुविधा है, जिससे दिन और रात दोनों परिस्थितियों में सटीक निशाना साधा जा सकता है। इसे मैदानी और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में दागा जा सकता है।

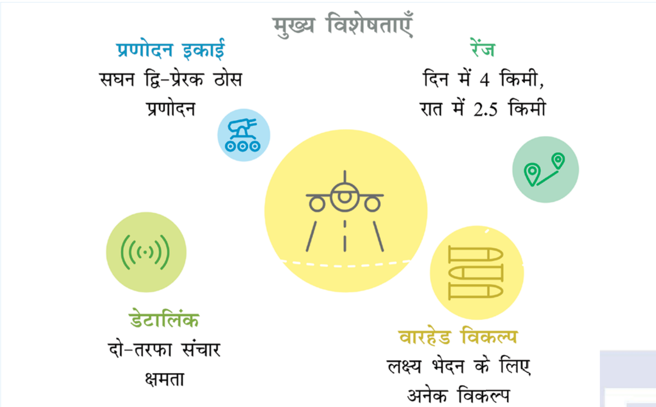

ऑपरेशन महादेव

संदर्भ

ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत भारतीय सुरक्षा बलों ने हाल ही में पहलगाम हमले से जुड़े तीन आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है।

परिचय

- यह एक आतंकवाद-रोधी अभियान है जिसे भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया।
- यह श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास दारा और हरवान के निकट लिदवास क्षेत्र में चलाया गया।
- यह अभियान सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा तथा चल रही ऑपरेशन सिंदूर बहस के बीच सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाएगा।

INS उदयगिरि

संदर्भ

भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS उदयगिरि प्राप्त किया, जो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट की औपचारिक डिलीवरी को दर्शाता है, जैसा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई।

परिचय

- INS उदयगिरि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो शिवालिक-श्रेणी (प्रोजेक्ट 17) की फ्रिगेट्स की उत्तराधिकारी है।
- यह सात P-17A फ्रिगेट्स में से एक है, जिनका निर्माण मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL), मुंबई और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा किया जा रहा है।

क्षमताएँ:

- यह एक बहु-भूमिका स्टेल्थ युद्धपोत है, जिसे गहरे समुद्र (ब्लू वॉटर) क्षेत्रों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है और यह पारंपरिक तथा असममित दोनों प्रकार के समुद्री खतरों का सामना करने के लिए सुसज्जित है।

विशेषताएँ:

- इस फ्रिगेट में उन्नत स्टेल्थ विशेषताएँ और अत्याधुनिक हथियार एवं सेंसर प्रणाली शामिल हैं, जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के माध्यम से स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत डिजाइन में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती हैं।

सिम्बेक्स अभ्यास

संदर्भ

भारतीय नौसेना सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) के 32वें संस्करण में भाग लेने जा रही है।

परिचय

- यह 1994 में 'अभ्यास लायन किंग' के रूप में प्रारंभ हुआ था और यह भारत के लिए सबसे लंबे समय तक बिना रुके चलने वाले समुद्री अभ्यासों में से एक है। यह प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (RSN) द्वारा आयोजित किया जाता है।

महत्त्व

- तब से यह भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (RSN) के बीच सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री सहयोगों में से एक बन गया है।
- यह अभ्यास भारत की विजन SAGAR और Act East नीति का समर्थन करता है, जो क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है।

अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025

संदर्भ

भारत-सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वाँ संस्करण जोधपुर, भारत में प्रारंभ हुआ।

परिचय

- पहली बार 2005 में आयोजित किया गया अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर-आधारित युद्ध अभ्यास है, जो मशीनीकृत युद्ध प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अंतर्गत पारस्परिक सहयोग क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) और संयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे भारत-सिंगापुर रक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सिंथेटिक HGP (SYNHG)

संदर्भ

यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने एक महत्त्वाकांक्षी पहल सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट (SynHG) प्रारंभ की है, जो मानव जीनोम को पढ़ने से लेकर उसे लिखने के प्रयास तक एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

परिचय

- HGP (ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट) के विपरीत, जो मानव जीनोम को पढ़ता है, SynHG का उद्देश्य मानव डीएनए के बड़े हिस्सों को कृत्रिम रूप से लिखना है यानी आनुवंशिक पढ़ने से लेकर इंजीनियरिंग तक का संक्रमण।
- **समय अवधि:** 5 वर्ष
- **उद्देश्य:** शुरुआत से ही बड़े और कार्यात्मक कृत्रिम मानव डीएनए खंडों का निर्माण करना। मानव जीनोमिक अनुक्रमों को लिखने, परीक्षण करने और संयोजित करने के लिए नई तकनीकों का विकास करना।

महत्त्व

- **रोग मॉडल:** कृत्रिम जीनोम मानव रोगों के मॉडल बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे सटीक दवा विकास संभव हो सकेगा।
- **जीन थेरेपी:** विशेष कार्यों के लिए डीएनए का डिजाइन करना आनुवंशिक विकारों का उपचार या यहाँ तक कि इलाज भी कर सकता है।
- **अंग विकास:** भविष्य में जैव-इंजीनियर्ड अंगों या ऊतकों के लिए आधार तैयार करता है।

मानव जीनोम परियोजना (HGP)

- **उद्देश्य:** सभी मानव जीन (लगभग 20,000-25,000) की पहचान और मानचित्रण करना तथा इस ज्ञान को नि:शुल्क उपलब्ध कराना।
- यह 1990 में प्रारंभ किया गया था और 2003 में पूरा हुआ।
- इसने सफलतापूर्वक मानव जीनोम के लगभग 3.1 अरब बेस पेयर्स में से ~92% का अनुक्रमण किया।

अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मँज़ूरी दी है।

योजना की आवश्यकता

- 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया कि यद्यपि भारत ने अनुसंधान और विकास (R&D) पर सकल व्यय (GERD) को 2011 में लगभग ₹60,196 करोड़ से बढ़ाकर 2021 में लगभग ₹1,27,381 करोड़ कर दिया है, फिर भी यह GDP का मात्र 0.64% ही है।

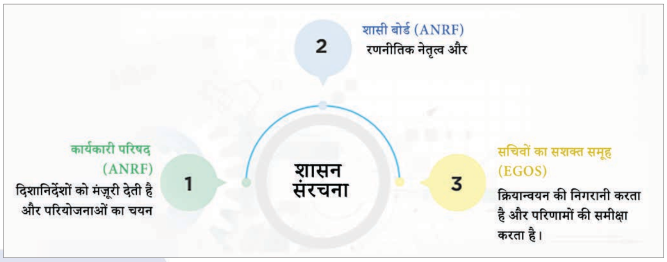

- सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया कि यह अब भी "अपर्याप्त है और उन अनेक देशों की तुलना में कम है जिन्होंने अनुसंधान एवं विकास (R&D) के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।"

योजना के बारे में:

- **नोडल एजेंसी:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
- **योजना के प्रमुख उद्देश्य:** अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक महत्त्व वाले क्षेत्रों में।
  - उच्च प्रभाव वाले परियोजनाओं को उन्नत प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों (TRLs) पर समर्थन देना।
  - महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना।
  - डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने हेतु "डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (FoF)" की स्थापना करना।
- **वित्तपोषण तंत्र:**
  - **कुल कोष:** ₹1 लाख करोड़, जो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) को 50 वर्ष के लिए ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा।
  - **विशेष प्रयोजन कोष (SPF):** ANRF के अंतर्गत निधियों के प्रबंधन और आवंटन हेतु स्थापित किया गया।

अल्टरमैग्नेट्स (ALTERMAGNETS)

संदर्भ

एस. एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पहचाने गए एक चुंबकीय पदार्थ क्रोमियम एंटीमोनाइड (CrSb) में एक असाधारण गुण की खोज की है।

परिचय

- अल्टरमैग्नेट्स चुंबकीय पदार्थों का एक नया वर्ग है, जो विशेष रूप से प्रतिचुंबक (Anti-ferromagnets) की आंतरिक स्पिन संरचना को, फेरोमैग्नेट्स से जुड़ी कार्यात्मक विशेषताओं के साथ जोड़ता है।
- इस आंतरिक चुंबकीय व्यवस्था के बावजूद, इनमें बाहरी शुद्ध चुंबकीयकरण (net external magnetization) शून्य रहता है।
- इनकी "छिपी हुई" चुंबकीय सममिति (magnetic symmetry) इलेक्ट्रॉन स्पिन और परिवहन गुणधर्मों पर अभूतपूर्व नियंत्रण प्रदान करती है, वह भी बिना किसी बाहरी चुंबकीय संकेत उत्पन्न किए।

ग्लूटेथिओन (GLUTATHIONE)

संदर्भ

अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मृत्यु ने ग्लूटाथियोन इंजेक्शनों को सुर्खियों में ला दिया है।

परिचय

- ग्लूटाथियोन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो स्वाभाविक रूप से हमारे यकृत (लिवर) द्वारा बनाया जाता है। यह त्वचा की मरम्मत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बुढ़ापे की गति को धीमा करता है, हानिकारक मुक्त कणों (फ्री रेडिकल्स) को निष्क्रिय करता है और यहाँ तक कि कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में भी मदद करता है। इसी कारण इसे अक्सर 'सभी एंटीऑक्सीडेंट्स की जननी' कहा जाता है।
- लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में ग्लूटाथियोन का उत्पादन कम हो जाता है - इसलिए कई लोग इसके स्तर को बढ़ाने के लिए मौखिक सप्लीमेंट्स या अंत:शिरा (IV) इंजेक्शन का सहारा लेते हैं।

इसका प्रभाव और विनियमन

- अधिक मात्रा में, विशेषकर इंजेक्शन के माध्यम से लिए गए ग्लूटाथियोन, गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं जैसे - एलर्जिक रिएक्शन, निम्न रक्तचाप, गुर्दे को नुकसान, और शरीर के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट संतुलन को बिगाड़ना।
- ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) जो भारत का राष्ट्रीय नियामक निकाय है (कॉस्मेटिक्स, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए) ने ग्लूटाथियोन को त्वचा को गोरा करने के उद्देश्य से अनुमोदित नहीं किया है। हालाँकि, इसका इस उद्देश्य के लिए व्यापक रूप से ऑफ-लेबल उपयोग किया जाता है।

DengiAll (डेंगीऑल)

संदर्भ

भारत ने अपनी स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन DengiAll के पहले चरण-III नैदानिक परीक्षण में 50% नामांकन का आँकड़ा पूरा कर लिया है।

परिचय

- यह वैक्सीन Panacea Biotec Limited द्वारा एक लाइसेंसिंग समझौते के अंतर्गत अमेरिका की प्रमुख संघीय एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के सहयोग से विकसित की गई है।
- DengiAll में डेंगू वायरस के सभी चार उपप्रकारों का कमजोर रूप (weakened form) शामिल है और इसका वायरस संघटन NIH द्वारा विकसित वैक्सीन के समान है, केवल इसमें प्रयुक्त निष्क्रिय तत्त्व (inactive ingredients) अलग हैं। इस परीक्षण को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से स्वीकृति मिली है।
- भारत में आयोजित चरण-I और II नैदानिक परीक्षणों ने सभी चार डेंगू वायरस प्रकारों के प्रति संतुलित और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदर्शित की।
- पूरे परीक्षण के समन्वय की जिम्मेदारी ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वायरोलॉजी (NITVAR) और एड्स रिसर्च (पूर्व में ICMR-NARI) के पास है।

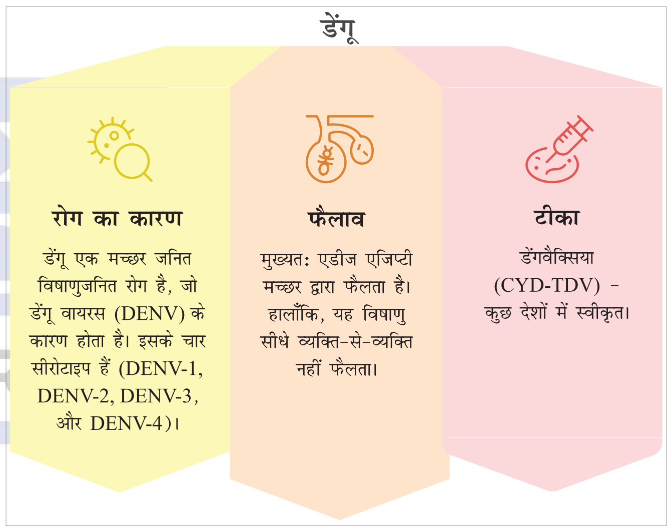

SAKSHAM-3000

संदर्भ

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, डॉ. पेम्मसानी चंद्र शेखर ने उच्च क्षमता वाले SAKSHAM-3000 का शुभारंभ किया।

परिचय

- यह एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच-कम-राउटर है, जिसे अगली पीढ़ी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (C-DOT) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एक उच्च क्षमता वाला, कॉम्पैक्ट 25.6 टीबीपीएस स्विच-राउटर है, जिसे आधुनिक डेटा सेंटरों के लिए तैयार किया गया है। यह 32 पोर्ट्स 400G और 1G से 400G तक की ईथरनेट स्पीड को सपोर्ट करता है।

विशेषताएँ

- यह बड़े कम्प्यूटिंग क्लस्टर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G/6G नेटवर्क्स, और एआई वर्कलोड्स के लिए आदर्श है।
- इसमें अत्यंत कम विलंबता (Ultra-low latency), वायर-स्पीड प्रोसेसिंग, और मॉड्यूलर CROS (C-DOT Router Operating System) ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएँ हैं।
- यह लेयर-2, IP और MPLS प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, ऊर्जा-कुशल (Energy-efficient) है, और PTP तथा Sync-E के साथ समय-संवेदी (time-sensitive) अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

संदर्भ

OPCW ने, भारत की राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार अभिसमय (NACWC) के सहयोग से, एशिया में राज्यों के पक्षकारों की राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की।

OPCW के बारे में:

- **स्थापना:** 1997, रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC) के अंतर्गत
- **मुख्यालय:** हेग, नीदरलैंड
- **सदस्य:** 193 राज्य पक्षकार (सन् 2025 तक)

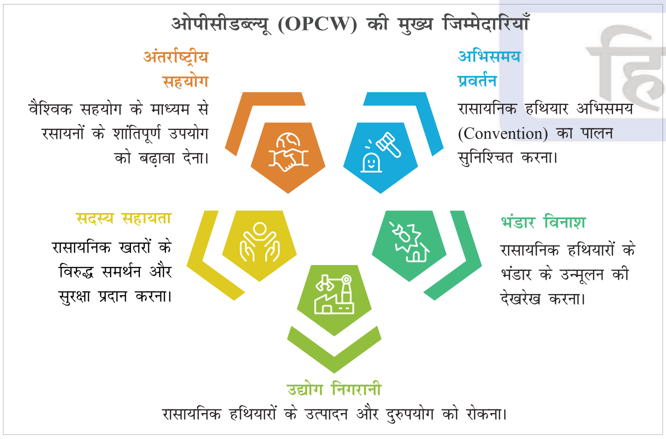

रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण

- **स्थापना के अंतर्गत:** रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 (भारत)।
- **नोडल निकाय:** भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन कार्य करता है।
- **भूमिका और दायित्व:** राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC) को लागू करना।
  - निरीक्षणों का समन्वय करना और OPCW के दौरे को सुगम बनाना।
  - उद्योगों के साथ समन्वय करना ताकि CWC के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
  - OPCW की आवश्यकताओं के अनुसार रासायनिक गतिविधियों पर घोषणाएँ और रिपोर्ट बनाए रखना।
  - भारत में रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक की दिशा में कार्य करना।

हैम रेडियो संचार

संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से हैम रेडियो का उपयोग करके छात्रों से संवाद किया।

हैम रेडियो के बारे में

- हैम रेडियो को प्रचलित रूप से गैरपेशेवर रेडियो (Amateur Radio) कहा जाता है। यह एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है, जो संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंगों पर आधारित होती है।
- इसे मुख्य रूप से शैक्षिक और ज्ञान-वर्धन के उद्देश्यों, आपातकालीन या SOS संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। एक निर्धारित आवृत्ति, ट्रांसीवर और एंटीना का उपयोग करके, प्रशिक्षित हैम ऑपरेटर दो लाइसेंस प्राप्त हैम उपयोगकर्ताओं के बीच संचार स्थापित कर सकते हैं।
- यह संचार अत्यंत स्थानीय (हाइपर-लोकल), वैश्विक और अंतरिक्ष तक हो सकता है। भारत में 12 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हैम रेडियो चला सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लाइसेंस जारी करता है।

अंतरिक्ष में उपयोग

- गैरपेशेवर रेडियो (Amateur Radio) का पहली बार उपयोग 1983 में एक स्पेस शटल पर अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच संचार के लिए किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भी शौकिया रेडियो ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ARISS) प्रणाली मौजूद है, जो अंतरिक्ष यात्रियों और विद्यार्थियों के बीच संवाद को संभव बनाती है ताकि युवा पीढ़ी को प्रेरित किया जा सके।
  - ARISS परियोजना को अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप की शौकिया रेडियो संस्थाओं और अंतरिक्ष एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है।
  - यह परियोजना उपकरण और संचालन संबंधी सहायता प्रदान करती है।
    - डॉकिंग जैसी महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के दौरान व्यवधान से बचने के लिए रेडियो बंद (outages) करने का समय पहले से तय किया जाता है।

एक्सियोम-4 दल ने हैम रेडियो का उपयोग किया

- एक्सियोम-4 मिशन के दौरान, भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री ISS पर अपने 14-दिवसीय प्रवास के दौरान दो बार हैम रेडियो का उपयोग करके अपने-अपने देशों से संवाद करेंगे।
  - यह संचार तब होगा जब ISS क्षितिज के ऊपर से गुजरेगा, और यह अवसर 5-8 मिनट की छोटी अवधि के लिए उपलब्ध होगा।

स्टारलिंक को नियामक स्वीकृति मिली

संदर्भ

भारत के अंतरिक्ष नियामक INSPACe ने एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को देश में अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।

परिचय

- स्टारलिंक 2022 से भारत में व्यावसायिक रूप से संचालन करने के लिए लाइसेंस की प्रतीक्षा कर रहा था।
- यह यूटेलसैट की वनवेब और रिलायंस जियो के बाद भारत में प्रवेश की अनुमति पाने वाली तीसरी कंपनी होगी।
  - अब स्टारलिंक को सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करना होगा, जमीनी ढाँचा तैयार करना होगा और परीक्षण एवं ट्रायल्स के माध्यम से यह प्रदर्शित करना होगा कि वह उन सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है जिन पर उसने हस्ताक्षर किए हैं।
- स्टारलिंक को Gen1 नक्षत्र (constellation) संचालित करने की अनुमति दी गई है, ताकि वह भारत में 2030 तक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षमता प्रदान कर सके।

भारत में विनियमन परिदृश्य

- **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत लाइसेंसिंग ढाँचा:**
  - **धारा 4:** दूरसंचार प्रणालियों (जिसमें वी-सैट भी शामिल है) की स्थापना और संचालन के लिए केंद्र सरकार को विशेषाधिकार प्रदान करती है।
  - **धारा 7:** सरकार को ऐसे लाइसेंसों के लिए नियम और शर्तें बनाने का अधिकार देती है।
- **नियामक निगरानी TRAI द्वारा (TRAI अधिनियम, 1997): धारा 11: TRAI के कार्यों की सूची प्रदान करती है:**
  - लाइसेंस की शर्तों और नियमों की अनुशंसा करना।
  - स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर सलाह देना।
  - समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।
  - TRAI अपनी नियामक अनुशंसाओं के माध्यम से स्टारलिंक के संचालन ढाँचे को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- **दूरसंचार अधिनियम, 2023:** उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन को नियंत्रित करता है।
  - प्रशासनिक आवंटन के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटन की अनुमति देता है।
  - **यह पालन अनिवार्य करता है:** सुरक्षा दायित्व और मूल्य निर्धारण मानदंड।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र विनियमन:**
  - उपग्रह संचार नीति, 2000 भारत में उपग्रह उपयोग को नियंत्रित करती है।
  - IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन एवं प्राधिकरण केंद्र) स्टारलिंक जैसे निजी खिलाड़ियों के साथ समन्वय करता है।
  - ISRO परिसंपत्तियों के साथ टकराव न हो, यह सुनिश्चित करता है।
  - राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राथमिकताओं के अनुरूप परिचालन (operations) को संरेखित करता है।
- **डेटा और साइबर सुरक्षा कानून:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर सुरक्षा और वैध इंटरसेप्शन (को नियंत्रित करता है।
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन को विनियमित करता है, तथा डेटा भंडारण और एन्क्रिप्शन मानदंड लागू करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा अनुपालन:** गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

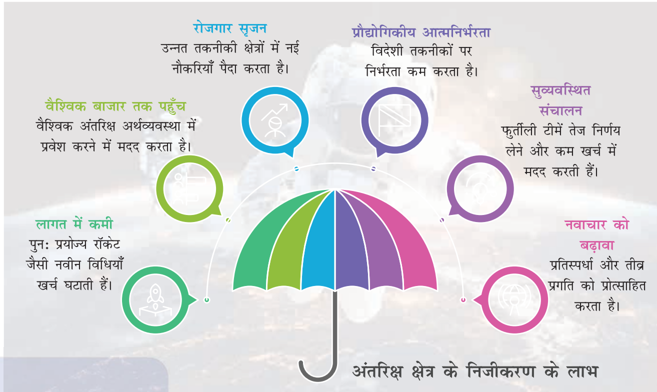

पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन

संदर्भ

शोधकर्ताओं ने इंडेनिल कैटायन (C9H7+) का अध्ययन किया ताकि टॉरस मॉलिक्यूलर क्लाउड 1 (TMC1) में PHA अणुओं के अस्तित्व का अध्ययन किया जा सके।

PAH के बारे में

- पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) कार्बन और हाइड्रोजन के सपाट, वलयाकार अणु होते हैं। खगोलशास्त्रियों का मानना है कि ये अंतरतारकीय अंतरिक्ष में मौजूद कुल कार्बन का पाँचवाँ हिस्सा बनाते हैं।
- एक परिकल्पना है कि उल्कापिंडों ने PAHs को अंतरिक्ष से प्रारंभिक पृथ्वी पर लाया और जीवन के प्रथम आधारभूत घटकों का निर्माण किया। इस कारण, अंतरिक्ष में उनके जीवित रहने की क्षमता को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

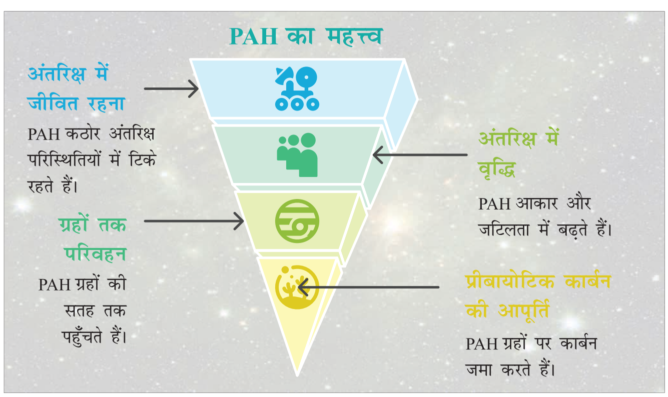

- पृथ्वी पर, PAHs कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन (जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने) के दौरान भी बनते हैं।

वृषभ आणविक बादल 1 (TMC1)

- वृषभ आणविक बादल 1 (TMC1) वृषभ तारामंडल में गैस, धूल और प्लाज्मा का एक ठंडा, काला बादल है। यह पृथ्वी से लगभग 430 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
- TMC1 में छोटे PAHs (जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स या "क्लोज्ड-शेल" होते हैं) बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि तारों की रोशनी उन्हें नष्ट कर देनी चाहिए।
- **इससे एक बड़ा सवाल उठा:** ये अणु इतनी कठोर अंतरिक्ष परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं?
- वैज्ञानिकों ने C9H7+ (इंडेनिल केशन) नामक PAH अंश का अध्ययन किया।
  - उन्होंने पाया कि इसमें तेज शीतलन (cooling) की क्षमता होती है, जो इसे टूटने के बजाय जीवित रहने में मदद करती है।

इन विट्रो बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रणाली

संदर्भ

चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विधि विकसित की है, जिसके माध्यम से मेथनॉल को सफेद चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे गन्ना या चुकंदर उगाने की आवश्यकता नहीं रहती।

परिचय

- टीम ने एक इन विट्रो बायोट्रांसफॉर्मेशन (ivBT) प्रणाली विकसित की है, जो मेथनॉल से सुक्रोज का संश्लेषण करती है। मेथनॉल एक निम्न-कार्बन रसायन है, जो औद्योगिक अपशिष्ट या कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है।
  - एंजाइमों का उपयोग करके मेथनॉल को परिवर्तित करने के माध्यम से शोधकर्ताओं ने पारंपरिक कृषि के लिए एक सतत् विकल्प प्रस्तुत किया है।
- **महत्त्व:** इन विट्रो बायोट्रांसफॉर्मेशन (ivBT) सतत् जैव-निर्माण के लिए एक अत्यंत संभावनाशील मंच के रूप में उभरा है।
  - कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को कृत्रिम रूप से भोजन और रसायनों में परिवर्तित करना एक आशाजनक रणनीति प्रस्तुत करता है, जो पर्यावरणीय और जनसंख्या-संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ कार्बन तटस्थता में योगदान देता है।

चीनी और वसा बोर्ड प्रदर्शित करना

संदर्भ

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी कार्यालयों को अपने परिसर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में चीनी और वसा की मात्रा की जानकारी देने के लिए 'चीनी और वसा बोर्ड' प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।

परिचय

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदख्राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR–NIN) द्वारा समर्थित यह कदम सरकारी कर्मचारियों और आगंतुकों में स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवहारिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने का लक्ष्य रखता है।
- **अनुशंसित दैनिक सेवन:**
  - **चीनी:** 25 ग्राम
  - **दृश्यमान वसा:** 30 ग्राम

इस कदम का महत्त्व

- भारत मधुमेह और हृदय रोग जैसी गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है, जो खराब आहार आदतों, विशेषकर अत्यधिक चीनी और वसा सेवन से प्रेरित है।
- सचेत खाद्य विकल्पों को प्रोत्साहित करके, यह पहल निवारक स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करती है और ट्रांस वसा-समृद्ध खाद्य पदार्थों के व्यापक नियमन की दिशा में पहला कदम हो सकती है।

ट्रांस वसा

- ट्रांस वसा (या ट्रांस-फैटी एसिड) एक प्रकार की असंतृप्त वसा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
- **LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है:** ट्रांस वसा रक्त में "खराब" LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे धमनियों में प्लाक जमाव बढ़ता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।
- **HDL कोलेस्ट्रॉल घटाता है:** यह "अच्छे" HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर सकता है, जो शरीर से LDL कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है।

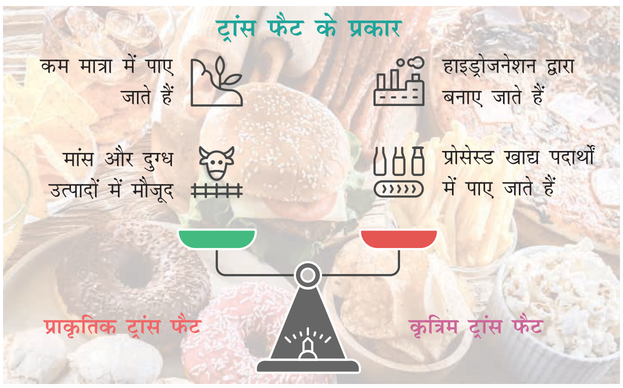

माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी

संदर्भ

ब्रिटेन में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) नामक एक प्रायोगिक तकनीक की मदद से आठ स्वस्थ शिशुओं का जन्म हुआ।

परिचय

- माताओं में उनके माइटोकॉन्ड्रियल उत्परिवर्तन के कारण अपने शिशुओं को जानलेवा रोगों से प्रभावित करने का उच्च जोखिम था।
- चार लड़के और चार लड़कियाँ सात महिलाओं से पैदा हुए और उनमें माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों के कोई लक्षण नहीं हैं, जिनके वे विरासत में मिलने के जोखिम में थे।
- यूके 2015 में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। यह प्रक्रिया अभी भारत में अनुमत नहीं है।

माइटोकॉन्ड्रियल जीन

- **माइटोकॉन्ड्रिया:** मानव जीन शरीर की लगभग हर कोशिका के नाभिक में संकुचित रहते हैं।
  - नाभिक को घेरने वाले द्रव में सैकड़ों से हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो अपने स्वयं के 37 जीन का समूह रखते हैं।
  - माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली-बद्ध ऑर्गेनेल होते हैं जिन्हें अक्सर "कोशिका के पावरहाउस" कहा जाता है क्योंकि वे ऊर्जा उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

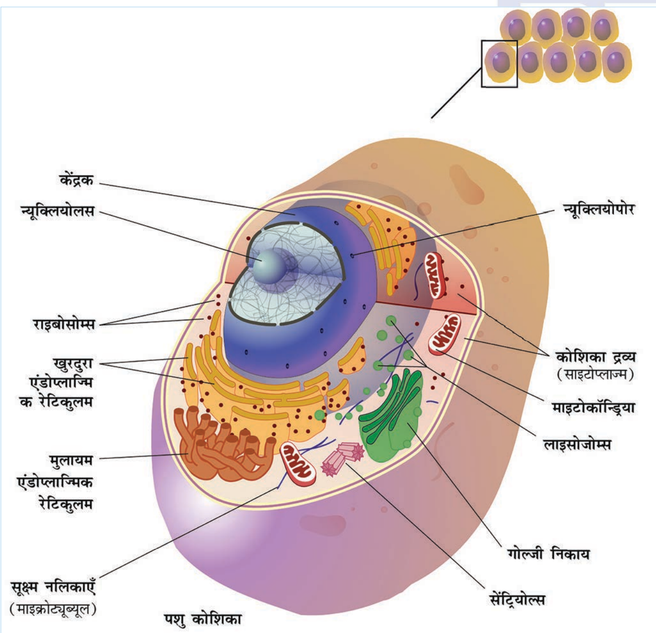

- शिशु अपने सभी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जैविक माँ से विरासत में पाते हैं, और उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) एक महिला के सभी बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं।
- इन जीनों में उत्परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया को क्षतिग्रस्त या पूरी तरह निष्क्रिय कर सकते हैं, जिसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं।
  - माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी के पहले लक्षण आमतौर पर बचपन में दिखाई देने लगते हैं क्योंकि ऊर्जा-निर्भर अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय और मांसपेशियाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं।
  - कई प्रभावित बच्चों में विकास में देरी होती है, उन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता पड़ती है और वे कम उम्र में ही मर जाते हैं। लगभग हर 5,000 नवजात शिशुओं में से एक प्रभावित होता है।

माइटोकॉन्ड्रियल दान उपचार (MDT)

- थ्री पैरेंट बेबी (Three-parent baby), माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) और थ्री-पर्सन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के माध्यम से एक पुरुष और दो महिलाओं की आनुवंशिक सामग्री से उत्पन्न होता है।
- **उद्देश्य:** बच्चों को उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रिया विरासत में मिलने से रोकना।
- **प्रक्रिया:**
  - इसमें माँ के अंडाणु को पिता के शुक्राणु से निषेचित करना शामिल है और फिर नाभिक से आनुवंशिक सामग्री को एक स्वस्थ दाता के निषेचित अंडाणु में स्थानांतरित करना होता है, जिसका अपना नाभिक हटा दिया गया हो।
  - इससे एक निषेचित अंडाणु बनता है जिसमें माता-पिता से पूर्ण गुणसूत्रों का सेट होता है, लेकिन दाता से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
  - इसके बाद अंडाणु को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि गर्भधारण स्थापित हो सके।

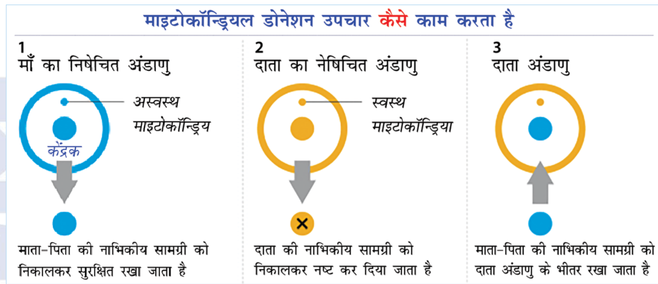

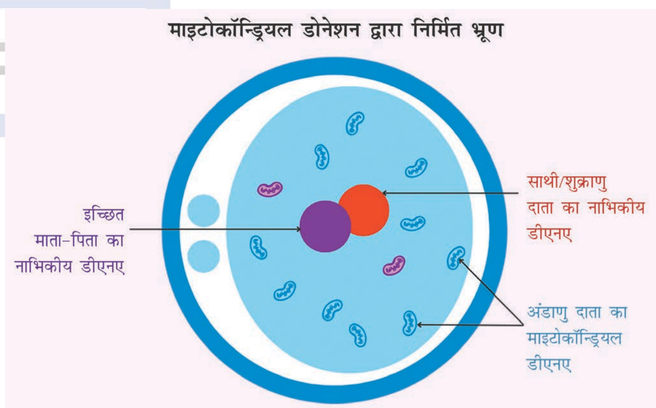

- इन शिशुओं में उनके जैविक माता और पिता से प्राप्त नाभिकीय डीएनए, तथा एक महिला दाता से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है।

मलेरिया वैक्सीन 'एडफैल्सिवैक्स (ADFALCIVAX)'

संदर्भ

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वैक्सीन निर्माताओं को नई स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, एडफैल्सिवैक्स, के व्यावसायीकरण में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है।

परिचय

- यह वैक्सीन आईसीएमआर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर द्वारा विकसित की गई है।

मलेरिया

- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मनुष्यों में मच्छरों की कुछ प्रजातियों से फैलती है। यह अधिकतर उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है।
- **संक्रमण:** यह प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लास्मोडियम परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं। रक्त आधान और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है।
- **परजीवियों के प्रकार:** प्लास्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया पैदा करती हैं और इनमें से 2 प्रजातियाँ – पी. फाल्सीपेरम और पी. विवैक्स – सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। अन्य मलेरिया प्रजातियाँ जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकती हैं, वे हैं पी. मलेरियाए, पी. ओवाले और पी. नोवलेसी।
  - पी. फाल्सीपेरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक पाया जाता है। पी. विवैक्स उप-सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है।
- **लक्षण:** बुखार और फ्लू जैसे लक्षण, जिनमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल हैं।

- एडफैल्सिवैक्स एक पुन: संयोजक मलेरिया वैक्सीन है, जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई है।
- यह मलेरिया परजीवी के डीएनए का उपयोग करके प्रयोगशाला कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन बनाता है, जिन्हें बाद में वैक्सीन में प्रयोग किया जाता है ताकि बीमारी पैदा किए बिना रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया को सक्रिय किया जा सके।

वैक्सीन की मुख्य विशेषताएँ

- **पूर्ण CSP प्रोटीन लक्ष्य:** यह मलेरिया परजीवी की सतह पर पाए जाने वाले संपूर्ण सर्कमस्पोरोजोइट प्रोटीन (CSP) के लिए डीएनए का उपयोग करता है।
  - यह मौजूदा वैक्सीनों की तुलना में, जो केवल CSP के अंशों का उपयोग करती हैं, अत: अधिक सशक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है।
- **संक्रमण अवरोधक घटक:** यह पी. फाल्सीपेरम के जीवन-चक्र में सम्मिलित उन प्रोटीनों को लक्ष्य करता है जो मच्छर की आंत में पाए जाते हैं। यह द्वैत्य प्रभाव प्रदान करता है:
  - **व्यक्तिगत सुरक्षा:** यह टीका लगाए गए व्यक्तियों में रोग होने से रोकता है।
  - **सामुदायिक सुरक्षा:** यह उन मच्छरों की आंत में परजीवी के विकास को रोकता है जिन्होंने रोगाणु को ग्रहण किया है, जिससे मलेरिया के आगे प्रसार को अवरुद्ध किया जा सके।

शीतकालीन कोहरा प्रयोग

संदर्भ

शीतकालीन कोहरा प्रयोग (WiFEX), जिसे 2015 में प्रारंभ किया गया था, ने उत्तर भारत में घनी शीतकालीन कोहरे की गतिकी पर अग्रणी अनुसंधान के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं।

परिचय

- **मुख्य उद्देश्य:** उच्च गुणवत्ता वाले प्रेक्षणीय आँकड़े उत्पन्न करना और एक विश्वसनीय कोहरा पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना।
- **प्रधान संस्थान:** भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत संचालित।
- **परिधि:** प्रारम्भिक रूप से आईजीआईए, दिल्ली पर केंद्रित; तत्पश्चात WiFEX-II के अंतर्गत उत्तर और उत्तर-पूर्व भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों, जैसे गुवाहाटी और जेवर स्थित नए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सम्मिलित करता है।

स्टार-हॉप्स-315

संदर्भ

खगोलशास्त्रियों ने पहली बार एक युवा तारे HOPS-315 के चारों ओर वाष्प से खनिजों के संघनन को प्रत्यक्ष रूप से पहचानकर चट्टानी ग्रह के निर्माण के प्रारंभिक चरणों को देखा है।

परिचय

- HOPS-315 एक नवजात प्रोटोस्टार है, जो ओरायन आणविक बादल में पृथ्वी से लगभग 1,300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
- यह गैस और धूल से बने एक सघन, समतल, घूर्णनशील प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से घिरा हुआ है, जिसकी विशेष ढलान के कारण पृथ्वी-आधारित दूरबीनें इसके भीतरी हिस्से में गहराई तक झाँक सकती हैं जो प्रारंभिक ग्रह निर्माण का अध्ययन करने के लिए एक दुर्लभ दृष्टिकोण प्रदान करता है।

खोज का महत्त्व

- **ग्रह निर्माण की उत्पत्ति:** यह खोज इस मूलभूत प्रक्रिया की प्रत्यक्ष समझ प्रदान करती है कि पृथ्वी जैसे पथरीले ग्रह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में वाष्पीकृत चट्टानों से प्रारंभिक रूप में कैसे बनते हैं।
- **सौरमंडल समानता:** HOPS-315 के चारों ओर देखी गई प्रक्रियाएँ और खनिजों के प्रकार हमारे अपने सौरमंडल के निर्माण के प्रारंभिक चरणों की आश्चर्यजनक रूप से नकल करते हैं।
- **अंतरतारकीय खनिज समानता:** जिन खनिज प्रकारों का पता चला है, जैसे फॉर्स्टराइट और एंस्टेटाइट, वे पृथ्वी पर पाई जाने वाली कॉनड्राइटिक उल्कापिंडों में शामिल खनिजों से मेल खाते हैं।

TRACERS मिशन

संदर्भ

नासा के जुड़वां TRACERS उपग्रहों को Falcon 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, ताकि चुंबकीय पुन:संयोजन और सौर गतिविधि के पृथ्वी के नजदीकी वायुमंडल पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सके।

परिचय

- टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनैमिक्स रिकोनैसेंस सैटेलाइट्स मिशन निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में पोलर कस्प (polar cusps) से होकर उड़ान भरेगा। ये कस्प चुंबकीय क्षेत्र में बने कीप के आकार के छिद्र होते हैं। इसका उद्देश्य चुंबकीय पुनर्संयोजन (magnetic reconnection) और उसके पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रभावों का अध्ययन करना है।
- चुंबकीय पुनर्संयोजन तब होता है जब सूर्य की गतिविधि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करती है। इस प्रक्रिया को समझकर वैज्ञानिक सूर्य की गतिविधियों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनके लिए तैयारी कर सकेंगे।

ब्लैक होल विलय

संदर्भ

वैज्ञानिकों ने अब तक देखे गए सबसे बड़े ब्लैक होल विलय (black hole merger) से संकेतों का पता लगाया है, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय टक्करों के अध्ययन में एक बड़ी उपलब्धि है।

परिचय

- इस घटना को GW231123 नाम दिया गया, जिसे 23 नवम्बर 2023 को गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों के वैश्विक नेटवर्क LIGO, Virgo और KAGRA द्वारा दर्ज किया गया।
- इस विलय में दो ब्लैक होल शामिल थे, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से क्रमश: 100 और 140 गुना था। इसके परिणामस्वरूप 225 सौर द्रव्यमान का एक अंतिम ब्लैक होल बना जो अब तक दर्ज किए गए सबसे भारी ब्लैक होल विलयों में से एक है।

गुरुत्वाकर्षण तरंगें (GW)

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष-समय के ताने-बाने में लहरें हैं, जिनकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अंतर्गत की थी। ये तरंगें ब्रह्मांड की कुछ सबसे हिंसक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं जैसे ब्लैक होल का टकराव और विलय से उत्पन्न होती हैं।
- जब विशाल पिंड तीव्र गति से चलते हैं (विशेषकर विलय की स्थिति में), तो वे इन तरंगों का निर्माण करते हैं, जो प्रकाश की गति से बाहर की ओर फैलती हैं और सूक्ष्म विकृतियाँ उत्पन्न करती हैं, जिन्हें अति-संवेदनशील उपकरणों द्वारा मापा जा सकता है।

ब्लैक होल

- ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वहाँ से कुछ भी यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता।
- **ब्लैक होल निम्न प्रकार के हो सकते हैं:**
  - **स्टेलर-द्रव्यमान (Stellar-mass):** विशाल तारों के मृत्यु के बाद बनते हैं (आमतौर पर कुछ से लेकर दर्जनों सौर-द्रव्यमान तक)।
  - **मध्य-द्रव्यमान (Intermediate-mass):** सैकड़ों से हजारों सौर-द्रव्यमान वाले (जैसे GW231123 अवशेष)।
  - **अति-द्रव्यमान (Supermassive):** लाखों से अरबों सौर-द्रव्यमान वाले, जो आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं।

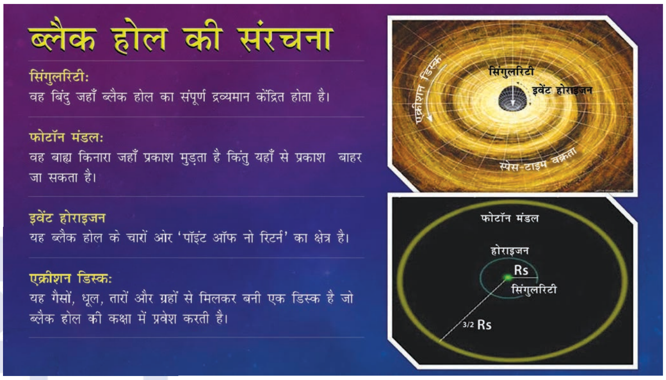

केरल में निपाह वायरस का प्रकोप

संदर्भ

जुलाई 2025 में, केरल सरकार ने कोझिकोड, मलप्पुरम और पलक्कड़ जिलों में दो पुष्टि किए गए निपाह वायरस मामलों (जिनमें एक मौत शामिल है) के बाद अलर्ट जारी किया।

निपाह वायरस (NiV):

- निपाह एक ज़ूनोटिक वायरस है, जो जानवरों मुख्य रूप से चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है। यह पैरामिक्सोविरिडाए (Paramyxoviridae) परिवार से संबंधित है और इसकी मृत्यु दर 40–75% तक होती है।
- **यह फैलता है:** संक्रमित भोजन से (जैसे चमगादड़ की लार/मूत्र से प्रभावित फल या खजूर का रस)
  - संक्रमित जानवरों (जैसे सूअर) से सीधे संपर्क द्वारा
  - मनुष्य से मनुष्य में शरीर के तरल पदार्थों, श्वसन बूंदों या स्वास्थ्य सेवाओं (जैसे अस्पताल) के माध्यम से।

लक्षण:

- **प्रारंभिक अवस्था:** बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, उल्टी और शरीर में दर्द।
- **गंभीर अवस्था:** भ्रम की स्थिति, अत्यधिक नींद आना, मस्तिष्क की सूजन (एन्सेफलाइटिस), श्वसन संबंधी समस्याएँ और कोमा।
- **ऊष्मायन अवधि:** सामान्यत: 4 से 14 दिन।

8 समाज

भारत का पहला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्लिनिक

संदर्भ

भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक टाटा ट्रस्ट्स की मदद से हैदराबाद में पुनः प्रारंभ किया गया है।

परिचय

- 2021 में शुरू किया गया मित्र क्लिनिक भारत का पहला ऐसा क्लिनिक है जिसे पूरी तरह ट्रांस समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है।
- भारत का पहला ट्रांसजेंडर-नेतृत्व वाला क्लिनिक होने के नाते यह सम्मानजनक, सुलभ और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करता है।

लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव

संदर्भ

हाल ही में, लेह में पहली बार लद्दाख ऐस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का समापन हुआ।

परिचय

- यह पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है।
- यह दो दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लद्दाख को शीर्ष ऐस्ट्रो-टूरिज्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है, जिसमें इसके साफ आसमान, ऊँचाई और कम प्रकाश प्रदूषण को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है।

SPREE 2025

संदर्भ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने शिमला में आयोजित अपनी 196वीं बैठक के दौरान SPREE 2025 योजना (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) को मंजूरी दी।

परिचय

- यह योजना ESIC द्वारा अनुमोदित है और इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
  - इसके अंतर्गत अपंजीकृत नियोक्ता और कर्मचारी, जिनमें संविदा और अस्थायी कार्यकर्ता भी शामिल हैं 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी निरीक्षण या पूर्व बकाया की माँग के डिजिटल पंजीकरण कर सकते हैं।
- पंजीकरण घोषित तिथि से प्रभावी होगा और कोई योगदान या लाभ पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसमें दंड हटा दिए गए हैं और प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

महत्त्व

- इसका उद्देश्य अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत लाना है, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों तक पहुँच को सुदृढ़ किया जा सके।
- यह एक अधिक समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जो भारत में सार्वभौमिक संरक्षण और कल्याण-केंद्रित श्रम पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के ईएसआईसी के लक्ष्य का समर्थन करता है।

19वाँ सांख्यिकी दिवस

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने नई दिल्ली में 19वाँ सांख्यिकी दिवस मनाया।

परिचय

- इसे पहली बार 2007 में मनाया गया था ताकि प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को मान्यता दी जा सके।
- उन्हें भारत में "आधुनिक सांख्यिकी के जनक" के रूप में जाना जाता है।
- उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की और महालनोबिस दूरी विकसित की, जो एक व्यापक रूप से प्रयुक्त सांख्यिकीय माप है।
- उनके कार्य ने भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की नींव रखी और आर्थिक नियोजन एवं नीतिनिर्माण पर गहरा प्रभाव डाला।

वैज्ञानिक एवं अनुप्रयुक्त सांख्यिकीविद् प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था।

भारतीय सांख्यिकी के जनक

उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान तथा देश में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की।

01 1949 में उन्हें भारत सरकार का **मानद सांख्यिकीय सलाहकार** नियुक्त किया गया।

02 भारत की औद्योगिकीकरण रणनीति तैयार करने में उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

03 उनके प्रमुख पुरस्कारों में पद्म विभूषण (1968), ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अधिकारी (1942), और **रॉयल सोसाइटी के फेलो** शामिल हैं।

रोजगार सृजन के लिए ELI योजना

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- यह योजना वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री के युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए पाँच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित की गई थी, और इसका कुल बजटीय प्रावधान ₹99,446 करोड़ है।
- इसका उद्देश्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करना है, जिनमें 1.92 करोड़ लोग पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।

अवयव

- **इस योजना के दो घटक हैं:**
  - **भाग A: पहली बार कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन:** पहली बार EPFO में पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, इस भाग के अंतर्गत अधिकतम ₹15,000 तक की एक माह की EPF वेतन राशि दो किस्तों में दी जाएगी।
    - जिन कर्मचारियों का वेतन ₹1 लाख तक है, वे पात्र होंगे।
    - पहली किस्त 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर और दूसरी किस्त 12 माह की सेवा पूर्ण होने तथा कर्मचारी द्वारा एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
    - बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत साधन या जमा खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे।
    - योजना के भाग A से लगभग 1.92 करोड़ पहली बार कार्य करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।
    - भाग A के अंतर्गत प्रथम बार कार्य करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करते हुए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) मोड के माध्यम से किए जाएंगे।
  - **भाग B: नियोक्ताओं को सहयोग:** जिन कर्मचारियों का वेतन ₹1 लाख तक है, उनके संदर्भ में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
    - सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, जिसने कम से कम छह माह तक निरंतर रोजगार किया हो, नियोक्ताओं को दो वर्षों तक ₹3000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी।
    - विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
    - भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।

अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब (रु. में)	नियोक्ता को लाभ (प्रति माह प्रति अतिरिक्त रोजगार)
10,000 रुपये तक*	1,000 रुपये तक
10,000 रुपये से अधिक और	20,000 रुपये तक
20,000 रुपये से अधिक (1 लाख रुपये प्रति माह वेतन तक)	3,000 रुपये
₹10,000 रुपये तक के EPF वेतन वाले कर्मचारियों को आनुपातिक प्रोत्साहन मिलेगा।	

9 संस्कृति एवं इतिहास

पेशवा बाजीराव

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहयोग मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया।

परिचय

- पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, मराठा साम्राज्य के सातवें पेशवा थे। वे छठे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे।
- उन्होंने छत्रपति शाहू प्रथम के अधीन कार्य किया और वे अपने सैन्य अभियानों एवं मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध हैं।

सैन्य उपलब्धियाँ

- बाजीराव पेशवा ने 20 वर्षों की अवधि में 41 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे।
- **प्रमुख अभियान:**
  - **पालखेड़ का युद्ध (1728):** हैदराबाद के निजाम को पराजित किया, जिसमें तेज घुड़सवार सेना की गति और घेराबंदी की रणनीति का प्रदर्शन किया।
  - **दभोई का युद्ध (1731):** यह पेशवा बाजीराव प्रथम और दाभाड़े कुल के त्रयंबक राव दाभाड़े के बीच गुजरात प्रांत से राजस्व वसूली के अधिकार को लेकर हुआ संघर्ष था।
  - **दिल्ली पर आक्रमण (1737):** सफलतापूर्वक मुगल राजधानी की ओर कूच किया और बिना दिल्ली पर कब्जा किए ही मुगलों को क्षेत्रों को सौंपने पर मजबूर कर दिया।

हुल दिवस

संदर्भ

ऐतिहासिक संथाल विद्रोह की स्मृति में, प्रधानमंत्री ने असंख्य वीर आदिवासी शहीदों की अमर विरासत को नमन किया, जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध अपने प्राणों की आहुति दी।

संथाल हुल

- 1855-56 का संथाल हुल एक आदिवासी विद्रोह था, जिसका नेतृत्व चार भाइयों-सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव मुर्मू ने किया था, उनके साथ दो बहनें फूलो और झानो भी थीं।
- यह विद्रोह साम्राज्यवाद के साथ-साथ उच्च जातियों, जमींदारों, दरोगाओं और महाजनों के विरुद्ध भी था, जिन्हें सामूहिक रूप से 'दिकु' कहा गया।

विद्रोह की उत्पत्ति

- 1832 में ब्रिटिशों ने वर्तमान झारखंड में एक क्षेत्र को संथाल जनजाति के बसावट क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया, जिसे "दामिन-ए-कोह" कहा गया।
- शुरुआत में इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण बसावट और कृषि विकास था, लेकिन बाद में बाहरी लोगों (दिकु) के शोषण के कारण संथालों में भूमि से बेदखली की स्थिति उत्पन्न हुई।
- मुर्मू भाइयों ने लगभग 60,000 संथालों का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया और छापामार युद्ध (गुरिल्ला वारफेयर) अपनाया।
- शुरुआत में आदिवासियों ने पूरे संथाल क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन को ठप कर दिया, लेकिन बाद में ब्रिटिश शक्ति ने बेहद खूनी संघर्ष में विद्रोहियों को कुचल दिया और आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया।
  - ब्रिटिशों ने 1855 में सिद्धो को और 1856 में कान्हो को फाँसी दे दी।
- इस प्रकार यह खूनी संघर्ष समाप्त हुआ, लेकिन इसने छोटानागपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में कई आदिवासी विद्रोहों को प्रेरित किया।
- **महत्त्व:** 1856 में संथाल परगना का निर्माण किया गया, जिसे भागलपुर और बीरभूम जिलों से अलग करके क्षेत्र के बेहतर प्रशासन के लिए बनाया गया।
  - एक नई पुलिस व्यवस्था लागू की गई ताकि जमींदारों और महाजनों के शोषण को समाप्त किया जा सके।
  - बाद में ब्रिटिशों ने 1876 का संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना था।

अल्लूरी सीताराम राजू

संदर्भ

रक्षा मंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती समारोह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की सराहना की।

परिचय

- वे एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करके।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- स्थानीय लोगों द्वारा उनके साहस और नेतृत्व के कारण उन्हें "मण्यम वीरुडु" (जंगल का वीर) के रूप में सम्मानित किया गया।
- असहयोग आंदोलन और बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर, उन्होंने प्रारंभ में आदिवासियों को स्थानीय पंचायतों के माध्यम से न्याय पाने और औपनिवेशिक अदालतों के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया।

- उन्होंने आदिवासी जनता और अन्य समर्थकों को संगठित किया और वर्तमान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्रिटिश सेनाओं के विरुद्ध गुरिल्ला अभियानों का नेतृत्व किया। अल्लूरी सीताराम राजू को 7 मई, 1924 को गिरफ्तार कर शहीद कर दिया गया।

रम्पा विद्रोह (1922-1924)

- अल्लूरी सीताराम राजू को रम्पा विद्रोह (जिसे मण्यम विद्रोह भी कहा जाता है) का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है।
- यह एक आदिवासी विद्रोह था जो ब्रिटिशों के विरुद्ध था और मुख्य रूप से 1882 के दमनकारी मद्रास वन अधिनियम से प्रेरित था।
- इस अधिनियम ने आदिवासियों की उनके जंगलों में स्वतंत्र आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया और उन्हें उनकी पारंपरिक कृषि पद्धति 'पोडु' करने से रोक दिया, जिससे उनके जीवन-यापन का तरीका खतरे में पड़ गया।

मान्यता

- उनके निडर प्रतिरोध और बलिदान ने उन्हें आंध्र प्रदेश और भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया।
- उनका जन्मदिन आंध्र प्रदेश में एक राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

शीश महल

संदर्भ

शीश महल का जीर्णोद्धार किया गया और केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इसका आधिकारिक अनावरण किया।

परिचय

- यह उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित है। यह 1653 में सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनाया गया था।
- महल और इसके आसपास के उद्यान अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अंतर्गत संरक्षित स्मारक हैं।
- शीश महल का ऐतिहासिक महत्त्व भी है क्योंकि यहीं 1658 में औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ था।

धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ (IBC), संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में, भारत महाबोधि सोसायटी के सहयोग से आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन करेगा।

परिचय

- आषाढ़ पूर्णिमा (आषाढ़ मास की पूर्णिमा) को मनाया जाने वाला यह दिन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति को चिह्नित करता है, जिसे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था।
- यह उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ स्थित मृगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाय) में अपने पाँच तपस्वी शिष्यों (पंचवर्गीय) को दिया गया था।
- यह दिन "धम्मचक्र प्रवर्तन" (धम्म का चक्र चलाना) का प्रतीक है, जिसने बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार की शुरुआत की।

सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व

- यह दिन बौद्ध पंचांग में वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) के बाद दूसरा सबसे पवित्र दिन माना जाता है।
- इसी दिन से वर्षा वास की शुरुआत होती है-यह बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु का निवास काल है, जिसे आत्म-अनुशासन और आध्यात्मिक आत्ममंथन का समय माना जाता है।
- **इसे इन नामों से भी जाना जाता है:**
  - श्रीलंका में एसाला पोया
  - थाईलैंड में असाढ़ा बुचा (असन्हा बुचा)

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC)

- यह संगठन 2012 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (International Buddhist Confederation) विश्व का पहला संगठन है जो 39 देशों और 320 से अधिक सदस्य संस्थाओं के बौद्ध संगठनों, मठों और गृहस्थ संस्थानों को एक साथ लाता है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली

चौताल

संदर्भ

त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने भोजपुरी चौताल प्रस्तुति का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत और उसके प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया गया।

परिचय

- चौताल (जिसे चैताल या चारताल भी कहा जाता है) हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक महत्त्वपूर्ण और प्राचीन ताल चक्र (ताल) है।
- यह मुख्य रूप से ध्रुपद शैली से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना जीवित रूप है, और परंपरागत रूप से पखावज (ढोलक का एक प्रकार) एक बैरल आकार का ताल वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है।
- "चैताल" नाम का अर्थ है "चार तालियाँ," जो इसकी विभाजन संरचना को दर्शाता है।
- यह 12 मात्राओं से मिलकर बना होता है।
- इसमें शक्तिशाली और गंभीर वादन पर जोर दिया जाता है, जो अक्सर "थापी" नामक अधिक प्रवाही और तात्कालिक संरचना का उपयोग करता है।

यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा

संदर्भ

यूनेस्को ने 'मराठा सैन्य परिदृश्य (Maratha Military Landscapes of India)' – मराठा साम्राज्य के 12 प्रतिष्ठित किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।

परिचय

- यह ऐतिहासिक मान्यता पेरिस में आयोजित 47वें विश्व धरोहर समिति के सत्र में प्रदान की गई।
- यह भारत की 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिससे भारत विश्व स्तर पर 6वें और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2वें स्थान पर पहुँच गया है, जहाँ सर्वाधिक धरोहर स्थल हैं।

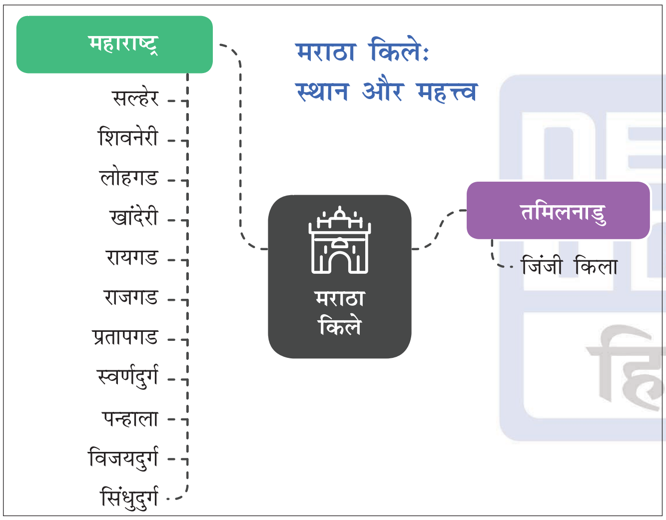

- 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित यह अद्वितीय किलों का नेटवर्क मराठा साम्राज्य की सामरिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कौशल को दर्शाता है।

जारवा जनजाति

संदर्भ

आगामी 2027 की जनगणना में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की छह प्रमुख आदिवासी जनजातियों की गिनती के प्रयास शामिल होंगे, जिनमें जारवा जनजाति भी होगी।

परिचय

- जारवा जनजाति विश्व की सबसे प्राचीन जीवित आदिवासी समुदायों में से एक है और पारंपरिक रूप से मध्य और दक्षिण अंडमान द्वीपों के घने वनों में खानाबदोश शिकारी के रूप में रहती है।
  - ऐतिहासिक रूप से वे बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे और 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक संपर्क का विरोध करते रहे।
- वे आमतौर पर 40-50 लोगों के छोटे समूहों में रहते हैं और वन तथा समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।

जनगणना आँकड़े और जनसंख्या अनुमान

- 2011 की जनगणना में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुल 27,973 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में से 380 जारवा व्यक्तियों को दर्ज किया गया था।
- **क्षेत्र की अन्य अनुसूचित जनजातियाँ हैं:** अंडमानी, निकोबारी, शोम्पेन, ओंगे और सेंटिनली।
- निकोबारी को छोड़कर सभी को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- हालिया आधिकारिक अनुमान (2025) के अनुसार, जारवा जनसंख्या बढ़कर 647 हो गई है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मृत्यु दर में कमी को दर्शाता है।
- पीएम-जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत अब तक द्वीपों में 191 PVTG व्यक्तियों की पहचान की गई है।

बेहदीनखलम उत्सव

संदर्भ

पवित्र बेहदीनखलम उत्सव का आयोजन जोवाई, मेघालय में किया गया।

परिचय

- **अर्थ:** बेहदीनखलम शब्द का अर्थ है "महामारी को दूर करना", जिसका संबंध समाज से हैजा जैसी बीमारियों और अन्य बुराइयों को भगाने से है।
- **समय:** यह उत्सव हर वर्ष जुलाई में बुवाई के मौसम के बाद आयोजित होता है, जो अच्छी फसल और बीमारियों से रक्षा के लिए प्रार्थना का प्रतीक है।
- यह मुख्य रूप से मेघालय के जयंतिया समुदाय की उप-जनजाति 'प्नार्स' द्वारा मनाया जाता है।
- **मूल निवासी आस्था का संरक्षण:** यह उत्सव 'नियमत्रे' धर्म (जयंतिया जनजाति का पारंपरिक धर्म) को संरक्षित करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

थिरु के. कामराज

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरु के. कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में जन्म।
- जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जॉइन की और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- 1937 में वे निर्विरोध मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1946 में पुन: निर्वाचित हुए। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और बाद में 1952 में संसद के लिए चुने गए।
- उन्होंने 1954 से 1963 तक मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
- 1963 के 'कामराज योजना' के लिए उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रस्ताव दिया था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को मंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
- 1960 के दशक में उन्हें भारतीय राजनीति का "किंगमेकर" माना गया।
- उन्होंने तमिलनाडु में मध्यान्ह भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) की शुरुआत की, जिसे बाद में कुछ संशोधनों के साथ पूरे देश में अपनाया गया।
- राष्ट्र की सेवा के सम्मान में उन्हें 1976 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

मंगल पांडे

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी 198वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

मंगल पांडे

- उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गाँव में हुआ था।
- उन्होंने 1857 के विद्रोह की चिंगारी भड़काने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में एक सिपाही के रूप में उन्होंने नई एनफील्ड P53 रायफल का उपयोग करने से इंकार कर दिया, क्योंकि यह माना जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को दी गई इस नई एनफील्ड P53 रायफल की कारतूसें गाय और सूअर की चर्बी में डुबोई जाती थीं।
- 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने वरिष्ठ सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) के लाल बागान में कोर्ट मार्शल के आदेश पर उन्हें फाँसी दे दी गई।
- बाद में मेरठ में सिपाहियों ने नई रायफल की कारतूसें इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे आगे चलकर 1857 का विद्रोह कहा गया।

पाइका रिबेलियन

संदर्भ

पूर्व ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से 1817 की पाइका विद्रोह को बाहर करने की आलोचना की।

परिचय

- पाइका विद्रोह, जिसे पाइका बिद्रोह भी कहा जाता है, 1817 में ओडिशा, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण सशस्त्र विद्रोह था।
- पाइका ओडिशा की पारंपरिक जमींदार मिलिशिया थे, जो गजपति शासकों की सेवा करते थे। वे युद्ध के समय सैन्य सेवाएँ देते थे और शांति के समय कृषि कार्य करते थे। अपनी सेवाओं के बदले उन्हें कर-मुक्त भूमि (निष्कर जागीर) प्रदान की जाती थी।
- 1803 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से ओडिशा पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने नई प्रशासनिक और राजस्व नीतियाँ लागू कीं, जिससे पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक संरचना बाधित हो गई। खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय को गद्दी से हटाना और पाइका भूमि की जब्ती ने व्यापक असंतोष को जन्म दिया।
- यह बढ़ता असंतोष 1817 के पाइका विद्रोह में परिणत हुआ, जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया और जिसमें कोंध जनजातियों ने भी हिस्सा लिया। इस विद्रोह में ब्रिटिश अधिकारियों और सरकारी संपत्ति पर हमले किए गए।
- यद्यपि यह विद्रोह प्रारंभ में उग्र था, लेकिन अंतत: इसे दबा दिया गया और जगबंधु ने 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया। वॉल्टर इवर की अध्यक्षता में एक आयोग ने इस विद्रोह की जाँच की और यह स्वीकार किया कि भूमि पुन: ग्रहण और मुद्रा विनियमन जैसी ब्रिटिश नीतियाँ असंतोष के प्रमुख कारण थीं। हालाँकि, दमनकारी राजस्व नीतियाँ काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं।
- अपनी असफलता के बावजूद, यह विद्रोह भविष्य के प्रतिरोध आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना और आज भी ओडिया गौरव का प्रतीक है।

नोट

एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि इस विद्रोह को पाठ्यपुस्तक के दूसरे खंड में शामिल किया जाएगा।

पैठणी साड़ी

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में पैठणी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की।

परिचय

- पैठणी साड़ियाँ छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण नगर से उत्पन्न एक विशिष्ट और पारंपरिक परिधान हैं।
- ये अपनी विशिष्ट चौकोर आकृतियों और पल्लू (सजावटी किनारे) पर बने बारीक मोर डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- पैठणी साड़ियाँ आसानी से पहचानी जा सकती हैं और इन्हें भारत की सबसे सुंदर और महँगी साड़ियों में गिना जाता है।

- ये साड़ियाँ देश में उपलब्ध उत्तम शहतूत रेशम से बनाई जाती हैं और इन्हें महाराष्ट्रीयन धरोहर एवं उत्कृष्ट शिल्पकला का प्रतीक माना जाता है।
- **उत्पत्ति और इतिहास:** पैठणी साड़ियाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास गोदावरी नदी के किनारे बसे पैठण नगर में लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुईं। बुनाई की यह परंपरा सातवाहन वंश (ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी) तक देखी जा सकती है।
- **राजसी संरक्षण:** पैठणी साड़ियाँ विशेष रूप से राजघरानों और कुलीन वर्ग के लिए बुनी जाती थीं और इन्हें सातवाहन शासक, पुणे के पेशवा, हैदराबाद के निजाम और मुगल शासक धारण करते थे।
- **सामग्री और शिल्पकला:** पारंपरिक रूप से इन्हें उत्तम रेशम और शुद्ध सोने-चाँदी की जरी (धातु के तार) से बनाया जाता था। पैठणी साड़ियाँ टेपेस्ट्री बुनाई तकनीक से हाथ से बुनी जाती हैं।

- **भौगोलिक संकेतक (GI टैग):** पैठणी साड़ियों को 2010 में जीआई टैग प्रदान किया गया।

मेवाड़ भीलों का गवरी

संदर्भ

गवरी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की भील समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला 40-दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान और लोक उत्सव है।

परिचय

- हर साल मेवाड़ की भील समुदाय 40 दिनों का अनुष्ठान गवरी मनाती है। इस उत्सव के दौरान भील दल राजस्थान के उदयपुर और आस-पास के जिलों के उन गाँवों में जाते हैं, जहाँ उनकी विवाहित बहनें और बेटियाँ रहती हैं। वहाँ वे अपने देवी गोरखिया माता के सम्मान में खेल (नृत्य-नाट्य), गीत और धार्मिक अनुष्ठान प्रस्तुत करते हैं।
- यह उत्सव आमतौर पर हिन्दू महीनों श्रावण और भाद्रपद (जुलाई से सितम्बर) में मनाया जाता है, जो मानसून और फसल के मौसम के साथ मेल खाता है।
- **इस अनुष्ठान का प्रदर्शन मुख्यत:** भील जनजाति के पुरुष सदस्य करते हैं, जो देवता, देवियाँ, राक्षस और अन्य पौराणिक पात्रों की भूमिकाएँ निभाते हैं।
- इन नाटकों में देवी गौरी से जुड़े पौराणिक प्रसंग और सत्य-असत्य के बीच युद्ध का मंचन किया जाता है।

भील समुदाय

- भील भारत की सबसे बड़ी जनजातीय (आदिवासी) समुदायों में से एक है (जनगणना 2011 के अनुसार), जो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में केंद्रित है।
- उनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, जिसमें अनोखी परंपराएँ, भाषा (भीली) और प्रकृति से गहराई से जुड़ी जीववादी (Animist) आस्थाएँ शामिल हैं, जो हिंदू धर्म से मिलकर एक अनूठा रूप लेती हैं।
- भील स्वयं को भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती (गौरी) के वंशज मानते हैं।

सोहराई कला

संदर्भ

सोहराई कला की पारंपरिक भित्ति चित्रकला ने कला उत्सव 2025-आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम के दूसरे संस्करण में प्रमुख स्थान प्राप्त किया, जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोहराई, पट्टचित्र और पटुआ कला शैलियों के कलाकारों से भेंट की।

सोहराई कला

- यह एक अनुष्ठानिक भित्ति-चित्रकला परंपरा है, जिसे झारखंड की आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है।
- यह प्राय: महिलाएँ फसल कटाई और त्यौहारों के समय बनाती हैं।
- यह परंपरा कुरमी महतो, संथाल, उराँव और मुंडा जैसी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर से गहराई से जुड़ी है।
- इन कलाकारों द्वारा प्राकृतिक मिट्टी के रंगों और बाँस की कूचियों का उपयोग कर मिट्टी की दीवारों पर पशु-पक्षियों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों के जीवंत चित्र बनाए जाते हैं, जो कृषि जीवन और आध्यात्मिक आस्थाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

पट्टचित्र

- यह ओडिशा की एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित चित्रकला है, जिसकी जड़ें धार्मिक और लोक परंपराओं में निहित हैं।
- इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, और इसका नाम संस्कृत शब्दों पट्ट (कैनवास) और चित्र (चित्रकला) से मिलकर बना है।
- जटिल डिजाइनों, गाढ़ी रूपरेखाओं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध, पट्टचित्र पेंटिंग मुख्य रूप से हिंदू देवी-देवताओं, पौराणिक कथाओं और लोककथाओं को दर्शाती है।
- इसमें एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल होती है - कपड़े के कैनवास को खड़िया चूर्ण और इमली के गोंद से तैयार करना, सीधे ब्रश से रेखांकन करना, और खनिजों व पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना।

- पट्टचित्र कलाकार अपने विषयों को लकड़ी के बक्सों, कटोरियों, तसर रेशम, नारियल के बाहरी खोल और लकड़ी के दरवाजों पर भी चित्रित करते हैं।

पटुआ चित्रकला

- यह पश्चिम बंगाल की पटुआ समुदाय द्वारा प्रचलित स्क्रॉल चित्रकला का एक रूप है। पटुआ चित्रकला पवित्र विषयों पर आधारित विशेष कथात्मक स्क्रॉल होती है।
- इन्हें परंपरागत रूप से कपड़े के एक टुकड़े पर बनाया जाता है जिसे पटी या पट्टा कहा जाता है।
- परंपरागत रूप से, पटुआ चित्रकार बाँस और बकरी के बाल से बनी कूची का उपयोग करते थे।
- रंग जड़ी-बूटियों और पौधों से प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते थे।

चंद्रशेखर आजाद जयंती

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- 23 जुलाई 1906 को भाबरा (मध्य प्रदेश) में चंद्रशेखर सीताराम तिवारी के रूप में जन्मे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान "आजाद" उपनाम धारण किया।
- बाद में गाँधीजी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराश होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए।
- उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में प्रमुख भूमिका निभाई और काकोरी कांड (1925), सांडर्स वध (1928), भारत के वायसराय की ट्रेन उड़ाने का प्रयास (1929) और केंद्रीय विधान सभा बम कांड (1929) में निर्णायक भूमिका निभाई।
- 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने पर, उनके पास जब केवल एक गोली बची, तो उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली।
- **नोटः** HSRA के सेनापति के रूप में पर्चों पर हस्ताक्षर करते समय वे अक्सर "बलराज" उपनाम का उपयोग करते थे।

चोल प्रशासन में मतदान प्रणाली

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल साम्राज्य के एक मंदिर में भाषण देते हुए चोल साम्राज्य की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं पर प्रकाश डाला और बताया कि उनका निर्वाचन तंत्र मैग्नाकार्टा से भी पहले का है।

परिचय

- वर्तमान कांचीपुरम जिले के उत्तरमेरूर गाँव के शिलालेख विश्व के सबसे प्राचीन औपचारिक निर्वाचन प्रणाली के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और औपचारिक स्थानीय स्वशासन के अस्तित्व का साक्ष्य प्रदान करते हैं।
- चोल प्रशासनिक व्यवस्था दो स्थानीय शासी निकायों पर आधारित थी – ब्राह्मण बस्तियों के लिए सभा और गैर-ब्राह्मण गाँवों के लिए उर – जिन्हें राजस्व, सिंचाई और न्याय जैसे शासन संबंधी पहलुओं पर वास्तविक अधिकार प्राप्त थे।
- निर्वाचन कुडवोलाई अथवा "मतदान पात्र" प्रणाली के माध्यम से होते थे, जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक बालक द्वारा सार्वजनिक रूप से ताड़पत्रों से पर्चियाँ निकाली जाती थीं।
- कड़े पात्रता और अयोग्यता मानदंडों ने नैतिक शासन को सुनिश्चित किया, वहीं वार्षिक ऑडिट से जवाबदेही बनी रही।
- उम्मीदवारों के पास कर-अदा करने योग्य भूमि होनी चाहिए थी, उनकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी आवश्यक थी, उन्हें वैदिक ग्रंथों या प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए था और उनके विरुद्ध किसी अपराध या घरेलू हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- ऋण न चुकाने वाले, मद्यपान करने वाले तथा वर्तमान सदस्यों के निकट संबंधी अयोग्य घोषित किए जाते थे। अपने समय के लिए प्रगतिशील होने के बावजूद, यह प्रणाली महिलाओं, श्रमिकों और भूमिहीन लोगों को बाहर रखती थी; इसमें लॉटरी का तत्त्व भी शामिल था।
- चोल शासकों ने व्यापारी संघों को भी सशक्त किया और विकेंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया, जहाँ उन्होंने सैन्य सफलता को स्थायी नागरिक प्रणालियों के साथ जोड़ा।

क्या आप जानते हैं?

मैग्नाकार्टा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 में अनुमोदित किया था। यह एक बुनियादी दस्तावेज है जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आकार देने में मदद की, क्योंकि इसने राजा की शक्तियों को सीमित किया और यह स्थापित किया कि राजा भी कानून के अधीन है।

10 विविध

WHO का “3 बाय 35” पहल

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने “3 बाय 35” पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत विश्व के सभी देशों से अपील की गई है कि वे तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर कर (टैक्स) बढ़ाएँ।

प्रमुख बिंदु

- इस पहल में यह आग्रह किया गया है कि वर्ष 2035 तक लक्षित तीनों उत्पादों (तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों) की कीमतों में कम-से-कम 50% वास्तविक वृद्धि की जाए। यह वृद्धि अधिक उत्पाद शुल्क (excise) या स्वास्थ्य कर (health tax) लगाकर हासिल की जाएगी।
- स्वास्थ्य कर वह कर है जो उन उत्पादों मुख्य रूप से तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थ पर लगाया जाता है जिनका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका दोहरा उद्देश्य है:
  - इन हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करना।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए राजस्व (revenue) प्राप्त करना।

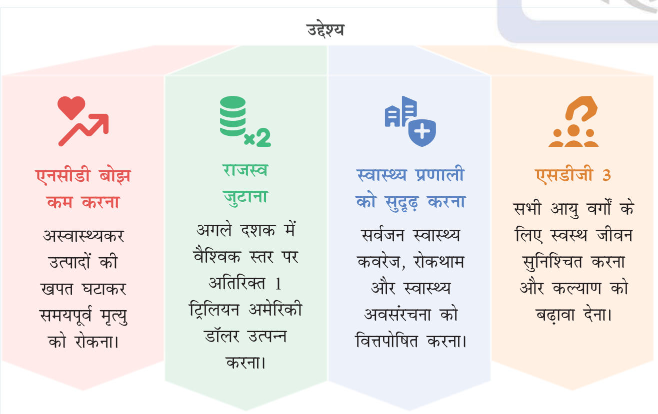

कॉम्बुचा

संदर्भ

ब्राजील में हाल ही में किए गए 8-सप्ताह के एक अध्ययन में पाया गया कि कॉम्बुचा (Kombucha) खासकर मोटापे से ग्रस्त लोगों में आंतों के बैक्टीरिया को बेहतर बनाता है।

परिचय

- यह फायदेमंद सूक्ष्मजीवों (beneficial microbes) को बढ़ाता है और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को कम करता है। हालाँकि, इसने ब्लड शुगर (रक्त शर्करा) या सूजन (inflammation) के संकेतकों में कोई सुधार नहीं किया।
- यह एक किण्वित चाय (fermented tea) है और उन कुछ पेयों में से एक है जो बिना अधिक चीनी या कैफीन के जटिल स्वाद और गाढ़ापन प्रदान करती है।
- इसका उद्भव ईसा पूर्व 220 के आसपास चीन के उत्तर-पूर्वी भाग में हुआ था और इसे शरीर को ताजगी देने तथा विषैले तत्त्वों को बाहर निकालने वाले प्रभावों के लिए महत्त्व दिया जाता था।
- आज कॉम्बुचा (Kombucha) को पाचन, प्रतिरक्षा (immune) और चयापचय (metabolic) लाभों के लिए प्रचारित किया जाता है, लेकिन मनुष्यों पर इसके वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी सीमित हैं।

ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025

संदर्भ

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है, जिसमें विश्व भर के प्रमुख शहरों में जीवन की गुणवत्ता (quality of life) का आकलन किया गया है।

परिचय

- **कार्यप्रणाली:** इस सूचकांक में विश्व के 173 शहरों का आकलन किया गया है। इसमें 30 संकेतकों (indicators) को पाँच व्यापक श्रेणियों में बाँटा गया है: स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा
  - प्रत्येक शहर को 1 से 100 के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं, जहाँ 100 का मतलब है आदर्श जीवन-योग्यता (ideal liveability) और 1 का मतलब है असहनीय (intolerable)।
- **सबसे रहने योग्य शहर:** कोपेनहेगन (डेनमार्क) ने पहला स्थान प्राप्त किया (98/100), ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड) दूसरे स्थान पर (97.1/100), जो वियना (ऑस्ट्रिया) के साथ संयुक्त रूप से है। कोपेनहेगन ने स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में पूर्ण अंक हासिल करके वियना के तीन साल के दबदबे को समाप्त कर दिया।
- **सबसे कम रहने योग्य शहर:** दमिश्क (सीरिया) अब भी सबसे कम रहने योग्य शहर है (30.7/100), इसके बाद त्रिपोली (लीबिया) (40.1/100) और ढाका (बांग्लादेश) (41.7/100) का स्थान है।
- **भारत का प्रदर्शन:** दिल्ली और मुंबई, दोनों को 60.2 अंक मिले और दोनों ने 141वाँ स्थान साझा किया।

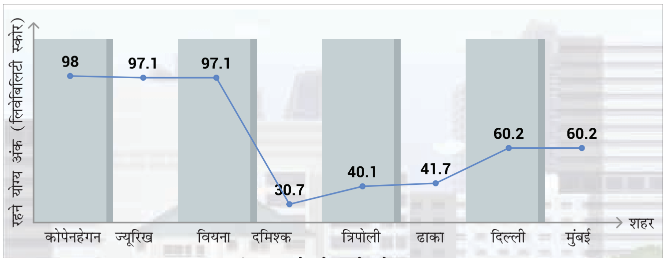

चयनित शहरों के रहने योग्य अंक

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट

द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) – जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, यह द इकॉनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण विभाग है, जो द इकॉनॉमिस्ट समाचारपत्र की सहायक कंपनी है।

डुरंड कप टूर्नामेंट

संदर्भ

भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाई। अनावरण की गई ट्रॉफियों में डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी शामिल हैं।

परिचय

- यह टूर्नामेंट भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है और यह एशिया का सबसे पुराना तथा विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है।
- यह प्रतियोगिता 1888 में शिमला में आर्मी कप के रूप में शुरू की गई थी, जो प्रारंभ में केवल भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के लिए सीमित था, लेकिन बाद में इसे आम नागरिक टीमों के लिए भी खोल दिया गया।
- इसका नाम इसके संस्थापक सर मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है, जो उस समय ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025

संदर्भ

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2024 में भारत जहाँ 85वें स्थान पर था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 77वें स्थान पर पहुँच गया है।

परिचय

- भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 59 देशों में बिना वीजा या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा प्राप्त है, जो पिछले वर्ष के 57 देशों से अधिक है।
- सिंगापुर अब भी विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है।
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग है, जो यह मापता है कि कोई पासपोर्ट धारक कितने देशों की यात्रा बिना पूर्व-वीजा के कर सकता है।
- यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है।

फिडे महिला विश्व कप 2025

संदर्भ

दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। उन्होंने जॉर्जिया के बातुमी में आयोजित 2025 के फाइनल में अपनी अनुभवी हमवतन खिलाड़ी कोनेरु हम्पी को पराजित किया।

परिचय

- फिडे महिला विश्व कप आमतौर पर हर दो साल में आयोजित किया जाता है।
- फिडे 2025 महिला शतरंज विश्व कप का तीसरा संस्करण था, जिसमें 46 संघों (Federations) से 107 खिलाड़ी शामिल हुईं।
- यह टूर्नामेंट सिंगल-एलीमिनेशन (नॉकआउट) प्रारूप पर आधारित होता है। इसमें खिलाड़ी मैच हारते ही सीधे बाहर हो जाते हैं।
- **प्रत्येक राउंड में मैच संरचना:**
    - **क्लासिकल खेल (Classical Games):** प्रत्येक मैच की शुरुआत दो क्लासिकल टाइम कंट्रोल खेलों से होती है, जो दो दिनों में खेले जाते हैं। खिलाड़ियों को आमतौर पर पहले 40 चालों के लिए 90 मिनट, उसके बाद शेष खेल के लिए अतिरिक्त 30 मिनट दिए जाते हैं, और पहली चाल से ही हर चाल पर 30 सेकंड का अतिरिक्त समय (increment) मिलता है।
    - **टाई-ब्रेक (यदि जरूरत पड़े):** यदि क्लासिकल खेल बराबरी पर समाप्त होते हैं, तो तीसरे दिन टाई-ब्रेक खेल खेले जाते हैं, जिनमें समय धीरे-धीरे कम होता जाता है:
        - **पहला टाई-ब्रेक:** दो रैपिड खेल (जैसे 15 मिनट + प्रति चाल 10 सेकंड का अतिरिक्त समय)।
        - **दूसरा टाई-ब्रेक (यदि अभी भी बराबरी):** दो और तेज रैपिड खेल (जैसे 10 मिनट + प्रति चाल 10 सेकंड का अतिरिक्त समय)।
        - **ब्लिट्ज खेल (यदि अभी भी बराबरी):** दो ब्लिट्ज खेल (जैसे 5 मिनट + प्रति चाल 3 सेकंड का अतिरिक्त समय)।
        - **आर्मगेडन खेल (यदि अभी भी बराबरी):** अंतिम और दबावपूर्ण निर्णायक खेल, जिसमें सफेद मोहरों (White) को अधिक समय (जैसे 3 मिनट) मिलता है, लेकिन यदि खेल ड्रॉ हो जाए तो काले मोहरों (Black) को विजेता माना जाता है (जैसे 2 मिनट, चाल संख्या 61 से प्रति चाल 2 सेकंड का अतिरिक्त समय)।
- **उम्मीदवार के लिए योग्यता:** महिला विश्व कप की शीर्ष तीन खिलाड़ी आमतौर पर अगले महिला उम्मीदवार टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करती हैं।

भारत शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा

संदर्भ

भारत ने 23 साल बाद 2025 में फिडे विश्व कप की मेजबानी करने का अधिकार हासिल किया है। यह आयोजन 30 अक्तूबर से 27 नवम्बर तक निर्धारित किया गया है।

परिचय

- इस टूर्नामेंट में 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और यह नॉकआउट प्रारूप में खेला जाएगा - एक तेज और अनिश्चित प्रणाली, जिसमें हर दौर में हारने वाला खिलाड़ी बाहर हो जाता है।
- शीर्ष तीन खिलाड़ी 2026 फिडे उम्मीदवार टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगे, जो विश्व शतरंज चैम्पियनशिप के चुनौतीकर्ता का निर्णय करता है। यह दूसरी बार होगा जब भारत फिडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले यह 2002 में हैदराबाद में आयोजित हुआ था।

शतरंज की उत्पत्ति

- भारत में शतरंज का इतिहास लगभग 1600 वर्ष पूर्व गुप्त वंश के समय से जुड़ा हुआ है। उस समय इसे 'चतुरंग' कहा जाता था।
- भारत से होते हुए शतरंज कई देशों तक पहुँचा और बहुत लोकप्रिय बन गया। आज शतरंज का उपयोग स्कूलों में बच्चों के लिए शैक्षिक साधन (education tool) के रूप में किया जा रहा है।

वैश्विक SPECS नेटवर्क

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक वैश्विक पहल 'ग्लोबल स्पेक्स 2030' शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक हर व्यक्ति को सस्ती नेत्र-देखभाल (eyecare) सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके है।

परिचय

- यह एक हितधारकों (stakeholders) का नेटवर्क है, जिसका मिशन है कि सभी क्षेत्रों में समन्वित पैरवी (advocacy) और संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से WHO SPECS 2030 पहल को सहयोग प्रदान किया जाए।
- ग्लोबल SPECS नेटवर्क की सदस्यता आवेदन प्रक्रिया खुली है, और पात्र संगठन वर्षभर आवेदन कर सकते हैं।

उद्देश्य

- **हितधारकों की एकता:** विभिन्न समूहों को एक साझा लक्ष्य की ओर एकजुट करना, अर्थात् वर्ष 2030 तक दृष्टिदोष (refractive error) के लिए वैश्विक लक्ष्य को हासिल करना।
- **सहयोगात्मक ज्ञान साझा करना:** सदस्यों के बीच चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना।
- **साक्ष्य-आधारित पैरवी:** सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करने के लिए अनुसंधान (research) का उपयोग करना।

अतिरिक्त जानकारी

- विश्व भर में 80 करोड़ से अधिक लोग दृष्टि संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हें नेत्र-देखभाल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- दृष्टि संबंधी समस्याएँ विश्व भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं। यह न केवल दृष्टि (eyesight) को प्रभावित करती हैं, बल्कि शिक्षा, आर्थिक उत्पादकता और समग्र कल्याण पर भी असर डालती हैं।
- 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे और किशोर दृष्टि-दोष और अपवर्तनीय त्रुटियों (refractive errors) से पीड़ित होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय: आपराधिक मामलों में निगम पीड़ित हो सकते हैं

संदर्भ

14 जुलाई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एशियन पेंट्स बनाम राम बाबू मामले में निर्णय दिया कि कंपनियों को भी आपराधिक कानून के अंतर्गत पीड़ित (victim) माना जा सकता है और उन्हें बरी (acquittal) के विरुद्ध चुनौती देने या कड़ी सजा की माँग करने का अधिकार है।

वाद सारांश:

- एशियन पेंट्स ने अपनी ब्रांड का उपयोग कर बनाए गए नकली उत्पादों को लेकर शिकायत दर्ज की थी।
- ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया और हाई कोर्ट ने कंपनी की अपील खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पलटते हुए कहा कि कंपनियों को भी कानूनी रूप से पीड़ित (legal victims) माना जा सकता है।

मुख्य कानूनी बिंदु:

- **धारा 2(wa) CrPC / 2(y) BNSS:** पीड़ित को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसे अपराध के कारण हानि या चोट पहुँची हो।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं सामान्य खंड अधिनियम (General Clauses Act):** "व्यक्ति" (person) की परिभाषा में कंपनियों और फर्मों को भी शामिल किया गया है।
- **धारा 2(14) BNS: चोट (injury)** में संपत्ति, प्रतिष्ठा या आर्थिक हितों को होने वाली क्षति भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- कंपनियाँ यदि अपराध के कारण ब्रांड को नुकसान या आर्थिक हानि झेलती हैं, तो वे पीड़ित के अधिकार का दावा कर सकती हैं।
- कंपनी को अपील करने के लिए मूल शिकायतकर्ता होना जरूरी नहीं है।
- पीड़ित का दर्जा (victim status) इस बात पर आधारित होता है कि किसे हानि पहुँची है, न कि किसने वाद दायर किया है।

11 डेटा पुनर्कथन

ब्रिक्स+

- ब्रिक्स+ विश्व की 45% जनसंख्या और 37.3% वैश्विक GDP का हिस्सा है।
- ब्रिक्स+ का योगदान वैश्विक GDP का 30% से अधिक और लगभग 43% वैश्विक तेल उत्पादन में है।
- ब्रिक्स+ देश विश्व की 50% से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं।

भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- यू.के. (ब्रिटेन) भारत के निर्यात का केवल 3.3% और आयात का 1.2% हिस्सा रखता है।
- यू.के. ने अपनी 99% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क (tariffs) समाप्त कर दिया है।

भारत-मालदीव

- **ऋण पुनर्गठन:** भारत ने मालदीव के वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों को 40% तक कम करने पर सहमति जताई है, जिससे वहाँ की राजकोषीय दबाव में कमी आएगी।
- **ऋण रेखा:** भारत ने 4,850 करोड़ रुपये की ऋण रेखा बढ़ाई है।
- लगभग 25,000 भारतीय मालदीव में रहते और कार्य करते हैं।

निसार उपग्रह

- यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit - LEO) में कार्य करने के लिए बनाया गया है और इसे सूर्य-समकालिक कक्षा में 743-747 किमी. की ऊँचाई पर 98.4° झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा।
- इस उपग्रह का वजन लगभग 2,800 किलोग्राम है और इसका मूल मिशन काल तीन वर्ष का है, जिसे बढ़ाकर पाँच वर्ष तक किया जा सकता है।
- यह प्रणाली हर 12 दिन में, दिन और रात दोनों समय तथा सभी मौसम परिस्थितियों में, विश्व की लगभग सभी भूमि और हिम क्षेत्रों को कवर करने की क्षमता रखती है।

वैश्विक आर्द्रभूमि परिदृश्य, 2025

- अंतर्देशीय मीठे जल, तटीय और समुद्री आर्द्रभूमि प्रकार लगभग 1,800 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- **क्षय की स्थिति:** वर्ष 1970 से अब तक कम से कम 400 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमियाँ नष्ट हो चुकी हैं।
- आर्द्रभूमियों के क्षय की औसत दर प्रति वर्ष -0.52% रही है।
- **लागत:** आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना की औसत लागत प्रति हेक्टेयर 1,000 डॉलर से लेकर 70,000 डॉलर से अधिक तक हो सकती है।

भारत में सार्वजनिक अवसंरचना

- वर्ष 2018 से 2022 के बीच 8,500 से अधिक मौतें बुनियादी ढाँचे के ढहने के कारण दर्ज की गईं।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढाँचे के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये (जो GDP का 3.1% है) आवंटित किए गए हैं, साथ ही 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना बनाई गई है।

सिमिट का वित्तीय संकट

- USAID, जो अमेरिका की वैश्विक सहायता इकाई है, पहले सिमिट (CIMMYT) के वार्षिक बजट का लगभग 40% योगदान करती थी।
- भारत ने वर्ष 2024 में सिमिट को केवल 0.8 मिलियन डॉलर का योगदान दिया।
- भारत के किसानों द्वारा 2024-25 में बोए गए लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर गेहूँ क्षेत्र में से 20 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोई गई शीर्ष 10 गेहूँ किस्मों में से 6 किस्में सीधे सिमिट सामग्री से जारी की गई थीं।
- भारत का खाद्यान्न उत्पादन 1965-66 में 72 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020 तक 300 मिलियन टन से अधिक हो गया, जिससे अकाल के विरुद्ध एक मजबूत भंडार सुनिश्चित हुआ।

भारत: "विश्व की उभरती हुई खिलौना राजधानी"

- भारतीय खिलौना बाजार का मूल्य वर्ष 2024 में लगभग 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था। यह बाजार 2033 तक बढ़कर 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 10.6% रहेगी।
- भारत का वैश्विक खिलौना निर्यात में 0.3% हिस्सा है (27वाँ स्थान) और आयात में 0.1% हिस्सा है (61वाँ स्थान)।

राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025

- विश्व भर में लगभग 30 लाख सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जो मानवता के 12% से अधिक लोगों को जोड़ती हैं। इनमें से शीर्ष 300 सहकारी समितियों का कारोबार 2,409.41 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- सहकारी समितियों का योगदान कृषि ऋणों में 20%, उर्वरक वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31%, गेहूँ की खरीद में 13%, धान की खरीद में 20% है।

विदेशी प्रेषण कर

- भारत विश्व में विदेशी प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- भारतीय प्रवासी समुदाय ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 135.46 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रेषण भारत भेजा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है।
- अमेरिका भारत को प्रेषण भेजने का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसने वर्ष 2023-24 में कुल प्रेषण का 27.7% यानी 32.9 अरब अमेरिकी डॉलर भारत भेजा।

डिजिटल इंडिया

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में इसने राष्ट्रीय आय में 11.74% योगदान दिया और वर्ष 2024-25 तक इसके 13.42% तक पहुँचने की उम्मीद है।
- भारत विश्व में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में तीसरे स्थान पर है।

स्वयं परीक्षण

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जीएस पेपर-I

1. भारत की नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का उद्देश्य देश को एक वैश्विक खेल महाशक्ति में बदलना है। इसके प्रमुख प्रावधानों की जाँच कीजिए और यह आकलन कीजिए कि यह भारत की खेल व्यवस्था में मौजूद ऐतिहासिक कमजोरियों को दूर करने में कितनी सक्षम है। **(15 अंक, 250 शब्द)**

2. पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 ने अधिगम परिणामों में तीव्र क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर किया है। ऐसी असमानताओं के सामाजिक समानता और मानव पूँजी निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

3. माहीसागर नदी भारत की एक अनोखी नदी है, क्योंकि यह कर्क रेखा को दो बार पार करती है। इसकी भौगोलिक महत्ता और अंतर्राज्यीय जल योजना पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

4. भारतीय शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे का ढहना तेजी से आम होता जा रहा है। जाँच कीजिए कि भौगोलिक कारक, खराब योजना और जलवायु दबाव किस प्रकार इस कमजोरी में योगदान करते हैं। **(15 अंक, 250 शब्द)**

5. वैवाहिक विवादों में फोन टैपिंग की स्वीकार्यता गोपनीयता के अधिकार पर चिंताएँ उत्पन्न करती है। कानूनी स्थिति, नैतिक दुविधाएँ तथा साक्ष्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

जीएस पेपर-II

6. अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निष्क्रिय होने से संस्थागत चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। संवैधानिक अधिदेश का परीक्षण कीजिए और ऐसे निकायों के बेहतर संचालन हेतु सुधार सुझाइए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

7. उपराष्ट्रपति का मध्यावधि में इस्तीफा प्रक्रियात्मक और संस्थागत खामियों को उजागर करता है। उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, भूमिकाओं और आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

8. भारत-मालदीव की रणनीतिक साझेदारी इस बात को दर्शाती है कि हिंद महासागर में भूगोल और कूटनीति किस प्रकार अभिसरण करते हैं। सागर और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के अंतर्गत हाल ही में उठाए गए पहलों का मूल्यांकन कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

9. भारत-ब्राजील संबंध साझा औपनिवेशिक विरासत और दक्षिण-दक्षिण एकजुटता पर आधारित हैं। व्यापार, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक शासन में हाल के द्विपक्षीय विकासों के महत्त्व पर चर्चा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

10. ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की बढ़ती भागीदारी इसकी बदलती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। विश्लेषण कीजिए कि भारत किस प्रकार ब्रिक्स+ का उपयोग वैश्विक शासन सुधारों की पैरवी करने के लिए करता है। **(15 अंक, 250 शब्द)**

11. सहकारी समितियाँ लंबे समय से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्तंभ रही हैं, फिर भी उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। जाँच कीजिए कि सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण से किस प्रकार समावेशी विकास, ग्रामीण रोजगार और वित्तीय पहुँच को बढ़ावा दिया जा सकता है। **(15 अंक, 250 शब्द)**

जीएस पेपर-III

12. भारत एक वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और चीनी आयात पर निर्भरता कम कर रहा है। इस बदलाव को गति देने वाले मुख्य नीतिगत हस्तक्षेपों, विनिर्माण संबंधी लाभों और निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

13. हरित क्रांति के दौरान सिमिट से भारत को हुए लाभों के बावजूद, इसकी वर्तमान वित्तीय संकट स्थिति वित्तपोषण असमानताओं को उजागर करती है। जाँच कीजिए कि भारत को वैश्विक कृषि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का समर्थन क्यों करना चाहिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

14. मालदीव जैसे द्वीपीय देशों की जलवायु असुरक्षाएँ क्षेत्रीय साझेदारियों को नया रूप दे रही हैं। विश्लेषण कीजिए कि जलवायु जोखिम किस प्रकार भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में विदेश और सुरक्षा नीति को प्रभावित कर रहा है। **(15 अंक, 250 शब्द)**

15. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी, जो बुनियादी ढाँचे और नौसैनिक विस्तार के माध्यम से हो रही है, भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। भारत की रणनीतिक प्रतिकारक उपायों की जाँच कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

16. भारत की ब्लू इकोनॉमी की दृष्टि स्थिरता और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की है। सागरीय आजीविकाओं के लिए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के महत्त्व पर चर्चा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

17. भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा अक्सर प्राकृतिक आपदाओं और डिजाइन संबंधी खामियों के प्रति संवेदनशील रहता है। बार-बार होने वाली बुनियादी ढाँचे की विफलताओं के पीछे प्रमुख संरचनात्मक और संस्थागत कारकों की पहचान कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

18. अमेरिकी आयात पर भारत के प्रतिकारात्मक शुल्क का व्यापार कूटनीति और WTO नियमों पर क्या प्रभाव पड़ता है? **(15 अंक, 250 शब्द)**

19. शिक्षा और शासन में डिजिटल एकीकरण क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए कि दीक्षा (DIKSHA) और ई-विद्या (eVidya) जैसे प्लेटफॉर्म किस प्रकार समावेशी विकास को समर्थन देते हैं। **(10 अंक, 150 शब्द)**

20. भारत में परिवारों की बचत कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई है, जिससे वित्तीय स्थिरता और भविष्य की खपत पर चिंताएँ बढ़ गई हैं। इस प्रवृत्ति के पीछे के मुख्य कारणों और इसके निवेश, मुद्रास्फीती तथा आर्थिक विकास पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**